अष्टम माला, खंड 14, अंक 19

बुधवार, 19 मार्च, 1986
28 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 19, बुधवार, 19 मार्च 1986/28 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 346 से 351 और 355	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27—130
तारांकित प्रश्न संख्या : 353, 354 और 356, से 366	27—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3375 से 3390 और 3392 से 3501	37—130
भूतपूर्व गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण, तथा आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	130 134
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	134—136
राज्य सभा से संदेश	136—137
सदस्यों के सामूहिक फोटो उतरवाने संबंधी घोषणा	137
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	137
चौदहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
लोक लेखा समिति	
26वां और 27वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	138
निदेश 115 के अधीन वक्तव्य	138—142

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(1) सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 10 मार्च, 1986 को दी गई कतिपय जानकारी के संबंध में	
श्री पी० कुलनदईवेलू	138
(2) सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 10 मार्च, 1986 को दी गई जानकारी के संबंध में श्री पी० कुलनदईवेलू संसद् सदस्य, द्वारा उठाई गई बातों के उत्तर में	
श्री योगेन्द्र मकवाना	139
समिति के लिए निर्वाचन	
राष्ट्रीय कैडेटकोर के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति	143
नियम 377 के अधीन मामले	143—148
(1) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में वनों की कटाई रोकने के लिए और इसके बजाय जिले के उपभोक्ता भण्डारों को बोधघाट दुहान से लकड़ी सप्लाई करने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता	
श्री मानकूराम सोडी	143
(2) गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की 125 वीं जयन्ती मनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता	
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	144
(3) उड़ीसा में कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी और भारत की सांस्कृतिक धरोहर वाले अन्य मन्दिरों का अनुरक्षण, संरक्षण और जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता	
श्री ब्रज मोहन महन्ती	145
(4) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी भारत का विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का, संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी भारत विकास परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता	
श्री आशुतोष लाहा	146
(5) सेन्ट थामस माउंट-एवं, पल्लावरम छावनी बोर्ड, मद्रास, के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता	
श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली	146

(6) बंगलौर में आयोजित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले विकलांग प्रत्याशियों के लिए की गई बैठने की व्यवस्था की जांच करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 147

(7) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रेशम उत्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 147

(8) कानपुर से बम्बई तक और दिल्ली से लखनऊ तक नई रेलगाड़ियां चलाने और कानपुर के लिए राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता 148

श्री जगदीश अवस्थी

अनुदानों की मांगें (सामान्य),1986-87 148—201

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

डा० जी० विजयरामाराव 149

श्री प्रकाश चंद सेठी 152

श्री अनूप चंद शाह 156

श्री रेणुपद दास 159

श्री वृद्धि चंद जैन 161

श्री संतोष मोहन देव 164

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 168

श्री आर० जीवरत्नम 172

श्री बी० के० गढ़वी 174

श्री पराग चालिहा 178

श्री अजय मुशरान 186

श्रीमती बसवराजेश्वरी 190

श्री रामेश्वर नीखरा 191

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 193

डा० गौरी शंकर राजहंस 196

श्री बनवारी लाल पुरोहित 198

श्री विजय कुमार यादव 200

विषय पृष्ठ

नियम 193 के अधीन चर्चा 202—244

16 मार्च, 1986 को तिहाड़ जेल के कैदियों के निकल भागने के बारे में चर्चा

प्रो० मधु दंडवते 202

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 213

श्री सोमनाथ चटर्जी 215

श्री प्रियरंजन दास मुंशी 221

श्री पी० कुलनदईवेलू 225

श्री शान्ताराम नायक 226

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 227

श्री जैनुल बशर 229

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 231

श्री हरीश रावत 231

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन 233

प्रो० सैफुद्दीन सोज 236

डा० गौरी शंकर राजहंस 238

श्री रामनिवास मिर्धा 239

लोक सभा

बुधवार, 19 मार्च, 1986/28 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

"प्रदूषण" को संघ सूची में शामिल करना"

*346. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में रिवाड़ी के निकट धारुहेड़ा में स्थापित दो उर्वरक कारखानों में से फैल रहे प्रदूषण के कारण लोगों में व्याप्त असंतोष की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण के कुप्रभाव को देखते हुए सभी प्रकार के प्रदूषण के विषय को केन्द्रीय विषय बनाने का सरकार का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं; तथापि, समवर्ती सूची में "पर्यावरणीय सुरक्षा" को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

डा० टी० कल्पना देवी : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण पारिस्थितिकीय व्यवस्था बुरी तरह से दूषित करता है । वायु, जल और शोर प्रदूषण जीवधारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं । वायु का प्रदूषण रासायनिक धूलों, गैसों, वाष्पों, धुओं आदि से होता है जिसके परिणाम स्वरूप आक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है जो कि मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है और कार्बन डाई आक्साइड तथा जहरीली गैसों की मात्रा की वायुमंडल में वृद्धि हो जाती है जो सांस लेने पर घुटन अथवा प्रदाह उत्पन्न करके मानव जीवन को खतरे में डालती है, जिसका भयानक उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी है ।

जल प्रदूषण का कारण रसायन तथा गर्म जल है जब उसे उद्योगों द्वारा नहरों और नालों में छोड़ा जाता है जिससे प्राकृतिक जल के जैव-चक्र के ध्वंस होने से जल दूषित होता है ।

मैं जानती हूं कि तेजी से औद्योगीकरण देश के द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वातावरण को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त रखना । नामुमकिन है । परन्तु मैं समझती हूं कि सरकार को मापदण्ड स्थापित करने चाहिए जिसमें सहने योग्य प्रदूषण की छूट हो·····(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या है, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पर पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है ।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं प्रश्न पर आ रही हूँ । दी मल्टीटैक इन्टरनेशनल लि० और ओरियन्टल कार्बन और कैमीकल लि० गंधक तेजाब संयंत्र से निकलने वाली अनिष्टकारी तथा जहरीली गैसों को संसाधित किए बिना ही वायुमंडल में छोड़ रहे हैं जिससे फसलें और शाक सब्जियां नष्ट हो रही हैं तथा मनुष्यों तथा पशुओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । अतः मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इन उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने से पूर्व हरियाणा प्रदूषण बोर्ड से परामर्श किया गया था तथा क्या अनुमति ली गयी थी । अगर नहीं तो उसके क्या कारण हैं और उपरोक्त मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बाद में उठाये जाने वाले कदमों की बजाए निवारक कार्यवाही करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठाये जा रहे हैं ? गत तीन वर्षों में बोर्ड के नोटिस में कितने मामले आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने इस प्रश्न को तैयारी करने में बहुत परिश्रम किया है इसलिए मैंने इन्हें अनुमति दी है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जहां तक इन दो औद्योगिक उपक्रमों का संबंध है, स्थानीय मजिस्ट्रेट को एक शिकायत प्राप्त हुई थी और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत इन दो औद्योगिक उपक्रमों को बन्द करने के लिए कार्यवाही की । ये उपक्रम उच्च न्यायालय में चले गये । माननीय उच्च न्यायालय ने उपक्रमों को बन्द करने के आदेश को रद्द कर दिया और आगे जांच करने के आदेश दे दिये । जांच के बाद एक दल बनाया गया और कुछ मापदण्ड निर्धारित किए गये और इन दो औद्योगिक उपक्रमों द्वारा किये जाने के लिये कुछ कार्यवाई भी निर्धारित की गयी । उनमें से कुछ कार्यवाई उन्होंने की हैं । जहां कुछ मशीनों की जरूरत थी वहां उन्होंने उनके लिए क्रयादेश दे दिये हैं । इन दो औद्योगिक उपक्रमों के बारे में स्थिति यह है । औद्योगिक उपक्रमों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है हम उसके प्रति बहुत सचेत हैं और इन बातों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

डा० टी० कल्पना देवी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है । यह कितने समय तक विचाराधीन रहेगा ? क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या किन्हीं राज्यों से परामर्श किया गया था ? अगर किया गया था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, विशेषकर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्यों की ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो नहीं कहा है कि कोई बात विचाराधीन है ।

डा० टी० कल्पना देवी : श्रीमन्, उन्होंने अपने उत्तर में यह कहा है । यह कब तक विचाराधीन रहेगा ? क्या मैं जान सकती हूं कि क्या किन्हीं राज्यों से परामर्श किया गया था ? अगर किया गया था तो राज्यों की प्रतिक्रिया क्या थी विशेषकर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक राज्यों की ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरे विचार से, मेरी बात को ठीक से समझा नहीं गया । मैंने नहीं कहा है कि कोई बात विचाराधीन है । कुछ मापदण्ड जो निर्धारित किये गये हैं वे उन

उपक्रमों को बता दिये गये हैं। मेरे विचार से वह प्रश्न के भाग (ख) का उल्लेख कर रही हैं जिसमें मैंने कहा है कि समवर्ती सूची में "पर्यावरणीय सुरक्षा को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। बात यह है कि कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा है इस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। श्री एन० डी० तिवारी, तत्कालीन योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी जिसने सिफारिश की थी कि पर्यावरणीय सुरक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए। परन्तु इसे समवर्ती सूची में शामिल करने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जिनके अधीन संसद संविधान के अनुच्छेद 248 और 253 के अन्तर्गत कानून बनाने में सक्षम है। अनुच्छेद 253 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : इस देश में प्रदूषण से बहुत तबाही हुई है। दूसरे देश प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले ही कुछ कदम उठा चुके हैं। और इस संबंध में उन्होंने कुछ कार्यवाई की हैं और वे बहुत ही आधुनिक हैं। परन्तु हम अभी भी विचार कर रहे हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें कौन से कदम उठाने होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि निकट भविष्य में कौन से कदम उठाये जाने वाले हैं क्योंकि गत छः माह के दौरान तीन बार गैस रिसाव के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण ने मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों में तबाही मचायी है। स्थानीय अधिकारीगण अभी भी नहीं जानते कि इसके लिए क्या किया जाये और इस त्रासदी के साथ कैसे निपटा जाये। अतः यदि ऐसी घटना फिर हो गयी तो सरकार कौन से कदम उठाएगी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा के लिए ही इस संसद के गत सत्र में मैंने एक आश्वासन दिया था कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार एक विस्तृत विधेयक लाना चाहती है और महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को आश्वासन देता हूं कि इसी सत्र में हम पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक में प्रदूषण तथा पर्यावरण सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं को पहले से मौजूद अधिनियमों के अलावा सम्मिलित किया जाएगा। सरकार वर्तमान कानूनों में जो वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं कतिपय संशोधन करने का भी सुझाव देने जा रही है ताकि कानून को और अधिक और कड़ा सख्त बनाया जा सके ताकि जो कारखाने वायुमंडल और जल को दूषित कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाई की जा सके।

श्री सुरेश कुरूप : मैं प्रधानमंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, अर्थात्, इलूर, कोचीन स्थित इंडियन रेयर अर्थस फैक्टरी में प्रदूषण की समस्या के बारे में। कुछ गैर-सरकारी अध्ययनों के अनुसार इस इंडियन रेयर अर्थस के कर्मचारियों में कैंसर के मामले बहुत अधिक हैं। इस प्रदूषण की वजह से विकृत बच्चे पैदा हो रहे हैं और दुर्भाग्य से यह फैक्ट्री प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः मैं प्रधानमंत्री से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से उपाय किये जायेंगे अथवा क्या इंडियन रेयर अर्थस फैक्टरी की इस प्रदूषण घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जायेगी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, मेरे विचार से इस खास फैक्टरी के बारे में पूछे गये इस विशेष प्रश्न के लिए मुझे नोटिस की जरूरत होगी।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अगर माननीय सदस्य हमें ब्यौरा देंगे तो हम निश्चित ही शिकायत के संबंध में जांच करायेंगे करेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि यह प्रश्न मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित है ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात उनके ध्यान में लायी गयी है कि गत तीन-चार वर्षों से प्रति वर्ष । इन दो उर्वरक एककों के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण काफी बड़े क्षेत्र की फसल नष्ट हो गयी है। क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देने के लिए प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान करने पर विचार करेगी जिनकी फसल ऐसे क्षेत्रों में नष्ट होती है । क्या इन दो उर्वरक एककों के प्रदूषण से किसानों की फसल को हुई क्षति का मुआवजा देने के संबंध में किसानों के अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की गई है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, इन दो एककों के संबंध में मैंने पहले ही बता दिया है कि शिकायत सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास दर्ज की गयी थी और उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत कार्यवाई की ।

जहां तक फसल के नष्ट होने के संबंध है, नागरिक कानून के अन्तर्गत प्रावधान यह है कि उन कारखानों के खिलाफ क्षति के लिए मुकद्दमा दायर किया जाये । (व्यवधान) महोदय, मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 347.

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, इसका यह मतलब नहीं कि प्रत्येक किसान को मुआवजा प्राप्त करने के लिये अदालत में जाना पड़ेगा । क्या सरकार को अपने आप ही उनके अभ्यावेदन पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और मुआवजा नहीं दे देना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 347 श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ।

ईरान-इराक युद्ध

+

*347 **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध पुनः तेज हो जाने के कारण भारत को काफी चिन्ता हुई है; क्योंकि दोनों ही देश भारत के मित्र हैं और निर्गुट सम्मेलन के सदस्य हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस युद्ध का छठा वर्ष चल रहा है और इसमें दोनों देशों के बहुत अधिक लोग मारे गए हैं और उनकी बहुत अधिक सम्पत्ति नष्ट हुई है; तथा वहां की प्रगति और विकास रुक गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत ने क्या नवीनतम प्रयास किए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी, हां। सरकार ने 18 फरवरी, 1986 को एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें ईरान-इराक लड़ाई के फिर से जोर पकड़ लेने पर भारत ने अपना क्षोभ और चिन्ता व्यक्त की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने 18 फरवरी, 1986 को वक्तव्य जारी करके दोनों देशों से तत्काल लड़ाई समाप्त करने की अपील करते हुए उनसे कहा था कि वे लड़ाई का रास्ता छोड़कर, बातचीत के जरिये शांति पूर्ण ढंग से समस्या का समाधान करें। भारत ने यह इच्छा जाहिर की है कि वह दोनों पक्षों के मतभेदों को दूर करने के लिए कोई न्यायोचित, व्यापक और सम्मानजनक हल ढूंढने में निष्ठापूर्ण और रचनात्मक तरीके से उनकी मदद करने के लिए तैयार है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय यह लम्बी लड़ाई समाप्त करवाने हेतु दोनों देशों की एकाधिक अवसरों पर बातचीत पर राजी करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। किंतु अभी तक ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन दोनों देशों को, जो कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य भी हैं, बातचीत के लिए राजी करने के रास्ते में क्या अड़चनें हैं ? इन दोनों देशों की भारत द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है जिसमें भारत सरकार द्वारा इन दोनों देशों के बीच लगातार लड़ाई पर चिंता व्यक्त की गई थी, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा केवल 8 या 10 दिन पूर्व एकमत से संकल्प पारित किए जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा तत्काल युद्ध बंद करने के आह्वान के बाद ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय, बातचीत सफल न होने का एक कारण यह है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा महासचिव तथा इस्लामी देशों के संगठनों द्वारा कई बार बातचीत की गई हैं। किंतु उनमें से कोई भी सफल नहीं हुई क्योंकि दोनों सरकारों द्वारा कही गई बातें बिल्कुल अलग की और उन्हें एक करने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें एक करने के लिए बार बार किए गए प्रयास असफल रहे।

यह सही है कि अंतिम बैठक में जब पिछले महीने फरवरी में अंतिम बार मतभेद गहरे हो गए थे तब सुरक्षा परिषद ने एक संकल्प पारित किया का जिसमें गुट-निरपेक्ष आन्दोलन तथा भारत द्वारा तय की गई शर्तों पर तत्काल युद्ध बंद करने का आह्वान किया गया था। ईराक ने संयुक्त राष्ट्र संकल्प को स्वीकार किया किंतु ईरान ने नहीं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मेरे विचार में, जैसा कि समचार पत्रों में छपा है, ईरान के दृष्टकोण में कुछ परिवर्तन आया है, विशेषकर अल्जीरिया के विदेश मंत्री द्वारा प्रयास किये जाने पर। जैसा कि समाचार- पत्रों में छपा है कि अल्जीरिया की सरकार ने बातचीत के लिए प्रयास किया है। वहां के विदेश मंत्री ने खाड़ी के देशों का दौरा किया और यह बताया गया है कि इस प्रयास के परिणाम स्वरूप ईरान ने ईराक के राष्ट्रपति श्री हुसन को सत्ता से हटाने की मांग छोड़ दी है। क्या भारत सरकार को इस बात की जानकारी है और क्या इस संदर्भ में भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते स्वयं अकेला ही बातचीत के लिए प्रयास करना चाहता

है अथवा (गल्फ कोआपरेशन काउसिल) और इस्लामी देशों के संगठन जैसे अन्य उन निकायों के साथ मिलकर प्रयत्न करना चाहता है, जो खाड़ी के क्षेत्र में चल रहे इस लम्बे युद्ध को यथा सम्भव शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय, हम इस समाचार की पुष्टि नहीं कर सकते कि अल्जीरिया ने बातचीत शुरू कराने के लिए प्रयास किया है। और जहां तक नए सिरे से बातचीत शुरू कराने का प्रश्न है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन, गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के रूप में भारत, इस्लामी देशों, महासचिव के विशेष प्रतिनिधि द्वारा किए गए सभी प्रयत्नों की असफलताओं को देखते हुए नए सिरे से बातचीत शुरू करने का कोई लाभ नजर नहीं आता।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : ईराक-ईरान के बीच शांति लाने तथा युद्ध समाप्त करवाने में भारत का साथ किन-किन देशों ने दिया; क्या भारत का विचार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का है ताकि इस समस्या का हल निकाला जाए; क्या भारत ईरान- इराक तथा कुछ अन्य शांति-प्रिय देशों के बीच त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा ?

श्री बी० आर० भगत : गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में से जिन चार देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत करवाने के प्रयास किए हैं वे हैं भारत, क्यूबा, जाम्बिया, तथा फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के राजनीतिक विभाग के अध्यक्ष। इस्लामी देश तथा सभी खाड़ी के देशों ने भी इस प्रयास में भाग लिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री ओल्फ पामे महासचिव के विशेष प्रतिनिधि थे। इसके अतिरिक्त हम दोनों देशों से निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं और अभी हाल ही में इरान के विशेष दूत के रूप में वहां के उपमंत्री यहां आए थे। वे मुझसे तथा प्रधान मंत्री से मिले और सन्देश ले गए हैं और हमने इस स्थिति के संबंध में अपने विचार बता दिये हैं। हमने उनसे तत्काल युद्ध बंद करने का आग्रह किया। ये सब चल रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : वित्त तथा अस्त्र-शस्त्रों के मामले में ईराक की ईरान की तुलना में बेहतर स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप ईरान को हुए नुकसान के बावजूद भी, ईरान फिर से उग्र हो उठा है और ईराक को आत्मरक्षा करनी पड़ रही है चाहे वह फाउ प्रायद्वीप में हो अथवा अन्यत्र।

क्या सरकार द्वारा ईरान द्वारा दोबारा युद्ध शुरू करने के कारणों का कोई विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है और क्या सरकार ने यह नोट किया है कि सातवां अमरीकी बेड़ा दि एन्टर-प्राइज तथा कुछ अन्य जहाज करांची से चल पड़े हैं ? क्या इससे ईरान-ईराक युद्ध खाड़ी के अन्य देशों में फैलने का खतरा है और क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि खाड़ी के देशों में युद्ध बढ़ने से अमेरिका के महत्वपूर्ण हितों को खतरा है ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रकार के झगड़ों में, स्थानीय झगड़ों में युद्ध बढ़ने का तथा बाहरी शक्तियों के युद्ध में शामिल होने का खतरा सदा रहता है और यही कारण है कि हमने सदा यही कहा है कि इन्हें शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।

दोनों देशों की शक्ति के संबन्ध में अलग-अलग समाचार हैं। किंतु हम इस संबन्ध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहते। इसके अतिरिक्त इस संबन्ध में स्त्रोतों से पुष्टि नहीं की जा सकती। विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से विश्लेषण प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस संबन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

भाग्यवश, वर्षों से चल रहे इस युद्ध में बाह्य शक्तियों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। यद्यपि ईराक को कुछ देशों से अस्त्र-शस्त्र मिल रहे हैं और ईरान को कुछ अन्य देशों से अतिरिक्त पुर्जे आदि, इसके अतिरिक्त कोई समस्या नहीं है।

श्री जी० जी० स्वैल : करांची के पास अमेरिकी बेड़ा, यह भी हमारे लिये सीधा खतरा है। क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर एक चर्चा कर रहे हैं।

श्री बी० आर० भगत : कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, हम उसका उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने कहा है।

*348. **श्री सी० पी० ठाकुर :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की तांती (ततवा) जाति को "पान" जाति, जो अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल है, की पर्यायवाची जाति माने जाने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके बारे में बिहार सरकार को अपने विचार व्यक्त करने को कहा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगी) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) "तांती" (ततवा) को बिहार में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल, "पान" का पर्यायवाची मानकर शामिल करने के प्रस्ताव पर, अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ बिहार सरकार सहित संबन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और भारत के महापंजीकार से परामर्श करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। इस अवस्था में ऐसी कोई तारीख बताना सम्भव नहीं है जिस तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के विस्तृत संशोधन के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री सी० पी० ठाकुर : कतिपय जातियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में रखने का मकसद यह है कि उनकी सामाजिक शैक्षणिक, तथा आर्थिक दशाओं में सुधार हो, अब क्या माननीय मंत्री जी इस तथ्य से अवगत हैं कि हाल की जनगणना के अनुसार बिहार में कुछ अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जिनमें एक भी मैट्रिक पास नहीं है और एक भी साक्षर महिला नहीं है और कतिपय अनुसूचित जनजातियां ऐसी हैं, जैसे संथाल परगना की पहाड़ियां जनजाति तथा छोटा नागपुर की बिरहोर जनजाति, जो तेजी से लुप्त हो रही हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : यह मुख्य प्रश्न में नहीं है। यह संदर्भ से बाहर है।

श्री सी० पी० ठाकुर : क्या सरकार छोटा नागपुर के भुइयां को अनुसूचित जनजातियों की सूची में तथा मछली पकड़ने वाले मछवा लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने की सोच रही है क्योंकि उनकी दशा भी उतनी ही खराब है जितनी दूसरी अनुसूचित जातियों की।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह बात मुख्य प्रश्न से कैसी निकलती है। आप केवल तान्ती समुदाय के विषय में ही पूछ सकते हैं।

श्री सी० पी० ठाकुर : इस पर दूसरे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : लगभग 500 समुदाय हैं जो इसकी माँग कर रहे हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हम उन सभी के विषय में नहीं कह सकते।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन् : 1970 या 1971 में तत्कालीन कानून मंत्री श्री पनम्पल्ली गोविन्द मेनन ने राज्य सरकार द्वारा सुझाये गये बहुत से समुदायों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिये एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। और केरल राज्य से कुदुम्बी समुदाय को भी शामिल किया गया। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। असल मुद्दा यह है कि यद्यपि विधेयक प्रस्तुत किया गया लेकिन उसे पारित नहीं किया जा सका। क्या सरकार अब इस विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने पर विचार करेगी और इसे संसद द्वारा पारित करायेगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सरकार एक व्यापक विधेयक ला रही है और उस समय हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। समय-समय पर यह प्रश्न उठाया गया है और केवल संसद ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी नाम को जोड़ने या उसमें से कोई नाम हटाने में सक्षम है। अतः हम इस सम्बन्ध में एक बहुत व्यापक विधेयक लाने की सोच रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : चूंकि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की इस सूची में संशोधन के लिये एक कानून लाना चाहती है, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि वे कौन सी अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिन्हें सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह मुख्य प्रश्न से निकलता है। यह अप्रासंगिक है।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इसको इस समय बताना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल तान्ती समुदाय के बारे में है और प्रश्नों के लिये अब गुंजाइश नहीं है। यदि आप अन्य बातें पूछना चाहते हैं तो आप एक पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर लगाने के बारे में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन

*349. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर लगाने और अनुवर्ती कानूनी, परिचालनिक तथा प्रशासनिक पहलुओं के बारे में व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन करने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) यह अध्ययन कार्य किन-किन अभिकरणों को सौंपा गया था और किन-किन विभागों के बारे में यह अध्ययन कराया गया है;

(ग) उन विभागों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में इन अभिकरणों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, महासागर विकास विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने अन्य अभिकरणों द्वारा किए गए 19 प्रमुख अध्ययनों के लिए विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित संभाव्यता अध्ययन के लिए लगभग 14 लाख रु० खर्च किया है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण से सम्बन्धित संभाव्यता अध्ययन इलेक्ट्रानिकी विभाग के राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा किया गया, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की कम्प्यूटरीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं में उनकी सहायता करने के लिए एक प्रमुख संगठन के रूप में किया गया है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ऐसे संभाव्यता अध्ययन निःशुल्क करता है। संभाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा अब तक लगभग 120 मानव-महीनों का प्रयास किया गया है। जहाँ कहीं विधि सम्बन्धी, प्रचालन सम्बन्धी तथा प्रशासनिक उलझन से सम्बन्धित मामले अन्तर्ग्रस्त हैं, उन पर सम्बन्धित विभाग द्वारा या राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग रूप से कार्यवाई की जाती है।

(ख) तथा (ग) ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध में दिए गए हैं।

अनुबन्ध

तालिका–1 विभिन्न विभागों के कम्प्यूटरीकरण पर बाहरी अभिकरणों द्वारा किया गया व्यवहार्यता अध्ययन

क्र० सं०	सरकारी संगठन का नाम	अभिकरण का नाम जिसे ठेका दिया गया	रिपोर्ट का शीर्षक	जिस तारीख को/दिया गया ठेका	अध्ययन पर लागत	कब प्रस्तुत किया गया
I	2	3	4	5	6	7
1.	सी बी ई सी	सी एम सी लिमिटेड	आयात का कम्प्यूटरीकरण कार्गो आपरेशन्स	1984	1.2 लाख	1985
2.	सी बी ई सी	मेसर्स वाइपरो इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी	आयात का कम्प्यूटरीकरण कार्गो आपरेशन्स	1985	मुफ्त	1985
3.	सी बी ई सी	मेसर्स आर्गो सिस्टम	आयात का कम्प्यूटरीकरण कार्गो आपरेशन्स	1985	मुफ्त	1985
4.	सी बी ई सी	मेसर्स पी सी एस	आयात का कम्प्यूटरीकरण कार्गो आपरेशन्स	1985	मुफ्त	1985
5.	सी बी ई सी	मेसर्स आर्गो सिस्टम्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन कार्य तथा लेखांकन	1985	मुफ्त	1986
6.	सी बी ई सी	मेसर्स वाइपरो इन्फार्मेशन टेकनोलाजी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन कार्य तथा लेखांकन	1986	मुफ्त	प्रस्तुत नहीं की गई
7.	सी ई डी टी	सी एम सी लिमिटेड	आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण	1982	1 लाख रुपये	1983
8.	डी जी टी डी	आई आई एम कलकत्ता	डी जी टी डी सूचना प्रणाली	1970	10 लाख रुपये	1975
9.	पी एण्ड टी	मेसर्स ए०एफ० फर्ग्यूशन एण्ड कं०	डाक एवं तार में कम्प्यूटरीकरण	1976	0.99 लाख रुपये	1976

1	2	3	4	5	6	7
10.	डाक विभाग	कर्नाटक स्टेट कम्प्यूटर सेंटर	पोस्टल लाइफ इंशोरेंस	—	—	—
11.	यथोपरि–	ई सी आई एल	धनादेश मालसूची	—	—	
12.	प्रधान मंत्री का कार्यालय	टी सी एस	डाकुमेंट इंवेटरी तथा पुनः प्राप्ति प्रणाली	1985	कोई शुल्क नहीं	1985
13.	प्रधान मंत्री का कार्यालय	टी सी एस	फाइल का पता लगाना तथा उसको रखने की प्रणाली	1985	कोई शुल्क नहीं	1985
14.	सी सी आई एण्ड ई	कम्प्यूटेक इन्टरनेशनल	सी सी आई एण्ड ई में कम्प्यूटरीकरण	1985	1 लाख रु०	1986
15.	विदेश मंत्रालय	टी सी एस टाटा बरोज	मंत्रालय में कम्प्यूटरीकरण	1985	कोई शुल्क अभी तक अदा नहीं किया गया	1985
16.	विदेश मंत्रालय	सी एम सी लिमिटेड	वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में कम्प्यूटरीकरण	1984	कोई शुल्क अभी तक अदा नहीं किया गया	1985
17.	आर्थिक कार्य	सी एम सी	प्रारम्भिक व्यवहार्य अध्ययन	1985	कोई शुल्क अभी तक अदा नहीं किया गया	1985
18.	कार्मिक विभाग	सी एम सी	कार्मिक सूचना प्रणाली	1985	कोई शुल्क अभी तक अदा नहीं किया गया	1985
19.	उत्तर रेलवे	सी एम सी	यात्री आरक्षण	1984	चूंकि परियोजना का एक भाग है कोई शुल्क नहीं लिया गया	1985

तालिका–2 सरकारी विभागों के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा किए गए संभाव्यता अध्ययनों की सूची

क्र० सं०	सरकारी संगठन का नाम		रिपोर्ट का शीर्षक	कब प्रस्तुत की गई
1	2		3	4
1.	वित्त मंत्रालय	1.	बम्बई सीमा शुल्क गृह कम्प्यूटरीकरण	1983
		2.	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सूचना प्रणाली	1976
		3.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व	1983
		4.	राजस्व आसूचना निदेशालय कम्प्यूटरीकरण	1985
		5.	राष्ट्रीय बजट सूचना प्रणाली	1985
		6.	लेखा महा-नियंत्रक के लिए लेखांकन प्रणाली	1978
		7.	बैंक विभाग के लिए बैंकों में एफ० आई० सी० आर० प्रौद्योगिकी चालू करना	1984
		8.	सीमा शुल्क राजस्व लेखांकन	1985
2.	वाणिज्य मंत्रालय	9.	विदेश व्यापार आंकड़ों के लिए वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी महा-निदेशालय	1981
		10.	बम्बई में सी० सी० आई० एण्ड ई० कम्प्यूटरीकरण	1983
		11.	वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई	1984
		12.	आयात-निर्यात आंकड़ा बैंक	1982
3.	संचार मंत्रालय	13.	विदेश पोस्ट आफिस, बम्बई कम्प्यूटरीकरण	1984
4.	दिल्ली प्रशासन	14.	डेसू माल सूची प्रबन्ध तथा नियंत्रण	1984

1.	2	3	4
5.	विदेश मंत्रालय	15. पासपोर्ट कम्प्यूटरीकरण	1984
		16. गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए कम्प्यूटरीकरण	1983
6.	कार्मिक विभाग	17. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में कम्प्यूटरीकरण	1985
7.	कृषि मंत्रालय	18. उर्वरक विभाग के लिए निगरानी सूचना प्रणाली	1986
8.	पूर्ति तथा निपटान महा-निदेशालय	19. वेंडर कार्य-निष्पादन रेटिंग	1984
9.	खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	20. खाद्य विभाग के लिए निगरानी सूचना प्रणाली	1986
10.	पेट्रोलियम मंत्रालय	21. तेल समन्वय समिति के लिए तेल शोधनागारों की उत्पादन निगरानी	1983
11.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	22. दैनिक विद्युत जनरेटर की निगरानी	1978
12.	जल स्रोत मंत्रालय	23. इंदिरा गांधी नहर परियोजना निगरानी	1985
13.	उद्योग मंत्रालय	24. औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए सूचना प्रणाली	1982
14.	डी० जी० टी० डी०	25. औद्योगिक उत्पादन पर निगरानी रखने के लिए सूचना प्रणाली	1985
15.	शहरी विकास मंत्रालय	26. शहरी तथा क्षेत्रीय सूचना प्रणाली	1983
16.	परिवहन मंत्रालय	27. राष्ट्रीय राज मार्गों की निगरानी सूचना प्रणाली	1983
		28. 20 वर्षीय सड़क विकास योजना	1984
17.	स्वास्थ्य मंत्रालय	29. अस्पताल प्रबंध सूचना	1980
18.	कोयला विभाग	30. कोयला उत्पादन तथा वितरण सूचना	1985
		31. कोल इंडिया लिमिटेड के लिए प्रणाली कम्प्यूटरीकरण	1978
19.	शिक्षा विभाग	32. एशियाई खेल कम्प्यूटरीकरण	1981

1	2	3	4
20.	विधि तथा न्याय मंत्रालय	33. भारत के संविधान के लिए कम्प्यूटरीकृत पुर्नप्राप्ती प्रणाली	1984
21.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	34. पत्र सूचना ब्यूरो के लिए कम्प्यूटरीकरण	1986
22.	सर्वे ऑफ इंडिया	35. सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कम्प्यूटरीकरण	1983
23.	कृषि मंत्रालय	36. "प्रोजेक्ट टाइगर" कम्प्यूटरीकरण	1982
24.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	37. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा के लिए कम्प्यूटर की आवश्यकता	1985

तालिका—3

निम्नलिखित विभागों की रिपोर्टें शून्य है, उन्होंने यह संकेत दिया है कि उनके लिए बाहरी किसी अभिकरण द्वारा कोई व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

1. भारत के महापंजीयक
2. योजना आयोग
3. सांख्यिकी विभाग
4. इस्पात विभाग
5. खान विभाग
6. उर्वरक विभाग
7. खाद्य तथा आपूर्ति विभाग
8. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
9. कृषि सांख्यिकी तथा सूचना दल
10. डी जी एस एण्ड डी
11. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
12. शहरी विकास मंत्रालय
13. सिंचाई मंत्रालय
14. खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग
15. ललित कला विभाग
16. नारी एवं शिशु कल्याण विभाग
17. शिक्षा विभाग
18. संस्कृति विभाग
19. समाज कल्याण मंत्रालय
20. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो
21. विधि कार्य विभाग
22. व्यय विभाग (सी जी ए)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, निःसन्देह कम्प्यूटरीकरण सरकार की वर्तमान नीति का महत्वपूर्ण अंग है, यह 21 वीं सदी के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इसका प्रभाव हमारे देश की रोजगार क्षमताओं पर पड़ेगा, फ्रांस, इग्लैण्ड तथा जर्मनी में जहां कम्प्यूटरीकरण किया गया है, रोजगार, क्षमता में कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रत्यक्ष रूप से 40% का ह्रास हो गया। इग्लैण्ड तथा फ्रांस में अध्ययनों से यह भी पता चला है कि एक दशक के दौरान सफेद पोश रोजगार में 40% की कमी हो गयी। इग्लैण्ड में अकेले बैंकिंग क्षेत्र में रोज-के 3000 स्थान कम हो गये। (**व्यवसान**) ब्रिटेन में बैंकिंग क्षेत्र में रोजगार के 50,000 स्थान कम हो गए हैं। कम्प्यूटरीकरण से यह क्षेत्र केवल पूँजी-बहुल ही हो जायेगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप कृपया प्रश्न पर आइये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया ऐसा मत समझिये कि मैं आपके प्रति उतना दयालु होउंगा जितना कि उस महिला के प्रति हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि क्या कम्प्यूटरीकरण के लिये हमारे देश में रोजगार-क्षमताओं के इस पहलू का भी अध्ययन किया गया है या नहीं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, कम्प्यूटरीकरण से सरकारी गतिविधियों तथा सामाजिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो प्रभाव पड़ेगा उससे सरकार भली-भाँति अवगत है। हम महसूस करते हैं कि कम्प्यूटरीकरण से रोजगार क्षमता कम नहीं होगी, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया जो वह कह रहे हैं उसको सुनिये। आप बात सुनने से पहले ही प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जापान में जो कि घनी आबादी वाला देश है, कम्प्यूटर ही नहीं बल्कि रोबटों का प्रयोग किया जा रहा है, और बड़ी आत्माधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन फिर भी, रोजगार क्षमता कम नहीं हुई है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यही वह करने जा रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मैं अपने वक्तव्य की पुष्टि करूँगा, मैं दिल्ली के एक उत्पाद-शुल्क कलक्टरेट के आँकड़े दूँगा। वहाँ एक कम्प्यूटर लगाने में 3 लाख रुपये के बराबर खर्च हुआ लेकिन विभाग को एक माह के दौरान ही 7.8 लाख रुपये का लाभ हुआ। ये 7.8 लाख रुपये लोगों को रोजगार देने के लिये उपलब्ध होंगे। (**व्यवधान**)

उस पैसे का सदुपयोग हम और उद्योग स्थापित करने में, रोजगार क्षमता योजना की वृद्धि करने में उपयोग करेंगे तथा सिंचाई सुविधा में वृद्धि करने में, उर्वरक का अधिक उत्पादन करने तथा अधिक स्कूल खोलने जैसे कार्यों में सभी लोगों के हित में उपयोग करेंगे और इससे अधिक रोजगार मिलेगा। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी समझ मे नहीं आता, मुझे आशा है कि लोगों की समझ में आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, आप कृपया मेरे पास आइये ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी है । सरकार ने भर्ती पर भी प्रतिबन्ध लगाया हुआ है । क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि लगभग 24 विभागों में कम्प्यूटर लगाने में—उनके उत्तर में यही बताया गया है–कितना धन खर्च होगा और विदेशों से कम्प्यूटरों के आयात में कितना खर्च होगा । क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि कम्प्यूटरों के लगाने में कितना धन खर्च होगा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : विभागों में प्रयोग किये जा रहे सारे कम्प्यूटरों को हम बाहर से नहीं मँगा रहे हैं । हमारे देश में भी कम्प्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है और वे विभागों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे हैं ।

जहाँ तक सारे देश में जिला स्तर से लेकर केन्द्रीय स्तर तक, कम्प्यूटरीकरण का प्रश्न है हम देश में चार स्थानों पर—जिनको प्रादेशिक कम्प्यूटर केन्द्र कहा जाता है–एक-एक कम्प्यूटर स्थापित करने जा रहे हैं । इन प्रादेशिक कम्प्यूटर केन्द्रों पर देश के सारे भागों से सूचना एकत्र की जाएगी और वह सूचना नियोजन विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग तथा सभी अन्य सरकारी गतिविधियों हेतु उपलब्ध करायी जायेगी जिससे कि बेहतर योजनाऐं बना सके तथा उस सूचना से कार्यकुशलता बढ़ा सके तथा समय भी कम लगे । हम जिस-स्तर पर भी कम्प्यूटर लगाने जा रहे हैं । यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले सभी कम्प्यूटरों को लें तो 100 करोड़ रुपये के आसपास की लागत बैठती है । 62 करोड़ रुपयों का तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया गया है तथा बाकी पैसा राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ताकि ये सुविधा प्राप्त हो सके । कृपया यह स्मरण रहे कि इस सुविधा का हमें उपयोग करना है, यदि हम इस सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे तो हम विश्व में पीछे रह जायेंगे, हमारी कार्य कुशलता नहीं बढ़ेगी और हम उद्योग कृषि, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता में तथा अन्य क्षेत्रों में विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं ।

श्री शांताराम नायक : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस देश की प्रमुख केन्द्रीय जेलों में कम्प्यूटर लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते है ? उन्हें भागने से रोकने के लिये ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यद्यपि जेलों में कम्प्यूटरीकरण लागू करने का हमारा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है तथापि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम देश में चारों तरफ हो रहे अपराधों का पता कम्प्यूटर से किस प्रकार लगा सकते हैं और उनमें तालमेल बिठाने की चेष्टा करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि अपराधियों को किस प्रकार बेहतर ढंग से पकड़ सकते हैं । पिछले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि इस प्रश्न का संबंध

केवल रोजगार से नहीं है। कम्प्यूटर के कारण रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे। अपितु और बढ़ेंगे किन्तु वे विभिन्न स्थानों में बढ़ेंगे और इस प्रकार रोजगारों का अन्तरण हो जायगा किन्तु वे कम नहीं होंगे। किन्तु सरकार के नाते हमारा कुछ भिन्न दायित्व भी है। भारत की जनता के धन के हम अभिभावक हैं तथा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस धन का दुरुपयोग न हो तथा यथा संभव इसका निवेश सर्वोत्तम कार्यों में किया जाये। हम देख रहे हैं कि प्रशासन व्यय इतना बढ़ता जा रहा है कि जनता के कल्याण के लिये बनाए गये कार्यक्रमों में भी कटौती करनी पड़ती है हमें जहां तक संभव हो अधिक से अधिक धन बचाना चाहिए तथा सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों तथा जनता की सेवा करने वाले अन्य एककों के कार्यकरण में सुधार करना चाहिये जिससे जनता को सर्वोत्तम सेवा प्राप्त हो सके तथा उन सेवाओं पर कम से कम राशि व्यय हो तथा ऐसी परियोजनाओं पर सर्वाधिक धन राशि व्यय की जा सके जो जन जीवन के विकास से संबंधित हैं। यह बहुत सुगम है कि हम सातवीं योजना में 180 करोड़ रुपये व्यय कर सकें तथा हर एक को सरकारी रोजगार दे सके, बहुत से लोगों को रोजगार दे सकें, किन्तु इससे भारत की जनता का भला नहीं होगा। कर से संबंधित एक विभाग में कम्प्यूटरीकरण के मामले के संबंध में श्री शिवराज जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है? वह लगभग 1 लाख रुपये की बात कर रहे थे? इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि जो लोग कर विभाग के पांच वर्ष तक चक्कर काटते रहते उन्होंने अपना भुगतान कर दिया है यदि मुझे ठीक-ठीक याद है क्योंकि मुझे टिप्पणी बहुत पहले लगभग तीन महीने पहले प्राप्त हो गई थी। इसका मतलब है कि हजारों लोगों की परेशानी बच गई है। वह जिस सात लाख रुपये की बात कर रहे थे, वह रुपया धन के रूप में तो नहीं बचा है किन्तु वह रुपया ब्याज के रूप में बचा है जो पांच या दस वर्षों के बजाये तीन महीने के अन्दर भुगतान पर हमें प्राप्त होगा। यह जनता का धन, जो बच गया है अन्यथा यह धन प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार इससे वास्तव में लोगों को सहायता मिलती है, इससे विकास कार्य में सहायता मिलती है और यह धन की बर्बादी नहीं है। रोजगार क्षमता में परिवर्तन होता है। जिस कार्य को हाथ से करना पड़ता वह सेवा क्षेत्र अथवा उत्पादन क्षेत्र और सर्विसिंग क्षेत्र आदि में बदल जाता है। हम अन्य मार्ग भी अपना सकते हैं। हम कह सकते हैं हमें बहुत सारे रोजगार चाहिये। हम आज टाइपराइटरों से फुटकारा पासकते हैं। सरकार जो कुछ करती है उसको लिखने के लिये हमें हजारों लिपिकों की आवश्यकता होगी इससे रोजगार के अवसर बढ़ जायेंगे। हम सिलाई मशीनों से फुटकारा पा सकते हैं, हमें हाथ से सिलाई करने वाले दर्जी रखने पड़ेंगे। हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। किन्तु मुद्दा यह है कि क्या यह देश के हित में होगा या नहीं। इससे देश आगे बढ़ेगा या पीछे चला जायगा? मूल प्रश्न यह है।

हम महसूस करते हैं कि देश को आगे बढ़ना चाहिये। मुझे विश्वास है कि इस सभा के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि देश आगे बढ़े किन्तु यदि किन्हीं लोगों को इसके बारे में संदेह है, तो वे अपने सन्देह बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

डा० वी० वेंकटेश : संसद के कार्य में कम्प्यूटर लागू कर दिये जाये तो कैसा रहे?

योजना कार्यक्रम के बारे में राज्यों द्वारा वास्तविक प्रगति के बारे में केन्द्र को त्रैमासिक

कार्य-निष्पादन प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

+

*350. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

श्री बी० बी० देसाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों योजना कार्यक्रम की ठोस वास्तविक प्रगति के बारे में त्रैमासिक कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गरीबी हटाओ योजनाओं पर विशेष रूप से बल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने केन्द्र को अपनी कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन भेजे हैं; और

(घ) क्या ऐसे प्रतिवेदन मांगने से योजना की धनराशि का समुचित उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पंजा) : (क) योजना आयोग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को, विकास के प्रत्येक शीर्ष/उपशीर्ष के लिए अनुमोदित योजना परिव्ययों के मुकाबले व्यय से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जहां तक निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धियों के प्रबोधन का संबंध है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) मुख्य गरीबी विरोधी स्कीमें अर्थात, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का प्रबोधन ग्रामीण विकास विभाग गहन रूप से कर रहा है। ये सभी गरीबी विरोधी कार्यक्रम, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन के एक भाग के रूप में भी प्रबोधित किए जा रहे हैं। सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इन गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट दे रहे हैं ।

(घ) जी, हां।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि राज्य सरकारें केन्द्र को रिपोर्ट देती रही हैं, किन्तु राज्यों के कार्यनिष्पादन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। तथापि मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या 1985-86 के वित्तीय वर्ष में 20 सूत्री कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण घटकों के लक्ष्य बहुत अधिक पिछड़ गये हैं और यही हाल गरीबी हटाओ कार्यक्रम का रहा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये आवंटित की गई राशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिये अन्तरित कर दिया है अथवा इस राशि को बेकार जाने दिया है, क्योंकि वे इसके प्रति बचन, बद्ध नहीं हैं। यदि हां तो उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा क्या भारत सरकार ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है ?

श्री ए. के. पंजा : प्रश्न के तीन भाग हैं ? जहां तक प्रश्न के पहले भाग अर्थात् वास्तविक लक्ष्य में गिरावट आने का संबंध है जो विभाग किसी विशेष विकास कार्य के लिये उत्तरदायी है,

वे इस बारे में सूचना देंगे।

दूसरे, जहां तक निधियों के अन्य कार्यों पर व्यय किये जाने का सम्बन्ध है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। 31 अगस्त, 1985 को माननीय प्रधान मंत्री से विशेष निदेश पाने के बाद, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा था जिसमें योजना के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर, 1985 को योजाना आयोग के सचिव ने एक पत्र लिखा था जिसमें इस बारे में हुई प्रगति के बारे में पूछा गया था। इस कार्य में हमें जो कठिनाई पेश आ रही है, वह यह है कि वह किसी विशेष प्रयोगों के अनुसार रिपोर्ट न भेजकर विभिन्न प्रकार से रिपोर्ट भेजते हैं। यही कारण था कि 13 मार्च, 1986 को योजना आयोग को एक प्रफोर्मा तैयार करना पड़ा। इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है। इस प्रफोर्मा में विकास सम्बन्धी सभी शीर्षक दिये हुए हैं।

तीसरे, जैसा कि मैं पिछली बार उत्तर दे चुका हूँ, यदि योजना राशि पूरी की पूरी व्यय कर दी जाये, तभी यह पता चल सकता है कि क्या राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया है। यदि पूरी राशि खर्च न की जाये तो इसका पता लगाना संभव नहीं है। इस तरीके से तथा तैयार किये गये प्रफोर्मा से योजना आयोग हर तीसरे महीने इस बात का पता लगा सकेगा कि क्या निधि को किसी और काम में लगाया गया है। इसकी निगरानी करना राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है। तथापि यह जो सर्वेक्षण प्रतिवेदन हमें प्राप्त होगा अर्थात् योजना आयोग की निगरानी से हम राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की योजना सम्बन्धी गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : छठी पंच वर्षीय योजना में इस कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित हुए और यह सुनिश्चित करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे इस कार्यक्रम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ?

श्री ए. के. पंजा : जहां तक प्रथम भाग का संबंध है, उसके लिये मुझे सूचना चाहिये। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हमने जनजातीय उप-योजना तैयार कर ली है, तथा हमने यह पता लगा लिया है कि हमें कहां जोर देना चाहिये और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियां भी शामिल हैं। जनजातीय उपयोजनाएं तैयार की गई है ताकि इनके लिये जो राशि आवंटित की जाती है वह उस प्रयोजन के लिये ही व्यय की जा सके।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन गरीबी हटाओ कार्यक्रमों की निगरानी करते समय निगरानी करने वाली एजेन्सी को यह पता चला है कि इन कार्यक्रमों के घटक के रूप में केन्द्र सरकार भारी मात्रा में जो गेहूँ आवंटित करती है; वह गेहूँ इस कार्यक्रमों में लगे श्रमिकों को नहीं दिया जाता है अपितु जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा वह थोक विक्रेताओं को दे दिया जाता है और थोक विक्रेता उसे खुदरा व्यापारियों को दे देते हैं। और ठेकेदार उसे खुदरा व्यापारियों से प्राप्त करता है। इस सारी प्रक्रिया में 6 से लेकर 8 महीने का समय लग जाता है और इन कार्यक्रमों में लगे श्रमिकों को वह गेहूँ नहीं मिल पाता और है इसे ठेकेदारों के खाते में जोड़ दिया जाता है। इससे बड़ी भारी बाधा उत्पन्न हो गई

है ।.यह गेहूँ लोगों तक नहीं पहुँच पाता है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निगरानी एजेन्सी इस बात की निगरानी करेगी जिससे यह सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय किये जा सकें कि श्रमिकों के लिये आबन्टित किया गया गेहूँ श्रमिकों को ही प्राप्त हो ?

श्री ए. के. पंजा : गरीब लोगों को ऊंचा उठाने तथा जरूरतमंद लोगों के लिये जो गेहूँ वितरित किया जाता है । वह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बाँटा जाता है तथा इसकी निगरानी मंत्रालय द्वारा निगरानी कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति के माध्यम से की जाती है । इसलिये, इस प्रश्न को उसी विभाग से पूछा जाना चाहिये कि क्या वास्तव में हेरा फेरी होती है अथवा नहीं अथवा जिन लोगों के लिये वह दिया जा रहा है, वह उन तक पहुँच रहा है अथवा नहीं ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : ऐसा क्यों ? गेहूँ का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । हमें जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी से क्यों पूछना चाहिये । निगरानी एजेन्सी यहाँ है ।

श्री ए. के. पजा : विभिन्न कार्यक्रमों के लिये गेहूँ तथा अन्य वस्तुओं के वितरण का कार्य सीधे नहीं किया जाता है । यह काम समेकित ग्रामीण विकास या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अथवा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है । जैसा कि मैं पहले उत्तर दे चुका हूँ केवल योजना में शामिल परियोजनाओं की निगरानी करते हैं । **(व्यवधान)**

चिंतामणि पाणिग्रही : मैं ये कठिनाइयां बता चुका हूँ । निगरानी कक्ष इन कठिनाइयों के बारे में विचार क्यों नहीं करता और इसका समाधान क्यों नहीं ढूंढता ।

श्री ए. के. पंजा : माननीय सदस्य उत्तेजित न हों । मैं इस मामले की जाँच की है । एक विभाग यह काम नहीं कर सकता । इसीलिये यह कार्य विभिन्न अन्य एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है । इनमें एक ग्रामीण विकास विभाग है । वह इस बारे में बता सकेगा । योजना आयोग निश्चित रूप से तभी इसके बारे में कुछ बता सकेगा जब ये सब चीजें साथ-साथ ली जायें और हमारे सलाहकार उनका मूल्यांकन करें तथा कार्य निवादन के बारे में पता लगायें । किन्तु जहाँ तक गेहूँ अथवा धन को दूसरे काम में लगाने का सम्बन्ध है, उसके बारे में ग्रामाण विकास विभाग तथा एजेन्सियां बता सकती हैं जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बन्ध रखती हैं ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जब कठिनाइयाँ अभिव्यक्त की जा रही हैं तो मंत्री मंत्री महोदय का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनका पता लगायें और उस बारे में सूचना दें ।

अध्यक्ष महोदय : बेहतर यह होगा कि आप उनसे बात करें तथा उनके विचार समझने की चेष्टा करें ।

श्री ए. के. पंजा : जी हाँ, महोदय, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों ने इस देश में ग्रामीण निर्धनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है । कोई भी व्यक्ति जो जो इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों से अवगत है वह उसको जानता है । मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के प्रत्येक गांव का दौरा किया है और मैंने इस कार्यक्रम की प्रगति का जायजा से लिया है.... **(व्यवधान)** ।

प्रो० मधु दण्डवते : वास्तव में, उनकी यह शिकायत है कि उन्हें अधिक खाद्य प्राप्त हो रहा है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : फिर भी योजना आयोग ने स्वयं जिसकी मन्त्री जी ने अध्यक्षता की एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन प्रतिवेदन पर पिछले वर्ष स्वीकार किया था और कहा था :

> "वर्तमान मूल्यांकन अध्ययन में एकत्र की गई जानकारी से संकेत मिलता है कि विस्तृत मार्ग निदेशों के बावजूद किसी भी राज्य सरकार ने उन्हें किसी एकरूपता के साथ पालन नहीं किया।"

इसका आशय यह है कि यह कार्यक्रम और अधिक प्रभावी होता यदि राज्य सरकारों ने इस कार्य को अधिक गम्भीरता से लिया होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि मार्ग निदेशों और कार्यक्रमों को उतनी गम्भीरता से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जितना कि किया जाना चाहिए। इस देश में ग्रामीण निर्धनों को और अधिक लाभ होता यदि राज्य सरकारों ने इस पर अधिक गम्भीरता से कार्यवाही की होती।

परन्तु योजना आयोग के इस मूल्यांकन अध्ययन के बाद जिससे मंत्री महोदय सम्बद्ध हैं, आगे क्या कार्यवाही की गयी है ? अध्ययन के बाद इसकी सिफारशों को और प्रधानमंत्री जी के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके दौरे के बाद की गई टिप्पणियों को किस प्रकार से कार्यान्वित किया गया ? इस बारे में आपने क्या किया है ?

श्री ए० के० पंजा : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने अत्यन्त संगत मुद्दा उठाया है। वास्तव में योजना आयोग ने बताया कि कई राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने समय-समय पर योजना आयोग द्वारा जारी विभिन्न पत्रों और अनुदेशों का पालन नहीं किया है। जब उन्होंने रिपोर्ट भेजी तो वे सम्बन्द्ध मुद्दों के अनुसार भी नहीं है परन्तु बेतरतीब है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि योजना आयोग ने अब एक प्रोफार्मा बनाया है और जहां तक निर्धारित प्रावधानों का सम्बन्ध है, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे रिपोर्ट भेजें तथा निर्धारित न किए गए प्रावधानों के बारे में योजना आयोग यह भी आग्रह कर रहा है कि वे प्रोफार्मा का अनुपालन करें और हमें रिपोर्ट भेजें।

विकास कार्य में क्षेत्रीय असंतुलन

+

***351. श्री वी० एस० विजय राघवन** :
प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन अभी तक कायम है और अनेक राज्यों को विकास कार्य में अपना समुचित भाग प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में कौन से कार्यक्रम आरम्भ किए और इनके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया तथा इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई।

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और जोरदार योजनाएं बनाने का है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) (क) क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में, परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत कम विकसित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में धरजीह देकर, विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमां और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों जैसे उपायों के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की प्रत्याशा की गई है।

सभी राज्यों को, योजना आयोग के साथ हुई उनकी सहमति के अनुसार, विकास का अपना भाग मिला है।

(ख) से (घ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ख) से (घ) पांचवी, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्र विकास और गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों पर अनुमोदित परिव्ययों और किए गए व्यय के आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं:—

क्रम संख्या	कार्यक्रम	पांचवीं योजना		छठी योजना		सातवीं योजना
		परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1		2	3	4	5	6
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	103·68*	32·67*	1500·00	1661·17	2761·49
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	—	—	1620·00	1834·26	2467·47
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—	—	500·00	499·41	1743·78
4.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	2607·00	1578·00	5807·00	6547·05	11545·92
5.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम	15·18**	10·76**	100·00	73·55	244·94
6.	सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र विकास	259·09	188·98	350·00	337·42	474·00
7.	(क) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	310·03	338·60	848·84	933·88	1505·03
	(ख) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम	20·00	18·28	76·00	75·36	116·50
8.	उत्तर-पूर्वी परिषद्	90·00	86·58	340·00	381·15	675·00
9.	जनजातीय क्षेत्र	1042·89	946·00	4006·51	3640·25	6955·60
10.	औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन स्कीम			100·00	228·75	300·00

* केवल 1978-79 के लिए क्योंकि स्कीम उस वर्ष में शुरू हुई थी ।

** वर्ष 1977–78 और 1978–79 से संबंधित है क्योंकि स्कीम वर्ष 1977–78 में शुरू हुई थी ।

ऊपर बताए गए सभी कार्यक्रमों पर दिए जा रहे बल के अलावा, अब रेगिस्तान विकास कार्यक्रम को सातवीं योजना में शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अलावा, सातवीं योजना में संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रित योजना की भी एक उपकरण के रूप में परिकल्पना की गई है।

श्री वी० एस० विजयराघवन : मैं माननीय मंत्री महोदय से देश में पिछड़े राज्यों के औद्योगिक विकास और अन्य विकास कार्यों के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में किये गये आवंटन की प्रतिशतता को जानना चाहता हूँ।

श्री ए० के० पंजा : मेरे पास पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के बारे में सूचना है। यह एक लम्बी सूची है और विवरण का भी भाग है।

जहां तक औद्योगिक कार्यक्रमों का संबंध है उसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं यदि आप इन देखें तो तीन मुद्दे हैं जिनके अन्तर्गत पिछड़े राज्यों को सहायता दी जा रही है। इससे आपको पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के दौरान इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय और व्यय का भी पता चलेगा।

श्री वी० एस० विजयराघवन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केरल के औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है ताकि कम से कम सातवीं योजना में राज्य के विकास में असंतुलन को दूर किया जा सके।

श्री ए० के० पंजा : केरल एक पिछड़ा राज्य नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की आम जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है इसकी तीन श्रेणियां है—श्रेणी (1) ऐसे जिले जिनमें कोई उद्योग नहीं हैं और श्रेणी (2) विशेष क्षेत्र जिले तथा श्रेणी (3) विभिन्न पैरामीटर वाले जिले जहां तक श्रेणी (1) के जिलों का सम्बन्ध है, प्रोत्साहन और सहायता का प्रतिशत 25% पूंजी निवेश तक बढ़ा दिया गया है। जो कि अधिकतम 25 लाख रुपये है। तदनुसार श्रेणी (2) और (3) को भी पहले की तुलना में अधिक राज सहायता दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : वे पिछड़ेपन का लाभ उठाना चाहते हैं। श्री रामकृष्ण मोरे।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, प्रश्न संख्या 352 नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस महीने की 27 तारीख को लिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : जब मैं यहां उपस्थित हूँ और जब इस प्रश्न को आज की सूची में रखा गया है। तो इसे स्थगित क्यों किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : इसे 27 तारीख को सूची में रखा गया है। आपको 27 तारीख को उपस्थित होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इसे अन्तरित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? मुझे इसके बारे में नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी सूचना दी गई है ।

(व्यवधान)

अफगानिस्तान की स्थिति

*355. **श्री टी० बशीर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में किये जा रहे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के सम्पर्क में रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी नवीनतम स्थिति क्या है और इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान होने की कितनी सम्भावना है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव के निजी प्रतिनिधि श्री डीगो कॉरडोवेज ने इस सिलसिले में आगे बातचीत चलाने के लिए हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा किया है । बताया जाता है कि राजनैतिक समाधान के कतिपय मसौदा प्रावधानों पर सहमति हो गई है, लेकिन कुछ अन्य मुद्दों पर अभी मतभेद बना हुआ है ।

प्रो० मधु दंडवते : आपने इस प्रश्न का उत्तर कल दूरदर्शन में दिया था ।

श्री बी० आर० भगत : जी हां, कल जनवाणी में ।

श्री टी० बशीर : इस मामले का व्यापक पक्ष है । उसके अलावा यह भारत और इस क्षेत्र के लिए अधिक चिन्ता पैदा कर रहा है । अफगान समस्या से भारत के निकट शीत युद्ध और इस क्षेत्र में महाशक्तियों की हथियारों की होड़ उपस्थिति हो गई है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को अपनी मास्को यात्रा के दौरान सोवियत नेता श्री गोरबाचेव और अपनी अमरीका यात्रा के दौरान श्री रीगन के साथ उठाया था तथा क्या यह सच है कि दोनों नेताओं ने स्वीकारात्मक जवाब दिया तथा इस समस्या का समाधान करने में और इस समस्या का राजनैतिक हल निकालने में अपनी इच्छा व्यक्त की । यदि ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सोवियत संघ और अमरीका के नेताओं के प्रत्युत्तर के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं । या कार्य प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव किया है ।

श्री बी० आर० भगत : अफगानिस्तान के मामले पर भारत का दृष्टिकोण और सिद्धान्तवादी और अडिग है । हम हस्तक्षेप और अन्तराक्षेपण दोनों के विरुद्ध है और हम इस मामलों का बातचीत के जरिये राजनैतिक समाधान निकालना चाहते हैं जो सम्बन्धित पक्षों के उचित हित को ध्यान में रखे और महोदय, इस संदर्भ में हमने संयुक्त राष्ट्रसंघ की पहल का समर्थन किया है हमने नोट किया है कि इन बातों में प्रगति धीमी हुई है । तथापि इस समय, संयुक्त-राष्ट्र संघ के महासचिव के व्यक्तिगत प्रतिनिधि द्वारा की जा रही निकटता की वार्ता के अलावा कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय पहल नहीं है और हमने इसका समर्थन किया है क्योंकि हम इस मामले का शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

लीमा स्थित भारतीय दूतावास में हुए विस्फोट से क्षति

*353. **श्री बनवारीलाल बेरवा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीमा (पेरू) में 22 फरवरी, 1986 को भारतीय दूतावास में हुए विस्फोट से जान और माल की अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) इस दूतावास में भारतीय विदेश सेवा के कितने कर्मचारी थे; और

(ग) भारतीयों को हुई हानि की पूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) सौभाग्य से इस घटना में न तो कोई मारा गया था और न ही कोई घायल हुआ। राजदूतावास के चांसरी भवन और राजदूतावास की कार को नुकसान पहुँचा था। इमारत की मरम्मत पर 40,000/-रुपये खर्च होने का अनुमान है और कार की मरम्मत पर 28,000/-रुपए खर्च हुए हैं।

(ख) पांच, जिसमें तीन राजनयिक अधिकारी और दो अन्य शामिल हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि किसी भारतीय का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

बालकों की अपराध प्रवृत्ति

*354. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समाज में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) 1982 तक उपलब्ध प्रकाशित आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1977 और 1981 के बीच पकड़े गए किशोर अपराधियों की संख्या में वृद्धि हुई है और उसके बाद 1982 में कमी हुई है।

(ख) कानून प्रवर्तन के प्रभाव के अलावा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, आर्थिक, ह्रास, निराश्रिता, उपेक्षिता आदि ऐसी कई बातें हैं जो इस समस्या के लिए जिम्मेदार पाई जाती है।

(ग) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लागू विभिन्न बाल अधिनियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों की होती है। इन अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सेवाओं के विकास के लिए भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से आग्रह कर रही है। इसके अतिरिक्त, बाल अधिनियमों के अन्तर्गत सेवाओं और आधारभूत ढांचों को मजबूत करने के लिए राज्यों की सहायता के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा विभाग के कारखानों में उत्पादकता पर आधारित बोनस

*356. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विभाग के कारखानों में उत्पादकता पर आधारित बोनस के प्रयोजनार्थ भारत के सभी कारखानों के उत्पादन की औसत को ध्यान में रखा जाता है, न कि प्रत्येक कारखाने की उत्पादकता अथवा कार्य कुशलता को; और

(ख) यदि हां, तो क्या बोनस के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कारखाने के पृथक उत्पादन को ध्यान में रखने का सरकार का क्या विचार है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के लिये विदेशी सहयोग

*357. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई इलेक्ट्रॉनिकी नीति के कार्यान्वयन से देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन बढ़ा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामान के उत्पादन के लिये भारतीय उद्यमों में भागीदारी की अनुमति दी गई है और उनके सहयोग-करारों की शर्तों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में अपना कार्य पुनः चालू करने के लिए सरकार को आई० बी० एम० से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई पेशकश प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी सरकारी विभाग अथवा अभिकरण ने आई० बी० एम० से कम्प्यूटर खरीदने/किराये पर लेने की सूचना इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां । इलेक्ट्रॉनिकी का कुल उत्पादन जो वर्ष 1983 में 1360 करोड़ रुपये मूल्य का था, वह वर्ष 1984 में बढ़कर 1890 करोड़ रु० हो गया और इसके वर्ष 1985 में बढ़कर 2650 करोड़ रु० हो जाने की संभावना है । उत्पादन बढ़ने के अलावा, संघटक-पुर्जे, कम्प्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी आदि जैसे क्षेत्रों में पूंजीनिवेश में काफी वृद्धि हुई है ।

(ख) वर्ष 1954 तथा 1985 के दौरान जिन विदेशी कम्पनियों को इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन के लिए भारतीय उद्यमों में सहभागी बनने की अनुमति दी गई है, उनके नाम तथा सहयोग की शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं । इसके अतिरिक्त, कुछ वर्तमान विदेशी साझेदारी वाली कम्पनियों को नए उत्पादों के लिए सहयोग करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) सरकार को आई० बी० एम० से "भारत में अपना कार्यकलाप पुनः शुरू करने" के बारे में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

(घ) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने आई० बी० एम० कम्प्यूटर खरीदने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून और सी एम सी लिमिटेड को अनुमति दी है। इन प्रणालियों की सिफारिश विश्वव्यापी आधार पर टेंडर आमन्त्रित करने की प्रक्रियाओं से गुजरने तथा विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन करने के बाद की गई। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आई० बी० एम० 3083 जे० एक्स० के साथ 3 ऐरे संसाधकों (प्रोसेसरों) के लिए अनुमति दी गई है और सी एम सी लिमिटेड को "इण्डोनेट" परियोजना के लिए आई० बी० एम० 4361 नामक 3 कम्प्यूटर प्रणालियों की अनुमति दी गई है।

विवरण

वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान भारतीय उद्यमों में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए जिन विदेशी कम्पनियों की सहभागिता को अनुमति दी गई, उन विदेशी कम्पनियों की सूची :

क्र० सं०	विदेशी कम्पनियों का नाम	भारतीय पार्टी का नाम	वस्तु का नाम	विदेशी सहयोग की शर्त एक मुश्त शुल्क रायल्टी (प्रतिशत)		विदेशी साम्यापूंजी (प्रतिशत)
I	2	3	4	5		6
1.	सेसर इन कार्पो०, अमरीका	विपिन कुमार अग्रवाल, अमरीका	आई ई एल सार्वजनिक टेलीफोन	डालर-2,00,000	5.0	25.0
2.	ईस्टेग्रापिक प्रोडक्ट्स, ग्रेट ब्रिटेन	इन्फोसेंटर (प्रा०) लि०, हैदराबाद	एकीकृत परिपथ बोर्ड	पौंड-70,000		10.07
3.	मोलेक्स इंटरनेशनल	जय इले. एण्ड. प्रा०लि०, नासिक	प्रोपेशनल ग्रेड कनेक्टर	डालर-1,00,000	5.0	40.0
4.	आई एन टी मेमोरीज इनकार्पोरेटिड	के रामेसन, मद्रास	विन्चेस्टर डिस्क प्रणोद	डालर-22,500	5.0	20.0
5.	टेकनीको कं० लि०, जापान	माधव हिताची टोगा इले० (आई), लि०, वाराणसी	डीसी माइक्रो मोटर			33.27
6.	पैकेजिंग इन्ड०ग्रुप इनकार्पो०, अमरीका	पाइन केमिकल्स लि०, बम्बई	फ्लापी डिस्केट्स	डालर-2,50,000		16.6
7.	केमिक-अन्ड फिल्टर. प० जर्मनी	संदूर मैंगनीज एण्ड आयरन ओर्स लि०, यशवंतनगर	इले० डोजिंग पम्प	डा०एम० 1,62,000		40.0

1	2	3	4	5	6
8.	मेटाल्यूटस फिल्मस एस पी ए, इटली	एस०वी० मोहता, नई दिल्ली	प्लास्टिक फिल्म संधारित्र (कैपेसिटर)	रु० 32,00,000	40.0
9.	तोशिबा, जापान	यू०पी०इले०कार्पो०लि०, लखनऊ	रंगीन पिक्चर ट्यूब	येन-68,000,000	18.5
10.	डिडैक मैन्युफैक्चरिंग लि०, कनाडा	उषा डिडैक लि०, नई दिल्ली	फ्लापी डिस्केट्स		40.0

"ऑग्मेन्टेड सेलेलाइट लांच व्हीकल" (ए० एस० एल० वी०) छोड़े जाने में विलम्ब

*358. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री हरिकोटा लॉच केन्द्र में अव्यवस्था होने के कारण "ऑग्मेन्टेड सेटेलाइट लांच व्हीकल (ए० एस० एल० वी०) को छोड़ने में देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसको छोड़े जाने के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे लांचिग केन्द्र की खोज कर रही है, जो चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित न हो सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। इसके छोड़ने में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण भी देरी हुई है।

(ख) तकनीकी समस्याओं, जो हाल ही में व्युत्पन्न हुई है, पर काबू पाने के बाद ही प्रमोचन के लिए निश्चित तिथि निर्धारित की जा सकती है। इसके अब जुलाई-अगस्त, 1986 की प्रमोचन कालावधि में छोड़े जाने की संभावना है। इसके प्रमोचन की पक्की तिथि के अप्रैल 1986 के आस-पास निर्धारित किए जाने की संभावना है।

(ग) जबकि प्रमोचन केन्द्र को ऐसे स्थान पर स्थापित करना उपयुक्त होगा, जो कि चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त हो, ऐसा करना कठिन है क्योंकि पूर्वी समुद्र तट पर प्रमोचन रेंज को स्थापित करना अत्यन्त लाभकारी है चाहे ऐसे स्थानों पर सामान्यतया चक्रवातों/मानसून के कारण कुछ जोखिम भी उठाना पड़े। उपग्रह प्रमोचन केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल का चुनाव विविध तथ्यों के आधार पर किया जाता है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र की प्रकृति, भूमि की ऐसी परिधि में उपलब्धता, जो अपेक्षाकृत मानव बस्तियों से रहित हो और इसके साथ ही अत्यन्त महत्वपूर्ण कुछ तकनीकी तथ्य जैसे प्रमोचन सुरक्षा, प्रमोचन प्रक्षेपपथ की प्राप्ति और प्रमोचन कालावधि की बाधाएं शामिल हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क

*359. **डा० सुधीर राय** :
श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने अनिवासी भारतीयों द्वारा तीन स्थानों पर बनाए जाने वाले प्रौद्योगिकी पार्कों से, जो अधिकांशतः प्रारंभिक स्थिति में हैं, उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो समस्याएं क्या हैं और इनके बारे में सरकार की क्या राय है;

(ग) ये पार्क प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र/क्षेत्रों से संबंधित है; और

(घ) इन पार्कों में किए जा रहे पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य अमरीका के अनिवासी भारतीयों के समूहों ने कुछ अवसरों पर कुछ उच्च प्रौद्योगिकी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कुछ स्थानों पर सुविधाओं को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है। उनमें से कुछ अपने प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

इलैक्ट्रानिकी विभाग ने सापटवेयर के विकास और शतप्रतिशत निर्यात के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों का अनुमोदन किया है :

(1) इन्डो-अमरीका कैपिटल एन्ड टैक्नोलोजी कार्पोरेशन (आई० सी० ए० टी०) यू० एस० ए०, पुणें में पार्क की स्थापना के लिए।

(2) इन्डस टैक्नोलोजी इन्कारपोरेटिड, यू० एस० ए०–दो पार्कों की स्थापना के लिए– एक तमिलनाडू के नीलगिरी जिले में और दूसरा हैदराबाद में।

हर प्रौद्योगिकी पार्क में 5 मिलियन अमरीकी डालर तक के निवेश किये जाने की आशा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए शिक्षण केन्द्र

*360. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक छात्रों के लिए शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र स्थापित करने के लिए कौन-कौन से क्षेत्र चुने गये हैं; और ये केन्द्र कब तक अपना कार्य आरम्भ कर देंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) छात्रों की ओर से दिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों की सहायता के लिए शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। चूंकि इस मामले में पर्याप्त प्रारम्भिक कार्यवाई की जानी जरूरी है, जो शुरू भी कर दी गई है, अतः इस संबंध में कोई ब्यौरे दे पाना सम्भव नहीं है।

उद्योगों हेतु सामूहिक अनुसंधान और विकास निधि के लिए उपकर

*361. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी आवश्यकताओं की निरन्तर उपेक्षा किये जाने के कारण उत्पादन कम होने और उत्पादन लागत अधिक होने के

तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उद्योग पर अनुसंधान और विकास उपकर लगाने तथा प्रत्येक उद्योग के लिए एक सामूहिक अनुसंधान और विकास निधि बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न निर्माताओं द्वारा एक ही किस्म की प्रौद्योगिकी के आयात की पुनरावृत्ति का प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता का भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने, उद्योगों में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के महत्व को स्वीकार करते हुए इस गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहन दिये हैं। प्रयोग शालाओं में विकसित प्रौद्योगिकियों के त्वरित वाणिज्यिक दोहन करने के लिए, प्रायोगिक संयत्रों, प्रक्रिया प्रदर्शन यूनिटों और आदि प्रारूप विकासों में निवेशों को आसान करने के लिए उपयुक्त वित्तीय तंत्रों का विकास करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि की स्थापना करने की आवश्यकता का जायजा लेने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया है।

(ख) कार्यकारी समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और प्रौद्योगिकी नीति कार्यान्वयन समिति ने उस पर सिफारिशें की हैं। सरकार ने इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) जबकि विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा एक ही प्रौद्योगिकी के आयात का इस दृष्टि से समन्वय किया जा सकता है कि प्रौद्योगिक स्थानांतरण के लिए अधिक अनुकूल शर्तें प्राप्त की जा सकें, तो भी इस बात की अपेक्षा की जाती कि बार-बार एक ही प्रौद्योगिकी के आयात से बचा जाए। यह मान लिया गया है कि ऐसा करने के लिए कि अनुसंधान और विकास में पर्याप्त निवेश के माध्यम से आयात जानकारी के अधशोषण अनुकूलन और तदन्तर विकास के लिए पक्की प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

उन्नत अनुसंधान हेतु भारत-फ्रांस केन्द्र

* 362. **श्री सोमनाथ-रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु भारत-फ्रांस केन्द्र स्थापित किय जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। यह भारत और फ्रांस के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान के संवर्द्धन समन्वय और प्रायोजन के लिए एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में कार्य करेगा। इसका एक शासी निकाय और एक वैज्ञानिक परिषद् होगी जिसमें दोनों देशों से सदस्य होंगे।

एंटार्कटिका (दक्षिण ध्रुव) अध्ययन केन्द्र

*363. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एंटार्कटिका (दक्षिण ध्रुव) अध्ययन केन्द्र की स्थापना के बारे में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिये गठित किए गए अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निकट भविष्य में एंटार्कटिका (दक्षिण ध्रुव) अभियान के लिए अपेक्षित उपकरणों आदि से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि प्रारंभ में प्रस्तावित अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र महासागर विकास विभाग के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करना शुरू करेगा और इस केन्द्र का संभार-तन्त्र आधार गोआ में स्थित होगा।

(ख) भावी अभियानों में मौसम विज्ञान, जैविकी, भूविज्ञान, भूभौतिकी तथा समुद्र विज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, अभियानों के लिए संभार-तन्त्र आधार (लाजिस्टिक सपोर्ट) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के जरिए रक्षा मंत्रालय द्वारा मुहैया किया जाता है और वे अपने उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं।

उड़ीसा सैन्ड्स कॉम्प्लैक्स परियोजना का पूरा किया जाना

*364. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड की उड़ीसा में छत्रपुर में चल रही उड़ीसा सैण्ड्स काम्प्लैक्स परियोजना का पहले चरण का कार्य पूरा हो गया;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में अब तक कितनी निवेश किया गया है;

(ग) क्या दूसरे चरण का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(घ) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है और कब तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 107.27 करोड़ रुपए।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान में यह अनुमान है कि इस परियोजना पर 122.30 करोड़ रुपए व्यय होंगे। परियोजना को विभिन्न चरणों में चालू किया जा रहा है और तदनुसार विभिन्न खनिजों का उत्पादन परीक्षण के तौर पर आरम्भ किया जा चुका है।

गोआ, दमन और दीव का रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण

365. **श्री शान्ताराम नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों का हवाई फोटोग्राफीक सर्वेक्षण/ अथवा रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में सर्वेक्षण करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) गोआ, दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्र का हवाई फोटोग्राफीय सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग (एस. ओ. आई.) और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग (एफ.एस.आई.) के लिए अन्तरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन. आर. एस. ए.)द्वारा सत्तर के दशाब्द के आखिर में किया गया था । कई सरकारी विभागों द्वारा स्थालाकृतिक, जलविज्ञानीय और भूविज्ञानीय मानचित्रों को तैयार करने के लिए इस फोटोग्राफी का उपयोग किया गया है । भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने संघ शासित क्षेत्र के विविध किस्मों के वनो संरेखण के लिए इस प्रतिबिम्बिकी का उपयोग किया है। इसके अलावा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने अस्सी दशाब्द में उनके द्वारा किए गए उपग्रह सुदूर संवेदन सर्वेक्षण के लिए इन मानचित्रों का उपयोग भू-तथ्य आंकड़ा आधार के रूप में किया है ।

एफ. एस. आई. ने संवृत्त वनों, विवृत्त वनों इत्यादि के संरेखण में वन सर्वेक्षण उपयोगों के लिए हैदराबाद स्थित एन. आर. एस. ए. के भू-केन्द्र द्वारा लैण्डसैट उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिम्बिकियों का भी उपयोग किया है ।

एन. आर. एस. ए. ने गोआ के लिए परती भूमि के मानचित्र तैयार करने के लिए उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का उपयोग किया है तथा गोआ में विद्यमान परती भूमि का मानचित्रण किया जा चुका है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के संसाधन,इंजीनियरी में अध्ययन केन्द्र ने भू-संसाधनों, भूमि उपयोग, जल निष्कासन प्रणाली मानचित्रण, सतह जल की संभाव्यता इत्यादि के विविध पहलुओं के समेकित रूप में अध्ययन के लिए तथा गोआ क्षेत्र के लिए सुदूर संवेदन उपयोग एवं सामाजिक आर्थिक आंकड़ों से व्युत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों के आंकड़ों के भण्डारण और पुर्नप्राप्ति के लिए भू-कोड़ित आंकड़ा प्रबन्ध प्रणाली के विकास के लिए सुदूर संवेदित लैण्डसैट उपग्रह आंकड़ों के प्रतिबिम्बिकी के रूप में तथा अंकीय कम्प्यूटर सुसंगत टेपों के रूप में उपयोग किया है । मुख्य ढांचें के कम्प्यूटर पर उपयोग के लिए तथा ग्रामीण और जिला स्तरों पर उपयोग के लिए माइक्रो कम्प्यूटर प्रणालियों के लिए भी आवश्यक कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का विकास किया गया है ।

(ग) उपर्युक्त दृष्टि से आगे आने वाली विशिष्ट प्रयोक्ता आवश्यकताओं के आधार पर भविष्य में सर्वेक्षण किए जायेंगे ।

"इन्दिरा सरोवर जल परियोजना को स्वीकृति दिये जाने का प्रस्ताव"

*366. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन इन्दिरा सरोवर जल–परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न पहलुओं पर व्यापक मूल्यांकन चल रहा है । अत्यधिक संकटपूर्ण पर्यावरणीय और पारिस्थिति की मुद्दे शामिल होने तथा लागतों और लाभों की सावधानी पूर्वक तुलना करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस समय यह कहना संभव नहीं है कि आखिरकार यह प्रस्ताव अनुमोदित होगा भी और यदि हां, तो कब ।

[अनुवाद]

आर्थिक संकट दूर करने के लिए उत्तर-दक्षिण वार्ता

3375. **श्री के प्रधानी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने हाल ही में अत्यधिक गंभीर 'आर्थिक संकट, जिसका विश्व को चौथे दशक से सामना करना पड़ रहा है, को दूर करने के लिए उत्तर दक्षिण के बीच वार्ता शीघ्र पुनः आरम्भ करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस संबंध में क्या पहल की है; और

(ग) क्या उत्तर के विकसित देशों ने इसका सकारात्मक उत्तर दिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उत्तर–दक्षिण वार्ता को एक बार फिर शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते जा सकते हैं इस संबंध में भारत विकसित और विकासशील देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

पर्यावरण संबंधी समस्याओं का विश्लेषण

3376. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को पर्यावरण संबंधी समस्यओं के बारे में कई विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की पर्यावरण की किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) पर्यावरण संबंधी इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हाँ ।

(ख) इनमें भू–निम्नीकरण, वनों तथा वनस्पति का रिक्तीकरण, महत्वपूर्ण पारितंत्रों को खतरा, आनुवांशिकी विविधता में कमी, खतरनाक पदार्थों के खतरे समेत वायु एवं जल प्रदूषण शामिल हैं ।

(ग) काफी लम्बे समय से पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के विभिन्न योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन के तहत हैं । कुछ और महत्वपूर्ण उपाय/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

(i) मिट्टी एवं जल संरक्षण कार्यक्रम;

(ii) सामाजिक वानिकी, उत्तम वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा के तरीके;

(iii) जलाने की लकड़ी एवं चारे के पौधरोपण के तहत बृहत क्षेत्रों को लाने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना;

(iv) संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यप्राणी अभयारण्यों की स्थापना;

(v) जीवमंडल रिजर्वों का अभिनिर्धारण;

(vi) जल एवं वायु प्रदूषण के लिए उपाय;

(vii) गंगा नदी में प्रदूषण के निवारण हेतु कार्यकारी योजना को प्रारम्भ करना;

(xiii) ताप–बिजली, तापीय, खनन एवं औद्योगिक परियोजनाओं का पर्यावरणीय अनुप्रभाव मूल्यांकन;

(ix) जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण हेतु अधिनियमों को कड़ा बनाने के लिए प्रस्तावों को बनाना; तथा

(x) खतरनाक पदार्थों के औद्योगिक सुरक्षा एवं प्रबन्ध पर विधान के लिए प्रस्तावों का बनाया जाना ।

टेलीप्रिंटर इक्विपमेंट फैक्टरी स्थापित करना

3377. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की मैसर्स सीमेंस ने पश्चिमी बंगाल में संयुक्त क्षेत्र में एक टेलीप्रिंटर इक्विपमेंट फैक्टरी स्थापित करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में लाइसेंस देने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो अपेक्षित लाइसेंस कब तक जारी किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) जी; नहीं।

(ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी औद्योगिक विकास निगम नामक राज्य सरकार के एक उपक्रम ने विदेशी सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टरों के विनिर्माण के लिए आशय-पत्र जारी करने के लिए मार्च, 1985 में आवेदन किया था। तत्पश्चात्, मई 1985 में पार्टी ने अपने अभ्यावेदन में यह संकेत दिया था कि पश्चिम जर्मनी के सीमेन्स के सहयोग से उन्हीं की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए इस परियोजना को क्रियान्वित करने का उनका विचार है।

(ग) उत्पादन-क्षमता की सीमा पर लगे प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए पार्टी के आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया।

गंगा सफाई योजना के लिए युवकों की सेवाओं का उपयोग

3378. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा सफाई योजना के कार्यान्वयन में लोगों और विशेष कर युवाओं को शामिल करने के लिए नेहरू युवक केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने निर्णय किया है, गंगा कार्यकारी योजना के कार्यान्वयन में युवाओं को शामिल करने के लिए युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया है। 20 एवं 21 फरवरी, 1986 को दिल्ली में नेहरू युवक केन्द्र और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए एक अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गयी थी। यह कार्यक्रम, श्रमदान, नदी तटाग्र संरक्षण के लिए चुने गये स्थलों में युवाओं के लिए शिविरों का संगठन तथा विकास और नदी प्रदूषण समस्या के बारे में जन-जागरूकता को प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है।

केरल में इलैक्ट्रोनिक पर आधारित उद्योग

3379. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इलैक्ट्रोनिक पर आधारित नए उद्योग शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या केरल में कैनोर में बड़े इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए सहायक मदें तैयार करने वाले उद्योग लगाए जाएंगे क्योंकि इस तरह का सबसे बड़ा उद्योग क्लिट्रोन वहां पर स्थित है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक पर आधारित एक नए उद्योग की स्थापना करने के बारे में, सरकार को औद्योगिक लाइसेंस के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। केल्ट्रान केरल राज्य का एक सरकारी उपक्रम है। सहायक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए उद्योगों को आकर्षित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक मार्गएर्शन करता है।

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर द्वारा किया गया अनुसंधान

3380. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर ने खानों से उपभोक्ताओं तक कोयला पहुँचाने का एक क्रांतिकारी तरीका खोज निकालने में एक अहम भूमिका अदा की है, और यदि यह सफल रहता है, तो इससे रेलवे पर, जिस पर बहुत अधिक भार है, बोझ कम हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न कृषि-उत्पाद, विशेष रूप से चिकित्सीय और सुगन्धित पौधे, विकसित करने की दिशा में भी कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यक्रम तथा उसके द्वारा विकसित अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। औषधीय और संगध पौधों के क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर ने निम्नांकित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किये हैं:—

(1) औषधीय और अन्य लाभकारी पौधों के लिए सिमलीवाहन जंगल का संसाधन सर्वेक्षण।

(2) **सोलेनम बायरम**, लैमग्रास, और पामरोजा के बहुस्थानिक उपजातीय विभिन्न (किस्मों) मूल्यांकन परीक्षण।

(3) दाल चीनी (सिनैमोन) और डाइआस्कोरिया फ्लोरिबुन्डा (बहुल पुष्पी) और अन्य लाभकारी पौधों की खेती और सुधार।

(4) "उड़ीसा के कोरापुट जिले में पौधा संसाधन सर्वेक्षण" पर एक नवीन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

प्राप्त की गई उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:–

(1) सिमिलीवाहन जंगल के औषधीय और लाभकारी पौधों की तालिका (सूची) तैयार की गई है। वाणिज्यीकरण के लिए चुने गये उपयुक्त पौधों का गुणवत्ता मूल्यांकन निर्धारण।

(2) उपयुक्त जीनी संरचनाओं (जीनोटाईपस) छांटने के लिए **सोलेनम वायरम** पर बहु-प्रयोग शुरू किए गए थे। प्रति एकड़ तेल प्राप्त करने के लिए लैमन ग्रास पर अध्ययन आयोजित किए गए। उन्नत और चुने हुए पामरोजा का पुनरावर्तित प्रयोगों में मूल्यांकन किया गया। सार्थक तेल अंशों पर अध्ययन किया गया।

(3) दालचीनी (सिनैमोन) के पौधों के लिए अध्ययन जारी है।

(4) ट्यूबर (कन्द) उत्पादन के लिए डाइआस्कोरिया फ्लेरिबुण्डा (बहुलपुष्पी) की आवश्यकता के अनुरूप फॉस्फेट और नाइट्रोजन पर अध्ययन उन्हीं जाति (स्पीसीज) के म्यूटैजनसिसों पर एक और अध्ययन किया गया। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर. आर. एल.) भुवनेश्वर द्वारा विकसित की गई अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ।

(1) धोवनशाला **व्यर्थों** से कोककारी कोयला चूर्ण की पुनः प्राप्त के लिए प्रक्रम।

(2) क्रोमाइड सज्जीकरण के लिए प्रक्रम।

(3) अयस्क चूर्णों के बेन सिन्टरिंग के लिए प्रक्रम।

(4) पाइपलाईनों के माध्यम से कोयला, अयस्क आदि के परिवहन के लिए प्रौद्योगिकी।

(5) ईंधन के दहन तेल समुचित उपयोग के लिए ध्वानिक ज्वालक का विकास।

(6) मिश्रित सल्फाईडों और जल धातुकर्मी निष्कर्षण की उपयोग करने लायक धातुओं का सज्जीकरण करने के लिए प्रक्रम।

(7) अयस्क चूर्णों (क्रोमाइट चूर्ण) के समूहन और सज्जीकरण के लिए प्रक्रम।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद को भरना

3381. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद काफी लम्बे अर्से से खाली पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे महत्वपूर्ण पद को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुक्त को सांविधिक दर्जा प्रदान करने या इसकी शक्तियों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) विशेष अधिकारी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के नाम से भी ज्ञात है, का पद 11 फरवरी, 1986 को भरा जा चुका है ।

(ग) से (ङ.) विशेष अधिकारी की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत होने के कारण उनका स्तर सांविधिकहै, और उक्त अनुच्छेद का उपबन्ध पर्याप्त है ।

[अनुवाद]

डल झील में प्रदूषण

3382. **संयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डल झील में प्रदूषण तथा उसमें अवैध कब्जे के बारे में कोई सरकारी सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या राज्य प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से डल झील के विकास की योजना को कार्यान्वित करने में सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो विकास योजना की अनुमानित लागत क्या है और इसके किस तारीख तक पूरा होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा तैयार की गई तीन चरणों में फैली योजना पर 64 करोड़ रुपये की कुल लागत का आंकलन किया गया । राज्य सरकार के अनुसार, चरण-I में कार्य 1978 को आरम्भ हुआ था तथा 1983-84 में चरण– II में, लेकिन निधियों की कमी के कारण प्रगति धीमी रही ।

टेलीविजन के कलपुर्जों का आयात

3383. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च किस्म के कल पुर्जों को टेलीविजन के लिए आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी कम्पनी ने भारत में इस प्रकार के कल पुर्जों का निर्माण करने के लिए युनिट की स्थापना करने हेतु अपनी सेवाएं प्रस्तुत की हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उच्च किस्म के कल पुर्जों का निर्माण करने वाली ऐसी यूनिटों को भारत में स्थापित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में मुख्यतः रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए संघटक-पुर्जों का आयात किया जा रहा है ।

(ख) हालैण्ड की मैसर्स फिलिप्स नामक कम्पनी के साथ रंगीन पिक्चर ट्यूब संयंत्र की स्थापना करने के लिए मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड से विदेशी सहयोग से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से विदेशी साम्या-पूँजी की सहभागिता की व्यवस्था की गई है तथा यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) दिनांक 21 मार्च, 1985 को नीति विषयक एकीकृत वक्तव्य को सदन के पटल पर रखा गया जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिकी संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना करने के लिये जहाँ प्रौद्योगिकी दुर्लभ हो, वहाँ विदेशी साम्या-पूँजी कम्पनियों को अनुमति दी जाती है ।

बिहार में गंगा नदी की सफाई

3384. **श्री डी. पी. यादव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा नदी की सफाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मुंगेर जिले में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी, हां । 7 मार्च, 1986 तक भागलपुर तथा मुंगेर शहरों के लिए 14.16 करोड़ रुपये की काल्पनिक लागत से ड्राफ्ट स्कीमें और 3.96 करोड़ रुपये की लागत से पटना में 14 स्कीमों के लिए प्राथमिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । इनमें से 70.44 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पटना में छः स्कीमें स्वीकृत की गई हैं ।

(ख) अवरोधक सीवर बिछाने, उपचार संयंत्र लगाने जैसी स्कीमों के लिए 4.68 करोड़ रुपये की काल्पनिक लागत से मुंगेर शहर के लिए बिहार सरकार ने एक ड्राफ्ट स्कीम प्रस्तुत की है । बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जानी हैं ।

(ग) 7 मार्च, 1986 तक पटना में छः स्कीमों के लिए 35.22 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है । चूंकि मुंगेर शहर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित कोई विशिष्ट स्कीम प्राप्त नहीं हुई है, अतः इस अवस्था में कोई भी धनराशि मंजूर करने का प्रश्न नहीं उठाता है ।

इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया की क्षमता का विस्तार

3385. ***श्रीमती जयन्ती पटनायक*** : *क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) *क्या इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विचार सातवीं पंचवर्षीय* योजना के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितना और इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विस्तार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का विचार है; और

(ग) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया के विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजनावधि में इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी लगाने के वास्ते 65 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था गई है।

(ग) आशा है कि सातवीं योजनावधि के पूरा होने तक प्रति वर्ष 280 करोड़ रुपए के मूल्य का सामान तैयार होने लगेगा जबकि 1984-85 में 77 करोड़ रुपए के मूल्य का सामान तैयार हुआ था।

गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन पर व्यय

3386. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस परेड, 1986 के आयोजन पर कुल कितना व्यय हुआ, और

(ख) टिकटों की बिक्री से कुल कितनी आय हुई ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह): (क) नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में व्यवस्था केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी जैसे विभिन्न अभिकरणों द्वारा की जाती है। इस संबंध में खर्च की यह प्रथा रही है कि विभिन्न मदों पर व्यय उस अभिकरण द्वारा वहन किया जाता है जो उस मद/कार्यकलाप विशेष से संबंधित हो। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए खर्च का पूरा लेखा व्यय के एक शीर्ष के अधीन जमा और प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अतः व्यय के कुल आंकड़े देना संभव नहीं है।

(ख) गणतंत्र दिवस परेड, 1986 के लिए टिकटों की बिक्री से कुल 7,47,095 रुपये की आय हुई।

सी० सी० आर० और माइक्रोवेव चूल्हों के यूनिट स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस

3387. **श्री श्रीकान्त इस नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में वी. सी. आर. और माइक्रोवेव चूल्हों के यूनिट स्थापित करने के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) उक्त वर्ष में ऐसे कितने यूनिट स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे यूनिट स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में परिवर्तन किया है;

(घ) यदि हां, तो वी० सी० आर० और माइक्रोवेव चूल्हों के यूनिट स्थापित करने के लिए नए लाइसेंस देने हेतु क्या दिशा निर्देश तैयार किए हैं; और

(ड.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान वीडियो कैसेट रिकार्डर तथा सूक्ष्म तरंग चूल्हों की इकाइयों की स्थापना के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं प्रदान किए गए हैं।

(ग) से (ड़) सरकार ने वीडियो कैसेट रिकार्डरों (वी. सी. आर.)/वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी. सी. पी.) तथा सूक्ष्म तरंग चूल्हों का विनिर्माण करने के लिए समन्वित रूप से आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एस. आई. ए.) औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय के पास इन आवेदन-पत्रों को जमा कराने की अंतिम तारीख 24 जनवरी, 1986 थी। इसके प्रत्युत्तर में वीडियो कैसेट रिकार्डरों तथा वीडियो कैसेट प्लेयरों का विनिर्माण करने के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख अर्थात् 24 जनवरी, 1986 तक ऐसे 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा सूक्ष्म तरंग चूल्हों का विनिर्माण करने के लिए 44 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इस समय आवेदन-पत्रों की एक अन्तर्विभागीय कार्यदल द्वारा जांच की जा रही है।

सरकार वीडियो कैसेट रिकार्डरों तथा सूक्ष्म तरंग चूल्हों के विनिर्माण के लिए केवल ऐसी पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का विचार करती है, जो द्रुत गति से एवं चरण बद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी निवेश लगाने के लिए तैयार हों; और जिनके पास बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आंतरिक क्षमता विद्यमान हो।

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत मुर्शिदाबाद जिले के लिए आवंटित धनराशि

3388. **श्री अतीशचन्द्र सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के लिए गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ख) आगामी दो वर्षों में इस कस्बे में शुरू की जाने वाली योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने नवम्बर, 1985 में ब्रह्मपुर शहर की योजनाओं के लिए 7.25 करोड़ रुपये की काल्पनिक लागत की एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पश्चिम बंगाल सरकार को योजनाओं के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। वास्तविक धनराशि का आवंटन स्वीकृत योजनाओं पर निर्भर करेगी।

(ख) परियोजना प्रस्ताव में निम्न प्रकार की योजनाओं की परिकल्पना की गई है–

(1) शहर में एक अवरोधक सीवर बिछाना।

(2) जीव-ऊर्जा उत्पादन के घटक सहित एक उपचार संयंत्र की स्थापना करना।

(3) कम लागत की सफाई, तथा

(4) नदी का प्रयोग करने वालों के लिए सुविधाओं सहित नदी मुहाने का विकास।

"राज्यों में भूमि विकास प्राधिकरण"

3389. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को परती भूमि का उपयोग करने हेतु भूमि विकास प्राधिकरणों की स्थापना करने को कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में ऐसा प्राधिकरण स्थापित कर दिया गया है; और

(घ) क्या भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापन से ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) भूमि-प्रबन्ध की समस्याओं पर लगातार निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि इन समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से 1974 में राज्य भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया था। इस अनुरोध की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद की 6 फरवरी, 1986 को हुई बैठक में राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को फिर से सक्रिय करने तथा जहां ये विद्यमान नहीं हैं वहां इनके गठन करने की आवश्यकता को भी दोहराया गया।

प्रधान मंत्री जी ने जून, 1985 में राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत इष्टतम भू-उपयोग की नीतियों पर चर्चा करने तथा निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भूमि-उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद की पद्धति पर राज्य स्तर की संस्था की स्थापना की आवश्यकता को सुझाते हुए, मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

परिषद की 6 फरवरी, 1986 को हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि समन्वय, वित्तीय व्यवस्था तथा वृक्षारोपण, परती भूमि विकास से संबंधित कार्यकलापों तथा विभिन्न स्कीमों एवं प्रबोधन तथा मूल्यांकन हेतु राज्य में एक नोडल अभिकरण/रचनातंत्र होना चाहिये।

(ग) महाराष्ट्र में एक राज्य भूमि-उपयोग बोर्ड की स्थापना की गई है ।

(घ) देश में राज्य भूमि उपयोग बोर्ड के समन्वित प्रयासों से निम्नीकृत भूमि का समुचित उपयोग, भूमि के और अच्छे उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के और अच्छे अवसर प्रदान करेगा ।

टी० वी० सेटों के लिए तकनीकी जानकारी वाले व्यक्ति

3390. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत में दूरदर्शन के क्षेत्र में क्रांति हुई है और दूरदर्शन जनसंचार का माध्यम बन गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने टी० वी० दर्शकों की सुविधा हेतु टी० वी० सेट में किसी खराबी को ठीक कराने के लिये तकनीकी जानकारी वाले व्यक्तियों के आसानी से उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कुशल व्यक्ति आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं और वे धन भी अधिक लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो टी० वी० दर्शकों की सहायता के लिये इस संबंध में क्या उपयुक्त उपाय किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल व्यक्ति यथोचित पारिश्रमिक पर शायद उपलब्ध नहीं होते । यह समस्या मोटे तौर पर नगरों और कस्बों में दिखाई नहीं देती । इस समय उपलब्ध कुशल जनशक्ति के अतिरिक्त भारत सरकार ने दूरदर्शन, वी० सी० आर० आदि जैसे आम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए तकनीशियनों के प्रशिक्षण का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया है । इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि इन तकनीशियनों की सेवाएं देश के सभी भागों में उपलब्ध हों, जून, 1986 से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए काफी दूर-दूर तक फैले स्थानों पर 44 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को चुना गया है । सरकार इस कार्यक्रम को लगभग 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पॉलिटेकनिकों में चालू करने का विचार कर रही है ।

इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल इन्सट्रुमेंन्टेशन का देश में निर्माण

3392. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्ट्रोल इन्सट्रुमेंटेशन का भारत में ही निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वदेशी निर्माण को विदेशों से सस्ते आयात से किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और किस सीमा तक प्रगति हो रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और आन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) विद्यमान एनालॉग प्रौद्योगिकी का ग्रेड का क्रमिक रूप से उन्नयन करके उसे अंकीय प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किया जा रहा है । स्वदेशी विनिर्माणकर्ता अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन निम्नलिखित माध्यम से कर रहे हैं : (I) विदेशी-सहयोग प्राप्त करके, (II) आयात के जरिए ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए डिजाइन एवं ड्राइंग प्राप्त करके, (III) गुणवत्ता (क्वालिटी) में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र (ई टी डी सी) के जरिए परीक्षण तथा विकास से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करके तथा (IV) अनुसंधान तथा विकास के कार्यों को मान्यता प्रदान करके तथा प्रोटोटाइप के विकास कार्य को सहायता प्रदान करके एवं उत्पादन के तौर-तरीकों में सुधार करके ।

पांडिचेरी द्वारा बिक्री कर घटाने के विरोध में केरल से अभ्यावेदन

3393. **श्री के० मोहन दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ने संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी द्वारा कई वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से बिक्री कर घटाए जाने, जिसके परिणामस्वरूप केरल में व्यापार में गिरावट आई है, के विरोध में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या करों के संबंध में एकतरफा निर्णय लिये जाने हेतु संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को निरूत्साह करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल राज्य ने हाल ही में केन्द्र सरकार के ध्यान में यह बात लायी है कि संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी द्वारा कई वस्तुओं पर बिक्री कर घटाने के परिणाम-स्वरूप केरल से व्यापार का परावर्तन हुआ है ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार संघ शासित क्षेत्र पांण्डिचेरी से परामर्श करके मामले पर विचार कर रही है ।

बुनियादी ढांचे का कम उपयोग

3394. **श्री के० राममूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्थव्यवस्था के कृषि और खान क्षेत्रों में सम्पदा के उपलब्ध बुनियादी ढांचे के कम उपयोग की समस्या से निबटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : आधारभूत ढांचे के कम उपयोग की समस्याएं, सातवीं योजना के दस्तावेज में बताई गई है, जो सदन में प्रस्तुत किया गया था और जिस पर दिसम्बर, 1985 में सदन में विचार-विमर्श भी हुआ था। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण-1985-86 में भी आधारभूत ढांचे पर एक विशेष अध्याय शामिल किया गया है। विवरण के लिए इन दस्तावेजों को देखने की कृपा करें।

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र द्वारा सातवीं योजना में संसाधन जुटाना

3395. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी निगमित क्षेत्र द्वारा सातवीं योजना में 10 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संसाधन जुटाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र को ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं योजना का उद्देश्य, पंचवर्षीय अवधि (1985-90) में उद्योग क्षेत्रक के लिए 8 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करना है। निजी निगमित क्षेत्रक से, योजना अवधि में, मुख्य रूप से आन्तरिक आधिक्य और शेयर (इक्विटी) डिबेंचर, जमा-राशियों आदि के रूप में खुले बाजार से पूंजी जुटाकर, संसाधन जुटाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) गैर सरकारी निगमित क्षेत्रक को पहले ही देश के अन्तर्गत अनुमोदित रूप में मार्किट से संसाधनों के बढ़ाने की अनुमति दी जा चुकी है।

एशियन ब्लाइंड यूनियन की मांगें

3396. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियन ब्लाइंड यूनियन की कौन-कौन सी मांगें सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) उन पर अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कल्याण मंत्री को एशियन ब्लाइंड यूनियन से कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेत्रहीनों के पुनर्वास की नयी योजनायें

3397. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेत्रहीनों को रोजगार और पुनर्वास के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नया योजनाएं चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां ऐसी योजनाएं चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) शिक्षित नेत्रहीनों की रोजगार की समस्याएं समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित वर्तमान योजनाएं देश भर में उपलब्ध है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

नेत्रहीन व्यक्तियों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के रोजगार और पुनर्वास के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वियन कर रही है और निम्नलिखित रियायतें दे रही हैं:—

(1) केन्द्रीय सरकार में विकलांग व्यक्तियों के लिये समूह "ग" और "घ" पदों तथा केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में समान पदों के लिए प्रतिशत पद नेत्रहीनों, मूकों और अपगों प्रत्येक के लिए एक-एक प्रतिशत पद आरक्षित किये गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी कार्यालयों और सरकारी क्षत्रों के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" के पदों में जिन विकलांग व्यक्तियों, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल हैं, को पिछले वर्षों में नौकरी पर लगाया है, वे निम्न प्रकार हैं:—

	मंत्रालय/विभाग		सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	
	(ग)	(घ)	(ग)	(घ)
1982	215	146	583	343
1983	264	423	223	120
1984	142	279	349	123

(2) नेत्रहीन व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता खोये बिना जिन कार्यों को कर सकते हैं उन का भी पता लगा लिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए 1100 प्रकार के के उचित नौकरियों में से नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के 120 नौकरियों का पता लगाया है जो उनके अनुकूल है।

(3) समूह "ग" और "घ" के पदों पर नियुक्ति के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है।

(4) विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन, व्यक्ति शामिल भी हैं, लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए देश भर में 22 विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के लिए सामान्य रोजगार कार्यालयों में 36 विशेष सैलों की स्वीकृति दी गई थी जिनमें नेत्रहीन व्यक्तियों

को रोजगार पर लगाना शामिल था। पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष रोजगार कार्यालयों, विशेष सैलों और सामान्य रोजगार कार्यालयों द्वारा, जिन नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजगार पर लगाया गया है उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	नेत्रहीनों की संख्या जिन्हें रोजगार पर लगाया गया	विकलांक व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार पर लगाया गया (नेत्रहीनों सहित)
1982	652	9381
1983	285	6444
0984	245	5730

(5) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्टि योग्यता का मूल्यांकन करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और नियमित रोजगार पर लगाने के लिए 14 व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्रों में 6 कुशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार पर प्रोत्साहन देने के लिये 11 ग्रामीण पुर्नवास केन्द्रों को शामिल किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन नेत्रहीन व्यक्तियों को पुर्नवास दिया गया है वे निम्न प्रकार है:—

वर्ष	नेत्रहीनों का संख्या जिन्हें रोजगार पर लगाया गया	विकलांग व्यक्तियों की संख्या, नेत्रहीनों सहित, जिन्हें रोजगार पर लगाया गया
1982	409	3510
1993	415	3966
1984	532	4722

(6) दूर संचार मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल है, उनकी जीवकोपार्जन में सहायता के लिए सार्वजनिक टेलीफोन बूथ प्रदान करता है। अब तक नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को 2000 सार्वजनिक टेलीफोन बूथ दिये गए हैं।

(7) विकलांग व्यक्तियों को, जिनमें नेत्रहीन व्यक्ति भी शामिल है, स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिये ब्याज की सामान्य दर पर ऋण दिये जाते हैं।

(8) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उनके रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार अत्यन्त कुशल कर्मचारियों को और विकलांग व्यक्तियों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देती है।

(9) **राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून**

राष्ट्रीय दृष्टिवाधितार्थ संस्थान, देहरादून की स्थापना, 1979 में की गई थी जो जनशक्ति के विकास और देश में नेत्रहीनों के लिए पुर्नवास सेवाओं के अनुसंधान और विकास कार्य के लिए एक सर्वोच्चय संस्था है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इसने अनेक प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किये हैं।

जनजाति क्षेत्र विकास योजनायें

3398. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में जनजाति क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी विकास योजनाएं स्वीकृत की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार प्रत्येक राज्य में जनजाति क्षेत्रों के लिए कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं स्वीकृत की है;

(ग) प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक योजना और परियोजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई तथा संबंधित राज्य द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जनजाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों के लिए जनजाति उप-योजना नीति पांचवी पंचवर्षीय योजना से संचालन में है। उप-योजना के अन्तर्गत कृषि पशुपालन, बागवानी, लधु सिंचाई, भू-संरक्षण, वन, मछली पालन, शिक्षा जन-स्वास्थ्य, पेय जल आपूर्ति इत्यादि जैसी विकास योजनाएं शुरू की जाति हैं। ये योजनाएं राज्य की जनजाति उप-योजनाओं में सम्मिलित हैं और इन पर भारत सरकार के स्तर पर विचार विमर्श किया जाता है। योजना-वार स्वीकृति जारी नहीं जाती है। इन योजनाओं को 181 एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं, 245 जनजाति बाहुल्य खण्डों (एम. ए. डी. ए. खण्ड) और 72 आदिम जनजाति ग्रुप-परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण–1 में प्रस्तुत की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) में दी गयी योजनाओं को, जनजाति उप-योजना के लिए राज्य योजना राशि, कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय मंत्रालयों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और संस्थागत वित्त के संयुक्त स्त्रोतों की कुल धनराशि से धन दिया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता से दी गयी राज्य-वार राशि और उस पर किया गया व्यय संलग्न विवरण–2 में दिया गया है।

विवरण—I

1982-83 से 1984-85 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

राज्य	जनजाति बाहुल्य खण्ड	पता लगाए गए आदिम जनजाति ग्रुप
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	1. पोलपल्ली	1. बोदो-गदाबा
	2. टोकलापुर	2. बोन्दो पोरोजा
	3. यलामलामंडा	3. गुतोब गढ़ाबा
	4. पेद्दा अदसालापाले	4. खोंद पोरोजा
	5. वाद्दी पटला	5. पारेंगी पोरोजा
	6. तुंगापहाड़	6. थोती
	7. केसवपुर	7. डोंगरियाकोंध
	8. तालुसिग्राम	8. कोंडा सबरास
	9. रामुलपल्ली	9. कुटिया खोंद
	10. वट्टी खाम्मम पहाड़	
	11. चेदेल्ला	
	12. चंदुपटता	
	13. चिकादिममिदी	
	14. परूतापुर	
	15. वैलापल्ली	
	16. अमंगल	
	17. कदथल	
	18. चादुरखल्ले	
	19. याचरम	
	20. कम्मारा कुंतला	
	21. स्दुअर टपुरम	
2. गुजरात	....	1. सिद्दीज
		2. कोलचा
		3. पधार

1	2	3
3. केरल	....	1. कदार
		2. कट्टुनाइकम
4. मध्य प्रदेश	....	1. दमार
5. मणिपुर	....	1. मर्रम नागा
6. उड़ीसा	1. लखनपुर	1. बिरहोर
	2. दिओगांव पटनागढ़	2. दिदेई
	3. तेंतलखुन्टी	3. लोधा
	4. अथामलिक	
	5. सिनापाली	
	6. जयपटना	
	7. खरिआन-I	
7. राजस्थान	1. झलरा पटन खानपुर	....
	2. लाडपुरा रामगंज गण्डी	
8. उत्तर प्रदेश	....	1. बुक्सा

विवरण — 2

जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटन और राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया व्यय।

(रुपये लाखों में)

राज्य	1982-83 दी गयी राशि	व्यय	1983-84 दी गयी राशि	व्यय	1984-1981 दी गयी राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	428.41	472.15	511.52	607.44	589.40	576.32
असम	411.00	333.64	477.33	450.12	539.58	533.50*
बिहार	1349.28	1127.82	1566.89	1223.85	1832.47	1750.06*
गुजरात	798.26	798.26	908.26	908.26	1087.62	1087.62*
हिमाचल प्रदेश	140.20	143.22	158.27	133.58	200.51	232.75
कर्नाटक	68.00	42.58	77.98	59.60	122.61	110.51
केरल	56.00	50.00	62.51	62.39	64.01	58.17
मध्य प्रदेश	2677.83	1625.44	3104.95	1522.46	3652.52	4140.40*
महाराष्ट्र	646.00	721.23	758.75	645.42	799.33	781.57
मणिपुर	171.00	176.36	197.09	196.79	238.94	238.79*
उड़ीसा	1344.42	1344.32	1495.89	1494.81	1763.19	1762.30
राजस्थान	636.79	667.57	722.11	716.19	839.30	886.54

1	2	3	4	5	6	7
सिक्किम	25.00	उपलब्ध नहीं	29.18	उपलब्ध नहीं	37.17	36.17
तमिलनाडु	105.00	97.70	121.88	121.88	135.41	121.72
त्रिपुरा	159.00	156.93	181.92	181.38	199.34	200.42
उत्तर प्रदेश	17.81	18.81	24.39	20.22	26.00	18.81
पश्चिम बंगाल	421.00	418.17	500.08	527.04	524.60*	556.00*
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40.00	26.20	95.00	25.21	3.00	23.38
गोवा दमन व दीव	5.00	6.50	6.00	5.99	7.00	6.97
	9500.00	8226.90	11000.00	8867.63	12662.00	13122.00

*अस्थायी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 का सुधार

3399. **श्री सुदर्शन दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशन के अनुसार मेघालय में जोवाई से त्रिपुरा में अगरतला तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए सड़क की स्थिति में सुधार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह): (क) जी, हां।

(ग) सड़क का एक तरफा राष्ट्रीय राजमार्ग नमूने (3.75 मीटर चौड़ा रास्ता) के अनुसार विकास किया जा चुका है। जिस पर करीब 25 करोड़ रु० की लागत आई है। इस सड़क को और विकसित करने का काम जारी है जिसमें पटरी को सुदृढ़ करना, स्थाई पुलों, पुलियाओं, संरक्षण दीवारों का निर्माण और सड़क को चौड़ी बनाने का काम शामिल है।

"नेशनल लैंड यूज एण्ड वेस्टलैंड डिवलपमेंट काउंसिल की बैठक

3400. **श्री सुभाष यादव** : क्या पधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1986 के प्रारम्भ में नई दिल्ली में "नेशनल लैंड यूज एण्ड वेस्ट-लैंड डिवलपमेंट काउंसिल" की हुई बैठक में राज्य सरकारों से क्षेत्राधिकार के अधीन एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का आवश्यकता अनुभव की गई थी जिसे भूमि का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में ऐसा तंत्र कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस बारे में सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को समन्वित तरीके से भू-उपयोग के उचित निर्धारण एवं प्रबंधन के लिए राज्य भू-उपयोग बोर्डों की स्थापना हेतु 1974 में अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय भू-उपयोग एवं परती भूमि विकास परिषद ने 6 फरवरी, 1986 को अपनी बैठक में निर्णय लिया कि राज्य स्तर पर भू-उपयोग बोर्डों को फिर से सक्रिय करना तथा जहां पर वे नहीं हैं, उनकी स्थापना की जानी चाहिये। परिषद के निर्णय को राज्य/संघ शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया गया है।

राज्यों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना

3401. **श्री के. कुन्जुम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल ऊर्जा उत्पादन का कितने प्रतिशत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है; और

(ख) क्या सातवीं योजना में परमाणु विद्युत उत्पादन की प्रतिशतता में वृद्धि करने की कोई योजना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय हमारे देश की परमाणु बिजली पैदा करने की स्थापित क्षमता 1230 मेगावाट है जोकि देश की बिजली पैदा करने की कुल क्षमता का लगभग 3 प्रतिशत है ।

(ख) यह प्रस्ताव है कि सातवीं योजना के दौरान इस स्थापित क्षमता में 470 मेगावाट की वृद्धि कर दी जाए ।

सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति

3402. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी उपक्रमों में कार्य कर रहे भारती प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की 31 दिसम्बर, 1985 को संख्या कितनी थी और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में नियुक्त करके उन्हें प्रोत्साहन देने की एक योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) (क) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

परती भूमि विकास योजना

3403. **डा० ए० के० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पिछली फरवरी में 5 मिलियन हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से परती भूमि का विकास करने की एक योजना की घोषणा की थी;

(ख) क्या इसके लिए प्रति वर्ष 10 बिलियन बीजांकुरों और 2500 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारी पौध शालाएं अपेक्षित संख्या में बीजांकुरों का उत्पादन करने की स्थिति में हैं और क्या सातवीं योजना में इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है; और

(घ) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम-उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी, हां।

(ख) यदि सम्पूर्ण क्षेत्रफल में बाल-पौधों को रोप कर वनरोपण किया जाता है तो 10 बिलियन बाल पौधों की आवश्यकता होगी। तथापि, क्षेत्र के एक भाग में सीधे बीज बो कर अथवा चारे के लिए पौधरोपण करके उसे भी हरा-भरा बनाया जायेगा।

5 मिलियन परती भूमि के विकास हेतु सभी स्त्रोतों से प्रति वर्ष कुल 2000 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) विकेन्द्रीकृत नर्सरियों के माध्यम से बाल-पौध उत्पादन में वृद्धि के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। वनरोपण हेतु सातवीं योजना के लिए कुल आंवटन लगभग 2500 करोड़ रुपये होने की आशा है।

(घ) एक कार्यकारी योजना तैयार की गयी है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गयी कार्यकारी योजना और जिसे कार्यान्वयन के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकार किया गया है, के निम्नलिखित मुख्य तत्व है :–

(1) **परती भूमि का अभिनिर्धारण** :

प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

(2) **जनता की भागीदारी** :

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :

(क) **विकेन्द्रित नर्सरियां** : जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा।

(ख) **फार्म फारेस्ट्री** : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) **वृक्ष उगाने वाले की सहकारी समिति** : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिये वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए ।

(घ) **स्वैच्छिक संगठन** : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ङ.) **पेड़ों के पट्टे** : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों की इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए ।

(3) **नोडल एजेंसी** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिये अनुरोध किया गया है ।

(4) **बीज** :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है ।

(5) **भूमि की पट्टे पर देना** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(6) **वन-आधारित उद्योगों को** :

उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वन रोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(7) **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां** :

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें ।

(8) **निम्नीकृत वन क्षेत्र** :

राज्यों से, निम्नीकृत वन-भूमि के अभिज्ञान और ईंधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है ।

(9) **वन विकास निगम :**

वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिये सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए ।

(10) **सरकारी विभाग :**

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

(11) **माध्यम एवं संचार :**

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियों, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

(12) **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के लम्बित पड़े मामले

3404. **श्री शांताराम नायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों के पेन्शन सम्बन्धी कितने मामले गृह मंत्रालय में लम्बित पड़े है; और

(ख) इन मामलों को कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए गोवा सरकार द्वारा जिन मामलों की सिफारिश की गयी थी, उनमें से 106 मामले अन्तिम निर्णय के लिए लंबित हैं ।

(ख) इन मामलों को शीघ्रता से अन्तिम रूप देने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का निर्माण

3405. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रॉनिकी घड़ियों का निर्माण करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की तस्करी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के क्षेत्र में विकास करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) भारत में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जिन औद्योगिक इकाइयों ने अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों तथा क्वार्टज एनालॉग घड़ियों के उत्पादन के बारे में सूचना दी है, उनके नाम तथा वर्ष 1985 में उनके द्वारा किये गये उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र में अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के विनिर्माता शामिल नहीं हैं, जिन्हें विकेन्द्रित किया गया है।

(ख) सरकार को यह सूचना मिली है कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, खासकर सस्ती अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, की कुछ मात्रा में तस्करी हो रही है।

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लाइसेंसिंग नीति को सामान्य रूप से उदार बनाना, जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर जोर दिया गया है।

(2) जहां आमतौर पर नियंत्रण अपरिहार्य है, वहां वास्तविक नियंत्रण के स्थान पर आर्थिक नियंत्रण का सहारा लिया जाएगा।

(3) उन मामलों को छोड़कर जहां किन्हीं विशेष कारणों से विशिष्ट रूप से कोई आरक्षण किया गया हो, मोटे तौर पर बड़े उद्योग, लघु उद्योग, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र आदि जैसे कोई क्षेत्रीय प्रतिबंध नहीं होंगे।

(4) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धान्त होगा, समकालीन प्रौद्योगिकी को अपनाना।

(5) इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

(6) जहां समुचित आधार पर स्थापित करने, अथवा विद्यमान आधार को मजबूत बनाने/उसका ग्रेड उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की जरूरत हो, वहां आयात की अनुमति देना और साथ ही साथ उस प्रौद्योगिकी को अपनी परिस्थिति के अनुरूप आत्मसात करने, उसे अपने अनुकूल बनाने तथा उसका ग्रेड बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा ताकि प्रौद्योगिकी का बार-बार आयात करने की आवश्यकता न पड़े।

जहां तक अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का संबंध है, दिनांक 21 मार्च, 1985 को संसद में राज्य मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) द्वारा दिए गए वक्तव्य में इलेक्ट्रॉनिकी नीति से संबंधित एकीकृत उपायों के रूप में घोषित एक भाग के रूप में निम्नलिखित प्रमुख नीतिगत उपायों की घोषणा की गई :

(I) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड को कम कीमत वाली अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के माडयूलों का विनिर्माण तथा विक्रय करने की अनुमति न केवल राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र एवं लघु क्षेत्र में अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का संयोजक करने वाली इकाइयों को दी जाएगी बल्कि यांत्रिक (मेकेनिकल) घड़ियों, हस्त-शिल्प आदि के विनिर्माण में संलग्न अन्य इकाइयों को भी बेचने की अनुमति दी जाएगी ।

(II) लघु क्षेत्र की इकाइयों को कम लागत वाली अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अथवा अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ी माड्यूलों पर आधारित अन्य उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने की अनुमति दी जा सकती है । यदि माग सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड की उत्पादन-क्षमता से अधिक हो जाता है तो इन माड्यूलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र में किसी दूसरी इकाई को अनुमति दी जाएगी ।

(घ) साहिबाबाद स्थित मेसर्स वीनाटोन इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लि० ने अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था । आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि यह आवेदन-पत्र अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के क्षेत्र में उत्पादन-क्षमता तैयार करने से संबंधित सरकारी नीति के अन्तर्गत नहीं आता था ।

विवरण

वर्ष 1985 के लिए वस्तुवार उत्पादन

क्र० सं०	विनिर्माता का नाम	वस्तु के ब्यौरे	मात्रा	मूल्य (लाख रु० में)
1.	इलैक्ट्रॉनिकस कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि०, मद्रास	अंकीय इलैक्ट्रॉनिक	6,096	8.26
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	क्वार्टज घड़ियां	1,63,000	804.97
3.	हैदराबाद अल्विन लिमिटेड हैदराबाद	क्वार्टज एनालाग घड़ियां	94,022	324.31
4.	केल्ट्रॉन क्रिल्टस लिमिटेड, कन्नानूर	अंकीय इलैक्ट्रॉनिक घड़ियां	3,896	7.44
5.	रीको वाच असेम्बली, अजमेर	अंकीय इलैक्ट्रॉनिक घड़ियां	3,708	2.84

जांच आयोग की कालावधि बढ़ायी जाना

3406. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन कारबाइड के मामले पर एन० के० सिंह आयोग, पंजाब समझौता सम्बन्धी मैथ्यू आयोग, गांधी शांति प्रतिष्ठान सम्बधी कुदाल आयोग प्रारम्भ में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके;

(ख) यदि हाँ; तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन आयोगों की अवधि कितनी बार बढ़ाई गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि एक ही व्यक्ति विभिन्न समय पर विभिन्न आयोगों की अध्यक्षता करता है; और

(ङ.) यदि हां, तो न्यायमूर्ति मैथ्यू की अध्यक्षता में गठित आयोगों के नाम क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू : (क) से (ङ.) एन० के० सिंह जांच आयोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6-12-1984 को नियुक्त किया गया था। शुरू में इसका कार्यकाल 15-3-1985 तक था लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा 15-12-1985 तक बढ़ाया गया था। आयोग का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने आयोग का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया है। 19–12–1985 को राज्यसभा में रसायन और पेट्रो-रसायन राज्यमंत्री द्वारा अपनी ओर से दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. मैथ्यू आयोग का गठन तारीख 20-8-1985 के सरकारी संकल्प द्वारा किया गया था जिसमें इसको अधिकतम 31-10-1985 तक अपनी सिफारिशों प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसके कार्यकाल को 4 बार बढ़ाया गया। आयोग ने 25–1–1986 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

3. कुदाल आयोग 17-2-1982 को गठित किया गया था। इसके कार्यकाल को 4 बार बढ़ाया गया। आयोग का कार्यकाल 31-7-1986 तक बढ़ाया गया है। काफी संख्या में संगठनों के मामलों की जांच के कार्य की अधिकता के कारण आयोग विनिर्दिष्ट समय के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका। आयोग ने अब तक चार अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

4. एक न्यायाधीश को अलग-अलग समय पर अलग-अलग वे आयोगों का अध्यक्ष नियुक्त करने के मामले हुए हैं। न्यायमूर्ति श्री मैथ्यू, स्व० श्री एल. एन. मिश्रा की हत्या की जांच करने के लिए नियुक्ति किए गए जांच आयोग के अध्यक्ष और विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे।

भारतीय दण्ड संहिता से धारा 309 का हटाया जाना

3407. **श्रीमती उषा चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्म हत्या का प्रयास करने के एक मामले में निर्णय देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 एक कालदोष है और इसे संविधि पुस्तक से हटा दिया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) 29-3-1985 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के तहत किसी अपराध की जांच-पड़ताल को जारी रखने की मनाही करते हुए यह टिप्पणी की थी कि :–

"भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309, जो एक काल दोष है, का जारी रखना हमारे जैसे मानव समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। वास्तव में समाज में इस तरह अनुपयुक्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के लिए मैडिकल क्लिनिक है पुलिस और जेल कदापि नहीं। यह विचार ही घृणित है। इस विचार से आधुनिक शहरी और प्रतियोगी अर्थव्यवस्था की सामाजिक कठिनाइयों की चुनौती का मुकाबला साधारण लक्षणों के क्रूर दमन द्वारा किया जाता है किन्तु यह प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। आवश्यकता मानवीय सभ्य तथा समाज उन्मुखी तथा सचेत दण्ड विज्ञान की है। अनेक दण्डिक अपराध, न्याय विरुद्ध समाज तथा जात–पात, समुदाय तथा सामाजिक दिखावे की झूठी धारणा से निराश हुए युवकों के सामाजिक प्रेम के विकृत दृष्टिकोण, की देन हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि जब तक समाजइस वास्तविकता का सामना करने से इन्कार करता रहेगा, तब तक इसकी क्रूर व्यवस्था भारतीय दण्ड संहिता की धरा 309 जैसे उपलब्ध को प्रवृत्त करती रहेगी जिसका संविधि में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।"

2. विधि आयोग ने भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 के निरसन् की सिफारिश की है। इस सिफारिश की इस संहिता का विस्तृत संशोधन करते समय ध्यान रखा जायेगा।

टी० वी० ट्यूब निर्माण संयंत्र के लिए लाइसेंस

3408. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० वी० ट्यूबों का निर्माण करने वाले कुल कितने संयंत्रों को अब तक लइसेंस दिया गया है;

(ख) उनमें कितने ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० ट्यूबों का तथा कितने रंगीन टी० वी० ट्यूबों का निर्माण करने वाले हैं; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र में कुल कितने संयंत्रों को संयंत्रों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) औद्योगिक अनुमोदनों की कुल संख्या :

	निजी क्षेत्र	संयुक्त क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र
श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूब	2	4	4
रंगीन पिक्चर ट्यूब	शून्य	शून्य	शून्य
आशय पत्र			
श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूब	5	2	6
रंगीन पिक्चर ट्यूब	शून्य	1	2
औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में किए गए पंजीकरण के अनुसार :			
श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूब	12	शून्य	शून्य
रंगीन पिक्चर ट्यूब	9	शून्य	4

"इन्जीनियरिंग और पर्यावरण के बारे में दूसरी विश्व कांग्रेस की सिफारिशें"

3409. **डा० चिंता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरिंग और पर्यावरण के बारे में 8 नवम्बर, 1985 को दिल्ली में आयोजित दूसरी विश्व कांग्रेस ने सिफारिश की है कि देश में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कोई भी खतरनाक उद्योग स्थापित नहीं किए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) से (ग) उपर्युक्त कांग्रेस की सिफारिशें अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुयी हैं। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि सभी संबंधितों के प्रयोग एवं संदर्भ के लिए विभाग ने उद्योगों (खतरनाक उद्योगों सहित) के स्थान निर्धारण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का एक सेट तैयार किया है।

यूरेनियम सांद्रण (कन्सेन्ट्रेट) का उत्पादन

3410. **श्री हरिकृष्ण शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में यूरेनियम सांद्रण का उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) उनका भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में किस प्रकार उपयोग किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार का विचार है कि यूरेनियम सांद्रो के उत्पादन के बारे में आंकड़े देना लोकहित में नहीं है।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम यूरेनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित यूरेनियम सांद्रों का उपयोग परमाणु बिजलीघरों और अनुसंधान रिएक्टरों के लिए ईंधन तैयार करने के वास्ते किया जाता है।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम

3411. **श्री के. वी. शंकरगौडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम कार्यचालन स्थिति में प्रवेश कर गया है जो कि फार्म विकास में सहायता कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तरिक्ष कार्यक्रम बहु-क्षेत्रीय योजना के लिये प्राप्त उच्च संसाधन मांगों को पूरा करने में सहायक होगा; और

(ग) यदि हां, तो अन्तरिक्ष कार्यक्रम से फार्म विकास के परिणामों को कब तक प्राप्त किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में कृषि से संबद्ध अनेक क्रियाकलाप शामिल हैं, अत: यह फार्म विकास में भी सहायक है। इनमें उपग्रह मौसम विज्ञान, जल-संसाधन, मृदा, परती भूमि के निर्धारण, क्षारीय क्षेत्रों के निर्धारणमें सुदूर संवेदन उपयोगों इत्यादि से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं। मृदा के अध्ययनों, बृहत सतह जल निकायों का निर्धारण; क्षारीय क्षेत्रों का निर्धारण इत्यादि के क्षेत्रों में अन्तरिक्ष विभाग और अनेक प्रयोक्ता-एजेंसियों से वैज्ञानिकों के क्रियाकलापों के माध्यम से पर्याप्त अर्ध- प्रचालनात्मक अनुभव प्राप्त किया गया है। इस अनुभव को उन संभाव्य क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जहां इसकी आवश्यकता हैअथवा कार्यवाई के लिए कार्य क्षेत्र है। उपग्रह मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बिकियां वर्षा के बेहतर मूल्यांकन, जोकि एक अत्यन्त जटिल परिघटना है, में सहायता कर रही हैं। इन्सैट कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित आंकड़ा संग्रहण प्लेटफार्म बेहतर जल प्रबन्ध के लिए निवेश प्रदान कर सकते हैं। फसल प्रभाव और इनका पैदावार से संबंधों इत्यादि के लिए कई अध्ययन किए जा रहे हैं, जिससे कृषि आयोजना तथा विकास की प्रगति में और सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

कार्यदल द्वारा लोक वित्त प्रवृत्ति संबंधी पुनरीक्षा

3412. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विकास के लिए साधन जुटाने के क्षेत्र में लोक-वित्त की प्रवृत्तितों का अध्ययन और उसकी पुनरीक्षा करने के लिए कार्य-दल का गठन किया है;

(ख) इस अध्ययन के परिणाम कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) कार्य-दल के अन्य निर्देश पदों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पन्जा) : (क) योजना आयोग ने, युक्ति-संगत मूल्य स्थिरता सहित सतत संवृधि के लिए, लोक-वित्त की प्रवृत्तियों के मामलों का अध्ययन करने के हेतु एक कार्यकारी दल बनाया है। इस कार्यकारी दल के विचारार्थ विषयों में एक विषय, विकास के लिए संसाधन सृजित करने के विशेष संदर्भ में लोक-वित्त की प्रवृत्तियों कर, सामान्य पुनरीक्षण करना है;

(ख) कार्यकारी दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 नवम्बर, 1986 तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) इस कार्यकारी दल के अन्य विचारार्थ विषयों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(1) सरकारी रोजगार में वृद्धि, मंहगाई भत्ते की अदायगियों के प्रभाव, ब्याज की अदायगियों में वृद्धि और राज्य सहायता में वृद्धि के संबंध में बल देते हुए, योजनेतर व्यय में वृद्धि के क्षेत्र और कारणों की गहराई से जांच करना;

(2) व्यापक मामला-अध्ययनों में जरिए, कुछ विभागों में बेशी पाये जाने वाले स्टाफ की, अन्य विकास विभागों में पुनः तैनाती करने की सम्भावनाओं का पता लगाना ताकि स्टाफ पर बढ़ते हुए व्यय को नियंत्रित किया जा सके,

(3) सार्वजनिक ऋणि और सार्वजनिक ऋण प्रबन्ध के बारे में अध्ययन करना और सुदृढ़ नीतियां तैयार करना;

(4) बड़े सरकारी उद्यमों के वित्त से संबंधित अध्ययनों को बढ़ावा देना, प्राप्त परिणामों के इस प्रकार के उपयोग को सिफारिशें करना कि वे उद्यम वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो सकें और अपने विकास के लिए संसाधन सृजित करने के योग्य बन सकें;

(5) म्यूनिसिपल स्तर पर वित्तीय प्रशासन की स्थिति और स्थानीय प्राधिकरणों के वित्त से संबंधित अध्ययनों को बढ़ावा देना और इनका पर्यवेक्षण करना और इन अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी नीतियों का विकास करना जिनसे प्राधिकरण वतमान की अपेक्षा अधिक संसाधन सृजित कर सकें ताकि वे अनिवार्य म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए वित्त की व्यवस्था कर सकें और शहरी आधार संरचना में आवश्यक निवेश किया जा सके; और

(6) केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण का अध्ययन करना और ऐसी आवश्यक सिफारिशें करना जिनसे सरकार के दोनों स्तरों की सापेक्ष आवश्यकताओं की अधिक अच्छी तरह से पूर्ति हो सकें और इसके साथ-साथ संसाधनों के उपयोग में कुशलता में वृद्धि और किफायत बरती जा सके।

मानव संसाधन विकास के लिए अपर्याप्त वित्तीय आवंटन

3413. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वित्तीय आवंटन में कमी करने के क्या अकाट्य कारण हैं; और

(ख) सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) यद्यपि, योजना परिव्यय में, पहली से छठी योजना तक, शिक्षा का भाग कम होता रहा है तथापि, सातवीं योजना में प्रवृत्ति इस के विपरीत है, जिसमें संस्कृति और खेल कूद सहित, शिक्षा का भाग 2.58 से बढ़कर 3.55 प्रतिशत हो गया है । उत्तरोत्तर योजनाओं में शिक्षा के भाग के कम होने का कारण, योजना में शिक्षा के आवर्ती घटक का गैर-योजना बजट में अन्तरण है ।

शिक्षा को, संसाधनों की समग्र बाध्यकारिता के भीतर, अधिकतम सम्भव आवंटन उपलब्ध कराने की हरेक कोशिश की जाती है ।

आंकड़े संकलित करने और तैयार करने के लिए चार सुपर कम्प्यूटरों को खरीदना

3414. **श्री राजकुमार राय**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिक विभाग एक प्रणाली उपलब्ध कर रहा है जिससे कि आंकड़े एकत्र करने वाली एजेंसियाँ न केवल सूचना उपलब्ध कराएगी बल्कि उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति पर निगरानी रखने की प्रणाली को एक दूसरे के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई समय बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ । इलैक्ट्रॉनिकी विभाग राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) के जरिए एक ऐसी प्रणाली उपलब्ध करा रहा है, जिसके द्वारा आंकड़ा एकत्रित करने वाले अभिकरण न केवल सूचना प्रदान कर सकेंगे अपितु एक ऐसा तंत्र (मेकेनिजन) भी उपलब्ध करा सकेंगे जिसमें प्रणाली के साथ पारस्परिक सक्रिय संपर्क स्थापित करने पर आर्थिक प्रगति पर निगरानी रखी जा सकेगी । जिला, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्तरों पर कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा निर्णय लेने वाले विभिन्न अभिकरणों के बीच समयोचित सूचना का आदान-प्रदान करके तथा आंकडा एकत्रित करने एवं उनका संकलन करने के लिए, एक एकीकृत ढांचा स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) प्रथमतः राज्य स्तर पर तथा तदुपरान्त जिला स्तर पर अपने निकनेट नामक कम्प्यूटर नेटवर्क (एन आई सी एन ई टी) का विस्तार कर रहा है । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने आर्थिक प्रगति पर निगरानी रखने के लिए अनेक प्रणालियों का पहले ही विकास किया है तथा इन्हें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न सर-

कारी विभागों में क्रियान्वित किया गया है। बड़ी परियोजनाओं पर द्रुत गति से निगरानी रखने का कार्यक्रम तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निगरानी रखने का कार्य कुछ ऐसे कार्य है जो इन प्रणालियों द्वारा किये जाते हैं।

(ख) जी, हां। राज्य तथा जिला स्तर पर निकनेट नामक कम्प्यूटर नेटवर्क (एन आई सी ई टी) का विस्तार करने के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक का स्थगित किया जाना

3415. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच मार्च, 1986 में होने वाली बैठक भविष्य में किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दी गई है;

(ख) यदि हां; तो बैठक, की संभावित तारीख और स्थान क्या है;

(ग) इस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा होगी; और

(घ) क्या 24 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में "नर्किंग फाइनल पर आंन पैक्टजिया" शीर्षक से प्रकाशित पाकिस्तान के राष्ट्रपति के वक्तव्य पर भी चर्चा के दौरान विचार किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) : इस्लामाबाद में भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की विदेश मंत्रियों के स्तर पर होने वाली तीसरी बैठक की तारीखें अभी तय होनी हैं।

(ग) और (घ) संयुक्त आयोग के चार उपायोग उसी समय होने वाली अपनी बैठकों में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा करने के अलावा, विशिष्ट मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों के अनिर्णित मामले

3416. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन-पत्र कब से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) हरियाणा सरकार द्वारा सत्यापन रिपोर्ट न भेजने के कारण 256 आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं। सम्मान पेंशन के लिए आवेदकों की पात्रता के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर इन मामलों को अंतिम रूप दिया जायेगा। चूंकि इनमें से अधिकांश आवेदन 1980 की योजना से संबंधित है जिसके अन्तर्गत आवेदनों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 1982 थी, इस लिए ये 3 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है।

संविधान के हिन्दी संस्करण के लिए समिति

3417. **श्री अ ूप चन्द शाह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के हिन्दी संस्करण को अंतिम रूप देने का कार्य किसी समिति या उप-समिति को सौपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार ऐसी समिति स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) संविधान के हिन्दी पाठ को उपलब्ध कराने का मामला मंत्रिमंडल की उप समिति को सौंपा गया है ।

कम्प्यूटर उत्पादन में वृद्धि

3418. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कम्प्यूटर सिस्टम प्रोड्कशन स्थापित करने के लिए कोई निर्देशात्मक लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सातवीं योजना की अवधि में कम्प्यूटरों तथा कार्यालय-उपस्करों (वैयक्तिक/घरेलू कम्प्यूटर, वर्ड प्रोसेसर आदि) के उत्पादन का लक्ष्य 2440 करोड़ रुपये रखा है अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 तक 870 करोड़ रुपये का उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

[हिन्दी]

"उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में मोटर सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति"

3419. **श्री हरी रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से वन अधिनियम के अधीन अल्मोड़ा जिले में निर्माणाधीन कठपुड़ियाछीना सेराघाट मोटर सड़क के बारे में आवश्यक स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ और इस प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति न देने के लिए क्या कारण है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा से संशोधित प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो कब;

(घ) क्या इस मोटर सड़क का कुछ भाग पहले ही बन चुका है; और

(ङ.) यदि हां, तो सड़क के बाकी बचे भाग का निर्माण करने की स्वीकृति कब तक मिलने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख)यह प्रस्ताव फरवरी, 1982 में प्राप्त हुआ था । जैसा कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनिवार्य है, केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस परियोजना पर कार्य जनवरी, 1982 में आरम्भ हुआ था और इस प्रकार यह उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है । अधिनियम में कार्योत्तर अनुमोदन की मंजूरी के लिए प्रावधान नहीं है अतः कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का वाणिज्यक उपयोग

3420. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :**
श्री के० राममूर्ति : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधान और विकास कार्य का उपयोग असंतोषजनक ढंग से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 और 1985-86 (अब तक) वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत अनुसंधान कार्य का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम करने के लिए उनके वाणिज्यिक उपयोग में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सी एस आइ आर प्रक्रमों का वाणिज्यक उपयोग संतोषजनक है । उनकी (प्रक्रमों) उपयोगिता और अधिक उन्नत करने के लिए, विशिष्ट पूंजीनिवेश वाले प्रक्रम इंजीनियरी परामर्शदाता संगठनों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं ।

[हिन्दी]

नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन और नए परमाणु विद्युत संयंत्र

3421. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लक्ष्य इस शताब्दी के अंत तक 10,000 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने का है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक तैयारियां कर ली गई हैं;

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश में कितने नये संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सातवीं योजना अवधि के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई थी और उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार नाभिकीय विद्युत निगम स्थापित करने का है; और

(ड.) क्या भारत का विचार तीसरे विश्व के विकासशील देशों को नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी की जानकारी देने का है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) उन परियोजनाओं के अलावा जिन पर इस समय काम चल रहा है, यह अनुमोदित किया जा चुका है कि सातवीं योजना में ऐसे दो और परमाणु बिजलीघर लगाए जाएं जिनमें से प्रत्येक में दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी । इन दो बिजलीघरों में से एक तो कर्नाटक में कैगा में लगाया जाएगा ओर दूसरा राजस्थान में रावतभाटा में मौजूदा बिजलीघर के विस्तार के रूप में होगा । लगाए जाने वाने अन्य बिजलीघरों के बारे में और इस बारे में कि उन्हें कहां-कहां लगाया जाए, विचार किया जा रहा है ।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग ने सातवीं योजना के लिए 2392.29 करोड़ रुपये की राशि मांगी थी तथा अंतिम रूप से 1410.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है ।

(घ) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया है कि एक परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की जाए ।

(ड.) भारत परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता अन्य विकासशील देशों को देना चाहेगा । ।

[अनुवाद]

शरणार्थियों के लिए पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन

3422. **डा० गौरी शंकर राजहन्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारें शरणार्थियों के लिए बनायी गयी पुनर्वास योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुत उदासीन है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों को पुनर्वास कार्य अविलम्ब पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं; और

(ग) शरणार्थियों की पुनर्वास योजनाओं को कार्यान्वित करने में राज्य सरकारों की अब तक की उपलब्धि क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारें शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। कुछ राज्यों में कतिपय योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति आशानुकूल नहीं रही है। भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों से पुनर्वास के कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आग्रह कर रही है।

(ग) अधिकांश राज्यों में कृषि तथा लघु व्यवसाय में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों से सम्बन्धित कार्य कुल मिलाकर पूरा हो गया है। जहां तक तिब्बती शरणार्थियों का प्रश्न है, कृषि तथा लघु उद्योगों आदि में सरकारी सहायता देकर 38,000 शरणार्थियों को पहले ही बसाया जा चुका है। लगभग 3200 और व्यक्तियों को पुनः बसाने का कार्य चल रहा है। 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की कार्रवाई, कुछ मूल भूत सुविधाओं की व्यवस्था को छोड़कर, पूरी हो गई है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प० बंगाल में आए शरणार्थियों के पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा केवल कुछ अवशिष्ट कार्य पूरे किये जाने शेष हैं।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

3423. **डा० वसा सामन्त :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से पहल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनके द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र से विधायकों सहित कोई प्रतिनिधि मंडल दिसम्बर 1985 में भूतपूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मिला था और यदि हां, तो उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को क्या आश्वासन दिया था ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) केन्द्र सरकार से मामले में कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

(ख) सम्पूर्ण मामला विचाराधीन है।

(ग) महाराष्ट्र से एक प्रतिनिधि मण्डल दिसम्बर, 1985 में गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) से मिला था। प्रतिनिधि मण्डल को कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

[हिन्दी]

अरावली की पहाड़ियों का विकास

3424. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र के विकास संबंधी योजना को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित योजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) अरावली पर्वतीय क्षेत्र के विकास की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तथापि, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की व्याप्ति अरावली पर्वतीय क्षेत्र तक बढ़ाने का प्रश्न, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

कुछ विभागों का कम्प्यूटरीकरण प्रणाली आरम्भ करना

3425. **श्री रेणु पद दास :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ विभागों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए सरकार ने कितना धन खर्च करने का निर्णय किया है तथा विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के कम्प्यूटर कहां से प्राप्त किए जायेंगे; और

(ग) इन मशीनों की "सर्विसिंग" आदि की क्या व्यवस्था है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को आपस में जोड़ने की दृष्टि से एक राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क विकसित करने का कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है । यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसने केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों का कम्प्यूटरीकरण करने की दृष्टि से ही अनेकों सॉफ्टवेयर (यंत्रेतर-सामग्री) प्रणालियों का विकास किया है । इस प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 62 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है ।

(ख) राज्य स्तर पर जिन मध्यम स्तर के कम्प्यूटरों की आवश्यकता है, उन्हें स्वदेशी विनिर्माण कर्ताओं से प्राप्त किया जाएगा । इन विनिर्माणकर्ताओं को बड़े आकार (मेनफ्रेम) अथवा सुपर-मिनी कम्प्यूटर प्रणालियों का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है । आवश्यक सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) प्रणालियों की खरीद स्वदेशी स्त्रोतों से की जाएगी । नेटवर्क के लिए जिन बड़े पैमाने की प्रणालियों की आवश्यकता है और जो देश में विनिर्मित नहीं की जाती हैं, उनकी खरीद जापान की एक कम्पनी, मेसर्स एन० ई० सी० के से पहले ही कर ली गई है ।

(ग) इन मशीनों का रख-रखाव या तो राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र स्वयं या फिर सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है/किया जाएगा।

परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए बाजार ऋण

3426. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बाजार ऋण लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा से इतना लाभ होगा कि इस प्रकार के ऋणों की आदायगी की जा सके ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और आन्तरिक विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय लिया गया है कि एक परमाणु विद्युत निगम की स्थापना की जाए। अभी इस बारे में ब्यौरा तैयार किया जाना है।

भूतपूर्व सैनिकों को रियायतें

3427. **श्री अजय मुशरान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-79 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को यात्रा रियायत, कैन्टीन के सामान पर बिक्री कर में छूट जैसी पहले दी गई अनेक रियायतें समाप्त कर दी गई हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सैनिकों के हितों में और उनके कल्याण के उपाय के रूप में उन रियायतों को बहाल करने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) (क) : भूतपूर्व सैनिकों के विशेष रूप से हकदार समूहों को जो यात्रा रियायत सुविधा पहले उपलब्ध थी उसे 1977-79 के दौरान समाप्त नहीं किया गया था।

जहां तक बिक्री-कर में छूट देने का संबंध है; यह राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। फिर भी, प्राप्त सूचना के अनुसार, यह सुविधा, जहां 1977 से पहले लागू की गई थी उक्त अवधि के दौरान समाप्त नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में परियोजनाओं के पूरा किए जाने में प्रगति

3428. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन, उनकी उपलब्धि और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने की रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार की और केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन, उपलब्धि और लक्ष्यों संबंधी आंकड़ों का फैसला नहीं किया जाता और इनका ब्यौरा राज्यवार आधार पर रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न के संबंध में संक्षिप्त सूचना दे पाना संभव नहीं होगा ।

सीमा विवादों के लिये न्यायाधिकरण

3429. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के उद्देश्य से सरकार का विचार "सीमा विवादों संबन्धी न्यायाधिकरण" नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ क्षेत्रों से इस तरह की मांगें की गई हैं; और

(ङ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) सरकार का यह विचार रहा है कि अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को, उनके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हल किया जा सकता है और यह कि इस प्रकार के सभी मामलों के उपयुक्त सिद्धान्त तैयार करना कठिन होगा ।

(घ) हाल के कुछ समय में इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

3430. **श्री एन० वेंकटरत्नम् :**

श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सभी मुख्य मंत्रियों को राज्य और जिला स्तरों पर अपराध रिकार्ड शाखाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या उपाय करने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) क्या राज्यों ने उन्हें अपना लिया है और यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों में वर्तमान स्थिति क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान् । सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से राज्यों में राज्य अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो और जिला अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो स्थापित करने का अनुरोध किया गया है । हालांकि राज्य और जिला अपराध रिकार्ड् ब्यौरो स्थापित करने की रूप रेखाएं काफी सीमा तक राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई हैं फिर भी यह सुझाव दिया गया है कि राज्य अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो का अध्यक्ष पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर का अधिकारी होना चाहिए और इसमें जहाँ राज्य पुलिस संगणक केन्द्र है अथवा जब बनेंगे, कार्य प्रणाली ब्यूरो, फिंगर प्रिंट ब्यूरो तथा खुफिया विभाग के अपराध आंकड़े शामिल होने चाहिए । पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त के पूर्ण प्रभार में जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अध्यक्षता जिले के आंकड़ों के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक अथवा अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर के किसी अधिकारी द्वारा पूर्णकालीन आधार पर की जानी चाहिए ।

(ग) कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाया जाना

3431. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी राष्ट्रीय तथा क्षत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालायें काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्च तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इन प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार का कतिपय अनुसंधान परियोजनाओं में समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) विभिन्न अभिकरणों के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों की संख्या लगभग 236 हैं । इनमें से 39, जिनमें 6 क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं शामिल हैं, सी एस आइ आर की संरक्षता के अन्तर्गत हैं ।

(ख) इन प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाएं निरंतर सुधारी गई हैं और बढ़ाई गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) समयबद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए बहुत से लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये हैं । सामान्यतौर पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम मील के पत्थर की गतिविधियों के साथ लक्ष्य आधार पर सुनिश्चित किए जा रहे हैं । प्रगति के लिए इनकी जांच की जाती है और समयबद्धता का अनुसरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त प्रायोगिक स्वरूप के कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उपयोगकर्ता अभिकरणों/ विभागों/ उद्योगों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनायें समयबद्ध है ।

माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक परिषद

3432. **श्री वी० वी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइक्रो–इलेक्ट्रॉनिक परिषद के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस परिषद को क्या कार्य सौंपे गये हैं; और

(ग) 1983, 84, 1984–85 तथा अप्रैल, 1985 से दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान इस परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सूक्ष्य इलैक्ट्रॉनिकी परिषद का गठन और उसके कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद का गठन दिनांक 31 जनवरी, 1985 को जारी किए गए संकल्प द्वारा किया गया । राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद ने अब तक दिनांक 24 जुलाई, 1985 तथा 2 दिसम्बर, 1985 को दो (2) बैठकें आयोजित की हैं ।

विवरण

गठन		वर्तमान सदस्य का नाम
1. अध्यक्ष, इलैक्ट्रॉनिकी आयोग	अध्यक्ष	— —
2. सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग	सदस्य	श्री सु० रा० विजयकर
3. सचिव, अंतरिक्ष विभाग	सदस्य	प्रो० यू० आर० राव

4. सचिव, संचार मंत्रालय	सदस्य	श्री डी० के० संगल
5. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य	श्री एस० डी० श्रीवास्तव
6. सचिव, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग	सदस्य	श्री पी० सी० जैन
7. सचिव रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार)	सदस्य	डा० वी० एस० अरुणाचलम्
8. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	सदस्य	डा० राजा रमन्ना
9. सचिव, शिक्षा मंत्रालय	सदस्य	श्री आनन्द सरूप
10. महा निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	सदस्य	डा० ए० पी० मित्रा
11. सदस्य (वित्त), इलैक्ट्रॉनिकी आयोग	सदस्य	श्री एस० वेंकीटरमणन्
12. सचिव, इलैक्ट्रॉनिकी आयोग	सदस्य	डा० आर० पी० वधवा
13. सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के क्षत्र में	(अध्यक्ष इलैक्ट्रॉनिकी आयोग द्वारा नामित किए जाने हैं)	—— ——
14. दो विशेषज्ञ		
15. सदस्य–सचिव, राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद	सदस्य–सचिव	डा० ना० बा० नेरूरकर सलाहकार, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग

कार्य परिषद पर निम्नलिखित कार्यों का उत्तरदायित्व होगा:,

1. केन्द्रस्थ विन्दु के रूप में कार्य करने वाली संस्था ताकि इस बात का सुनिश्चत हो सके कि सुक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के क्षत्र में समूचे कार्यक्रम की दिशा, गति तथा गुणवत्ता ऐसी हो जिससे इस कार्य में लगी विभिन्न एजेन्सियों के प्रयासों से संपूर्ण राष्ट्र लाभान्वित हो;

2. सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय योजना तैयार करने, उसकी आवधिक समीक्षा करने तथा उसे अद्यतन बनाने का कार्य, जिसमें सभी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पादन, अनुप्रयोग, आदि कार्य शामिल हैं;

3. सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक परिपथों, और जहां कहीं उपयुक्त हो, सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक उप-प्रणालियों और प्रणालियों की राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अधिकतम मानकीकरण करने के लिए संवर्धनकारी तथा विनियमक, दोनों प्रकार के उपाय करना;

4. ऊपर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार राष्ट्र की सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी की अल्प तथा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर प्रौद्योगिकी विषयक एक योजना तैयार करना तथा उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

5. प्रौद्योगिकी योजना तथा उसके क्रियान्वयन के एक अंग के रूप में सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी से संबंधित प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग/सहायता हेतु सभी प्रस्तावों पर-चाहे वे विनिर्माता कंपनियों, अनुसंधान व विकास संस्थानों से प्राप्त हो अथवा अन्य एजेन्सियों से प्राप्त हो विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना,

6. प्रौद्योगिकी योजना के एक भाग के रूप में ही अनुसंधान और विकास का भविष्योन्मुखी पहलुओं सहित एक एकीकृत कार्यक्रम तैयार करना, जिसमें सूक्ष्म-इलैक्ट्रॉनिक परिपथों के डिजाइन, उत्पादन प्रक्रियाएँ, विशेष सामग्रियाँ और उत्पादन के लिए तथा उचित पूँजीगत वस्तुएँ—आदि शामिल हैं, तथा इस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए जो संवर्धनात्मक उपाय, समन्वय कार्य तथा वित्तीय प्रबंध आवश्यक हो, उन्हें करना, इस प्रयोजन के लिए यह परिषद देश में सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी से संबंधित सभी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों पर विचार करेगी, उन्हें अनुमोदन प्रदान करेगी और उनपर निगरानी रखेगी,

7. सभी प्रकार के सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिक परिपथों के लिए समन्वित रूप से पर्याप्त उत्पादन-क्षमता हासिल करने का सुनिश्चय करने के लिए संवर्धनकारी तथा विनियामक, दोनों प्रकार के उपाय करना;

8 प्रयोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को; विशेषकर निर्णायक तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में, अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर पूरा कराने का सुनिश्चय करने के लिए उपर्युक्त (3) से (7) पर बताए गए उपायों में तालमेल तथा एक रूपता लाना;

9. राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयासों के लिए चाहे वे अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में हों अथवा उत्पादन अनुप्रयोगों के क्षेत्र में हों, आवश्यक विभिन्न प्रकार के तथा बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को यथासंभव कम से कम समय में तैयार करने के लिए एक व्यापक योजना तथा विशिष्ट कार्य योजना बनाना और प्राथमिकता के अधार पर उस योजना को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक संवर्धनकारी, समन्वयकारी तथा वित्त व्यवस्था करना,

10. ऐसी सभी आवश्यक आर्थिक, आयात, औद्योगिक लाईसेंसिंग तथा अन्य विनियमनकारी और संवर्धनकारी नीतियाँ तैयार करना जो अधिकतम आत्मनिर्भरता के आधार पर सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस बात का सुनिश्चय करना कि राष्ट्र इस क्षेत्र में एक सुदृढ़ प्रौद्योगिकीय तथा उत्पादन-क्षमता विकसित कर सके;

11. हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी के सभी अनुप्रयोगों को बढावा देने के लिए जो भी उपाय सुसंगत तथा उपयुक्त हों, उन्हें विनिर्दिष्ट तथा क्रियान्वित करना ।

बिहार में परमाणु ऊर्जा और भारी जल संयंत्र

3433. **श्री काली पद्माद पाण्डेय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम की आवश्यकताओं का अधिकांश भाग बिहार में जादुगुडा से प्राप्त यूरेनियम से पूरा किया जाता है;

(ख) बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और भारी जल संयंत्र स्थापित न करने के क्या कारण हैं जबकि वहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या बिहार में बिजली के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वहां एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, इसके कब तक कार्य आरम्भ कर देने की संभावना है और वह कहां स्थापित किया जाएगा तथा उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) किसी परमाणु बिजलीघर या भारी पानी संयंत्र को लगाने के लिए स्थल निर्धारित करते समय यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती है कि उस स्थल के पास यूरेनियम मिलता है या नहीं ।

(ग) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने उन स्थलों का अध्ययन किया है जिनके नामों की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी तथा पूर्वी विद्युत क्षेत्र, जिसमें बिहार भी शामिल है, के बारे में उस समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

"प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाना"

3434. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 में विभिन्न राज्य प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों द्वारा कितने उद्योगों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग माना गया है ।

(ग) इनमें से कितने उद्योगों ने अब तक प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जिन राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोडो की स्थापना की गई हैं वे हैं : (1) आंध्र प्रदेश, (2) असम (3) बिहार, (4) गुजरात, (5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, (7) जम्मू तथा कश्मीर, (8) कर्नाटक, (9) केरल, (10) मध्य प्रदेश, (11) महाराष्ट्र, (12) मेघालय, (13) उड़ीसा, (14) पंजाब, (15) राजस्थान, (16) तमिलनाडू, (17) उत्तर प्रदेश, तथा (18) पश्चिम बंगाल।

(ख) से (घ) बड़े व मझौले श्रेणियों के 4054 प्रदूषकारी उद्योगों का पता लगा लिया गया है, जिनमें से 2076 उद्योगों ने आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की अवस्थापना कर ली है। ये उद्योग हैं:–चीनी, मद्यनिर्माणशाला, कास्टिक सोडा, उर्वरक, तेल रिफ़ाइनिंग एवं शोधक कारखाने, मानव-निर्मित रेशा लोहा तथा इस्पात, कपड़े लुगदी तथा कागज, औषधीय, कीटनाशी, पेस्टीसाइडस, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक व पैट्रो कैमिकल्स, डेरी, थर्मल संयंत्रों, खाद्य तेल व वनस्पति, पेन्टस व रंगाई उपादान, सामान्य इंजीनियरिंग, चर्मशोधन-शाला, सीमेंट, खनिज खनन, रबड़, व रबड़ उत्पाद तथा खाद्य सामग्री।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को आधुनिक प्रबन्ध तकनीक की जानकारी देने की योजना

3435. **श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में नवीन कुशलता लाने और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें आधुनिक प्रबंध तकनीक की जानकारी देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन स्तरों पर आयोजित किए गए है; अर्थात् 6-9 वर्षों की सेवा वाले अधिकारियों के लिए कार्यक्रम जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वियन पर बल दिया जाता है; 10-16 वर्षों की सेवा वाले अधिकारियों के लिए कार्यक्रम जिसमें प्रबन्ध अवधारणाओं और निर्णय लेने पर बल दिया जाता है; और 17-20 वर्षों की सेवा वाले अधिकारियों के लिए कार्यक्रम जिसमें नीति नियोजन और विश्लेषण पर बल दिया जाता है। राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, प्रबन्ध संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में तीन स्तरों के लिए निर्धारित 21 पाठ्यक्रम अब तक पूरे किए जा चुके हैं। ये पाठ्यक्रम इसलिए तैयार किए गए हैं ताकि व्यावसायि क्षमता विकसित की जा सके और जनता के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय भारतीय प्रशासनिक सेवा के नीचे से ऊपर के स्तर तक के अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के पुनश्चर्या पाठ्क्रम भी चला रहा है। ऐसे 77 पाठ्यक्रम

पहले ही चलाए जा चुके हैं और आशा है कि जून 1986 के अन्त तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी इनमें भाग ले चुके होंगे।

विभिन्न अखिल भारतीय और समूह "क" सेवाओं से सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भी ऐसे ही प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी गई है।

"वेजीटेटिव प्रोपेगेशन आफ ट्रीज"

3436. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पेड़ लगाने का "वेजीटिटव प्रोपेगेशन आफ ट्रीज" नामक एक नया तरीका विकसित किया गया है, जिसके द्वारा तुरन्त पेड़ लगाये जा सकते हैं; और

(ख) क्या इस तरीके का परीक्षण किया गया है और यदि हाँ; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उदभिज्ज प्रवर्धन (वेजीटेटिव प्रोपेगेशन आफ ट्रीज) कुछ वृक्षों की प्रजातियों के रोपण का एक प्रमाणित तरीका है जिसकी इस पद्धति पर प्रतिक्रिया होती है। टिशू संवर्धन उदभिज्ज प्रवर्धन (वेजीटेटिव प्रोपेगेशन) की एक पद्धति है, पर राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ने प्रयोग किया है। इसे वनरोपण में मानक पद्धति के रूप अपनाये जाने से पूर्व, इस तकनीकी की व्यापक क्षेत्रीय परीक्षण आवश्यक है।

"नेशनल लैण्ड यूज एण्ड वेस्टलैंड डिवलपमेंट कांउसिल की बैठक"

3437. **श्री के० प्रधानी :**

डा० वी० एल० शलैश : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल लैंड यूज एण्ड वेस्टलैंट डिवलपमेंट कांसिल" की गत फरवरी में उन्होंने जनता आन्दोलन को प्रोत्साहन देकर 5 मिलियन हेक्टयर भूमि को प्रतिवर्ष ईंधन की लकड़ी और चारे की खेती के अन्तर्गत लाने की बात को दोहराया था;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने उक्त कार्यक्रम के बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) समस्त देश में परती भूमि विकास कार्यक्रम को सफलता से लागू करने के लिये राज्य सरकारों, गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग और बैंकों को क्या भूमिका सौपी गई हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : (क) जी; हाँ।

(ख) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा एक कार्यकारी योजना आरम्भ की गयी है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) कार्यकारी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें प्रधान अभिकरण होंगी।

अपने आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन के लिए वन-आधारित उद्योगों को परती भूमियों के वन रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्योगों की सामान्यतः ग्रामीण निवास स्थलों से दूर परती भूमियों पर वृक्ष-आच्छादन को बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जायेगा ताकि ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराया जा सके तथा जन समुदाय के विद्यमान उपयोग पर बिना व्यवधान डाले जन समुदाय को आवश्यकता की पूरा किया जा सके।

वनरोपण के अलग-अलग व्यक्तियों तथा सहकारी समितियों दोनों द्वारा बैंक-ग्राह्य योजनाओं को तैयार करते हुए, बैंक वित्त को काम में लाने के राज्यों को सक्रिय रूप से अन्वेषण करने का अनुरोध किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में भू–धारिता प्रणाली

3438. **श्री के० प्रधानी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों में भू-धारिता प्रणाली के बारे में अध्ययन दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश पद और गठन क्या है;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों की भू–धारिता प्रणाली से परिचित किसी संसद सदस्य को इस अध्ययन दल में नहीं रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार का विचार इस दल में किसी आदिवासी संसद सदस्य को शामिल करने तथा इसे और अधिक व्यापक बनाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में भू-धारिता प्रणाली से संबंधित अध्ययन दल के विचारार्थ विषय और इसका गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ड.) अध्ययन दल की सदस्यता आदिवासी क्षेत्रों में भू-धारिता प्रणाली के क्षेत्र में विशेषज्ञों तक सीमित है। तथापि, अध्ययन दल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता से, और जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करें। इसलिए, संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए इसकी सदस्यता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में भू-धारिता प्रणाली से संबंधित अध्ययन दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) अध्ययन दल के विचारार्थ विषय, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि के प्रकार और सीमा तथा, भूमि पर आधारित उपलब्ध संसाधनों की जांच करना होगा;

(2) व्यक्तियों, एल० ए० एम० पी० एस० (लेम्पस), ग्राम समुदायों द्वारा भूमि संसाधनों के उपयोग के विनियमन के लिए, भूमि संसाधन से संबंधित उनमें प्रचलित संस्थागत प्रबन्धों के स्वरूप, तथा संस्थाओं के प्रकार और विभिन्न अनुसूचित जनजातीय समुदायों के बीच पाई जाने वाली भू-धारिता पद्धति;

(3) भूमि संसाधन पर जनजातीय समुदायों की निर्भरता की सीमा और प्रकार;

(4) भूमि संसाधन के आर्थिक महत्व के बारे में अलग-अलग आदिवासी समुदायों की जागरूकता का प्रकार और सीमा;

(5) विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि और भूमि-आधारित संसाधनों पर जनजातीय समुदायों की परम्परागत पहुँच को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है;

(6) आदिवासी क्षेत्रों में भूमि व्यवस्था से संबंधित कार्यवाई और सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के अनुसरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन; और

(7) विकास कार्यकलापों तथा विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपायों के परिणामस्वरूप, भूमि और भूमि-आधारित संसाधनों की पहुँच और नियंत्रण विषयक परिवर्तन ।

अध्ययन दल का गठन नीचे दिया गया है:-

(1) डा० बी० के० राय बर्मन, अध्यक्ष
अतिथि अध्येता, विकसित समुदाय अध्ययन,
29, राजपुर रोड़, दिल्ली-110054

(2) श्री गंगुमेई काबुई-सदस्य,
प्रोफेसर (इतिहास), मणिपुर विश्वविद्यालय,
इम्फाल (मणिपुर)

(3) प्रोफेसर जी० पार्थसारथी-सदस्य,
प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय,
वाल्टेयर, आन्ध्र प्रदेश

(4) प्रोफेसर जगन्नाथ पाथी-सदस्य,
समाज विज्ञान विभाग, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय,
विश्वविद्यालय परिसर, उधिया मगदला रोड़, सूरत-7
(गुजरात)

(5) श्रीमती आर० ओ० धान-सदस्य,
भूतपूर्व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग,
सी-1/15, पंडारा पार्क, नई दिल्ली-3

(6) श्री ए० आर० बंधोपाध्याय–सदस्य,
आयुक्त, संथाल परगना प्रभाग,
दुमका (बिहार)

(7) श्री मुरकोठ रमुन्नी–बित्रा धर्मधाम,
कन्नौर जिला, केरल–670106

(8) डा० भूपिन्दर सिंह,–सदस्य–सचिव,
सलाहकार, योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली–110001

[हिन्दी]

पुनर्वास के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

3439. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी में आयोजित राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय लिया गया है; और

(ख) राजस्थान सरकार की पुनर्वास संबंधी भावी योजनायें क्या हैं और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सम्मेलन मुख्यत: विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की समीक्षा करने के लिये आयोजित किया गया था। यह निर्णय किया गया था राज्यों को सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए, अवशिष्ट कार्य का पता लगाना चाहिए तथा एक निश्चित अवधि में पूरे किये जाने वाले विशिष्ट कार्य को सौपना भी चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि ऐसे विचार-विमर्श जल्दी-जल्दी होने चाहिए। भारत सरकार द्वारा किन्हीं नई योजआओं पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सभी पात्र विस्थापित परिवारों को लगभग पूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत बसाया जा चुका है। स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसी मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित कुछ अवशिष्ट कार्य हैं जिसको पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार कदम उठा रही है। राज्य में मूल संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने 223.20 लाख रु० राशि स्वीकृत की है। फिर भी राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन विस्थापित व्यक्तियों को पूरक सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

[अनुवाद]

टेलीविजन सेट बनाने वाली कम्पनियां

3440. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी कम्पनियां टेलीविजन सेटों का का निर्माण कर रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियां रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या देश में रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिए किसी विदेशी कम्पनी को लाइसेंस दिया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की 13 इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की 190 इकाइयों ने सूचना दी है कि वे दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण कर रही हैं। वर्ष 1985 में उनका वार्षिक उत्पादन क्रमशः 2.37 लाख सेट और 22.23 लाख सेट था।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की 11 इकाइयों तथा निजी क्षेत्र की 78 इकाइयों ने सूचित किया है कि वे रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन कर रही हैं। वर्ष 1985 में उनका वार्षिक-उत्पादन क्रमशः 1.19 लाख और 5.41 लाख सेट था।

(ग) सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी (अर्थात् 40 प्रतिशत से अधिक साम्यापूंजी वाली विदेशी कम्पनी) को औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया है।

[हिन्दी]

"पेड़ लगाना"

3441. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के लिए एक योजना तैयार की है; और

(ख) क्या इस मामले में जनजातिय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, देश में 5 मिलियन हेक्टेयर के वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने वृक्षारोपण के एक विशाल कार्यक्रम को शुरू करने का नीति निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन कार्यक्रम के समन्वय एवं प्रबोधन के विकास हेतु किया गया है।

(ख) चूंकि आदिवासियों के आवास ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं जिन पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत होती है, अतः वृक्षारोपण के प्रयत्न आम तौर से आदिवासी इलाकों में गहन होंगे। विशेषतः जलाने की लकड़ी, चारे एवं फल देने वाली प्रजातियों को लगाने पर बल दिया जायेगा ताकि आदिवासियों समेत ग्रामीण निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

केरल में माइक्रो इलैक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर अध्ययन संस्थान

3442. **श्री टी० बशीर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माइक्रो इलैक्ट्रॉनिकी और कम्प्यूटर अध्ययन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं योजना में केरल में सूक्ष्म (माइक्रो) इलैक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर अध्ययन संस्थान स्थापित करने के बारे में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा कम्प्यूटर एप्लीकेशन सैन्टर की स्थापना

3443. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भुवनेश्वर में उड़ीसा कम्प्यूटर एप्लीकेशन सैंटर स्थापित किया जा चुका है और सुपर कम्प्यूटर सैंटर स्थापित किया जा रहा है सरकार ने कार्मिकों के प्रशिक्षण और आंकड़े तैयार करने के कार्यक्रम के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार को अब तक कोई राशि दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न स्तरों के लिए कम्प्यूटरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उड़ीसा सरकार को सलाह दी है कि भुवनेश्वर में एक बड़े प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए ।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इसकी जांच के लिए पहले ही इसकी व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है :

(i) प्रोग्रामर के रूप में आंकड़ा संसाधन के पेशे के लिए जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनको प्रवेश देते समय तथा प्रशिक्षण के बाद उनकी अभिरुचि का पता लगाना ।

(ii) विभिन्न स्तरों पर जिन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनकी संख्या ।

(iii) पाठ्यक्रम-सामग्री (कोर्सवेयर) तैयार करने के लिए विस्तृत अंतर्वस्तु तथा उसकी रीति-नीति ।

(iv) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त ।

(v) ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर पाठ्यक्रम सामग्री (कोर्सवेयर) तथा जनशक्ति की आवश्यकता के साथ-साथ समयबद्ध कार्यक्रम ।

कम्प्यूटर साफ्टवेयर के क्षेत्र में इंजीनियरों को प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए एक संस्थान स्थापित करने की दृष्टि से अलग से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी, हां; केन्द्रीय सरकार ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा सरकार को कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराई है ।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

"उड़ीसा से एक प्रदूषण आकलन प्रयोगशाला का प्रस्ताव"

3444. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कम से कम एक चलती फिरती और प्रदूषण आकलन प्रयोगशाला के लिए धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने तालचेर और राउरकेला जैसे राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी एक प्रस्ताव भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो उस समय ये दोनों प्रस्ताव किस अवस्था में हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से सहमति दे दी गयी है परन्तु अब तक वायु गुणवत्ता प्रबोधन स्टेशनों के लिए सटीक स्थानों का निर्धारण नहीं किया गया है ।

तकनीकी पदों का दर्जा

3445. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रीय विभागों में विभिन्न संवर्गों में सामान्य पदों की तुलना में तकनीकी पदों का दर्जा पदों और परिलब्धियों की दृष्टि से कम है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव का औचित्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सामान्य पदों पर और तकनीकी पदों के बीच व्याप्त भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से किसी समय इस भेदभाव की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं में विभिन्न तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों का दर्जा वेतनमान उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेवारियों के स्तर जैसी संगत बातों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि तकनीकी पद तथा गैर-तकनीकी पद मोटे तौर तुलनीय हैं।

(ख) से (घ) तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है।

दण्डकारण्य परियोजना की आस्तियों का उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकारों को अन्तरण

3346. **श्री लक्ष्मण मलिक** :
श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1985 में आरम्भ की गई दण्डकारण्य परियोजना की आस्तियां और संस्थाएं उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश सरकारों को अन्तरित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नवास दिया गया है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने और कृषक परिवारों और गैर-कृषक परिवारों के पुर्नवास की संभावना है।

अंतरिक्ष सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चूंकि चार क्षेत्रों में से 3 क्षेत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने से सम्बन्धित कार्य लगभग पूरा हो गया है अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके चार में से 3 क्षेत्रों नामतः परालकोट और कोल्डागांव (मध्य प्रदेश) और उमरकोट (उड़ीसा) में आस्तियों और संस्थानों को सम्बन्धित राज्य सरकारों को मुफ्त अन्तरित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि उनके द्वारा ली गयी आस्तियों और संस्थानों में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार धन उपलब्ध करा रही है और पांच वर्ष तक उनके रख-रखाव पर होने वाला व्यय भी वहन करेगी।

अभी तक दण्डकारण्य परियोजना के चार क्षेत्रों में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये 36,672 परिवारों को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निर्गमन के बाद अब 25,255 परिवार बस चुके हैं।

(ग) इस समय दण्डकारण्य परियोजना में पुर्नस्थापन के लिए कोई और विस्थापित परिवार नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मलकानगिरी क्षेत्र में विभिन्न पी. एल. ग्रहों से पुर्नस्थापित किए जाने वाले लगभग 500 विस्थापित व्यक्तियों को बसाये जाने की सम्भावना है।

केरल में थोरियम पाउडर के लिए निवारक उपाय

3447. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री वल्लभ पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केरल में पेरियर नदी के तट के निकट एक टूटे हुए साइलो में जमा लगभग 5000 टन थोरियम पाउडर, ऊँची लहरें उठाने की स्थिति में एर्णाकुलम जिले की तमाम जनता को सप्लाई किए जाने वाले पेयजल को दूषित कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) यह तथ्य नहीं है कि यूरेनियम पाउडर पेरियर नदी के किनारों के समीप टूटे-फूटे साइलो में रखा गया है। साइलो, जैसाकि पिछले बीस वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है, इस ढंग से बने हुए हैं कि तीव्र ज्वारभाटों की स्थित में भी नदी का पानी उनमें नहीं घुस सकता।

(ख) साइलो बनाते समय इस बारे में पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि वे कहीं से भी रिस न पाएं तथा इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग लगातार यह पता लगाते रहते हैं कि कोई साइलो रिस तो नहीं रहा है।

अण्डमान की परिस्थिति की और संस्कृति की सुरक्षा

3448. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान द्वीप समूह के निवासियों की परिस्थिति की और जातीय-संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में द्वीप समूह निवासियों की आकांक्षाओं को जानने के कोई प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग आदि जैसे मंचों पर कोई चर्चा की गई है; और

(ङ.) यदि हां तो तत्संबन्धीब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ङ.) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जनजातियों की परिस्थितिकी तथा संस्कृति

का विभिन्न तरीकों से संरक्षण किया जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह आदिम जनजातियां संरक्षण विनियम, 1956 में कमजोर जनजातियों के विस्तृत कानूनी संरक्षण की व्यवस्था है। इसमें प्रशासन को विशिष्ट तथा पूर्व स्वीकृत के बिना जनजाति क्षेत्रों में गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किये जाने की मनाही भी है। गैर-जनजातीय व्यक्तियों को पूर्व अनुमति और वैध प्रवेश परमिट के बिना जनजाति संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस विनियम के उपबन्धों में समुचित हितों का संरक्षण है जिनमें जनजातियों की पारिस्थितिकी और संस्कृति शामिल है। सभी जनजाति समूहों को बिना हस्तक्षेप के अपनी संस्कृति में निहित तौर-तरीकों से जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, जिसका 1951 से पोर्ट-ब्लेयर में क्षेत्रीय कार्यालय है, ने मानव जातीय समुदायों विशेषतः आदिम समूहों के संबन्ध में अनेक पुस्तकें तथा लेख प्रस्तुत किए हैं।

योजना आयोग ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक एकीकृत पर्यावरण संबन्धी ठोस विकासात्मक नीति तैयार करने के लिए योजना आयोग के सदस्य प्रो० एम. जी. के. मेनन की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो योजना आयोग के विचाराधीन है।

"भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के केरल में अल्वाय स्थित एकक से होने वाला प्रदूषण"

3449. **प्रो० के० जी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि भारतीय अनुसंधान संगठन का केरल में अल्वाय स्थित अमोनियम परक्लोरेट परीक्षण एकक अल्वाय में वायु में और भूमि पर प्रदूषण फैला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूछताछ की है तथा संगठन को विनिर्धारित मानकों के अनुसार बहिस्रावों के उपचार का निदेश दिया है। बहिस्रावों को सुखाने के लिए सौर-वाष्पकों को स्थापित किया है तथा अब बहिस्रावों के एक बड़े भाग का उपचार सोखन के द्वारा किया जाता है। सोखन पर्यंकों से ठोस अपशिष्टों के आवागमन तथा समुद्र में इसके बहाव के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कैगा के निवासियों का पुनर्वास

3450. **डा० जी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कैगा परमाणु बिजलीघर की स्थापना के फलस्वरूप विस्थापित कैगा के निवासियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक कितनी धनराशि मंजूर की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): अब तक कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, परमाणु बिजलीघर स्थापना से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श करके उपयुक्त कदम उठाएगा।

सिख उग्रवादियों द्वारा ब्रिटेन में शरण मांगा जाना

3451. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**
श्री बी० बी० देसाई :
श्री एन० डेनिस :
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री अन्नत प्रसाद सेठी :
श्री बी० तुलसी राम :
डा० गौरी शंकर राजहन्स :
श्री आर० एस० सोये :
प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि अनेक सिख उग्रवादियों ने, जिनमें कुछ ऐसे उग्रवादी भी शामिल हैं, जिनकी भारतीय न्यायालयों में मुकद्दमा चलाने हेतु तलाश है, ब्रिटेन में शरण मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत): (क) जी, हां ।

(ख) सरकारें शरण मांगने वालों के संबंध में सामान्यतया जानकारी नहीं देना चाहती हैं । परन्तु, अपनी ओर से हमें यह पता चला है कि यू. के. की सरकार ने भारत विरोधी कुछ आतंकवादियों को शरण दी है ।

गरीबों तथा निश्चित आय वर्ग के लोगों को पोषाहार

3452. **श्री बी० एस० विजयराघवन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले तथा निश्चित आय वर्ग के लोगों को कितना औसत पोषाहार मिलता है;

(ख) क्या इन वर्गों के पोषाहार स्तर में वृद्धि करने के लिये कोई "संदर्शी" योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) दीर्घावधि कार्यनीति के अंग के रूप में तैयार की गई है जो भोजन, काम और उत्पादकता संबंधी तीन मूल प्राथमिकताओं पर

आधारित है और जिसमें 2000 ई० तक वास्तव में, गरीबी और निरक्षरता दूर करने और लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की आशा की गई ताकि भोजन, कपड़ा और आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। योजना में, संसाधनों के आवंटन कार्पेटर्न इस तरह तैयार किया गया है जिससे खाद्य में आत्म-निर्भरता कायम रखी जा सके और खाने के तेलों, सब्जियों आदि का उत्पादन बढ़ाने में प्रगति की जा सके, और इसके द्वारा जनसंख्या के जीवन-स्तर में सुधार किया जा सके।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और निश्चित आय वर्ग के अन्य व्यक्तियों के पौषाहार के स्तर में वृद्धि करने के लिए, दीर्घावधि कार्यनीति में रोजगार के अवसरों में विस्तार करने और आय के स्थिरीकरण की परिकल्पना की गई है। मुख्य आय-अर्जन कार्यकलाप के अलावा, परिवार की आय बढ़ाने के लिए सहायक व्यवसाय को उपयुक्त कुशलताओं की शिक्षा देकर प्रोत्साहित किया जायगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार के लिए प्रयत्न किए जाएंगे ताकि अनाज दालें और खाने के तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जा सकें। कमजोर वर्गों जैसे—बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की ओर, पूरक पोषाहार कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसी पोषाहार-पूरक स्कीमों के अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान दिया जाता रहेगा।

अन-अधिसूचित जातियों और खानाबदोश आदिम जातियों का उत्थान

3453. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन-अधिसूचित जातियों और खानाबदोश आदिम जातियां, सामाजिक शैक्षणिक और राजनैतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष लाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इनमें से अधिकतर जातियां अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं। केवल कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में ये जातियां अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की जाती हैं तथा कुछ अन्य राज्यों में ये जातियां अनुसूचित जन-जातियों की सूची में शामिल की जाती हैं। अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल जातियां, सामान्य रूप से, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सभी लाभों को प्राप्त करती हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में पिछड़ी जाति क्षेत्र के कल्याण के अन्तर्गत अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल जातियों के विकास के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, आवास की विभिन्न योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि उन्हें शेष समाज के समकक्ष लाया जा सके।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर व्यय

3454. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राइफल्स; सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक केन्द्रीय पुलिस संगठनों पर अलग-अलग प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है,

(ख) क्या इन संगठनों की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय पुलिस संगठनों के संबंध में व्यय के आंकड़े प्रत्येक के सामने दिये गये हैं :—

(रु० लाखों में)

के०पु०स०	बजट प्राक्कलन 85-86	बढ़ाया गया प्राक्कलन 85-86
असम राइफल्स	8272.52	8560.29
सी०सु०बल	18108.92	19498.56
भा०ति०सी०पु०	3007.05	3445.83
के०रि०पु०बल	17083.25	19038.31
के०औ०सु०बल	6266.83	6550.41

उक्त आंकड़े के०पु०स० के निर्माण कार्यों पर हुए व्यय से अलग हैं जिसका प्रावधान शहरी विकास मंत्रालय के बजट में किया जाता है ।

(ख) और (ग) ऊपर दिये गये आंकड़े स्वतः स्पष्ट हैं । विभिन्न पुलिस संगठनों से, कर्मचारियों की वृद्धि, शस्त्रों की खरीद, उपकरण, शस्त्र, गोलाबारूद इत्यादि के बारे में समय-समय पर प्राप्त हुए प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है और जहां आवश्यक हो, अतिरिक्ता धन प्रदान किया जाता है ।

[अनुवाद]

मित्र देशों को परमाणु ईंधन की सप्लाई

3455. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत महाशक्तियों से परमाणु ईंधन की अनिश्चित. सप्लाई से उत्पन्न समस्याओं का सामना कर रहे मित्र देशों को परमाणु ईंधन सप्लाई करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हो, तो क्या इन देशों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की सप्लाई किसी प्रकार के निरीक्षण की शर्त के साथ की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं. तो क्या सरकार का विचार उन दूसरे देशों, विशेष रूप से उन गुट निरपेक्ष देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, जिनके पास निजी यूरेनियम अयस्क नहीं है, परमाणु ईंधन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत इस समय जितना नाभिकीय ईंधन तैयार कर रहा है वह उसकी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्र है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3456. **श्री मुकुल वासनिक :**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा जून, 1985 में की गई घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में की गई दो सौ रुपये की वृद्धि की राशि का भुगतान किया जाना आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत जीवित स्वतंत्रता सेनानियों तथा दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए पेंशन की मासिक राशि पहले ही बढ़ाकर 1.6. 1985 से 500 रु० प्रति माह कर दी गयी है। महा लेखाकारों को पेंशन के भुगतान के आदेशों को संशोधित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पेंशन की राशि के संशोधन को लागू किया जा सके।

गृह-निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव

3457. **श्री ए० एस० गौंडर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य बैंकों से देश में आवास की कमी को पूरा करने के लिए गृह निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की योजना को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आयकर विभाग के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

3458. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर मेंटेनेंस कार्पोरेशन द्वारा आयकर विभाग के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है और इसके शीघ्र लागू किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या निचले ग्रेड के हजारों कर्मचारियों की मानवीय समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सी एम सो ने आयकर विभाग के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली है, और उसे आयकर विभाग को प्रस्तुत कर दी है, जिनके निर्णय अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि रिपोर्ट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अतः मानवीय समस्याओं के बारे में अभी गहराई से अध्ययन किया जाना शेष है ।

"फेरा कम्पनियों द्वारा रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण

3459. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "फेरा" कम्पनियों को रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या "फेरा" कम्पनियों को रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण की अनुमति देने से पहले कोई शर्तें रखी गई हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय कौन-कौन सी "फेरा" कम्पनियां रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण कर रही हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं । किन्तु, जिन कम्पनियों के पास 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्यापूंजी नहीं है, उनके मामले में भी दूरदर्शन विनिर्माण के लिए अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिस तारीख से ऐसी कम्पनियां दूरदर्शन सेटों का उत्पादन करना शुरू करती हैं उससे पांच वर्षों की अवधि के लिए वह उत्पादन का कम से कम २५ प्रतिशत भाग लघु क्षेत्र की इकाइयों को किट के रूप में उपलब्ध कराएगी । इसके अलावा, दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण तथा उनकी बिक्री में विदेशी ब्रांड नाम के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

"वनों की सुरक्षा के लिए उपाय"

3460. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकस बोर्ड ने वनों की सुरक्षा के लिए रक्षित क्षेत्र (बफर एरिया) बनाने की दिशा में कोई ठोस उपाय किये गये हैं; और

(ख) वनों पर दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) परती भूमियों के विकास के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने एक कर्यकारी योजना तैयार की है । अन्य बातों के साथ-साथ, इसमें शामिल है : वनों के परिसर में रक्षित क्षेत्र (बफर एरिया) जिससे जलाने की लकड़ी तथा चारा मिल सके और इस प्रकार वनों की सुरक्षा की जायगी । कार्यकारी योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) वनों पर दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:–

1. घरेलू उपभोग के लिए वैकल्पिक ईन्धनों (ऊर्जा स्त्रोंतों) उदाहरणार्थ : बायोगैस, सौर कूकर और एल० पी० गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करना ।

2. लकड़ी के उपयोग को कम करने के लिए ईन्धन-कार्यकुशल स्टोव एवं चुल्हों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना ।

3. पेटियों की पैकिंग, रेलवे स्लीपर, बिजली के खम्भे आदि के लिए लकड़ी के परम्परागत प्रयोग के स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं का प्रयोग करना ।

4. वनों में चराई के दबाव को कम करने के लिए खूंटे पर खिलाने की पद्धति को प्रोत्साहित करना ।

5. वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल के आयात का अधिकार देने के लिए लकड़ी की चिप्पियों तथा कागज की लुगदी पर आयात शुल्क को समाप्त करना तथा लट्ठों पर आयात शुल्क पर यथा मुल्य पर 10 प्रतिशत तक की छुट देना जिससे हमारे वनों में लकड़ियों पर दबाव कम हो सके ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की जनजातीय उप-योजना के लिए सातवीं योजना में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि

3461. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जनजातीय उप-योजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी है; और

(ख) क्या जनजातीय उप-योजना के लिए अपेक्षित सारी राशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी या मध्य प्रदेश सरकार को भी अपने संसाधनों से कुछ राशि जुटानी होगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्यप्रदेश राज्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में आदिवासी उपयोजना के लिए अनुमानित धनराशियां निम्नलिखित हैं :

स्त्रोत	रु० करोड़ों में
राज्य योजना	1298.70
विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुमानित)	204.60
केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं (अनुमानित)	195.52
संस्थागत वित्त (अनुमानित)	441.25

धनराशि अस्थायी हैं तथा ये अन्तिम योजना आवंटनों के अनुसार होंगी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार लगभग 1298·70 करोड़ रु० की व्यवस्था करेगी । कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में लगभग 204·60 करोड़ रुपये देगी । अन्य 195·32 करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अधीन केन्द्र सरकार से प्राप्त होने का अनुमान है ।

"नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं के जल प्रवण क्षेत्रों में भू-संरक्षण और वनरोपण"

3462. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं के जल प्रवण क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण और वन रोपण सम्बन्धी कार्य के बारे में सातवीं योजना में कोई व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए अनुमानित व्यय और व्यावहारिक लक्ष्यों के लिए अलग-अलग कितना आवंटन किया गया है और उसका आधार क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय द्वारा गठित सरदार सरोवर तथा नर्मदा सागर परियोजनाओं के लिए भू-संरक्षण और वनरोपण के बारे में अन्तर-विभागीय समिति ने सिफारिश की है कि अगले 10-15 वर्षों के दौरान भू-संरक्षण और वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 37·2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ।

(ग) समिति ने उपचार कार्यों की लागत 1332 करोड़ रुपये आंकी है। नाजुक क्षेत्रों का पता लगाने के पश्चात परियोजना प्राधिकारणों द्वारा आवंटन सुलभ किए जायेंगे।

(घ) इस सम्बन्ध में अभी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

पश्चिमी जर्मनी के विदेश मन्त्री के साथ बातचीत

3463. **श्री पी० एम० सईद : क्या विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने फरवरी, 1986 में बॉन में पश्चिमी जर्मनी के विदेश मन्त्री के साथ निरस्त्रीकरण सम्बन्धी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस अवसर पर अन्य किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मन्त्री ने यह महसूस किया कि "नाम" का प्रमुख सदस्य भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का महत्वपूर्ण सदस्य जर्मन संघीय गणराज्य दोनों निरस्त्रीकरण के बारे में रचनात्मक बातचीत को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और देशों को शामिल करने के लिए छह राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण सम्बन्धी पहलकदमी को विस्तृत करने के वास्ते यूनान के प्रधान मन्त्री के विचार में जर्मन संघीय गणराज्य की भी रुचि थी।

(ग) अन्य जिन मसलों पर विचार-विमर्श हुआ वे थे — भारत को आई० डी० ए० सहायता, उत्तर-दक्षिण वार्ता, दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका और अफगानिस्तान। पश्चिम जर्मनी के विदेश मन्त्री के साथ विचार विमर्शों से यह पता चला कि जर्मन संघीय गणराज्य वर्तमान आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त भारत के साथ अपने सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण राजनैतिक तत्व का समावेश चाहता है।

[हिन्दी]

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए अपट्रॉन को जारी किए गए लाइसेंस

3464. **श्री हरीश रावत : क्या प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम "अपट्रान" को गत दो वर्षों के दौरान कितने आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्योगों की किन-किन स्थानों पर स्थापना किये जाने का विचार है;

(ग) उनमें से कितने लाइसेंस विदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसा कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो किस-किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गत दो वर्षों (1984 तथा 1985) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के अपट्रान नामक एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 36 आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं ।

(ख) से (च) सूचना एकत्रित की जाएगी तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

बसरा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास का बम का शिकार होना

3465. **श्री हरीश रावत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईरान के बम वर्षक विमानों ने ईराक में बसरा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के आसपास के क्षेत्र में कई बार हमला किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार फिलहाल इस वाणिज्य दूतावास को बन्द करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार को ऐसी खबरें मिली हैं कि हाल ही की लड़ाई में बसरा में गोलाबारी हुई थी । किन्तु ईरानी बमवर्षकों ने बसरा में भारतीय कौंसलावास के भवन में गोलाबारी नहीं की ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विदेश मंत्रालय ईराक में भारतीय मिशन के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं । हमारे दूतावास ने यह सुझाव नहीं दिया है कि बसरा में हमारे कौंसलावास को बन्द कर दिया जाए । बसरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1800 भारतीय राष्ट्रिक हैं और उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए वहाँ कौंसलावास की उपस्थिति अनिवार्य है ।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स सेक्टर में निवेश

3466. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स सेक्टर में किया गया राशि निवेश आशा से बहुत कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में राशि निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) **इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के क्षेत्र में पूंजी-निवेश को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय :**

(i) इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए, देश में आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य क्षमता स्थापित हो सके ताकि संघटक पुर्जों का उत्पादक यथा संभव अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर हो सके, सरकार ने अनेक उपाय किए हैं, जिनमें उद्योग को लाइसेंस के दायरे से बाहर रखना, एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 से छूट और दुर्लभ उच्च-प्रौद्योगिकी के मामले में अधिकाधिक विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) वाली कम्पनियों को सहभागिता बनाने का कार्य शामिल है।

(ii) इसके अलावा, ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ संयुक्त रूप से एक कार्यदल का गठन किया है।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में मरे व्यक्तियों के बारे में जांच

3867. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1984 और 1985 के दौरान संदिग्ध अपराधियों की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के कितने मामलों में सरकार ने जांच शुरू की और जांच का कार्य किस स्तर पर है;

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु के कितने मामलों में पुलिस का हाथ होना सिद्ध हो गया है और कितने मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं, और

(ग) पुलिस की यातना के कारण हुई संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु के मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतें इस प्रकार हैं :–

1984	3
1985	5

उपर्युक्त सभी मामलों में पुलिस हिरासत में हुई संदिग्ध अपराधियों की मौत की जांच दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अन्तर्गत उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेटों द्वारा की गयी थी।

(ख) 1984 तथा 1985 के दो–दो मामलों को उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद फाइल कर दिया गया है। 1984 के तीसरे मामले में 2 उप–निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था, हालांकि अपमृत्यु-विचारणा रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। शेष तीन मामलों में उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेटों की जांच रिपोर्टों की प्रतीक्षा है लेकिन इन मामलों में प्रथम दृष्टया पुलिस का कोई हाथ नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में शरण मांगने वाले भारतीय दूतावासों के कर्मचारी

3468. **श्री सुभाष यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय दूतावासों में कार्य करने वाले उन भारतीय कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान विदेशों में शरण मांगी है;

(ख) क्या भारत सरकार ने विदेशी सरकारों से ऐसे कर्मचारियों के निष्कासन का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) गत दो वर्षों में भारतीय मिशनों के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने विदेशों में शरण मांगी है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) हरिन्दर सिंह, भूतपूर्व प्रथम सचिव, भारत का राजदूतावास, ओस्लो/19.6.84 को हमारा मिशन छोड़कर उन्होंने नार्वे सरकार से राजनैतिक शरण मांगी ।

(2) जसवन्त सिंह बंगा, भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम में भूतपूर्व सहायक/ 2.7.84 को राजदूतावास को छोड़कर उन्होंने स्वीडन की सरकार से राजनैतिक शरण मांगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"सफेद भौंहों वाले हूलाक का विनाश"

3469. **श्री सुभाष यादव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 1986 के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जंगलों और जंगली फलों के वृक्षों केनष्ट होने के कारण केवल पूर्वोत्तर भारत और हिन्द-चीन में हेनान के कुछ भागों तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाये जाने वाले दुर्लभ सफेद भौंहों वाले हुलॉक, समाप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन दुर्लभ सफेद भौंहों वाले हुलॉक की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) (क) जी, हां । बहरहाल, यद्यपि इनकी संख्या कम होने पर भी हूलाक गिब्बन को भारत में विलोपन का खतरा नहीं है ।

(ख) हूलाक गिब्बन वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है जिसमें इन प्रजातियों के शिकार करने और व्यापार और वाणिज्य तथा इसके व्युत्पन्नों के विरुद्ध पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है । इसे प्राणिजात और वनस्पति की संकटापन्न प्राजतियों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसंधि (साइट्स) के परिशिष्ट । में भी शामिल किया गया है

जिसके तहत इस प्रजाति का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और इसके व्युत्पन्नों के व्यापार पर सख्त नियंत्रण है। सरकार की चालू निर्यात नीति के अन्तर्गत हूलाक गिब्बन और इसके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय तथा मिजोरम जहाँ इस प्रजाति और इसके वास स्थल सुरक्षित हैं, में अनेक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है।

नीदरलैण्ड की रानी बीट्रिक्स की यात्रा के परिणाम

3470. **श्री सुभाष यादव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड की रानी बीट्रिक्स जनवरी, 1986 में भारत यात्रा पर आयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हाँ।

(ख) इस यात्रा से दोनों देशों को एक दूसरे को समझने में मदद मिली है और उम्मीद की जाती है कि दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई बातचीत से औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा।

(ग) जी नहीं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

3471. **श्री अजय मुशरान** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु क्या प्रणाली अपनाई है; और

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के संबंध में सरकार के निर्देशों की अवहेलना करने वाले राज्यों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की मूल जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है इसलिए यह कार्य स्वयं राज्य सरकारों और राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों का है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले निगरानी रखने का काम संबन्धित राज्य सरकार और उसके अभिकरणों का है। फिर भी, रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशक राज्य सरकारों के अभिकरणों से सूचना एकत्रित करके उसे संकलित करता है और उनसे समुचित संपर्क बनाए रखता है तथा इस संबन्ध में नीति निर्धारण में सहायता करता है ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जहाँ आवश्यक हो, में राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" एवं समूह "घ" पदों में आरक्षित रिक्तियों एवं वर्ष 1984 के दौरान उनके द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	संगठन का नाम	समूह "ग"		समूह "घ"	
		आरक्षित रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां	आरक्षित रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां
1.	आयुध निर्माणियां	132	38	674	247
2.	निरीक्षण महानिदेशालय	73	45	93	27
3.	तकनीकी विकास एवं उत्पादन (वायु) महानिदेशालय	8	4	14	8
4.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड	223	192	59	21
5.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	23	23	26	13
6.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेट	107	83	38	19
7.	माझगांव डाक लिमिटेड	23	—	316	452
8.	गोवा शिपबिल्डर्स लिमिटेड	21	7	29	36
9.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स	3	—	6	23
10.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	—	—	—	—
11.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	16	11	—	—
12.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	12	5	2	—
	कुल	641	408	1257	846

"रूरल कंवर्सन टैक्नालाजी" केन्द्र

3473. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के विभिन्न भागों में "रूरल कंवर्सन टैक्नालाजी" केन्द्र स्थापित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से एक परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का क्या उद्देश्य है;

(ग) "रूरल कंवर्सन टैक्नालाजी" के लिए कितने केन्द्र खोलने की संभावना है और ये केन्द्र कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(घ) प्रत्येक केन्द्र स्थापित करने पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी नहीं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में "रूरल कंवर्सन टैक्नोलाजी" केन्द्र स्थापित करने की कोई परियोजना नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों की भागीदारी और सहमति से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक मतैक्य कार्यक्रम बनाने में लगी हुई है। तदनुसार केन्द्रीय सरकार संबंधित प्रश्नों पर पत्र व्यवहार व केन्द्रीय सैनिक बोर्ड-जैसे संगठनों के जरिए राज्य सरकारों से समुचित उच्च स्तर पर मामला उठाती है।

आयुध कारखानों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण

3472. **श्री अजय मुशरान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के आधीन आयुध कारखानों तथा अन्य औद्योगिक संगठनों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां ("ग" ग्रुप में साढ़े चौदह प्रतिशत और "घ" ग्रुप में साढ़े चौबीस प्रतिशत) भर ली गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी रिक्तियां भर ली गई हैं तथा सभी रिक्तियां न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्तियों पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" पदों में साढ़े चौदह प्रतिशत रिक्तियां एवं समूह "घ" पदों में साढ़े चौबीस प्रतिशत रिक्तियां और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। रक्षा उत्पादन विभाग के अधीन औद्योगिक संगठनों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" और समूह "घ" में आरक्षित रिक्तियों एवं वर्ष 1984 के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कुछ शेष औद्योगिक संगठनों के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रिक्तियां भरे जाने में कमी आने के कारण निम्नलिखित हैं :-

(I) उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना।

(II) भूतपूर्व सैनिकों का अकुशल श्रमिक, क्लीनर, सफाई वाला एवं रख-रखाव स्टाफ के पदों, जिनके लिए अधिकतर सीधी भर्ती की जाती है, के लिए आवेदन करने का अनिच्छुक होना।

(III) उच्च कुशल कार्यों के लिए निर्धारित अपेक्षाओं को भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पूरा न करना।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिए सरकार ने अनुदेश जारी किए हैं और समय-समय पर उन्हें दोहराया जाता है। सैनिक बोर्डों, पुनर्वास महानिदेशालय एवं रोजगार कार्यालयों में आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित करने के लिए प्रत्येक आयुध निर्माणी एवं सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

गरीबी रेखा से ऊपर उठाए गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

3474. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है;

(ख) सातवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 2.20 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों और 23,307 अनुसूचित जन-जाति के परिवारों की आर्थिक सहायता की गयी ताकि वे गरीबी रेखा पार कर सकें।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2 लाख अनुसूचित जाति और 22,000 अनुसूचित जनजाति के परिवारों की आर्थिक सहायता करने का अस्थायी लक्ष्य रखा गया है ।

(ग) और (घ) छठी योजना अवधि के दौरान, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत और अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत कुल निवेश क्रमशः 100.00 करोड़ और 23.00 करोड़ रु० का है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को छठी योजना अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 13.95 करोड़ रूप की राशि और जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 2.87 करोड़ रु० की राशि दी गयी। सातवीं योजना में भी विशेष संघटक योजना/जनजाति उप-योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता की नीति जारी है। विशेष संघटक योजना और जनजाति उप- योजना के लिए धन आंवंटन के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में योजनाएं शुरू की जाती है ।

"गंगा नदी की सफाई"

3475. **श्रीमती पटेल रमाबेन** :

रामजीभाई मावणि : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों, अति विशिष्ट व्यक्तियों, धार्मिक तथा अन्य संगठनों ने गंगा तथा देश की ऐसी अन्य पवित्र नदियों की सफाई के लिए विभिन्न सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है; उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) गंगा नदी की सफाई के कार्य के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) गंगा तथा यमुना जैसी कुछ अन्य नदी की सफाई से सम्बन्धित योजनाओं के लिए विभिन्न

व्यक्तियों तथा संगठनों से अनेक सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्राप्त हुयी हैं। दिये गये सुझावों का सम्बन्ध गंगा की सफाई, जल एवं पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं पर विचार करने के लिये आम मुद्दे, वनरोपण की आवश्यकता इत्यादि के लिए योजनाओं को आरम्भ किये जाने से है। जीव-ऊर्जा का उत्पादन, मलजल उपचार, नदी मुहाना संरक्षण, कम लागत की सफाई, कूड़ा-कचरा आदि को नदी में गिराने से रोकना जैसे प्राप्त कुछ सुझावों को गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत आरम्भ की जाने वाली योजनाओं की किस्मों में पहले से ही समाविष्ट किया जा चुका है।

(घ) (1) उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए एक कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने 292.31 करोड़ रुपये की काल्पनिक लागत की स्वीकृति दे दी है।

(2) 7 मार्च 1986 तक तीन राज्यों के 9 शहरों में 22 स्कीमों को 10.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर निष्पादन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तीन योजनायें पूर्ण हो चुकी है।

आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

3476. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश को 1985-86 और 1986-87 के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) 1984-85 की तुलना में 1985-86 और 1986-87 में सहायता राशि कम कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी सहायता राशि में कमी कर दी गई और इसके क्या कारण हैं;

(ङ.) विभिन्न राज्यों को वार्षिक सहायता राशि मंजूर करने में किन सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जाता है; और

(च) किन-किन राज्यों के लिए 1986-87 के लिए केन्द्रीय सहायता राशि मंजूर कर दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) आन्ध्र प्रदेश को, राज्य वार्षिक योजना 1985-86 और 1986-87 के लिए आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता क्रमशः 339.62 करोड़ रु० और 298.01 करोड़ रु० है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अग्रिम योजना सहायता के समायोजन को छोड़कर सभी राज्यों को वर्ष 1984-85 की तुलना में, वर्ष 1985-86 और 1986-87 में, अधिक केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ङ.) अलग-अलग राज्यों को केन्द्रीय सहायता की वार्षिक व्यवस्था सामान्यतः, केन्द्र द्वारा वार्षिक योजना के लिए दी गई सहायता की समग्र राशि, और सातवीं योजना के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत निर्धारित उनके हिस्से के संदर्भ में की जाती है। सामान्य केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्यों को उनकी योजना के लिए अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भी, सहायता दी जाती है, और

(च) सभी राज्यों को वार्षिक योजना 1986-87 के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटित कर दी गई है।

कम्प्यूटर सापटवेयर का उत्पादन

3477. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में देश में कितने कम्प्यूटर साफ्टवेयरों का निर्माण किया गया है और सातवीं योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ शहरों को "साफ्टवेयर शहर" घोषित किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इन शहरों के नाम क्या हैं; और

(ङ.) इन स्थानों पर सॉफ्टवेयर उद्योगों का विकास करने के लिए वहां क्या सुविधाए उपलब्ध होंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सातवीं योजना के आरम्भ में अर्थात् वर्ष 1985-86 में जिस कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विपणन किया गया, उसका मूल्य अनुमानतः लगभग 95 करोड़ रु० लगाया गया है और वर्ष 1989-90 के दौरान लगभग 650 करोड़ रु० के विपणन का अनुमान लगाया गया है, जिसमें निर्यात के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का कारोबार भी शामिल है।

(ख) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(I) इलैक्ट्रॉनिकी नीति से संबंधित एकीकृत उपाय-21 मार्च, 1985

(II) नई कम्प्यूटर नीति-19 नवम्बर, 1984

(III) निर्यात के साथ-साथ घरेलू बाजार के लिए कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग सॉफ्टवेयर विकास अभिकरण स्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ग) सरकार ने किसी भी नगर को सॉफ्टवेयर नगर नहीं घोषित किया है।

(घ) और (ङ.) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए, ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्मचारी चयन आयोग में शिकायत प्रकोष्ठ

3478. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग ने अपने मुख्यालय में तथा कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायत प्रकोष्ठ गठित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां ऐसे शिकायत प्रकोष्ठ खोले गए हैं;

(ग) क्या कर्मचारी चयन आयोग के मध्य प्रदेश स्थित किसी क्षेत्रीय कार्यालय में भी शिकायत प्रकोष्ठ खोला गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. क्षेत्रीय निदेशक (केन्द्रीय क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, 8, बेली रोड, इलाहाबाद ।

2. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, 5, एस्पलेनेड रो वैस्ट ओल्ड असैम्बयी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, कलकत्ता ।

3. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, आर्मी एण्ड नेवी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, महात्मा गांधी रोड (जहांगीर आर्ट गैलरी, कलाघोडे के सामने) बम्बई ।

4. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, 735, अन्ना सालई, एल० एल० ए० बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मद्रास ।

5. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) कर्मचारी चयन आयोग, आर० के० चौधरी रोड, भारलुमुख गुवाहाटी (असम) ।

6. उप-क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी चयन आयोग, 84, आनन्द नगर सिविल लाइन्स, रायपुर (मध्य प्रदेश) ।

(ग) और (घ) 3 फरवरी, 1986 से 84 आनन्द नगर, सिविल लाइन्स, रायपुर (मध्य प्रदेश) स्थित आयोग के उप-क्षेत्रीय कार्यालय में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित कर दिया गया है ।

"फोटोवाल्टिक सिस्टम" के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डिया लिमिटेड का इन्डोनेशियाई फर्म के साथ समझौता

3479. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने देश में अपने सौर "फोटो वोल्टिक सिस्टम" में विपणन के लिए इंडोनेशिया की एक धर्म से समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या इससे सौर "फोटो वोल्टिक सिस्टम" के निर्माण क्षेत्र में तीसरे विश्व के देशों में भारत को सबसे बड़ा देश बनने में सहायता मिलेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी, और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां। बंहरहाल सम्बंधित कम्पनी सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साहिबाबाद (उ० प्र०) है जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

(ख) इंजीनियरिंग एक्स्पोर्ट प्रोमोशन कौंसिल द्वारा प्रायोजित इन्डोनेशियाई चैम्बर आफ कामर्स के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के दौरान 24 फरवरी, 1986 को सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड और मादा विक्री तुंगल, जो कि इन्दोनेशिया की उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार करने वाली एक प्रसिद्ध कम्पनी है, के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौता ज्ञापन के अधीन इन्दोनेशियाई फर्म को सी० ई० एल० द्वारा निर्मित सौर प्रकाश बोल्टीय प्रणालियों के लिद इन्दोनेशिया में विक्री एजेन्ट बनाया गया है, सी० ई० एल० की फैक्ट्री में इन्दोनेशियन कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा, इन्दोनेशिया में बाजार विकास के लिए सी० ई० एल० की सहायता और संभवतः सौर प्रकाश बोल्टीय प्रणालियों और उप प्रणालियों के विनिर्माण के लिए इन्दोनेशियाई फर्म को सी० ई० एल० द्वारा बाद में प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण किया जायगा।

(ग) आन्तरिक मूल्यांकन और अग्रणी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों, के आधार पर, सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पहले ही सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के विनिर्माण के लिए तीसरी दुनियां में सबसे बड़ी कम्पनी है। जैसा करार इन्दोनेशियाई कम्पनी से किया गया है, वैसी व्यवस्थाओं से सी० ई० एल० के उत्पादन बढ़ाने और आन्तर्राष्ट्रीय बाजार आधार के रूप में सहायता मिलेगी।

इन्सैट-I डी को खरीदना

*3480. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्सैट-I डी को खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन्सैट-I सी कब छोड़ा जाएगा; और

(घ) क्या इससे कोटा में भारी जल संयंत्र को बड़े पैमाने पर सुधार करने में सहायता मिलेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश से प्राप्त इन्सेट-I उपग्रहों से स्वदेशी रूप में डिजाइन किए गए निर्मित और इन्सैट-II उपग्रहों को संक्रमण अवधि के दौरान क्रमबद्ध रूप में अपेक्षित इन्सैट अन्तरिक्ष खण्ड क्षमताओं को प्रदान करने के लिए चतुर्थ इन्सैट-I उपग्रह, इन्सैट-I डी, को प्राप्त करना जरूरी है।

(ग) इन्सैट-I सी अन्तरिक्षयान को अन्तरिक्ष शटल को उड़ान सं. 61-I द्वारा वर्तमान समय-अनुसूची के अनुसार सितम्बर, 1986 में छोड़ा जाना है। इस समय अन्तरिक्ष शटल के प्रमोचनों को स्थगित कर दिया गया है और अन्तरिक्ष शटल की उड़ानों को पुनः प्रारम्भ करने की तारीख का निर्धारण अभी किया जाना है। अन्तरिक्ष विभाग इन्सैट-I सी० को 1986 के अन्त तक छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

(घ) जी, नहीं। इन्सैट प्रणाली और कोटा में भारी पानी संयंत्र के बीच कोई संबंध नहीं है।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भाग लिया जाना

3481. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्तरिक्ष कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम में गैर-सरकारी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग पहले से ही एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) गैर-सरकारी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग के साथ, निम्न प्रमुख क्षत्रों में अन्योन्यक्रिया करता है, अर्थात् :

(क) साज-सामान और सेवाओं को प्राप्त करना,

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उत्पादों की प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना,

(ग) उद्योगों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना,

(घ) विशिष्ट अनुसंधान तथा विकास सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं संविचरन ठेके करना।

पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास की समस्या

3482. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री रेणुपद दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के इस मत पर गम्भीर चिंता व्यक्ति की है कि पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नवास की समस्या अभी तक बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और शरणार्थी पुर्नवास समस्या का हल करने के लिए 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकार का पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के शरणार्थी, राहत तथा पुर्नवास विभाग के प्रभारी मंत्री ने पुर्नवास मंत्रियों के सम्मेलन में यह मुद्दा उठाया था तथा उन्हें यह बात स्पष्ट की गयी थी कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुर्नवास संबंधी अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, अतः चालू योजनाएं अवशिष्ट किस्म की हैं तथा उन्हें समय-बद्ध आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। 25-3-1971 के पश्चात् कोई प्रवासी नहीं आया है।

2. प्रवासियों के पुर्नवास के लिए पश्चिम बंगाल में तथा अन्यत्र अनेक उपाय किए गए थे। इनमें कृषि योजनाएं, व्यवसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, औद्योगिक योजनाएं, लघु व्यवसायों, आवास आदि के लिए पुर्नवास ऋण, बस्तियों का विकास तथा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। पश्चिम बंगाल की पुर्नवास-समस्या के स्वरूप तथा आकार का मूल्यांकन राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर किया गया था तथा ऐसा अन्तिम मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा 1975-76 में किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। (i) चिकित्सा-सुविधाओं तथा (ii) शैक्षिक सुविधाओं की योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धन राशि से सरकार द्वारा प्रायोजित और 1951 से पूर्व तथा 1950 के पश्चात् की अनुमोदित आबादकार बस्तियों/शिविर-बाह्य स्थल परिवारों तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय अन्तः क्षेत्रों से आए परिवारों के पुर्नवास के लिए भूमि-अधिग्रहण की योजनाएं राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत सरकार का यह विचार है। कि विस्थापित व्यक्तियों की उपर्युक्त समस्याओं, जिनका समाधान किया जा रहा है, को छोड़कर विस्थापित व्यक्तियों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में विलीन हुआ समझा जाना चाहिए तथा उनके उत्थान के लिए और कोई सहायता अब राज्य सरकार की सामान्य योजनाओं से उपलब्ध होनी चाहिए। 1986-87 के बजट प्राक्कलनों में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए 85 लाख रुपए (योजनागत) तथा 70 लाख रुपए (गैर-योजनागत) का प्रावधान किया गया है।

"समुद्री पारिस्थितिक व्यवस्था"

3483. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुप्त हो रही समुद्री प्रजातियों का पता लगाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रवाल-भित्तियों, मैनग्रोव जैसी समुद्री पारिस्थितिक व्यवस्था के बारे में पर्याप्त ज्ञान और जानकारी प्राप्त नहीं है; और

(ग) सरकार का विचार इस पारिस्थितिक व्यवस्था के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउद्दहमान अन्सारी) : (क) जी, हाँ, उन समुद्री प्रजातियों को जिनको वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची के अन्तर्गत शिकार करने तथा व्यापार एवं विपणन के विरुद्ध पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, का विस्तत ब्यौरा इस प्रकार है:–

अनुसूची–I

(i) सभी सिटेसिमाई प्रजातियां

(ii) ड्यूगोंग

(iii) ज्वारनदीमुख या खारे-जल के मगर

(iv) हरे समुद्र के कच्छप, हाक्सबिल कच्छप, लट्ठक-सिर के कच्छप, ऑलिव रिड्ले कच्छप, चर्मवाले कच्छप ।

अनुसूची–IV

(i) सभी समुद्री सांप

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

समुद्री पारि-प्रणाली के अध्ययन एवं क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरण एवं संस्थान लगे हुए हैं । काफी जानकारी उपलब्ध है । प्रवाल भित्तियों कच्छ वनस्पति (मैंग्रूवों) जैसे समुद्री पारि तंत्रों के संसाधनों के बेढंगेपन में दोहन एवं विनाश से रोकथाम के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से संरक्षण तथा सुरक्षा के उपाय किये जाने हैं ।

इस समय इन समुद्री पारि-प्रणालियों, के संरक्षण के लिए वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, के अन्तर्गत गठित दो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हैं---एक कच्छ की खाड़ी (गुजरात) में दूसरा अण्डमान द्वीप समूह में है । मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु) में एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की संरचना करने की इच्छा को उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया गया है । तमिलनाडु सरकार को मन्नार की खाड़ी के समुद्री पारि-प्रणाली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है जहाँ कि ड्यूगोंग एवं कई अन्य समुद्री प्राणिजात तथा वनस्पतिजात दोहन एवं कम हो जाने के खतरे में हैं । राज्य सरकार ने बताया है कि उसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट की इन्तजार है तथा मन्नार की खाड़ी के राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम अधिसूचना, रिपोर्ट के प्राप्त एवं जाँच-पड़ताल के बाद कर दिया जायेगा ।

सुन्दर वन में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान की पहले ही स्थापना कर दी गई है । सरकार की बाघ परियोजना स्कीम के अन्तर्गत आने वाली भारत की 15 बाघ रिजर्वों में सुन्दर वन का 2585 वर्ग किलोमीटर में से 1330 वर्ग किलोमीटर अभ्यन्तर (कोर) क्षेत्र में आता है । भारत में सुन्दर वन को जीवमंडल रिजर्वों के तंत्र (नेटवर्ग) में शामिल करके जैविकीय विविधता के संरक्षण हेतु और प्रस्ताव किया गया है । सुन्दर वन कच्छ वनस्पति (मैंग्रूव) पारि-प्रणाली की कार्य पद्धति एवं संरचना की जानकारी हेतु अनुसंधान किये जा रहे हैं,

विशेषकर मत्स्य पालन कृषि, वृक्ष कटाई, पर्यटन इत्यादि जैसे मनुष्य प्रेरित दबावों के असर का मूल्यांकन करने के लिए ताकि सुदृढ़ पारिस्थितिकीय सिद्धान्तों पर संरक्षण नीतियों का विकास किया जा सके। सुन्दरवन में मानव के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रबन्ध योजना है। रिजर्व में सभी वानिकी कार्यों को बन्द कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को बाघ परियोजना (प्रोजेक्ट टाइगर) स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

वनग्राम समेत लक्षद्वीप द्वीप समूह व कुछ अन्य नजदीक के गैर-बसासत वाले द्वीपों पर एक समुद्री रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। प्रवाल भित्तियों का भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग हेतु निकालना रोक दिया गया है तथा मुख्य भूमि से भवन-निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

देश में दहेज के कारण मौतें

3484. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में 1983 से आज तक की अवधि के दौरान दहेज के कारण कितनी मौतें हुई हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों के सामलों की उपलब्ध संख्या संलग्न में दी गयी है। विवरण

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	सूचित किए गए दहेज के कारण हुई मौतों के मामले		
		1983	1984	1985
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	6	15 (जुलाई, 1985 तक)
2.	असम	शून्य	1	3 (जून, 1985 तक)
3.	बिहार	15	20	3 (जुलाई, 1985 तक)
4.	गुजरात	2	5	9 (सित., 1985 तक)
5.	हरियाणा	71	56	99
6.	हिमाचल प्रदेश	2	4	3
7.	जम्मू और कश्मीर	1	शून्य	20 (फरवरी, 1985 तक)
8.	कर्नाटक	31	45	35
9.	केरल	शून्य	शून्य	5
10.	मध्य प्रदेश	39	48	शून्य
11.	महाराष्ट्र	35	68	31 (अक्तू., 1985 तक)

12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	(अक्तू., 1985 तक)
14.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	उड़ीसा	6	22	शून्य	
16.	पंजाब	47	47	32	
17.	राजस्थान	24	32	29	
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	तमिलनाडु	4	18	6	(अक्तू., 1985 तक)
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	
21.	उत्तर प्रदेश	160	202	323	
22.	पश्चिम बंगाल	18	16	63	(अक्तू., 1985 तक)
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	
25.	चण्डीगढ़	2	1	2	
26.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	दिल्ली	41	45	33	
28.	गोवा, दमण और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	
31.	पाण्डिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	

टिप्पणी :—1. आंकड़ों को अस्थायी समझा जाए ।

2. उ० न० का अर्थ "उपलब्ध नहीं" है ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के मूल्यांकन के लिए नया कार्य ढांचा

3485. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों के मूल्याकन के लिए नया कार्य ढांचा तैयार किया गया है;

(ख) क्या मूल्यांकन करने तथा बीच की गलतियों को ठीक करने के लिए सार्वजनिक कोष से संस्थाएं चलाने की वर्तमान कृतिम और अनावश्यक गोपनीयता को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

"सार्क" शिखर सम्मेलन

3486. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और संसाधनों में अधिक समतापूर्ण भागीदार हेतु नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कोई साझी नीति तैयार की है;

(ख) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ने नई सूचना व्यवस्था और यूनेस्को को मजबूत बनाने के लिए एक सामान्य नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) (क) ढाका में हुए "सार्क" शिखर सम्मेलन में यह फैसला किया गया था कि नई विश्व अर्थव्यवस्था के संबंध में चल रही बातचीत पर तथा "गाट" के माध्यम से विश्व व्यापार प्रणाली में सुधार करने के बारे में विचार विमर्श करने तथा "सार्क" देशों के विचारों को समन्वित करने के उद्देश्य से एक मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई जाए । मंत्रीस्तरीय बैठक 2-3 अप्रैल, 1986 को इस्लामाबाद में होने जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में हत्यायें, डकैतियां, बलात्कार और चोरियां

3487. **श्री अजय बिस्वास** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 के दौरान सारे देश में (राज्य-वार) हत्या, डकैती, बलात्कार और चोरियों के कुल कितने मामले हुए ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : वर्ष 1985 के दौरान हत्याओं, डकैतियों, बलात्कारों तथा चोरियों के सूचित किये गये(राज्यवार) मामले संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

1985 के दौरान हत्याओं इत्यादि के आंकड़ों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	हत्या	डकैती	बलात्कार	चोरी	
1	2	3	4	5	6	
	राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	926	163	157	8,640	1985 जुलाई 85 तक
2.	असम	292	229	126	3,174	1985 जून, 85 तक
3.	बिहार	2,383	2,203	329	12,732	1985 सित. 85 तक
4.	गुजरात	907	239	117	12,560	1985 सित. 85 तक
5.	हरियाणा	345	14	114	3,600	
6.	हिमाचल प्रदेश	74	4	33	578	
7.	जम्मू और कश्मीर	7	4	12	236	1985 जनवरी 85 तक
8.	कर्नाटक	1,003	154	98	16,661	
9.	केरल	446	21	120	2,675	
10.	मध्य प्रदेश	2,558	313	1,428	39,019	
11.	महाराष्ट्र	1,750	448	560	44,908	1985 अक्टूबर 85 तक
12.	मणिपुर	13	14	5	523	
13.	मेघालय	76	23	17	462	
14.	नागालैण्ड	36	17	6	328	

1	2	3	4	5	6	
15.	उड़ीसा	568	254	166	11,840	1985 अक्टू. 85 तक
16.	पंजाब	646	8	82	1,118	
17.	राजस्थान	1,017	78	522	12,394	
18.	सिक्किम	5	1	6	95	
19.	तमिलनाडु	1,231	40	184	20,420	1985 अक्टू. 85 तक
20.	त्रिपुरा	150	212	34	1,131	
21.	उत्तर प्रदेश	6,206	2,829	888	48,731	
22.	पश्चिम बंगाल	1,237	700	422	25,070	1985 अक्टू. 85 तक
	संघ शासित क्षेत्र					
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	—	3	102	
24.	अरुणाचल प्रदेश	35	9	5	222	
25.	चण्डीगढ़	14	—	4	720	
26.	दादर और नगर हवेली	10	1	1	66	
27.	दिल्ली	312	26	83	13,770	
28.	गोआ, दमन और दीव	21	5	10	1,036	
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	7	
30.	मिजोरम	21	1	53	217	
31.	पाण्डिचेरी	17	—	8	696	

टिप्पणी : 1. आंकड़े अस्थाई समझे जाएं ।

2. ये आंकड़े मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं ।

अमरीकी से भारत की रक्षा योजनाओं के लिए सहायता

3488. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका रक्षा योजनाओं के लिए भारत को सहायता देने वाला है जैसा कि दिनांक 15 फरवरी, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई सैन्य मशीनरी (हार्डवेयर) प्राप्त करने की हमारी कोई योजना नहीं है । हम भारत में विकासाधीन रक्षा प्रौद्योगिकीय प्रणाली के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों से संघटक/उप-प्रणाली /यंत्र प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से बातचीत चल रही है इस लिए इन प्रौद्योगिकीय प्रणालियों के लिए आवश्यक मदों का इस स्तर पर ब्यौरा देना हमारे लिए असामयिक होगा ।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3489. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान जांच ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कितने अधिकारियों के विरुद्ध धन का दुर्विनियोग तथा अनियमितताओं संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) कितने अधिकारियो के विरुद्ध जांच कराई गई तथा यदि हां, तो कब और तत्संबंधी रिपोर्ट किस अधिकारी को प्रस्तुत की गई; और

(ग) कितने अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सही पाये गये और सरकार द्वारा इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वर्ष 1985 के दौरान, 2269 सरकारी कर्मचारियों के संबंध में शिकायतें केन्द्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों में से, 503 सरकारी कर्मचारियों के संबंध में 407 शिकायतें संबंधि प्राधिकारियों को जांच के लिए भेज दी गई थीं । जाँच के लिए भेजी गई। 407 शिकायतों में से, 122 मामलों में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं जिनमें से 42 मामलों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग अभी जांच कर रहा है । शेष 80 मामलों में से, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एक मामले में अभियोजन के लिए; 14 मामलों में भारी/लघू शास्ति की कार्यवाहियां करने के लिए; 2 मामलों में प्रशासनिक कार्यवाई करने की सिफारिश की थी और 63 मामलों ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी ।

वर्ष 1985 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 1626 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें मिली थी । इनमें से, 198 अधिकारियों के विरुद्ध 133 नियमित जांच/मामले दर्ज किए गए थे, 417 अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने की शिकारिश की गई थी और 815 अधिकारियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि शिकायतें

बेनाम/छद्मनाम थी और 196 अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो शिकायतों की जांच कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल अन्वेषण के उद्देश्य से लिए गये 133 मामलों में से, 9 मामले विचारण के लिए भेजे गये थे, 16 मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, 6 मामले पर्याप्त सबूत न होने के कारण समाप्त कर दिए गए थे और 102 मामलों में जांच-पड़ताल/अन्वेषण किया जा रहा ।

संसद सदस्यों से प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें

3490. **श्री हन्नान मौल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें 1985 के दौरान संसद सदस्यों से सचिवों और उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और शक्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से उन शिकायतों की जांच कराई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) भ्रष्टाचार समाप्त करने की दृष्टि से इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) वर्ष 1985 के दौरान सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों के विरुद्ध प्रधान मंत्री के कार्यालय को संसद सदस्यों से सत्रह शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन सभी शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालययों/ विभाग को भेज दिया गया था । इनमें से एक शिकायत के संबंध में संबंधित विभाग से पत्र प्राप्त होने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उसकी जांच की गई थी। इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विभाग को सूचित किया कि चूंकि अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो गया था और सरकार को कोई भी हानि नहीं हुई थी इसलिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराने मे कोई लाभ नहीं होगा ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के कार्यकरण की पुनरीक्षा

3491. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मिश्र धातु निगम, के कार्यकरण की पुनरीक्षा की गई थी;

(ख) क्या रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री ने मिश्र धातु निगम, हैदराबाद के अपने हाल के दौरे के दौरान यह पाया कि इसका कार्यनिष्पादन आशानुकूल नहीं हो रहा है और परियोजना को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कम्पनी के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ।

(ख) यह महसूस किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है ।

(ग) सरकार कम्पनी के कार्य निष्पादन पर बराबर नजर रखती है और आवश्यकता होने पर इसके लिए सुधारात्मक उपाय करती है ।

इलैक्ट्रॉनिक्स के बारे में भारत-फ्रांस कार्य-दल की सिफारिशें

3492. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचनाओं के बारे में भारत-फ्रांस कार्य-दल की अंतिम रिपोर्ट में क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं;

(ख) उनके अनुसरण में क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या फ्रांस की कम्पनियों के साथ निकट सम्बन्ध के कारण जापान अथवा अन्य देशों से संबंद्ध क्षत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण में बाधा पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत और फ्रांस के बीच इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1983 में सम्पन्न में हुए प्रोटोकाल (नयाचार) के अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना-विज्ञान पर गठित भारत-फ्रांस कार्यकारी दल की तीसरी बैठक नई दिल्ली में दिनांक 20–21 जनवरी, 1986 को आयोजित की गई । दोनों पार्टियो ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना-विज्ञान के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को अपना ध्यान फ्रांस से भारत को प्रौद्योगिकी के अन्तरण और तृतीय विश्व के देशों को तकनीकी जानकारी, हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सेवाओं के निर्यात के संयुक्त प्रयासों की ओर केन्द्रित करना चाहिए । दोनों पार्टियों ने इस बात पर बल दिया कि वे दीर्घकालीन आधार पर सहयोग करना चाहते हैं, और कार्यकारी दल द्वारा अल्प तथा मध्यम अवधि के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई ठोस परियोजनाओं को उसी ढांचे के अन्तर्गत माना जाना चाहिए ।

(ख) कार्यकारी दल की सिफारशों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विशिष्ट परियोजनाएं तैयार की गई हैं और परियोजना की प्रगति पर नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए प्रत्येक परियोजना के मामले में संचालन समितियां गठित की गई हैं, जिसमें भारत और फ्रांस के सम्बद्ध वैज्ञानिकों को लिया गया है :

1. कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा अनुप्रयोग
2. यंत्रीकरण
3. तन्तु-प्रकाशिकी
4. संचार
5. संघटक-पुर्जे

(ग) और (घ) जी, नहीं । सिफारिशों में तकनीकी-जानकारी के अन्तरण के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं है । विभिन्न देशों से प्रौद्योगिकी के अन्तरण के प्रत्येक मामले का उस गुण-दोषों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करते समय लागू भारत सरकार की नीति को ध्यान में रखा जाएगा ।

"किट इमपोर्ट एण्ड लेबल टेक्नालाजी" की नीति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास की उपेक्षा

3493. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "किट इम्पोर्ट एण्ड लेवल टेक्नालॉजी" और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की उपेक्षा की नीति देश में निर्माता उद्योग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास में बाधक रही है जैसा कि बंगलौर में हाल ही में हुइ एक गोष्ठी में भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक ने कहा है; और

(ख) यदि हाँ; तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं विशेष रूप में उस समय जबकि भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ की रिपोर्ट के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता 2000 ईसवी तक 56000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और आन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार की नीति किटों के आयात के पक्ष में नहीं है। यह इन तथ्यों से स्पष्ट है कि अर्ध संयोजित (एस के डी) अवस्था में सभी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात तथा अत्यंत गहन/भारित/गुम्फित मुद्रित परिपथ बोर्डों का आयात, "आयात तथा निर्यात नीति 1985-86 के परिशिष्ट 2, भाग ख (प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची) में दर्शाए गए अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, परिरिष्ट 3, भाग "क" ऐसी वस्तुएं की सूची, अथात् कच्ची सामग्रियों, संघटक-पुर्जे, खपत होने योग्य वस्तुएं औजार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जे जिनके आयात की अनुमति सीमित रूप दी जाती है के अन्तर्गत केवल सीमिति मात्रा में किटों/उप-संयोजन-सामिग्रियों के आयत की अनुमति दी जाती है और इससे अनिवार्यतः एकीकरण प्रक्रिया, प्रतिलोम (रिवर्स) इन्जीनियरी, आदि के आरम्भिक रूप से समझने में सुविधा होती है। इसे स्क्रू ड्राइवर प्रौद्योगिकी पर आधारित किट संयोजन नहीं माना जा सकता।

हमारे प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों में रेडियो, टेप रिकार्डर/ प्ले-इन-वन तथा दूरदर्शन रिसीवर सेट शामिल हैं। रेडियो, टेप रिकार्डर और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक लगभग सभी संघक-पुर्जों का विनिर्माण देश में ही किया जाता है; अतः इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए किटां का किसी भी रूप में आयत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ तक रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण का संबन्ध है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किटों के आयत के आधार पर रंगीन दूरदर्शन सेटों के संयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक संघटक-पुर्जों का लगभग 20% भाग का विनिर्माण इस समय स्वदेश में ही किया जाता है। रंगीन दूरदर्शन के लिए आयातित संघटक-पुर्जों की मात्रा का प्रतिशत वर्ष 1986-87 तक घटकर लगभग 60% तक रह जाने की संभावना है और वर्ष 1988 से तो यह मात्रा नगण्य हो जाएगी रंगीन दूरदर्शन सेटों में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों रहित सभी प्रकार के संघटक-पुर्जे के स्वदेशीकरण के लिए जो प्रमुख उपाए किए हैं; उनमें निम्नलिखित शामिल है;

संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करना और एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार प्रक्रिया तथा विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को संघटक-

पुर्जों के विनिर्माण की अनुमति देना ताकि उचित मूल्यों पर बढ़िया क्वालिटी के संघटक-पुर्जों का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन का आधार तैयार करने के लिए ऐसी कम्पनियों के साधन-स्रोतों और उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाया जा सके ।

जहां तक वी. सी. आर./वी. सी. पी. के विनिर्माण का संबंध है, केवल ऐसी पार्टियों को बढ़ावा दिया जाएगा जो एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के उचित संघटक-पुर्जों का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त पूंजीनिवेश करने का वचन देंगे, और साथ ही उनके पास एक द्रुत एवं गतिशील चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम हो; तथा जिनके पास परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलकर चलने की क्षमता विद्यमान हो । इस प्रकार; वी. सी. आर./वी. सी. पी. के विनिर्माण की नीति में ही स्वदेशीकरण के एक सुनिश्चित कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है ।

विरुद्ध रूप से प्रमाणिक एक स्वदेशी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की स्थापना को बढावा देने के लिए जो अन्य उपाय किए गए हैं; उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(क) व्यवहार्य उत्पादन-क्षममताओं के साथ-साथ औद्योगिक अनुमोदन उदारतापूर्वक जारी करना जिससे कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले ।

(ख) एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत वस्तुओं के विनिर्माण के लिए लाइसेंस/अनुमोदन जारी करना ।

(ग) एक समुचित आधार तैयार करने के लिए, अथवा विद्यमान आधार को मजबूत/अद्यतन बताने के लिए जहां प्रौद्योगिकी के आयत की जरूरत हो वहां आयत की उदारता पूर्वक अनुमति देना जिसके साथ-साथ उस प्रौद्योगिकी को अपने अनुरूप बनाकर समाहित करने, उसे अनुकूल बनाने और उस को ग्रेड का उन्नयन करने पर बल दिया जाता है ताकि प्रौद्योगिकी को बार-बार आयत करने की जरूरत न हो ।

(घ) संघटक-पुर्जों पर लगने वाले शुल्क को कम करना ताकि ये उपस्कर उद्योग को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके; और साथ ही साथ संघटक-पुर्जों तथा उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर लगने वाले सीमा-शुल्क में कमी करना ।

विभिन्न मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करने के लिए मापदण्ड

3494. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के लिए वित्तीय आवंटन करते समय किन बातों को अधिक ध्यान में रखा जाता हैं;

(ख) क्या धन के इस प्रकार के वितरण के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ग) योजना विभाग में ऐसा कौन सा निगरानी प्राधिकरण है जो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए वित्तीय आवंटन के समान वितरण पर निगरानी रखता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० के० पंजा) : (क) और (ख) वित्तीय आवंटन, पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में दिए गए उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और क्षेत्रकीय बल आदि पर आधारित हैं। ये क्षेत्रकीय प्राथमिकता और बल व्यापक विचार-विमर्श और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श करने के बाद निश्चित किए जाते हैं। वार्षिक योजना के आवंटन मोटे तौर पर पंचवर्षीय योजना के ढांचे के अन्तर्गत किए जाते हैं।

(ग) कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है। जहां तक समान वितरण का संबंध है, यह योजना आवंटनों से किया जाता है जिसके बारे में योजना दस्तावेज में काफी व्यापक रूप से बताया गया है।

विदेशों में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के उपाय

3495. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में जिन भारतीय राजनयिकों को मारे जाने का खतरा है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) (1) विदेश स्थित हमारे मिशनों और कार्मिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मेजबान देश की होती है।

(2) विदेश स्थित हमारे किसी राजनयिज्ञ को अगर हत्या की धमकी दी जाती है तो उसके संबंध में हम स्थानीय अधिकारियों को सूचना दे देते हैं और उनसे विशेष सुरक्षा प्रधान करने का आग्रह करते हैं जिसका प्रबंध आम तौर पर मेजबान सरकारें कर देती हैं। कुछ ऐसे मिशन भी हैं जहां खतरे की यह नाजुक स्थिति बराबर बनी हुई है; ऐसी जगहों पर वहाँ की सरकारों ने नियमित आधार पर अपने गार्ड तैनात कर दिये हैं।

(3) हमने भी अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी तथा उपकरण उपलब्ध करके मिशनों में विभिन्न सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाया है। विभिन्न सुरक्षा उपायों को बराबर समीक्षा की जाती है।

जामा मस्जिद के अनुरक्षण के लिए वक्फ को समर्पित सम्पतियों का ब्यौरा

3496. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामा मस्जिद, दिल्ली के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए वक्फ से सम्बद्ध अथवा समर्पित सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उससे कितनी वार्षिक आय हुई;

(ग) इस वर्ष के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा जामा मस्जिद के रख-रखाव और अनुरक्षण पर तथा अपने कर्मचारियों को भुगतान किये जाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) क्या जामा मस्जिद को कोई अन्य वक्फ सम्पत्ति समर्पित की गई है जिस पर किसी दूसरे का कब्जा है और उसकी आय जामा मस्जिद को नहीं मिल रही है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 7 वक्फ हैं जिसमें जामा मस्जिद दिल्ली से सम्बद्ध अथवा समर्पित दुकानें और मकान शामिल हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

(1) उर्दु बाजार सम्पति, म्युनिसिपल नं. 4152 से 4174

(2) चाह रेहात, जामा मस्जिद, म्युनिसिपल नं० 1194 से 1197, 1052 से 1054, 1213 से 1215

(3) गली मक्कारचिलां, तुर्कमान गेट, दिल्ली, म्युनिसिपल नं० 3136

(4) अजमेरी गेट, दिल्ली, म्युनिसिपल नं० 5228 से 5243

(5) जहांनुमां कदीम, जामा मस्जिद, दिल्ली, म्युनिसिपल नं० 731 से 734

(7) दालमंडी, पहाड़गंज, म्युनिसिपल नं० 4522

(ख) इन 7 वक्फों से प्राप्त आय का वर्ष-बार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	रुपये
1982-83	90,232.87
1983-84	75,689.52
1984-85	65,572.44

(ग) दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 1.4.85 से 28.2.86 तक किया गया व्यय 36,697.20 रुपये है। जम्मा मस्जिद के इमाम साहब और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच विवाद के कारण स्टाफ को भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

"पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने के केन्द्रों के स्थान"

3497. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 को देश में पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने वाले केन्द्र (इनवाइरनमेंटल पोल्युशन मेजरमेंट स्टेशन्स) कहां-कहां स्थित थे; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन अतिरिक्त केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरणीय और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में 194 जल प्रबोधन स्टेशन हैं जो निम्नलिखित नदियों पर स्थित हैं :–सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुवर्णरेखा, ब्रह्मणी, बैतरणी, माही, साबरमती, नर्मदा, तापती, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पेरियर तथा छालियर।

7 नगरों अर्थात अनपाड़ा, हल्दिया, आगरा, दिल्ली, हावड़ा, कोटा तथा सूरत में 29 वायु गुणवत्ता प्रबोधन स्टेशन चालू हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जल गुणवत्ता स्टेशनों की संख्या 329 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है तथा 17 और नगरों को वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है।

चीन और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच विभाजन रेखा संयुक्त निरीक्षण के लिए पाक–चीन समझौता

3498. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन और पाकिस्तान ने चीन तथा पाक अधिकृत कश्मीर के बीच विभाजन रेखा का संयुक्त निरीक्षण करने सम्बन्धी योजना करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभाजन रेखा का नाम क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सिन्हा न्यूज एजेन्सी ने 24 फरवरी को घोषणा की थी कि 24 फरवरी, 1986 को पीकिंग में चीन-पाकिस्तान संयुक्त सीमा निरीक्षण आयोग ने पहले सत्र की टिप्पणों का आदान-प्रदान किया।

(ख) इन रिपोर्टों में जिस विभाजन रेखा का उल्लेख किया गया है वह पाक अधिकृत कश्मीर और चीन लोक गणराज्य के बीच की सीमा है।

(ग) भारत सरकार ने चीन लोक गणराज्य और पाकिस्तान की सरकारों से विरोध प्रकट किया है। भारत सरकार ने अपने विरोध में स्पष्ट कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और चीन और पाकिस्तान का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अन्धेरी, बंबई में हिन्दुस्तान लीवर का अनुसंधान और विकास केन्द्र

3499. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है सच कि हिन्दुस्तान लीवर ने अन्धेरी, बम्बई में इसका अनुसंधान और विकास केन्द्र होने के कारण भारी रियायतें प्राप्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस आधार पर दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी ने इस केन्द्र में किये गये अनुसंधान के परिणामों का कोई ब्यौरा दिया है;

(घ) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या यह सच है कि अनुसंधान के परिणाम मूल कम्पनी "यूनीलीवर" को सारे विश्व में यूनिटों में उपयोग के लिये प्राप्त होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लि० कं० अंधेरी स्थित संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास यूनिट को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और इस नाते वह इस प्रकार मान्यता प्राप्त यूनिटों को प्रदान की जा रही रियायतों और सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है।

(ख) सभी मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटें अपनी पूरी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक सामग्री, कच्चा माल, संघटक, पुर्जे और अन्य वस्तुएं खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात कर सकते हैं। वे अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवश्यक आदि प्रारुप, नमूने और प्रायोगिक संयंत्र संबंधी वस्तुएं आयात कर सकते हैं।

(ग) जी हाँ। कम्पनी से समय-समय पर विभाग को विवरिणयां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शुरू किये गये अनुसंधान कार्यक्रमों की स्थिति और उन अनुसंधानों के परिणाम भी शामिल हैं।

(घ) फर्म ने रिपोर्ट किया है कि पिछले तीन वर्षों में उन्होंने 25 से अधिक उत्पादों/प्रक्रियाओं/सूत्रों का विकास किया है, भारत या विदेश में 17 पेटेन्ट फाइल किये हैं या प्राप्त किये है, 14 प्रक्रियाओं का वाणिज्यीकरण किया है, अनुसंधान और विकास स्टाफ ने 40 से अधिक लेख प्रकाशित किये है।

(ङ.) और (च) सरकार को इस तथ्य के बारे में जानकारी है कि मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लि० और इसकी मूल कम्पनी मैसर्ज यूनी लीवर पारस्परिकता के आधार पर आपसी हित की अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित जानकारी को आपस में बांटते हैं।

जनवरी और फरवरी, 1986 के दौरान पंजाब में रेलवे को हुई क्षति

3500. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी और फरवरी, 1986 के दौरान पंजाब में आन्दोलन-कारियों ने अनेक रेलवे स्टेशनों को जला दिया था;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में रेलवे को कुल कितनी क्षति पहुँची;

(ग) पंजाब में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है ताकि राज्य में रेलवे को इतनी अधिक क्षति न उठानी पड़े;

(घ) क्या स्टेशनों को जलाने के लिए जिम्मेदार किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ.) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ङ) जनवरी और फरवरी, 1986 के दौरान पंजाब में उपद्रवियों द्वारा रेलवे स्टेशनों को आग लगाये जाने की दो घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरुप रेलवे को लगभग 1100 रु० की क्षति हुई। इन घटनाओं के संबंध में मामले दर्ज कर दिए गए हैं और अपराधियों को पकड़ने के प्रयत्न जारी हैं।

राज्य में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध किए हैं।

"देश में और अधिक पक्षी विहार बनाना"

3501. **श्री सुभाष यादव** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक पक्षी विहार बनाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कितने पक्षी विहार बनाये जायेंगे;

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(घ) इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जाती है जो वन्यप्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत इसके लिए पूर्णरूप से समर्थ है। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य की स्थापना तभी कर सकती हैं जबकि केन्द्रीय सरकार को कोई क्षेत्र पट्टे पर दिया जाता है या स्थानान्तरित कर दिया जाता है जिसके लिए अभी कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

12.00 **मध्याह्न**

भूतपूर्व गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण तथा आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री श्री अरुण नेहरू के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 13 फरवरी, 1986 को मुझे सर्वश्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव तथा एस० एम० भट्टम से विशेषाधिकार के प्रश्न की एक जैसी सूचनायें प्राप्त हुई थीं जो तत्कालीन गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण के विरुद्ध इस कारण दी गई थीं क्यों कि उन्होंने कुछ संसद सदस्यों को यह कह कर बदनाम करने का प्रयास किया था कि न्यायालय में शासकीय गुप्त बात अधिनियम (आफिशियल सीक्रेट एक्ट) के अन्तर्गत दाखिल की गई चार्ज-शीट के अनुसार उन संसद

सदस्यों के कुछ सम्बन्ध या सम्पर्क कथित जासूस रामस्वरूप थे 11 सदस्यों ने यह भी कहा है कि चार्ज-शीट में उल्लिखित संसद सदस्यों के नामों का प्रेस में काफी प्रचार किया गया जैसाकि 28 जनवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया तथा 29 जनवरी, 1986 के अन्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से स्पष्ट है। सदस्यों ने आगे बताया है कि प्रश्नाधीन समाचार के अनुसार, "रामस्वरूप ने पुलिस को प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं और संसद सदस्यों का नाम यह कहते हुए बताया कि वे 'किसी न किसी समय उसके प्रति सहानुभूति रखते रहे हैं'।" यह सर्वविदित है कि संसद सदस्य अपने आम जीवन में विभिन्न अवसरों पर बहुत से लोगों के सम्पर्क में आते रहते हैं। यह कहना कि वे रामस्वरूप के प्रति 'सहानुभूति' रखते थे, सदस्यों के शब्दों में "उनको बदनाम करने की एक दुराग्रह पूर्ण कोशिश है तथा यह बात संसद की गरिमा को कम करने ने उद्देश्य से कही गई है।" श्री एम० रघुमा रेड्डी ने 19 फरवरी, 1986 को इसी तरह की एक सूचना दी थी।

मैंने उन सदस्यों की तीव्र भावनाओं को समझा था जिनका नाम जासूसी के मामले में समाचार पत्रों की खबरों में आया था और इसीलिए जब 25 फरवरी, 1986 को श्री वी० एस० राव ने मामले को सदन में उठाने की अनुमति मांगी थी तो मैंने यह कहा था, "यदि इस सदन के किसी सदस्य के नाम का उल्लेख किया गया है तो मैं उसको (व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की) इजाजत दूंगा।"

5 मार्च को सर्व श्री के० पी० सिंह देव, डी० पी० जदेजा और अरविन्द नेताम को सभा में इस मामले में अपनी स्थिति के बारे में व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने कहा था कि चार्ज-शीट में उनके नाम का न तो अभियुक्त के रूप में और न ही साक्षी के रूप में उल्लेख है। इसी प्रकार का ही एक वक्तव्य 11 मार्च, 1986 को श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने दिया था।

13 मार्च, 1986 को प्रो० मधु दंडवते ने आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री, श्री अरुण नेहरू के विरुद्ध इस लिए एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी क्यों कि उन्होंने राम स्वरूप के विरुद्ध उसकी कथित जासूसी की गतिविधियों के लिए दर्ज की गई चार्ज-शीट में सर्व श्री के० पी सिंह देव, डी० पी० जदेजा, अरविन्द नेताम और चन्दूलाल चन्द्राकर के नामों का उल्लेख किया था। प्रो० दंडवते का कहना था कि यद्यपि उक्त सदस्यों के नाम इस जासूसी मामले में न तो साक्षी के रूप में सम्मिलित किये गये थे और न ही अभियुक्त के रूप में, "पर जिस तरह से चार्ज-शीट में उनके नाम का उल्लेख किया गया है.....वह इन सदस्यों की देश भक्ति की छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया है।"

एक अन्य माननीय सदस्य, श्री जितेन्द्र प्रसाद ने भी 31 जनवरी, 1986 को मुझे एक पत्र लिखकर यह बताया था कि 29 जनवरी, 1986 के स्टेट्समेन में उनके नाम का यह झूठा उल्लेख किया गया है कि उनका नाम भी राम स्वरूप के मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्ज-शीट में सम्मिलित था। समाचार ने दावा किया था कि चार्ज शीट में उनके नाम का उल्लेख "इंडो-फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी पार्लियामैंट्री बॉडी के चेयरमैन" के रूप में है। इस संबंध में उनका खंडन इसी पत्र के 1 फरवरी, 1986 के अंक में छपा था। श्री जितेन्द्र प्रसाद ने 9 मार्च, 1986

मुझे फिर लिखा कि इलस्ट्रेटिड वीकली के 2 मार्च, 1986 के अंक में राम स्वरूप का साक्षात्कार छापा गया है जिसमें रामस्वरूप द्वारा यह कहा गया बताया गया है कि वह (श्री जितेन्द्र प्रसाद) भी इंडो-जर्मन पार्लियामेंटरी ग्रुप के संयोजक थे। श्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि किसी भी सदस्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह सब समाचारों की खबर रखे और उनके बारे में खंडन प्रकाशित करे। श्री जितेन्द्र प्रसाद ने उस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की है जो उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली के संम्पादक को, इस बात से इंकार करते हुए लिखा है कि वे कभी भी उक्त इंडो-जर्मन पार्लियामेंटरी ग्रुप के संयोजक थे या कभी उन्होंने इसकी किसी बैठक में भाग लिया था। मुझे बहुत खेद है कि इस प्रकार के समाचार समाचार-पत्रों में छपते रहे और वह भी तब जबकि उनका खंडन किया जा चुका हो। मैं आशा करता हूँ कि इस संबंध में भविष्य में प्रेस अधिक सावधानी बरतेगा ताकि संसद सदस्यों के नाम आवश्यक रूप से विवादास्यद मामलों में न घसीटे जायें।

यह सर्वविदित है कि किसी संसद सदस्य के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग करने का मामला तब बनता है जबकि उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप इस सदन के सदस्य के रूप में उसके चरित्र अथवा आचरण से सम्बन्धित हो और वह "सभा में वस्तुतः हुए कार्य से उत्पन्न हुए मामलों पर आधारित हो" इसके अलावा, मैं समझता हूँ कि इस मामले में एक मात्र अभियुक्त हैं श्री राम स्वरूप सभरवाल और श्री जावेद सिदिकी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अतः, मेरी राय यह है कि चार्ज शीट में खाली सदस्यों के नाम का उल्लेख भरकर देने से विशेषाधिकार का उल्लंघन अथवा संसद की अवमानना का मामला नहीं बनता। अतः तत्कालीन गृह मंत्री अथवा आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री दोनों के संबंध में इस तरह का कोई मामला नहीं बनता। तदनुसार, मैं नियम 222 के अन्तर्गत इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं देता।

फिर भी, मैं यह कहूँगा जो बात मैंने सभा से 5 मार्च, 1986 को कही थी और जिसे मैं पुनः दोहराता हूँ वह यह है कि मैं सदन और इसके सदस्यों की गरिमा और सम्मान को कायम रखने के मामले में सभी सदस्यों के साथ हूँ। एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में संसद सदस्यों को बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत रूप से अथवा सार्वजनिक समारोहों के दौरान मिलना पड़ता है। निश्चित ही उनके लिए उस प्रत्येक व्यक्ति अथवा संगठन के चाल-चलन की जांच करना असम्भव हैं जिनके वे सम्पर्क में आते हैं। बिना किसी सबूत के यह कहना अत्यन्त घृणास्पद है कि ऐसी मुलाकात की पीछे बुरी भावनाऐं थीं या वह बुरे उद्देश्य से की गई थी। इससे अधिक धिक्कार की बात है आरोपों को सही पाये बिना ही उनका प्रचार करना। स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के हित में यह आवश्यक है कि इस तरह की प्रवृत्तियों को सख्ती से दबाया जाये। जनता की भलाई के लिए समाचार पत्र हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और हम उनकी उतनी ही स्वतंत्रता चाहते हैं जितना कि हम इस माननीय सदन के सदस्यों के अधिकारों के प्रति उत्सुक हैं। अतः मुझे पूर्ण आशा है कि समाचार पत्र ऐसे मामलों में पूरी जिम्मेदारी तथा सतर्कता के साथ कार्य करेंगे ताकि इस सभा की तथा इसके सदस्यों की एवं स्वयं प्रेस की गरिमा को कायम रखा जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इन आरोपों के लगाने वाले के बारे में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसमें सब कुछ कह दिया है। सावधानी बरतने के लिए कहे गए इन शब्दों के साथ तथा इस तथ्य के संदर्भ में कि संबंधित सदस्यों ने पहले ही सभा में अपनी

स्थिति को व्यक्तिगत स्पष्टीकरणों द्वारा पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है, मैं समझता हूँ कि मामले को यहीं समाप्त हुआ समझा जाये ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं ।

पो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आशा करता हूँ कि इस आदेश का अर्थ प्रेस के विरुद्ध चार्ज-शीट नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रेस हमारा ही एक अंग है ।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णमन् (बडागरा) : क्या आपने उनके कोई स्पष्टीकरण मांगा है ।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूँ । दो कुवैती नागरिकों.....

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले पर छानबीन कर रहा हूँ । मैंने पहले ही जानकारी मांगी है .....मैं मामले पर गौर कर रहा हूँ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ । यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : कई नाम छोड़ दिये गये हैं, इस बारे में मैंने नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु मैंने सब कुछ कह दिया है । मैं सदस्यों के बारे में कहना चाहता था.....

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने मेघालय से नेपालियों को भगाने के बारे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर पहले ही मैं कार्यवाही करवा रहा हूँ । मैं आपको बता दूँगा । आप मेरे पास आइये ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें यह मिल गयी है । मुझे नहीं मालूम कि आपने इसे देखा अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : हम देख लेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार कर रहा हूँ ।

प्रो० मधु दंडवते : अन्यथा उन्हें बर्खास्त कर दिया जायेगा । (**व्यवधान**)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है । हम इस पर गौर करेंगे ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब यह क्या है ?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : कृत्रिम रेशे की वजह से पश्चिम बंगाल तथा बिहार में जूट उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो हम देखेंगे । इसमें कोई कठिनाई नहीं है । मैं उनके हितों के प्रतिकूल नहीं हूँ । हम देखेंगे कि अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक सीधी मांग है जूट स्थान पर पोलिस्टर लाया जा रहा है । (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हम जो भी मामला उठाते हैं, आप कभी भी उसकी अनुमति नहीं देते । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपको अनुमति दूंगा । हम एक के बाद एक विषय ले रहे हैं । हम उस विषय पर भी आयेंगे । अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : मैं विदेश मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 2270/86]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पैट्रोलिय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1986-87 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2271/86]

रिहैबिलीटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुन्नालूर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनको सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रिहैबिलीटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुन्नालुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलीटेशन प्लांटेशन्स लिमिटेड, पुन्नालूर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2272/86]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधि-सूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा० का० नि० 483 (अ), जो 7 मार्च 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 136/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया हैं ताकि सज्जीदार पानी के रूप में कास्टिक सोडा पर विशिष्ट शुल्क लगाने की सुंजाइश को स्पष्ट किया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 485 (अ), जो 7 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 318-सी०शु०, I जुलाई, 1983 की अधिसूचना संख्या 197-सी० शु०, तथा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 86-सी० शु० 99-सी० शु० और 136-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 486 (अ), जो 7 मार्च, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 118-सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल० टी० 2273/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 489 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 11 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 53/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि आभूषणों की वस्तुएं और उनके भागों के विनिर्माण में प्रयुक्त सोने के स्ट्रिपों, तारों, शीटों, प्लेटों और फाइलों को उत्पाद-शुल्क से पूर्ण छूट दी जा सके।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 2274/86]

भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1986

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 फरवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 204 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 2275/86]

12.09 म. प.

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 13 मार्च, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

12.10 म० प०

सदस्यों के सामूहिक फोटो उतरवाने सम्बन्धी घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि 6 तथा 11 तारीख के लोक सभा समाचारों के माध्यम से बताया जा चुका है संसद सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ कल 20 मार्च, 1986 को 10.00 म०पू० पर संसद भवन में गेट नं० 1 तथा केन्द्रीय कक्ष के बीच लिया जायेगा।

माननीय मंत्रियों तथा सदस्यों से निवेदन है कि उक्त स्थान पर फोटो ग्राम के लिए ठीक प्रातः 9.45 बजे एकत्र हों।

सदस्यों की जानकारी के लिए पहली पंक्ति में बैठने का क्रम दिखाने वाला चार्ट संसदीय सूचना कार्यालय तथा बाह्य लॉबी में नोटिस बोर्डों पर दर्शाया गया है।

यदि 9 और 10 बजे के बीच उस दिन मौसम अनुकूल न हुआ तो ग्रुप फोटोग्राफ किसी बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

12.11 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ;

लोक लेखा समिति

26वां और 27वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कूरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ ।

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1981-82, संघ सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन के पैरा 62 के बारे में 26 वां प्रतिवेदन ।

(2) आयुध-कारखानों में उपकरण के उत्पादन में कमी, सामान-सूची तथा चल रहे संकर्मों से संबंधित समिति के 214 वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 27 वां प्रतिवेदन ।

निदेश 115 के अधीन वक्तव्य

(एक) सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 10 मार्च, 1986 को दी गई जानकारी के संबंध में

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम्) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, 10.3.1986 को माननीय कृषि राज्य मंत्री ने नियम 193 के अंतर्गत "देश के विभिन्न भागों में सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति" पर वाद-विवाद का उत्तर देते समय लोक सभा में निम्नलिखित बात कही थी :

> "तमिलनाडु में आए तूफान के संबंध में मैं स्वयं और मेरे अधिकारी टेलीफोन पर थे । मैं टेलीफोन पर था और मुख्य मन्त्री से बात करना चाहता था, परन्तु मुझे 9 बजे रात्रि को यह बताया गया कि वे सो रहे हैं, और उनके पी०ए० ने कहा : "मैं उनका पी०ए० हूँ । आप मुझसे बात कर सकते हैं । मेरे मुख्य मंत्री जी को जगाया नहीं जा सकता है ।" मैंने मुख्य मन्त्री के पी०ए० को बताया कि "यह साइक्लोन का मामला है और आपको निचली फार्मेशनों को अवश्य इसकी सूचना देनी चाहिये और इसीलिये मैं आपके मुख्य मंत्री से बात करना चाहता हूँ ।" उसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से बात की और उनको राज्य सरकार से यह कहने के लिये कहा कि वे संबंधित जिलो के कलैक्टरों को हिदायतें दें ताकि वे कार्यवाही कर सकें । इस प्रकार केन्द्र सरकार का तो यह रवैया रहा है ।"

मंत्री महोदय का उक्त वक्तव्य सही नहीं हैं क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर कभी बात नहीं की, नहीं उनके निजी सहायक ने उन्हें बताया कि मुख्य मंत्री 9 बजे रात्रि को सो रहे हैं। मुख्य मंत्री के आवास का टेलीफ़ोन सम्पर्क 23.10.85 से कट गया था जोकि 7.1.86 को पुनः चालू हुआ। चूंकि तूफाने के कारण मद्रास में धुंआधार भारी वर्षा हुई। मुख्य मंत्री का आवास स्थान पूरी तरह जल मग्न हो गया था तथा मुख्य मंत्री को 13.11.85 से 18.11.85 तक कन्नामारा होटल में टिकना पड़ा। तूफान के समय मुख्य मंत्री ने सामान्य स्थिति लाने के लिए सतर्कता पूर्ण सभी प्रयास किये थे तथा राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर किया गया था। तुरन्त राहत उपाय करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मुख्य मंत्री की प्रशंसा की है।

इन हालात में मेरा निवेदन है कि लोक सभा में 10 मार्च 1986 को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध जो उल्लेख किया गया उसे कृपया कार्यवाही वृतान्त से हटा दिया जाये।

कृषि और सहिकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अध्यक्ष महोदय, सूख तथा प्राकृतिक आपदाओं पर नियम 193 के अधीन चर्चा के दौरान मैंने यह बात कही थी :-

"आंध्र प्रदेश में साइक्लीन के पूर्वानुमान की सूचना मिलने पर मैं स्वयं तथा मेरे अधिकारी टेलीफोन पर....."

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : क्या बात है ? (**व्यवधान**)

यह नितान्त गलत बात है। (**व्यवधान**)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : *..... न बोलें। (**व्यवधान**)

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयाबाड़ा) : आपको त्याग पत्र देना चाहिये। (**व्यवधान**)

12.14 म० प०

(दो) सूखे तथा प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री द्वारा 10 मार्च, 1986 को दी गई जानकारी के संबंध में श्री पी० कुलनदईवेलू, संसद सदस्य, द्वारा उठाई गई बातों के उत्तर में

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : नियम 193 के अधीन सूखे और प्राकृतिक आपदाओं पर हुए विचार विमर्श के दौरान मैंने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकल दिया गया।

"आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के पूर्वानुमान की सूचना मिलने पर में स्वयं और मेरे अधिकारी टेलीफोन पर थे और में स्वयं मुख्य मंत्री से टेलीफोन पर बात करना चाहता था, परन्तु मुझे 9 बजे रात्रि यह बताता गया कि वे सो रहे हैं और उनके पी० ए० ने कहा "मैं उनका पी० ए० हूँ। आप मुझ से बात कर सकते हैं। मेरे मुख्य मंत्री जी को जगाया नहीं जा सकता है। जाहिर है कि मैंने मुख्य मंत्री के पी० ए० को बताया कि यह साइक्लोन का मामला है और आपको निचली फार्मेशनों को आवश्य सूचना देनी चाहिए। इसलिए मैं आपके मुख्य मंत्री से बात करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने अपने अधिकारियों से बात की और उनको राज्य सरकार से यह कहने के लिए कहा कि वे संबंधित जिलों के कलक्टरों को हिदायत दें ताकि वे कार्रवाई कर सकें।"

जब मैं सम्माननीय सदन में अपना वक्तव्य दे रहा था, मेरा अभिप्राय यही था। मैं निश्चय ही यह सहसूस करता हूँ कि मेरा वक्तव्य गलत ढंग से रिपोर्ट किया गया। मैं इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मंत्री महोदय के लिए यह बात ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता; वे क्या कह रहे हैं ?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह वक्तव्य मिथ्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें ऐसा कहने को नहीं कहा था।

(व्यवधान)

श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : आपको त्यागपत्र देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शान्त, शान्ति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में शान्ति रखें।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : मंत्री महोदय गलत बात कह रहे हैं। वास्तब में यह रिकार्ड में आ चुका है। मेरे पास सभा की कार्यवाही का रिकार्ड है कि मंत्री महोदय ने तमिलनाडु के साइक्लोन के बारे में यह कहा था। पूरा मामला तमिलनाडु के सोइक्लोन के बारे में था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी। कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे निदेश देना हैं। मैंने श्री कुलनईवेलु को अनुमति दी है। मैं उसी तरह आपको भी अनुमति दे सकता हूँ। मेरे सामने कोई कठिनाई नहीं है। यह उनके ऊपर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूँगा आप पुष्टि कराने के बाद मुझसे बात करें।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कृपया वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिये।

श्री सी० माधव रेड्डी : श्रीमन् कृपया, वक्तव्य को निकाल दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया रास्ते में न खड़े हो। अपने स्थानों पर चले जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : *.....शब्द संसदीय नहीं है। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप इस वक्तव्य को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दीजिये। यह जानबूझकर.....*.....

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके वक्तव्य को कार्यवाही वृतान्त से कैसे निकाल सकता हूँ ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसका खण्डन कर सकते हैं। आप निदेश 115 के अन्तर्गत मामला उठा सकते हैं। मैं आपको भी अनुमति दे दूँगा। मैं बुरा नहीं मानता। मैंने उनको अनुमति दी है। मैं आपको भी अनुमति दे दूँगा। मैं यह कर सकता हूँ।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : यह .....*.....

अध्यक्ष महोदय : .....*.....क्या है ? मैं कैसे जान सकता हूँ उन्होंने कहा और मैंने उन्हें अनुमति दे दी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहते हैं मैं उसकी अनुमति दूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई तापमापक यन्त्र नहीं है। श्री कुलनदेई वेलु ने उनके वक्तव्य को चुनौती दी थी और मैंने उनको अनुमति दे दी। यदि आप उनके वक्तव्य को चुनौती देंगे तो मैं आपको भी अनुमति दे दूँगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उन्हें पद त्याग देना चाहिये।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : इसे सभा के समक्ष रखिये ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : आप इसका खण्डन कर सकते है । मैं आपको अनुमति दूँगा ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अधीन मैं आपको अनुमति दूँगा । आप अपना फर्ज पूरा कीजिये मैं आपको नहीं रोकूँगा ।

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूँगा ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने रोका है····

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : उनके लिए उचित नहीं होगा, मुख्य मंत्री को, चाहे वह तमिलनाडु का हो····**(व्यवधान)**····अगर 11-12 बजे फोन करके उठाएं, तो ऐसी बात····**(व्यवधान)**····

अध्यक्ष महोदय : आप 115 में करिए····।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह सब उन पर निर्भर है । मैं कुछ नहीं कह सकता ।

एक माननीय सदस्य : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अरुण सिंह ।

12.18. म० प०

इस समय श्री सी० माधव रेड्डी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.18. म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडट कोर के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राष्ट्रीय कैडट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपलब्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय कैडट कोर के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियमके अन्य उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष तक की अवधि के लिये राष्ट्रीय कैडट कोर के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.19 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश में बस्तर जिले में बनों की कटाई रोकने के लिये और इसके बजाय जिले के उपभोक्ता भंडारों को बोधघाट बुहान से लकड़ी सप्लाई करने की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

श्री मनकूराम सोढी (बस्तर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत में निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं :—

"मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, आज की उत्पन्न स्थिति में 10 वर्ष पीछे देखा जाए, तो उस हिसाब से बहुत तेजी से जंगल कट रहा है यदि आज की इस रफ्तार को चालू रखा गया, तो निश्चय ही आगामी 10 वर्षों में समूचा बस्तर मरुस्थल का रूप धारण कर लेगा। जंगल कटने में तीन प्रकार का दवाब लगातार पड़ रहा है जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए :—1. भूमि के अतिक्रमण की प्रवृत्ति, 2. शासकीय योजना में क्षेत्र आने पर तथा 3. आय की दृष्टि से शासन द्वारा दोहन तथा सामान्य बाजार में इमारती लकड़ी की खपत की पूर्ति हेतु। इन तीनों आयटमों को रोकने की आवश्यकता है और निश्चय किया जाए तो रोका जा सकता है। स्थानीय लोगों की जलाऊ तथा किसानों की निस्तार सुविधा को बिगड़ने को सुधारने की योजना से पूरा किया जा सकता है और शासन की आय को बरकरार रखने तथा इमारती लकड़ी का बाजार खपत को पूरा करने की दृष्टि से एक ही जगह बोधघाट जल परियोजना में जितने भी लकड़ी डुबान एरिया से काटनी पड़ेगी, उसी में बाजार की खपत और स्थानीय जलाऊ को भी पूरा किया जा सकता है जिससे पूरे बस्तर जिले में, कहीं भी खड़े झाड़ की इमारती लकड़ी को काटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और मौजूदा झाड़ खड़े रह सकते हैं। इसमें पर्यावरण की आवश्यकता को खड़े झाड़ से सहयोग मिलता रहेगा।

अतः इस समस्या पर मेरा केन्द्र शासन से अनुरोध है कि राज्य शासन को ये निर्देश देवें कि बस्तर जिले में लगातार 5 वर्ष तक एक भी खड़ी इमारती लकड़ी न काटी जाए तथा जो निस्तार के लिए उपजाऊ, बांस, बल्ली, किसानों के लिए हल-बक्खर की बोधघाट डुबान एरिया से ही लेकर पूरे जिले की उपभोक्ता जलाऊ भण्डारों को सप्लाई की जाएं।

12. 20 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(दो) गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125 वीं जयन्ती मनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की 125 वीं जयन्ती मई 1986 में मनाई जायेगी। श्री टैगोर की कृतियों का हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने के लिये विश्व भारती 10 लाख रुपये का प्रस्ताव कर चुकी है।

सरकार को भारत तथा विदेश के हर भाग में इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहिये। नई दिल्ली में एक टैगोर अकादमी की स्थापना की जाये जिससे भारतीय संस्कृति, दर्शन, संगीत और विज्ञान की शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर तक दी जाये अथवा टैगोर के नाम पर क्षेत्रीय केन्द्र भारत के दक्षिण, उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भाग में स्थापित किया जाये जिससे सभी वर्ग के लोग टैगोर के बारे में जान सकें।

उनकी प्रमुख कृतियों के आधार पर "राष्ट्रीय एकता, विश्व, शांति और मानवता" के सम्बन्ध में टैगोर की भूमिका उच्च शिक्षा के प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक नियमित विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में आकाशवाणी की पत्रिका 'वेतार जगत' का प्रकाशत पुनः चालू किया जाये और एक टैगोर विशेषांक प्रकाशित किया जाये। मानव संसाधन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मिलजुल कर एक कार्यक्रम तत्काल तैयार करना चाहिए।

जयन्ती समारोह की अवधि में टैगोर की कला और संगीत का प्रदर्शन दूर दर्शन के माध्यम से किया जाना चाहिये।

(तीन) उड़ीसा में कोणार्क, भुवनेश्वर, पुरी और भारत की सांस्कृतिक धरोहर वाले अन्य मंदिरों का अनुरक्षण, संरक्षण और उनका जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता

श्री बृजमोहन मंहती (पुरी) : भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कोनार्क मन्दिर, भुवनेश्वर मन्दिर, पुरी मन्दिर का अनुरक्षण और संरक्षण करता है। इन मंदिरों का ऐतिहासिक महत्व है तथा ये मंदिर उड़ीसा की परम्परागत उच्च संस्कृति के द्योतक हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश पुरातत्व के हर संभव प्रयत्न के बावजूद कोणार्क मंदिर तथा इसके स्मारक और मूर्तियां दिन-प्रति प्रतिदिन विछवन्स होती जा रही है। मन्दिर के चारों तरफ का विकास करने के लिए परियोजनायें कारगर ढंग से नहीं बनाई जा रही है। भारत सरकार को इसके लिए शीर्षस्व विशेषज्ञ तैनात करने चाहिये जो यह सुझाव दे सके कि मंदिर, स्मारकों और मूर्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है जिससे उन्हें और अधिक क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

जगन्नाथ मन्दिर के नवीकरण का कार्य चल रहा है। मंदिर के कुछ भागों का प्लास्टर हटाया जा रहा है और मूल वस्तुकला मूर्तियां खुले में पड़ी हैं। सरकार को चाहिये कि नवीकरण कार्य को शीघ्र पूरा कराये।

पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ के बगीचे का रख-रखाब ठीक से नहीं हो रहा है। सरकार इसके लिये अपनी पर्यवेक्षक एजेन्सी तैनात करे तथा उसे मंदिर का दौरा करने तथा नवीकरण कार्य और बगीचे की जांच करने को कहे तथा बगीचे का सुधार करने तथा नवीकरण के कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिये समुचित कदम उठाये जायें।

भुवनेश्वर के अनेक मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन पर पूरा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

पुरी जिले के कृष्णप्रसाद खण्ड के मणिकापटना गांव में सतपुरा के निकट एक मंदिर है। इस मंदिर के साथ एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है कि भगवान जगन्नाथ ने यहां कांची जाते समय अपनी अंगूठी के बदले दही लिया था। यह मंदिर पुरातत्व महत्व के लिए अत्यधिक विख्यात है। मेरा अनुरोध है कि अपने पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर का अनुरक्षण और संरक्षण कराने के लिये सरकार इसको अधीगृहीत करले।

(चार) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी भारत का, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का, संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी भारत का विकास परिषद् की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री आशुतोष साहा (दमदम) : महोदय, पश्चिम बंगाल के नगरों और शहरों का विकास संतोषजनक नहीं है तथा दुर्भाग्यवश विकास का लाभ जन साधारण को नहीं मिल रहा है यद्यपि इस कार्य के लिये राज्य सरकार हर वर्ष बहुत सारा धन व्यय करती है जिसका अधिकांश भाग केन्द्रीय सरकार से दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में योजनाबद्ध शहरी विकास कार्यक्रम सर्वथा असफल रहा है जिसका कारण तीन विकासशील एजेन्सियों में आपस में समन्वय की कमी है; वे एजेन्सियां हैं नगर तथा ग्राम विकास विभाग, स्थानीय शासन तथा शहरी विकास विभाग एवं महानगर विकास विभाग अर्थात् सी. एम. डी. ए.।

नगरों तथा शहरों का वृहद विकास कार्य पूर्वी भारत विकास परिषद् को सौपा जाना चाहिये जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और आसाम को मिलाकर गठित की गई है। इस उच्च शक्ति प्राप्त निकाय का गठन पूर्वी भारत के विकास में क्षेत्रीय असमानता दूर करने तथा नगरों और शहरों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। पूर्वी भारत के सन्तुलित विकास की सुनिश्चित करने के लिए सातवीं योजना अवधि में विकास कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों की विकास योजनाओं पर विचार करने तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिये इस प्रकार की विकास परिषद की तत्काल आवश्यकता है।

(पांच) सेन्ट थामस माउण्ट एवं पल्लावरम छावनी बोर्ड, मद्रास के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्रीमती वैजन्तीमाला बाली (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मद्रास का सेन्ट थामस माउण्ट-एवं पल्लावरण छावनी बोर्ड, सैनिक प्रतिष्ठान के क्षेत्राधिकार मे है और इसे आवश्यक जन-सुविधाओं यथा पेय जल, स्वास्थ्य, रोशनी, सड़क रखरखाव आदि की देखरेख करनी पड़ती है। इस छावनी बोर्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिक तथा सैनिक कर्मचारी निवास करते हैं।

पेय जल की व्यवस्था करने के लिये केन्द्र सरकार ने इस बोर्ड को 70 लाख रुपये की राज सहायता दी थी कि इस पैसे को उचित रूप से व्यय नहीं किया गया।

यहां की सड़कों, गलियों की रोशनी और नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस बोर्ड के पास पर्याप्त स्टाफ है तथा सफाई के लिये अन्य सुविधायें भी इसे प्राप्त हैं, परन्तु फिर भी सफाई का कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता जिससे जनता के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है।

चिकित्सा सुविधा भी असंतोष जनक हैं। यहां केवल एक एम्बूलेंस है और वह भी जनता को सुलभ नहीं हो पाती है। मूल्य निर्धारण के मामले में बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

छावनी के कर्मचारी सम्पदा एजेंटों से मिलकर खाली स्थानों का सर्वेक्षण कराते हैं जो सरकारी है और ऐसे खाली स्थानों को बेच देते हैं जिससे केन्द्रीय सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।

इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाये और थामस माउण्ट-एवं-पल्लागरम् छावनी बोर्ड की असंतोषजनक दशा में सुधार किया जाये ।

(छह) बंगलौर में आयोजित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले विकलांग प्रत्याशियों के लिए की गई बैठने की व्यवस्था की जांच करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए बंगलौर शहर में रविवार, 2 मार्च, 1986 को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की थी । परीक्षा श्री जगदगुरु रेनुकाचार्य कालेज, बंगलौर में भी हुई थी । दो विकलांग लड़कियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय यह अनुरोध किया था कि उनके लिए भूमितल पर बैठने की व्यवस्था की जाए । उनके अनुरोध करने के बावजूद बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की परवाह नहीं की । इससे विकलांग आवेदकों के प्रति प्रधिकारियों के खैया का पता चलता है । बंगलौर शहर से प्रकाशित लगभग सभी समाचारपत्रों में एक चित्र प्रकाशित हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि तीसरे तल पर स्थित परीक्षा भवन से किस प्रकार से विकलांग लड़कियों को नीचे लाया जा रहा था ।

इस मामले में कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

(सात) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रेशम उत्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पर्याप्त धनराशि आंवटित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : महोदय, शहतूत उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है । आन्ध्र के अकेले अनन्तपुर जिले इसकी 80 प्रतिशत खेती में होती है । यह सभी जानते हैं कि यह पुराना सूखापीडित क्षेत्र है और शहतूत की खेती इस क्षेत्र के लिए वरदान है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने शहतूत की खेती को सुधारने के लिए इस जिले की सहायता नहीं की है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास विशाल धनराशि है जिसे शहतूत की खेती को सुधारने और विकास पर खर्च किया जा रहा है । अतः अनुरोध है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को निम्न अनुसार शहतूत की खेती को सुधारने के लिए इस जिले को पर्याप्त धनराशि आंवटित की जाए :

1. कुँओं या नलकूपों को और गहरे खोदने के लिए किसानों को ऋण
2. प्रारंभिक स्तर पर रेशम के कीड़ों के लिए आदान की सप्लाई के लिए आर्थिक सहायता ।
3. प्रारंभिक स्तर पर रेशम के कीड़ों के लिए कमरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता ।
4. अच्छे किस्म से उन्हें बिछाने के लिए 'लेंइग' की सप्लाई के लिए पर्याप्त धनराशि आंबटित की जाए ।
5. लेइंग के क्षेत्र बीज का सुधार

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

6. अंडों की नस्ता का परिवर्तन
7. इस क्षेत्र में में बाइवोलाटेन जी को रखने को शुरू करना तथा बीज क्षत्र का सुधार ।
8. 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता पर रेशम बोर्ड द्वारा किसानों को एम० एस० किस्म के शहतूत की सप्लाई ।

मैं अनुरोध करता हूँ कि रेशम उत्पादन के उपर्युक्त सुधारों के लिए केन्द्रीय मिल्क बोर्ड को पर्याप्त धनराशि आंवटित की जाए ।

[हिन्दी]

(आठ) कानपुर से बम्बई तक और दिल्ली से लखनऊ तक नई रेल गाड़ियां चलाने और कानपुर के लिए राजधानी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्न-लिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ :

कानपुर महानगर उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है जहां से हजारों यात्रियों को रेल द्वारा बम्बई, दिल्ली व लखनऊ जाने के लिए अनेकों तकलीफों का सामना करना पड़ता है । अतः कानपुर से बम्बई तथा दिल्ली के लिए एक-एक नई ट्रेनों को चलाया जाना चाहिए तथा लखनऊ के लिए भी एक फास्ट ट्रेन प्रातः चलाना आवश्यक है । दिल्ली के लिए 91 व 92 प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में वातानुकूल व प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में शयनयान में अतिरिक्त सीटें बढ़नीं चाहिए अथवा एक डिब्बा कानपुर से अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी का लगना चाहिए । राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली तथा हावड़ा के लिए अतिरिक्त सीटों का कोटा बढ़ाना चाहिए ।

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

[जारी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 76 पर चर्चा और मतदान करेगी । इसके लिए 6 घण्टे का समय नियत किया गया है । सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों के सम्बन्धी में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट

के भीतर सभा-पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्ही कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरन्त सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो वह कृपया उसे अविलम्ब सभा-पटल पर अधिकारी को ध्यान में ला दें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 76 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1986-87 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
76.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	21,38,000	1,26,30,79000	1,06,04,00	2,13,22,94000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विजय रामाराव बोलेंगे।

डा० जी० विजयरामाराव (सिद्दिपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने के लिए दिए गये समय के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियन्त्राधीन अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूँ।

महोदय, हमारे देश में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य सम्बन्धित उत्पाद तथा हाइड्रो कार्बन सहित कच्चे तेल के क्षेत्रों में हमारी बहुत विकट और त्रुटिपूर्ण स्थिति हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय देश में तेल की खोज। उत्पादन, आयात, और निर्यात, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, तेल को परिष्कृत करने पेट्रोलियम उत्पादों तथा पेट्रोकेनिकल उद्योग वितरण और विपणन का प्रबन्ध देखने के लिए जिम्मेदार है।

[डा० जी० विजय रामाराव]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इण्डिया लिमिटेड तथा अन्य तेल कम्पनियां तेल की खोज के काम में दूसरे देशों में इसी प्रकार की कम्पनियों की तुलना में पिछड़ गई है। पिछले 3 वर्षों में हमने लगभग 1,000 करोड़ रुपए तेल की खोज के काम में खर्च किये। कुछ तेल कम्पनियों द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने में भारी कमी रही है ऑयल इण्डिया लिमिटेड के मामले में यह कमी 90% तक आई। तेल की खोज में 69% तक पीछे है। तेल की खोज के काम के लिए इस समय 53, कूप खनन सयन्त्र काम कर रहे हैं। पूरी 7 वीं योजना में लगभग 29000 किलो मी० लाइन तथा 12 कुओं को भी खोदने का भूकम्पीय कार्य के लिए प्रस्ताव है। परन्तु मुझे सन्देश है कि क्या तेल कम्पनियां लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य कर पायेंगी।

महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय बम्बई में है और इस कारण वह समूचे देश में तेल की खोज के कार्य की निगरानी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अतः मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि ओ एन जी सी को 5 भागों में विभाजित किजा जाना चाहिए एक भाग दक्षिण-पूर्व, दूसरा दक्षिण पश्चिम, और एक भाग उत्तर की दिशा में तथा शेष दो भागों को उत्तर-पूर्व और उत्तर पश्चिम में कार्य देखने के लिए रखा जाये ताकि पूरे देश में वे तेल की खोज की निगरानी निरन्तर रख सके।

महोदय, हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। 1983-84 में यह 3·4 प्रतिशत था और 1984-85 में यह 7·4 प्रतिशत था तथा 1985-86 में यह 6·5 प्रतिशत है। 1983-84 की तुलना में यह अब लगभग दुगना है। 1983-84 के बाद जब 1985-86 के साथ तुलना की जाती है तो यह लगभग दुगना है—मांग करीब करीब दुगनी है लेकिन कच्चे तेल तथा अन्य पेट्रोलियम रसायनों का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है।

यहां मैं कच्चे तेल के वर्षवार उत्पादन का उल्लेख करना चाहता हूँ। 1982-83 में कच्चे तेल का उत्पादन 2106 लाख टन था, 1984-85 में यह 2809 लाख टन था और 1985-86 में यह 2994 लाख टन है। लेकिन कच्चे तेल की मांग अधिक है। 1982-83 में 3726 लाख टन थी। 1983-84 में यह 3853 लाख टन थी और 1984-85 में यह 4139 लाख टन थी। और शुरू से इसमें भारी कमी रही। यह 1982-83 से 1984-85 तक 162 लाख टन से 124 लाख टन के बीच में है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए हमें प्रतिवर्ष अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है। 1986-87 में हमें 156 लाख टन कच्चे तेल का आयात करना होगा। 1985 में 138 लाख टन आयात किया गया और 1984 में यह 159 लाख टन था। अतः अन्य देशों से किये जाने वाले इस आयात से बचने के लिए, विदेशी मुद्रा की बचत के लिए हमें अपने देश में कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार करना होगा।

महोदय, हमारे देश में तेल की खोज के लिए नवीनतम तकनीक नहीं अपनाई गई है। अन्य देशों में ट्राजिशनल ड्रिलिंग जैसी कुछ विकसित तकनीक का प्रयोग किया गया है जबकि भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसी तरह यदि आप अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात करते रहते हैं तो हमारे देश को धन की हानि होती रहेगी। उसके लिए हमें कच्चे तेल के मामले में कुछ विकल्प की व्यवस्था करनी होगी। अन्य देशों में वे लोग परिवहन के लिए वाहनों में 20 प्रतिशत एथाइल अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं जबकि

हमारे देश में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है और यही विषय दोनों सदनों में कई बार उठाया गया था। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। उसी तरह, लिविन्वड पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस से भी उपलब्ध है, जो पेट्रोलियम की जगह स्तेमाल किया जा सकता है। अतः पेट्रोलियम के स्थान पर हम देशी कच्चे तेल या लगभग 100 लाख टन आयतित कच्चे तेल से निकालते हैं उस 100 लाख टन में से केवल 45 लाख टन भाग को जनता के उपयोग के लिए दिया जा रहा है और 65 लाख टन का पेट्रोलियम से नेरथा तथा अन्य उर्वरकों को कम कीमत पर बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अतः पेट्रोल के दाम बढ़ाने से जनता में डीजल की मांग बढ़ गई है। यदि आप पेट्रोल के दाम कम करते हैं तो देश में उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों का सही इस्तेमाल होगा और इसके डीजल की खपत में कमी आएगी। उसी प्रकार हम डीजल के आयात से बच सकते हैं और हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जो हमारे देश से बाहर जाती है। इसलिए मैं उस कारण को नहीं जानता हूँ कि पिछले दो महीनों में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों को क्यों बढ़ाया है।

प्राकृतिक गैस, लिविवड पेट्रोलियम गैस जैसी गैसों को मिलाने के लिए कोई उचित प्रयास नहीं किए गए हैं। हमारे देश में हमारे पास प्राकृतिक गैस की प्रचुर मात्रा है। लगभग 1·2 करोड़ रुपए की प्राकृतिक गैस प्रतिदिन जल कर नष्ट हो जाती है। इस प्राकृतिक गैस का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्राकृतिक गैस को कम कीमत पर लिक्विड पेट्रोलियम में परिवर्तित किया जा सकता है। जहां हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं वहां इस एथलीजी का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बहुत संसाधन हैं परन्तु लिक्विड पेट्रोलियम गैस को भरने तथा उसका वितरण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता है। हमारे पास खाली सिलेण्डरों को बनाने के लिए मूल सुविधाएं हैं। हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जो एल पी जी की सुविधा के लिए बाजार में दुःखी हैं। परन्तु हम प्राकृतिक गैस को एकत्र नहीं कर सके हैं और प्राकृतिक गैस को नहीं भर सके हैं तथा जरूरतमंद लोगों में प्राकृतिक गैस का वितरण नहीं कर सके हैं।

प्राकृतिक गैस को एल पी जी के रूप में परिवहन के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य देश में एल पी जी के परिवहन के लिए तथा ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जा रहा है। भारत में; मद्रास में पल्लवन परिवहन निगम और तनदाई पेरियर परिवहन निगम के लोगों ने पहले से ही ऑटोमोबाइल में एल पी जी के उपयोग के लिए गहन परीक्षण किए हैं और उन्हें सफलता मिली है। इसमें केवल 'ट्रांजीशनल किट' की आवश्यकता होती है और इंजिन के मॉडल या ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। साधारणतः ट्रांजीशनल किट के साथ हम वाहनों के लिए एल पी जी का उपयोग सकते हैं और आप करोड़ों रुपयों की बचत कर सकते हैं। इसलिए हम सभी परिवहन निगमों में एल पी जी के उपयोग की बात का समर्थन कर सकते हैं। उद्योगों में धातु को काटने के लिए, भट्टी के लिए भी ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग किया जा सकता है और जेनरेटरों को चलाने के लिए डीजल के स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग अन्य तरह से भी किया जा सकता है।

लेकिन एल पी जी के भरने में कुछ समस्या हैं। बोरलिंग संयंत्र को स्थापित करने के लिए सामान्य रूप से 3 से 5 वर्ष लगते हैं। हमारे पास तेल कम्पनियों के पास पर्याप्त बोरलिंग

[डा० जी० विजय रामाराव]

संयन्त्र नहीं है। कई बोरलिंग संयंत्रों को शुरू करने से कई लाभ हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि सरकार सरकारी क्षेत्र से या निजी क्षेत्र में कुछ अधिक बोरलिंग संयंत्र शुरू करें ताकि एल पी जी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके।

14·2 किलोग्राम के लिक्विड पेट्रोलियम गैस की सिलेण्डर की लागत केवल 8 रुपए प्रति सिलेण्डर है। परन्तु आप लगभग 58 रुपए लेते हैं। शेष राशि केवल भरने तथा परिवहन के लिए है। कृपया इस बात को तो देखें कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कितनी सस्ती है।

अतः एल. पी. जी. के समस्त कार्य संचालन हेतु एक अलग निगम की सर्वथा आवश्यकता है। अकेले उसी से इस महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र में द्रुत विकास को सुनिश्चित हो सकेगा। विद्यमान एल. पी. जी. डीलर और बिक्री केन्द्र केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी है। 20,000 या 50,000 जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र और नगर अभी तक एल. पी. जी. कनेक्शन के लिए इन्तजार कर रहे हैं। विद्यमान बिक्री केन्द्र अपेक्षित स्तर पर भी कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि, आप सही मायने में पेट्रोल और डीजल की जगह एल.पी.जी. प्रयोग करें तो हम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में धन और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। हम वन सम्पदा की भी बचत कर सकते हैं। हम दूसरी प्रकार की ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं।

मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सभा में पेट्रोलियम मन्त्रालय से सम्बन्धित मांगों और अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, इस बात के कारण कि संसार भर में कच्चे तेल की कीमत में काफी कमी आई है और दूसरे, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग में 1984–85 में विकसित देशों में करीब-करीब उतनी ही खपत हुई है जितनी 1980 में थी। अतः इस विषय को अत्यधिक महत्ता प्राप्त की है। यह सच है कि हमारा देश एक विकासशील देश है और इस कारण पेट्रोलियम उत्पादों, चाहे ये पेट्रोल या डीजल या एल. पी. जी. या नेप्था आदि हों, की मांग अधिकाधिक बढ़ रही है और इसी वजह से यह विषय हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखता है।

गत वर्ष हमने अकेले लगभग 4500 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। छठी योजना काल में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा है और ऑयल इन्डिया, ओ. एन. जी. सी. और पेट्रोलियम मन्त्रालय को उत्पादन में 1980–81 के 10·5 मिलियन टन से 1984-85 में 28·99 मिलियन टन तक की बढ़ोतरी करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इस तेल का 1985–86 में 29·94 मिलियन टन उत्पादन होने की सम्भावना है और सातवें योजना काल (1989–90) के दौरान इसमें 34·53 मिलियन टन की वृद्धि का अनुमान है। तेल संसाधनों से अधिक तेल की उपलब्धि होने के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। हम समझते हैं कि ओ. एन. जी. सी. की बम्बई हाई में समुद्र तट के पास तेल निकालने की योजनाएँ हैं और गंधार तेल क्षेत्रों में भी तेल मिला है। परन्तु, इसके अलावा 1989–90 में तेल का वास्तविक उत्पादन अधिक भी हो सकेगा। ओ. एन. जी. सी. और ऑयल इण्डिया ने इस प्रकार अच्छा कार्य किया है और उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

लेकिन कच्चे तेल की कीमत में तेजी से गिरावट आने से सरकार को चाहिए कि वह देखे कि किस सीमा तक आयात में तेजी लायी जाये और हमारा कच्चा तेल इसके लिए आधार प्रदान करने हेतु सुरक्षित रखा जाये, तो यह किफायती हो सकता है। यह सुविदित है कि हमारे देश में तेल के भंडार सीमित हैं और फिर भी हम तेल निकाले जा रहे हैं। हम इसके नये स्रोतों को नहीं ढूंढ पाये हैं और इस संदर्भ में मैं पेट्रोलियम मन्त्री का ध्यान विशेषत : उस गतिविधी की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जो कि कुछ क्षेत्रों का नियतन यह देखने के लिए किया जा रहा है कि क्या वहां तेल प्राप्त हो सकेगा और वहां इसकी खोज भी हो सकेगी, जैसे कि विगत में इस बारे में प्रयास किये गये हैं। कुछ कम्पनियां आगे आयीं थीं मगर फिर पीछे हट गयीं। इसलिए यह विशेष मुद्दा अत्यधिक महत्व रखता है और हमें इन विदेशी तेल कम्पनियों से दुबारा बात चीत करनी चाहिए और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय शर्तों पर यहां कार्य करने के लिये बुलाना चाहिए। यदि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय शर्तें पेश नहीं की जाती हैं तो कोई भी तेल कम्पनी सफल न हो पायेगी और नहीं ज्यादा देर तक इस कार्य को करने के लिए ठहर पायेगी। यह बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

गैस के भंडार काफी हद तक बढ़े हैं और लगभग तेल के ही बराबर हो गये हैं। हमें इन आंकड़ों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए क्यों कि गैस निर्यात नहीं की जा सकती है। हम विशेषत: भारत में इस स्थिति में नहीं हैं कि इसे नियति कर सकें। सरकार द्वारा गैस को केवल उर्वरक सयंन्त्रों के लिए उपयोग करने की बात के बारे में पुन: विचार किया जाना चाहिए, और मैं समर्थन करूंगा इस बात का कि अगले 30 वर्षों तक यह काफी होगा यदि गैस के भंडार का अगले दो या तीन दशक तक उर्वरक संयन्त्रों के लिए प्रयोग किया जाये और जो भी शेष गैस बचे उसका बिजली उत्पादन के लिए सावधानी पूर्वक प्रयोग किया जाये क्योंकि इस प्रकार के संयन्त्र जो गैस से चलते हैं, तुलनात्मक रूप से सस्ते होते हैं। वे अपेक्षतया: कम समय में ही लगाये जा सकते हैं और इस वजह से यह अधिक लाभ प्रद होगा यदि हम इस अतिरिक्त गैस को बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग करें। गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र की लागत ही केवल कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्र से कम ही नहीं पड़ती परन्तु यह बहुत कार्य कुशल भी है और कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्र की तुलना में उससे आधे समय में स्थापित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार इस देश में गैस प्रचुर मात्रा में पाई जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में जी० ए० आई० एल० की स्थापना हेतु सरकार द्वारा की गई पहल का मैं स्वागत करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि एच० बी० जे० पाईप लाईन के निर्माण पर न केवल पूरा ध्यान देने दिया जाये, इसके अतिरिक्त इसे शीघ्र पूरा कर देना चाहिए और सरकार को दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि यह कहां दिया जाना है। परन्तु इसे शीघ्र निपटा देना चाहिए। यह मेरा निष्ठा पूर्ण निवेदन है।

अत: जी० ए० आई० एल० को गैस की ढुलाई एवं उपयोग में भी दक्षता प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब तक इस सम्बन्ध में पूर्व योजना नहीं बनाली जाती है, तब तक पता लगाली गई गैस को लम्बी अवधि तक उपयोग में न लाकर शायद हम इतिहास को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सरकार, तेल पदार्थों को आयात करने की अपेक्षा एल० एन० जी० और एल० पी० जी० जहां कहीं भी बहुत किफायती मिलती हो। उनके आयात पर भी विचार कर सकती है। संसार में तेल सम्बन्धी बदलते हालात साथ ही सभी विकल्पों का लाभ उठाया जाना चाहिए।

[श्री प्रकाशचन्द सेठी]

पैट्रोलियम पदार्थों की मांग 1980-81 में 3090 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 3863 लाख टन टन हो गई है। छठी योजना अवधि के दौरान पैट्रोलियम पदार्थों की खपत पर नियन्त्रण रखा गया था 9% प्रति वर्ष के लक्ष्य को तुलना में 6% प्रतिवर्ष से कुछ ही अधिक विकास दर प्राप्त की जा सकी फिर भी, 1985-86 में 400 लाख टन खपत होने का अनुमान है जो सातवीं योजना के अनुसार रखे गये लक्ष्य से कुछ अधिक है। इसकी 1989-90, जो योजना का अन्तिम वर्ष है, में 52620 लाख टन हो जाने का अनुमान है। हमारी पेंट्रोलयम की खपत विकसित देशों में होने वाली खपत का अंश मात्र है। अत : इसका बढ़ना निश्चित है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पैट्रोलियम पदार्थों की खपत कुशल एवं किफायती ढंग से की जाये। पैट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसियेशन बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है परन्तु इस दिशा में कहीं अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

मैं इस बात की सख्त आवश्यकता महसूस करता हूं कि सभी प्रमुख तेल की खपत करने वाले एककों में उर्जा का लेखा परीक्षण लागू कर दिया जाना चाहिए। उर्जा के लेखा-परीक्षण के पश्चात् तेल की खपत बढ़ाने के लिए एक योजना निर्धारित कर लेनी चाहिए और सुझावों को कार्यरूप देने के लिए उपभोक्ता को तकनीकी एवं वित्तीय, सभी प्रकार की सुविधायें, प्रदान की जानी चाहिये। जब तक दर एक एकक पर ध्यान देने की प्रणाली नहीं अपनाई जाती, हम उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकते और वास्तव में अर्थव्यवस्था में तेल की मात्रा बढ़ सकती है। बाद में जब हमारी अर्थ-व्यवस्था का विचारणीय विस्तार हो जायेगा, की अपेक्षा ठीक इसी समय उचित उर्जा बचत तरीकों को प्रयोग में लाना बेहतर है।

मध्य आस्रुतों, जैसे मिट्टी का तेल और डीजल, की खपत में विचारणीय वृद्धि हुई है। जहां तक केरोसीन का संबंध है या तो यह खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होता है या रोशनी करने के लिए। केरोसीन का प्रयोग खाना बनाने लिए यथेष्ट मात्रा में किया जा सकता है बशर्ते कि हम उन्नत केरोसीन के चुल्हे प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत करें। यदि आवश्यक हो तो इनकी कीमत कम कर देनी चाहिए। जहां तक केरोसीन के प्रयोग का सम्बन्ध रोशनी से है, विशेषतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका प्रयोग तब तक होता रहेगा जब तक कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपकरणों का विद्युतीकरण करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं। परन्तु साथ साथ हमें केरोसीन लालटेनों में सुधार के लिए शोधकार्य तेज करना चाहिए ताकि मिट्टी के तेल के प्रयोग में किफायत काफी हद तक बढ़ाई जा सके।

डीजल के सम्बन्ध में जो प्रमुख रूप से सिचाई के पम्प सैटों में और परिवहन के लिए प्रमुख होता है, हमारे देश में 40 लाख सिचाई पम्प सैट हैं और विशेषज्ञों के अनुसार थोड़े से निवेश से, डीजल तेल की 20% से 30% तक बचत सम्भव है। यहां फिर एक बात विचारणीय है। पैट्रोलियम मन्त्रालय इस पर बहुत अरसे से विचार कर रहा है परन्तु उनको सफलता नहीं मिली है। मिट्टी के तेल की खपत बहुत बढ़ रही है क्यों कि इसे डीजल के साथ मिलाया जा रहा है। इस लिए मिट्टी के तेल की खपत बहुत अधिक है। इस में रंग मिलाकर पेश करने का प्रयत्न किया था परन्तु प्रयत्न सफल नहीं हुआ है। इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए और केवल

एक ही बात सम्भव प्रतीत होती है कि डीजल की कीमत मिट्टी के तेल की कीमत के बराबर लानी चाहिये जो डीजल में इसे मिलाने से रोकने में सहायता कर सकती है। ये मिलावट घना धुंआ छोड़ती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसलिए यह दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । जबकि मैं यह कह रहा हूं कि इसे बराबर लाना चाहिए डीजल की कीमत को कम करना कठिन होगा। यह भी सत्य है कि मिट्टी के तेल का प्रयोग सबसे गरीब लोगों द्वारा किया जाता है इसलिए मिट्टी के तेल की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि भी सम्भव नहीं होगी। इसलिए यह एक अभ्यास है जो वैज्ञानिक शोध द्वारा विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाना है।

इसी प्रकार वाहनों चालन में सुधार एवं वाहनों के रख रखाव के तरीकों से परिवहन ट्रकों में 10 से15% तक बचत सम्भव है। जैसा कि विकसित देशों में है हमें ट्रकों के ढांचों, उन्नत एंजिन, उन्नत बैट्री तथा उन्नत टायरों, जैसे दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा चाहें तो महत्वपूर्ण बचत हो सकती है । मुझे मालूम है कि कुछ देश इस उद्देश्य के लिए कोयले का भी प्रयोग करते हैं।

हमारे देश में कोयले के विशाल भंडार है और क्या इन भंडारों का खनन सम्भव है और क्या यह किफायती है, यह एक अन्य संगत प्रश्न है, जिस की पेट्रोलियम मंत्रालय जांच कर सकता है। मैं नहीं समझता कि इस वृद्धि से इसमें सुधार सुनिश्चत करने हेतु नियतकालिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहना कोई आसामान्य मांग होगी।

करनाल और मंगलोर में एक एक तेल शोधन कारखाने के निर्माण का प्रस्ताव है। इस पर द्रुत गति से अमल करना चाहिए। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ ही में समझता हूं कि इससे तेल शोधन कारखाने के अर्थशास्त्र में सुधार हुआ है। साथ ही साथ सरकार को कम लागत पर तेल शोधन कारखाने के विस्तार की परियोजना के लिए कदम उठानें चाहिऐं।

समस्त विश्व में तेल शोधन कारखाने के सुनियोजित ढंग से कार्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । हमें इन कार्य प्रणालियों का भी अध्ययन करना चाहिए और अपने तेल शोधन कारखानों को विशेषत: ऊर्जा को पहलू की दृष्टि से जितना सम्भव हो कुशलता पूर्वक चलानी चाहिऐ, क्योंकि में इससे भली भाँति परिचित हूं कि पेट्रोलियम से आगे मिट्टी का तेल डीजल आदि तैयार करने पर बहुत धन नष्ट होता है। अत : यदि तेल शोधन कारखानों के कार्य करने के ढंग में सुधार किया जाये तो हम इस दिशा में पर्याप्त उन्नति कर सकते हैं।

1.00 म.प.

हमारा एक विशाल देश है जहाँ पेट्रोलियम की खपत बहुत कम है। जैसा कि मैंने संकेत दिया है यह जरूर बढ़ेगी। अत : यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी विपणन कार्य प्रणालियों को देखें ताकि प्रसार किये गये बाजार का कम से कम लागत में सुधार कर सकें । मैं इस सम्बन्ध में एल० पी० जी० के विपणन के बारे में विशेषत: जिक्र करना चाहूंगा जो मिट्टी के तेल के स्थान पर खाना बानने के लिए ईधन के रूप में प्रयोग की जा रही है क्योंकि गैस अब अधिक

[श्री प्रकाशचन्द सेठी]

मात्रा में मिलती है। मैं समझता हूं कि पेट्रोलियम मन्त्रालय के पास नये उपभोक्ताओं के नाम दर्ज करने की योजना को बढावा देने के कार्यक्रम हैं। मुझे बताया गया कि अगले पांच सालों में 20 लाख तक उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष नामंकित करना सम्भव हो सकेगा। ये आंकड़े जांचे जाने चाहिऐं।

एल.पी.जी. की ओर जिसका वितरण काफी जटिल काम है, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। समस्या की व्यापकता और सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए मैं सुझाना चाहता हूं कि अब सरकार को, जैसा कि पहले वक्ता ने कहा, एल०पी०जी० के विपणन के लिए एक अलग निगम खोलने पर विचार करना चाहिए क्या यह सम्भव न हो सकेगा कि हर एक तेल कम्पनी में एल०पी०जी० विपणन के लिए एक विशेश विभाग बनाया जाये।

दूसरा प्रमुख सवाल जिसका कि मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जिक्र करना चाहूंगा पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापारियों विशेषत: एल.पी.जी. के डीलरों के चयन से सम्बन्धित है। चयन की दोषी शर्तों और प्रतिबन्धों और तरीकों के कारण मुझे ज्ञात हुआ है कि बेनामी डीलरों की बड़ी संख्या है। सरकार को डीलर चयन की चल रही प्रणाली की जल्दी समीक्षा करनी चाहिए। यद्यपि यह कार्य अब एक समिति जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश कर रहे हैं, कर रही है, फिर भी लोगों को एल.पी.जी. की डीलर शिप लेने के लिए कम से कम दो या तीन लाख रुपया लगाना आवश्यक है जिसे वह सरकार द्वारा या वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए जाने का आश्वासन दिया जाता है। इसीलिए वे लोग बेनामी लेन-देन करते हैं। अत: इस तथ्य को देखा जाना चाहिए। वित्त मन्त्रालय से इस विषय पर बात करनी चाहिए ताकि कुछ कमजोर तबके के लोगों को एल.पी.जी. डीलरशिप दिलाकर सहायता की जा सके। साथ ही उनको उचित वित्तिय साधन भी उपलब्ध कराये जाने चाहिऐं ताकि बेनामी लेन देन न चल सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री श्री चन्द्रशेखर सिंह जो प्रशासन के मुख्य मन्त्री के रूप में और विभिन्न विभागों में मन्त्री के रूप में भी लम्बी अवधि का अनुभव रखते हैं, की अध्यक्षता में पेट्रोलियम मन्त्रालय ठीक तरह से कार्य करेगा। मैं इस विभाग में उनकी शीघ्र सफलता की कामना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने पैट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो डिमाण्ड्स रखी गई है, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन करने के साथ-साथ मैं खासकर एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था है उसके बारे में मंत्री महोदय से कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे देश में गैस की उपलब्धि अच्छी तरह से है और अच्छी मात्रा में भी है। हमारे गैस सिलेन्डर मैन्युफैक्चर करने वालों की इन्सटाल्ड कैपेसिटी हमारी जरूरीयात से भी ज्यादा है। फिर भी हमारे पास जो पेन्डेसी लिस्ट है वह बहुत लम्बी है। उस पेन्डेंसी लिस्ट को हम जल्दी से गैस कनैक्शन नही दे पाते हैं। इसका एक ही कारण है हमारा जो बाटलिंग प्लान्ट अस्तित्व में है और उसकी जो कैपेसिटी है, वह हमारी गैस की उपलब्धि और गैस सिलेन्डर्स की जो उत्पादन क्षमता है, उससे बहुत कम है। इसलिए यदि आप चाहते हैं

कि इस देश में तमाम लोगों को, उनकी डिमाण्ड के साथ, गैस कनैक्शन दिए जा सकें तो आपको वर्तमान बौटलिंग प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और नया बाटलिंग प्लाट क्रिएट करना होगा यदि ऐसा कर सकें तो काफी हद तक पैन्डिंग लिस्ट को कम किया जा सकेगा।

जहां तक एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रश्न है, उसकी मार्केटिंग का सवाल है, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बिल्कुल सही कहा और मैं भी उनके साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि एल०पी०जी० की मार्केटिंग के लिए आपको एक सैपरेट कार्पोरेशन बनाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान व्यवस्था में जो दोष हैं, उनको दूर नहीं किया जा सकता। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में-आयल कम्पनीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कन्ज्यूमर्स-ये तीनों शामिल हैं, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूटर, आयल कम्पनी और कन्ज्यूमर के बीच के लिंक के रूप में कार्य करता है। लेकिन आज इस देश में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर-शिप दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेन्सी दी जाती है, उनके सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वर्तमान सभी डीलर्स का सर्वे करवाईये, मैं यहां किसी के ऊपर ऐलीगेशन लगाने के इरादे से कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन वे अधिकतर बड़े-बड़े लोगों को या उनके रिलैटिव्ज को मिली हुई हैं। सही रूप में इतनी बेनामी डीलरशिप आज चल रही हैं, जैसा सेठी साहब ने बिल्कुल सही कहा, यदि इस काम में इन्वैस्टमैंट को देखा देखा जाये और बैंक इंटरैस्ट को देखा जाये तो कोई भी वाइज आदमी डीलरशिप लेने के लिए आगे नहीं आना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस काम में भारी संख्या में लोग आते हैं और नई डीलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि हमें एक एजेन्सी देनी होती है तो उसके लिए पचासों एप्लीकेशन्स आ जाती हैं। उस का कारण सही है कि सारी डीलरशिप बेनामी चल सकती हैं और उसमें बहुत सी माल-प्रैक्टिस हो सकती हैं।

दूसरी ओर यदि हम डीलर्स को मिलने वाले कमीशन की तरफ देखें तो उनको 1960 में जिस दर से कमीशन मिलता था, आज भी उसमें कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन फिर भी स्थिति यह है कि एक डीलरशिप के अगेन्स्ट पचासों एप्लीकेशन्स आ जाती हैं। इसलिए स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा और बेनामी डीलरशिप या एजेन्सियों के बारे में भी विचार करना होगा।

अब मैं महाराष्ट्र राज्य में होने वाले कैरोसिन वितरण के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे बम्बई शहर में कैरोसिन वितरण का कार्य शत-प्रतिशत राशनिंग के जरिए किया जाता है। उसके वितरण में पहले काफी ब्लैक चलता था, लेकिन हमने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया कि बल्क डीलर्स का ईक्वीलाइजेशन करके, हम उसकी सीलिंग 250 किलो लीटर तक रखेंगे। उसी समय हमारे पास बल्क डीलर्स के कुछ एम्पलाईज आये और कहने लगे कि यदि आप बल्क डीलर्स का ईक्वीलाइजेशन करके सीलिंग 250 किलो लीटर रखेंगे तो हमारा क्या होगा क्योंकि हमारी सरकार और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उनसे प्रौमिज किया था कि यदि आप सभी बल्क डीलर्स के एम्पलार्ईज एक को-आपरेटिव सोसायटी बनाकर रहेंगे तो हम आपको आउट-ऑफ टर्न बिना किसी नौर्म को देखते हुए, कैरोसिन डिस्ट्रीब्यूशन की एक ऐजेन्सी दे देंगे परन्तु जब उन एम्पलाईज ने सोसायटी बनाई और आपके पास आये तो आपने उनसे कह दिया कि जब एडवर्टाईज-मैंट आये तो आप एप्लाई कीजिए और और आपको एज-पर नौर्मस एजेन्सी देने के बारे में विचार किया जाएगा।

[श्री अनूपचन्द शाह]

[अनुवाद]

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार का वायदा था यह पेट्रोलियम मंत्रालय का वायदा था कि उन्हें डीलरशिप दी जाएगी क्योंकि वे काफी सालों तक नौकरी करने के बाद उससे हाथ धो बैठे थे। जिनकी चालीस-पचास साल की सर्विस ब्लॉक डीलर के पास थी और वे बेकार हो रहे थे, ऐसी सोसाइटियों के लिए आपने वादा किया था, वह निभाया नहीं है। इसलिए इसके बारे में पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ सोचेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

[हिन्दी]

साथ-साथ, मैं, आपसे पेट्रोलियम प्रोडक्टस जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बढ़ाई है, उसके बारे में कहकर भी अपनी बात खत्म करूंगा। आपने पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० के भाव जब बढ़ाए, तो हमारी सरकार की और आपकी एक आर्गूमेंट थी कि हम भाव बढ़ाकर कंजम्पशन कम करना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि भाव बढ़ाने से कंजम्पशन कम होने वाला नहीं है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का उपयोग सबसे ज्यादा हमारे सरकारी अफसरों की गाड़ियों में होता है, आप उसको देखिए। आप देखिए कि कितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, अगर आप सही मायने में पेट्रोल की कंजम्पशन में कमी लाना चाहते हैं, तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी एक दिन प्राइवेट गाड़ियां।

[अनुवाद]

प्राइवेट कारें सड़कों पर नहीं चलेगीं।

[हिन्दी]

किसी एक दिन

[अनुवाद]

कुछ अन्य गड़ियां सड़कों पर नहीं चलेंगीं।

[हिन्दी]

ऐसा प्रयत्न अगर आप करें, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट और डीजल का कंजम्पशन कम हो सकेगा। इसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, कार्पोरेशन्स हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, उनके लिए भी आपको पेट्रोल और डीजल का कोटा फिक्स करना पड़ेगा कि इस एक महीने के पीरिएड में आपको इतना डीजल और इतना पेट्रोल दिया जाएगा, इसी में आपको काम चलाना है। तब कहीं जाकर कुछ फर्क इन प्रोडक्टस के कंजम्पशन में पड़ सकता है। आज आप देख लीजिए गाड़ियां

सरकारी अफसरों की फेमिलीज को घुमाने के लिए चल रही हैं। अगर वे बन्द हो जाएंगी, तो सरकार का एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, इसके साथ ही जो हम अपने कंजम्पशन में कमी लाना चाहते हैं, वह भी कम हो जाएगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है।

महोदय, अन्त में, मैं अपनी उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि एल०पी०जी० की मार्केटिंग बहुत विशाल हो गई है और इस विशालता को देखते हुए आपको इसके लिए एक सैपरेट कार्पोरेशन का निर्माण करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) महोदय, मेरे मित्र श्री पी. सी. सेठी कुछ सालों पहले पेट्रोलियम विभाग में मंत्री थे। मिट्टी के तेल के सदुपयोग और दुरपयोग के बारे में उन्हें गहरा अनुभव है। इसलिये, उन्होंने सुझाव दिया था कि डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में कुछ समानता होनी चाहिये। वैसे उन्होंने अपने इस तर्क को स्वयं यह कहकर काट दिया था कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और डीजल की कीमतें बढ़ रह हैं। इसलिये इस सुझाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिये। यह एक अच्छा सुझाव बिल्कुल नहीं है। इससे गरीबों की परेशानियां और बढ़ेंगी।

लेकिन कच्चे तेल के आयात के बारे में सुझाव पर जोर दिया जाना चाहिये, क्यों कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें कम हो रही हैं। संभवतः इसकी कीमत घटकर प्रति बैरल 10 डालर हो गई है या कुछ ही समय में घटकर इतनी हो जायेगी। इसलिये कच्चे तेल का आयात करने संबंधी सुझाव पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये और कीमती ईंधन को भविष्य में इस्तेमाल के लिए बचा कर रखना चाहिये। इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये।

कल हमारे माननीय मंत्री ने बताया था कि आयात सूची में से कच्चे तेल के आयाय को निकाल दिया गया है। इसलिए मुझे मालुम नहीं है कि कच्चे तेल के आयात को अन्य वस्तुओं से अधिक प्राथमिकता दी जायेगी या नहीं लेकिन महोदय, आप जानते ही हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और पूर्ति में अन्तर है। इनकी मांग लगभग 400 लाख मीट्रिक टन है जबकि सप्लाई 300 लाख मीट्रिक टन से अधिक नहीं है। इसलिये, 100 लाख मीट्रिक टन का अन्तर रह जाता है। सातवीं योजना के अन्त तक भी यह अन्तर बना रहेगा। मांग और पूर्ति के बीच के इस अन्तर को समाप्त करने की जरूरत है। इस अन्तर को सरकार दो तरह से समाप्त कर सकती है। पहला कच्चे तेल का आयात बढ़ा कर, दूसरा देश में कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए तेल क्षेत्रों की खोज करके जहां तक मैं समझता हूं सरकार ने तेल की खोज के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मैं तट से दूर और तट पर दोनों जगह तेल का पता लगाने के पक्ष में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि देश के पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेल का पता लगाने के लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है। माननीय मंत्री शायद जानते होगें कि कुछ स्थानों पर जैसे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर और कैनिंग के समीप पिछले 10 सालों से ड्रिलिंग की जा रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां पिछले 10 सालों से ड्रिलिंग की जा रही है। इसमें कोई नहीं जानता कि इसमें इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। रकारस को इस कार्य को छोड़ देना चाहिये या लोगों को कुछ ठोस जबाब देना चाहिए।

1,17 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

1980-85 के दौरान अंडमान द्वीप समूह कावेरी गोदावरी बेसिन, राजस्थान, नागालैंड और अन्य स्थान पर ड्रिलिंग की गई, पर व्यावसायिक उत्पादन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस असफलता के क्या कारण हैं ? इन स्थानों पर तेल की खोज के लिए कुछ और प्रयास किए जाने चाहिए।

महोदय, उपभोग की दर बहुत अधिक है और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग भविष्य में और बढ़ेगी। कच्चे तेल के उत्पादन तथा उपयोग में अन्तर इतना अधिक है कि तेल में आत्मनिरर्भता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस लिए सरकार को कुछ उपायों का पता लगाना चाहिए ताकि तेल की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके उसे बनाये रखा जा सके। आशोधित तेल के आयात को एक स्तर विशेष तक ही बनाए रखा जाना चाहिए और उपयोग की दर भी एक सीमा विशेष के बाद नहीं बढ़नी चाहिये।

अब मैं तेल शोधक कारखानों के बारे में चंद शब्द कहूंगा। तेल शोधक कारखानों की क्षमता बढ़कर 450 लाख मीट्रिक टन हो गई है, पर हम केवल 300 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल का ही उत्पादन कर पा रहे हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जब तक देश के विभिन्न भागों में तेल की खोज नहीं कर लेता तब तक अधिकांश तेल शोधन क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने में कुल उत्पादन में 10% की कटौती क्यों की गई। महोदय, हल्दिया तेल शोधक कारखाने की एक अलग समस्या है। श्रमिक यह सोचते हैं कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने में कुल उत्पादन में 10% की कटौती करने के आदेश दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा आदेश जारी किया गया, यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

मैं खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश के विभिन्न भागों में लगभग एक करोड़ कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं। मैं इस बारे में कुछ आकड़े देना चाहता हूं। 1985-86 के दौरान उड़ीसा, बिहार प० बंगाल और असम में कुल मिलाकर 1.50 लाख से अधिक गैस कनैक्शन जारी किए गए। जब कि गुजरात और महाराष्ट्र को उक्त अवधि के दौरान लगभग 3.5 लाख कनैक्शन दिए गए। इस मामले में देश के इस भाग की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस क्षेत्र को खासकर कलकत्ता और जिला शहरों को अधिक गैस कनैक्शन दिए जाएं। कलकत्ता एक महानगर है, इसे अधिक कनैक्शन दिए जाने चाहिए। दिल्ली में पिछले साल लगभग 60—70 हजार गैस कनैक्शन जारी किए गए। ग्रेटर कलकत्ता, जिसके अन्तर्गत 67 नगरपालिकाएं आती हैं, दिल्ली से बड़ा है। इसलिए सरकार से कहूंगा कि इन क्षेत्रों को अधिक गैस कनैक्शन दिए जाने चाहिए।

1.22 म० प०

(श्रीमती वसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

महोदय, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इंडियन आयल कम्पनी की देश में कोई प्रतिस्पर्धा कंपनी नहीं है। इस काम में उनका एकाधिकार है और इसके कारण इनमें संतोष की

भावना आ गई है। इनके द्वारा तैयार किए जाने वाले अंतिम उत्पादों की अधिक कीमतों का एक कारण यह भी है। इन कम्पनियों को कार्यकुशलता से काम करने के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों का अनुकरण क्यों नहीं करना चाहिए ? अन्य तेल कम्पनियों की कार्यक्षमता को ध्यान में क्यों नहीं रखती। मंत्री जी को समस्या के इस पहलू की ओर भी विचार करना चाहिए ताकि इन तेल कम्पनियों की कार्यक्षमता में भविष्य में सुधार हो।

महोदय, समाप्त करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि प० बंगाल को आबंटित मिट्टी का तेल उसकी जरूरत से काफी कम है। राज्य में इसकी मांग प्रति माह एक लाख लीटर के लगभग है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए प० बंगाल को मिट्टी का तेल अधिक आबंटित किया जाना चाहिए। समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री से बी० सी० माथुर की अध्यक्षता में गठित एक सदस्य समिति के बारे में भी जानना चाहूंगा जिसका गटन राज्य को मिट्टी का तेल आबंटित करने के संबंध में कुछ सिद्धांत तैयार करने के लिए किया गया था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस समिति ने क्या सिफारिशें की थीं और क्या सरकार ने उन पर विचार किया है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, पैट्रोलियम और गैस की अनुदानों की मांगों का में समर्थन करता हूं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार पैट्रोलियम के मामले में और गैस के मामले में आत्म-निर्भर हों ? यह तो स्पष्ट हो गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम आत्म-निर्भर नहीं हो सकते, सातवीं पंचवर्षीय योजना का अध्यन करने से यह मुझे ज्ञात हुआ है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हम प्रोडक्शन जरूर बढ़ा रहे हैं परन्तु कंजम्पशन पर रोक लगाने में हम बिलकुल सफल नहीं हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में कन्जम्पशन की ग्रोथ रेट 5.3 परसेंट थी और सातवीं पांच वर्षीय योजना में 6.4 परसेंट की ग्रोथ रहेगी। सबसे महत्व-पूर्ण प्रश्न हमारे सामने यह है कि हम किस प्रकार कन्जम्पशन पर नियन्त्रण करें। जो हमने अभी कीमतें बढ़ायी हैं पैट्रोल और डीजल की उसमें भी विशेष तौर से यही बात कही गई है कि कन्जम्पशन कम करने के लिए हमने कीमतें बढ़ायी अगर यह उद्देश्य है कि कन्जम्पशन कम करना है तब तो कीमतों के बारे में यद्यपि जनता संतुष्ट नहीं हुई है परन्तु हम जनता को सन्तुष्ट कराने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है वह ऐसे सालिड और कान्स्ट्रक्टिव स्टेप्स नहीं हैं जिन से कन्जम्पशन में कमी की जाय, उस पर रोक लगायी जाय। इस प्रकार के ऐक्शंस नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्युत की सप्लाई अगर स्टेबल कर दी जाय तो सिंचाई के लिए हजारों डीजल के पम्प चल रहे हैं उनमें डीजल का खर्चा कम किया जा सकता है। इसी प्रकार कैप्टिव पावर जैनरेशन यूनिट्स जो चल रहे हैं उनमें भी डीजल के यूनिट्स चल रहे हैं, वह अगर एलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई स्टेबल कर दी जाय और वे यूनिट्स एलेक्ट्रिसिटी के चलें तो काफी बचाव इसमें किया जा सकता है।

दूसरी बात यह है, जैसे कि अभी सेठी साहब ने फरमाया :

[श्री रेणुपद दास]

[अनुवाद]

उपभोग को नियंत्रित किया जा सकता है और कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए परिवहन ट्रक, मिट्टी के तेल की लालटेन और स्टोव सहायक हो सकते हैं।

[हिन्दी]

इसके साथ साथ सेल्फ सफिश्येंसी के लिए और भी स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। हम जो लोन की सुविधा देते हैं स्कूटर्स के लिए उस लोन की सुविधा से लोग स्कूटर्स परचेज करते हैं। उसमें भी लोन की सुविधा भी रेस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए, जो एल० डी० सी० हैं, यू० डी० सीज हैं, गजटेड आफिसर्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करें, वे साईकिल का प्रयोग कर सकते हैं। गरीब लोग साइकिल का प्रयोग अधिक कर सकते हैं। तो क्यों नहीं साइकिल का प्रयोग बढ़ाया जाय ? आज हमारी इंडस्ट्रीज स्कूटर्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। उसकी जगह पर साइकिल ज्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए। साथ ही साथ मंत्रियों पर, अधिकारियों पर सब पर नियंत्रण होना चाहिए कि इतनी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का कन्जम्पशन वे कर सकते हैं।

एक कमेटी जो वेस्टफुल एक्सपेंडीचर के बारे में सभी स्टेट्स में बनी हैं कि वेस्टफुल एक्सपेंडीचर कम किया जाय वह भी इसके लिए कुछ काम नहीं कर रही है।

इस प्रकार से राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में वेस्टफुल एक्सपेंडीचर में कमी करने का प्रयत्न करें क्योंकि आज इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि खुद के कार्यों के लिए जो सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेन्टस, या मिनिस्टर्स उनके इस कार्य को एक अपराध माना जाना चाहिए। एक काग्निजेबल आफेन्स, नान-बेलेबल आफेन्स मानना चाहिए। जो जनता की प्रापर्टी है तो उसको यदि कोई अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है तो उसको एक भयंकर अपराध माना जाना चाहिए तभी में समझता हूं इस प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा।

इसके साथ साथ मैंने यह बात भी देखी है कि मिलिट्री के अन्दर भी जो ड्राइवर्स हैं वे भी डीजल, पेट्रोल की चोरी करके उसको बेचते हैं। इसी तरह से बहुत से सरकारी आफिसेज में जो ड्राइवर्स हैं या पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में ड्राइवर हैं वह भी इसी प्रकार से चोरी से डीजल पेट्रोल बेचते हैं। इसके ऊपर भी चेक लगाने की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार से जब आप स्ट्रांग स्टेप्स लेंगे तभी पेट्रोलियम पदार्थों के कंजम्शन को कम करने में समर्थ हो सकेंगे।

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में ओ० एन० जी० सी० भी काम कर रही है और आयल इंडिया लिमिटेड भी कार्य कर रही है। आयल इंडिया लिमिटेड के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत 28,600 किलो मीटर का एरिया आता है जिसमें जैसलमेर का क्षेत्र भी है, गंगा नगर का क्षेत्र भी है और बीकानेर का क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में मैंने देखा है सेसमिक सर्वे का कार्य बहुत अच्छा

किया गया है। मैंने स्वयं जाकर देखा है परन्तु अब स्थिति यह पैदा हो गई है, जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, इनका बजट करटेल का दिया गया है। वहां पर ड्रिलिंग का कार्य जल्दी करना चाहिए था, उसको आगे बढ़ा दिया गया है अगस्त-सितम्बर के लिए। अभी तक कार्य शुरू नही हो रहा है। उसके लिए रिग्ज बगैरह की जो आवश्यकता है उसके लिए, जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने अमरीका को आर्डर्स भी दे दिए थे परन्तु अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। कहीं उन आर्डर्स को ही कैंसिल न कर दिया गया हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले जब श्री बहुगुणा जी इसके मिनिस्टर थे उस समय हमारी जितनी भी मशीनरी वगैरह थी उसका सारा कार्य बन्द कर दिया गया था, उसके 15 साल के बाद अब यह कार्य शुरू हुआ है। अभी जबकि पाकिस्तान में मारी और सुई में काफी पेट्रोल निकला है तथा और निकलने की सम्भावना है और हमारे चेयरमैन, श्री वाही जो हैं उन्होंने भी कहा है कि 9 करोड़ 50 लाख टन गैस और पेट्रोलियम के इस क्षेत्र में निकलने की सम्भावना है तथा अरब कन्ट्रीज के डेजर्टस में इतनी अधिक मात्रा में पेट्रोल निकल रहा है तो हमारे इस डेजर्ट के क्षेत्र में भी पेट्रोल और गैस निकलने से इस क्षेत्र की प्रोग्रेस हो जायेगी। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि बैकवर्ड एरियाज में इस सम्बन्ध में पूरी शक्ति लगाई जाए। मेरा विश्वास है कि यदि आप कोशिश करेंगे, आयल इंडिया लिमिटेड के साथ साथ ओ० एन० जी० सी० भी पूरी शक्ति से काम करें तो सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन ओ० एन० जी० सी० पिछले 4-5 साल से केवल एक ही ड्रिलिंग मशीन को काम में ला रहा है। कम से कम कम तीन-चार मशीनें उनको लगानी चाहिए ताकि तीव्र गति से काम किया जा सके। तो वहां पर काम बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है।

तीसरी बात यह है कि देश में काफी तादाद में पेट्रोल पम्प स्थापित किए जा चुके हैं इसलिए अब आगे जहां कहीं बहुत ही आवश्यकता हो वहीं पर उनको स्थापित किया जाए तभी पेट्रोल और डीजल का कंजम्शन कम हो सकेगा आयल सेलेक्शन बोर्ड भी बन गया है और अभी सेठी साहब जैसा कह रहे थे कि प्रोपर पर्सन्स, जिनको एजेन्सी मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिल पाती है। बेनामी ट्रांसैक्शन होते हैं क्योंकि इसमें दो-तीन लाख रुपएं लगते हैं। यह भी प्राविजन किया गया कि वीकर सेक्शंस, शेड्यूल्ड कास्ट्स और अनएम्पलायड ग्रैजुएट्स को एजेंसीज दी जायें लेकिन दूसरी शक्तियां ही लाभ उठा लेती हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं। इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिए। बेनामी ट्रांजैक्शन्स समाप्त कीजिए और इस प्रकार की एजेंसी समाप्त की जायें। सिलैक्शन बोर्ड के स्थापित होने के उपरान्त भी इस सम्बन्ध में रिश्वत चल रही है। इस रिश्वत की भी जांच करनी चाहिये। इस प्रकार की शक्तियां रिश्वतखाती हैं और रिश्वत खाकर बदनाम हमारी सरकार को करती हैं। इस बारे में आपको जानकारी करने की आवश्यकता है।

आपने 1981-82 से लेकर 1983-84 तक एलपीजी कनैक्शन्स काफी ज्यादा रिलीज किए हैं। इसके बावजूद भी आपको कनैक्शन्स रिलीज करने के लिए एजेंसीज बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जैसे डैजर्ट एरिया में एलपीजी के कनैक्शन देने की आवश्यकता है। यदि यह व्यवस्था डेजर्ट एरिया में करेंगे, जो डैजर्ट एरिया में लकड़ी जलाने का काम समाप्त हो जाएगा। हम उसको कम से कम जलाना चाहते हैं। आप बीस हजार की जनसंख्या के आधार पर एलपीजी कनैशन देते हैं, यहां के लिए आपको विशेषतौर पर व्यवस्था करनी चाहिए। यदि आप यहां के लिए व्यवस्था करते हैं, तो हमारे एरियाज के अन्दर जो लकड़ी काटी जा रही है, वह काफी कम हो जाएगी। हमारे डैजर्ट एरिया को विशेष तौर पर लाभ मिल सकेगा।

[श्री रेणुपद दास]

एक बात मैं, जो कीमतें बढ़ाई गई है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्राइसैस जो बढ़ी हैं, इसका बहुत ही खराब असर हुआ है। पहले आपने प्राइसेस निर्धारित कीं और आर्डिनेंस के द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा दी। इस बजह से हमारी पार्टी को काफी लॉस हो रहा है। इसका अपोजीशन वाले अनुचित लाभ उठाते हैं। यह प्रोवीजन आप बजट में कर देते, तो इसकी इतनी प्रतिक्रिया नहीं होती, इतना विरोध नहीं होता। यह तरीका आप हमेशा अपनाते हैं, जिससे हमारी पार्टी के भविष्य को बड़ा भारी धक्का लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भविष्य में रेट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह न बढ़ायें। क्रूड परचेज करने से आपको एक हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा, तो कीमतों को बढ़ाने की आपको क्या आवश्यकता थी। इन्टरनेशनल मार्केट में क्रूड आयल की कीमत घट रही हैं, अपने को लाभ हो रहा हैं, तो फिर कीमतें बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। यदि आप पैट्रोल पर लगाते तो कोई आब्जैक्शन नहीं होता, लेकिन कैरोसिन और डीजल पर भी आपने बढ़ाने दिया है। इस बजह से हमारा ट्रांसपोर्ट मंहगा हो गया है। इसका प्रभाव कॉमन-पर्सन पर पड़ रहा है। इस बारे में यदि सोचकर फाइनंस मिनिस्ट्री पर प्रभाव डाल सकें, तो उचित होगा। यह प्रैस्टिज का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जनता की भावनाओं को देखकर यह कदम उठाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में पैट्रोलियम मिनिस्ट्री की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : मैं पेट्रोलियम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। असम कच्चे तेल का उत्पादन करता है, और असम में ऐसे तीन तेल-शोधक कारखाने भी हैं जिनमें कच्चे तेल का परिशोधन किया जाता है,

पिछले कुछ वर्षों से जबकि तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, असम और गुजरात राज्य प्रधान मंत्री तथा पेट्रोलियम मंत्रियों को कच्चे तेल की रायल्टी बढ़ाने के लिये कई ज्ञापन दे चुके हैं। जब हम प्रधान मंत्री तथा पेट्रोलियम मन्त्री जी से विगत में मिले थे तो हमें आश्वासन दिया गया था कि कच्चे तेल की रायल्टी को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कच्चे तेल की कीमतों के अनुपात में बढ़ाया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक भी ऐसा नहीं किया गया है। हाल में भी असम के मुख्य मंत्री ने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि कच्चे तेल की रायल्टी बढ़ा दी जाये। माननीय मंत्री यहां हैं, मैं एक ऐसे राज्य का हूं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है, सरकार के लिये हमारी आय के स्रोत बहुत सीमित है; अतः कच्चे तेल का जोकि देश के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है और जो बहुत क्षेत्रों में काम आता है असम में उत्पादन किया जा रहा है, मुझे आशा है कि रायल्टी में वृद्धि के लिये हमारी न्यायपूर्ण मांग को बहुत जल्दी ही पूरा किया जायेगा।

हाल ही के असम समझौते में, एक सहमति, ज्ञापन की सहमति, यह भी थी कि असम में एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा। हम यह सुनते आ रहे हैं कि इसमें किसी निजी फर्म के साथ सहयोग होगा, या किसी अन्तराष्ट्रीय फर्म के साथ सहयोग होगा

या यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में होगा। इस नये तेल शोधक कारखाने का जो भी ढांचा हो, मैं मंत्रालय से यह अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करे कि यह नया तेल शोधक कारखाना निकट भविष्य में शीघ्र ही स्थापित हो जाये।

असम के तेल शोधक कारखाने उस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार के अच्छे रास्ते खोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, तकनीकी कौशल के नाम पर राज्य के बाहर से लोगों को लाने की प्रवृत्ति विद्यमान है भारत सरकार ने एक विशेष नियम बनाया है कि एक विशेष पद के अन्तर्गत, मैं समझता हूं 1,200/- रुपये के नीचे वाले पद के अन्तर्गत, स्थानीय युवकों को वरीयता दी जायेगी, दुर्भाग्यवश इसका पालन नहीं किया जा रहा है। कतिपय पदों में मुझे पूरा विश्वास है, कि यदि सरकार वास्तव में गम्भीर है, तो स्थानीय युवकों को प्रशिक्षुओं के रूप में लिया जा सकता है और वर्तमान तेल शोधक कारखाने में प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे कि वे भविष्य में पद के लिए अर्हता प्राप्त सिद्ध हो सकें। यह तर्क देकर कि आवश्यक योग्यता वाले स्थानीय युवक उपलब्ध नहीं हैं, कभी कभी राज्य के बाहर से लोग लाये जाते हैं। इस रिवाज को बन्द किया जाना चाहिये। मैंने पेट्रोलियम मंत्री को लिखा है। यह उनकी कृपा थी कि उन्होंने प्राप्ति स्वीकार की तथा बताया कि वह इसकी जाँच कर रहे हैं यहाँ मैं एक विशेष उदाहरण दूंगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कछार परियोजना, सिलचर द्वारा तीन प्रकार के पदों के लिये अधिसूचना सं० 111/3/85 एक्ट दिनांक 3-5-85 विज्ञापित की गई इन तीन प्रकार के पदों में कछार में स्थानीय युवक--मैं उनके नाम बता सकता हूं कमलेन्द्र भट्टाचार्यजी, रणविजय डे, कमल बसुराय और कृष्णदास वे प्रशिक्षण लेने के लिए डेढ़ वर्ष से कार्य कर रहे थे। लेकिन उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले देश के दूसरे भागों से लोगों को लाया गया है और उन कार्यों में उन्हें लगा दिया गया है, और इससे स्थानीय बेरोजगार युवकों में असंतोष उत्पन्न हो जाता है। मैं विशिष्ट अधिकारी के विरुद्ध या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध शिकायत नहीं करना चाहता लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को जो निर्देश दिये जाते हैं उनका उल्लंघन नहीं हो, जिससे कि स्थानीय युवकों को उनके रोजगार के अवसरों से वंचित न होना पड़े। मैंने पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री को लिखा है कि कछार करीमगंज जिले में पिछले 8-10 वर्षों से खुदाई का काम जारी रखा जा रहा है। लेकिन, 1982 में मेरे प्रश्न के उत्तर में यह अश्वासन दिया गया कि सिलचर तथा करीमगंज जिले के लिये और रिगों की आवश्यकता होगी।

लेकिन मंत्री द्वारा संसद में जो निश्चित आश्वासन दिया गया था उसके बावजूद भी कोई ऐसी रिग नहीं पहुँची है और हम संसद सदस्यों ने जब उन आश्वासनों के विषय में प्रकाशित चित्रों को जारी किया तो हम जनसाधारण के सामने उपहास के पात्र बन गये। मेरी समझ में नहीं आता कि जब देश में ही कच्चा तेल प्राप्त करने की सम्भावनायें हैं तो देश पेट्रोलियम उत्पादों का आयात क्यों कर रहा है। क्या सरकार का सिलचर तथा करीमगंज जैसे कतिपय क्षेत्रों में कुँए खोदने के मामले में इतना आलसी दृष्टिकोण है? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कृपा करके मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये कि इन जिलों में खुदाई की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाये ताकि देश में कच्चे तेल की कोई कमी न रहे और इसको

[श्री संतोष मोहन देव]

उचित ढंग से वितरित किया जा सके। इससे सरकार को न केवल विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे हमें अधिक रोजगार पैदा करने में भी सहायता मिलेगी।

हाल ही में कीमतों में वृद्धि इसलिये की गई है ताकि देश में कच्चे तेल का कुल उपभोग तथा पेट्रोलियम उत्पादों का कुल उपभोग जो कि बहुत ही बढ़ गया है, कम किया जा सके और आयातित कच्चे तेल पर या तैयार उत्पादों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। मैं सरकार के विचार की पूरी-पूरी कदर करता हूं।

आपने पेट्रोल का दुरुपयोग रोकने के लिये पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कैसे बढ़ा दी। इससे तो उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबन्ध लगता है। लेकिन जैसाकि मैं समझता हूं पेट्रोलियम की खपत का 60 प्रतिशत सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है जिसका अर्थ है कि इन कीमतों को बढ़ा देने से 60 प्रतिशत लागत इन सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा वहन की जायेगी अर्थात सरकार के एक खाते से आप पैसा ले रहे हैं और उसे दूसरे खाते में डाल रहे हैं। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आपके अपने विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान उसी पैसे को खर्च कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में विदेशी मुद्रा बचाते हैं, और यदि इसे वास्तव में पेट्रोलियम उत्पादों पर खर्च कर रहे हैं, आप को समझना चाहिये कि वे सरकारी विभागों में, और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में तथा देश के विभिन्न राज्य सरकार के संगठनों में उपयोग में लाये जाते हैं।

दूसरी बात, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि देश भर में यह मांग बढ़ती जा रही है कि मिट्टी के तेल तथा उसके उत्पादों की कीमतों पर पुनर्विचार किया जाय। मिट्टी के तेल की कीमतों में इस वृद्धि ने देश के निर्धन लोगों को तथा उन लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं प्रभावित किया है। दरों में कुछ कमी की गई है लेकिन वह काफी नहीं है, कम से कम पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये ऐसा किया जाना चाहिये।

एल०पी०जी० का जहां तक सवाल है, मैं कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में शायद ही तीन या चार कस्बे हैं जहां कि एक वितरक है, और परिणामस्वरूप यह उपभोक्ताओं को उस हद तक नहीं मिल रहा है जिस हद तक यह देश के दूसरे भागों में उपलब्ध होता है। अतः मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करने की कृपा करें कि हमारे क्षेत्र में सिलचर में और एजेन्टों को वितरक बनाया जाना चाहिये तथा कुछ और आपूर्ति की जानी चाहिये ताकि और उपभोक्ता एल०पी०जी० का लाभ उठा सकें।

एक और बात जिसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा व यह है कि श्री पी० सी० सेठी के भाषण में, जब वह पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री थे, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इस बात का उल्लेख किया गया था कि असम तेलशोधक कारखाने का, जिसका भारत सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया है, और भी सुधार किया जायेगा। विशेषकर इस तेल शोधक कारखाने का कोई आधुनिक मशीनरी लगाकर आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये।

हाल ही में मैंने अखबारों में पढ़ा कि उस तेल शोधक कारखाने के वर्तमान प्रबन्धक ने कहा है कि शीघ्र ही कुछ ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सही है, लेकिन इस तेल शोधक कारखाने का जोकि दुनियां में सबसे पुराने तेल-शोधक कारखानों में से एक है, पुनर्संयोजन किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि जिस मशीनरी का वहाँ प्रयोग किया जा रहा है उसका जीवन काल पूरा हो चुका है। साथ ही, चूंकि यह देश का सबसे पुराना तेलशोधक कारखाना था यह देश की आवश्यकताओं की बहुत लम्बे समय से पूर्ति कर रहा था। इसके नवीनीकरण में विलम्ब क्यों किया जाय ? जब आप देश के अन्य भागों में नये तेल शोधक कारखाने बना रहे हैं तो सबसे पुराने तेल शोधक कारखाने को सबल क्यों न बनाया जाय तथा उसका नवीनीकरण क्यों न किया जाय ? यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था, हम इसके लिये पिछले कई वर्षों से आन्दोलन करते आ रहे हैं। देश के उस भाग के लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक वे आन्दोलन नहीं करते कुछ भी नहीं किया जाता। हम केन्द्र सरकार से हमेशा यह सुनते हैं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये आर्थिक विकास हेतु या किसी अन्य परियोजना के लिये धन की कमी नहीं है, लेकिन जब आप तेल-शोधक कारखाने के पुनरूद्धार या सड़कों के विकास के लिये, या किसी अन्य परियोजना या कोई नये उद्योग खोलने के लिये जाते हैं तो हमारे मंत्रालय ठीक व्यवहार नहीं करते। कल ही हमने अपने प्रधानमंत्री से भेंट की और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहित बैरक घाटी की विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए एक ज्ञापन दिया। हम जनता को वास्तव में दिखाना चाहते हैं कि सरकार जो कहती है वह करती है। असम में एक नई सरकार सत्ता में आई है वहाँ युवकों के हाथ में शासन आया है। लोगों ने अपना जनादेश उन्हें दिया है। आर्थिक पिछड़ापन ही मुख्य मुद्दा था और पिछली सरकार जो कि कांग्रेस सरकार थी, को सत्ता से हटा दिया गया क्योंकि यह वहाँ लोगों की मांगों को पूरा करने में असफल रही। लेकिन हमें यह सिद्ध करना होगा कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसका कार्यान्वयन करने को तैयार है। अतः मैं माननीय पैट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय से एक अध्ययन दल जाए और उस क्षेत्र में पैट्रो रसायन आधारित उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन करें।

कुछ दिन पहले विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने गैस के, जिसको कि हवा में छोड़ दिया दिया जाता है, दुरुपयोग के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। देश के अन्य भागों में आप इस गैस का उपयोग कर रहे हैं। हमारा पड़ौसी देश बंगलादेश भी इसका उपयोग कर रहा है। यदि इस गैस का उपयोग किया जाए तो इससे कई उद्योगों का काम चल सकता है और इसको घरेलू काम में भी प्रयोग में लाया जा सकता है हमारा चाय उद्योग बिजली की कमी के कारण कठिनाई में है। चाय उद्योग को क्यों नहीं गैस से शक्ति दी जाती। कतिपय उद्योगों में यह दिया जाता है लेकिन असम में बड़े पैमाने पर इसको क्यों नहीं दिया जाता है।

यह आशा की गई थी कि बोंगाइगांव तेल शोधक कारखाना पैट्रो रसायन पर आधारित कुछ उद्योगों को हाथ में लेगा। किंतु दुर्भाग्यवश, आज तक कुछ नहीं किया गया। हम सुनते हैं कि पार्टियां आगे नहीं आ रहीं। जब पार्टियां आगे आती हैं और वे मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों के पास जाती हैं तो यह देखा जाता है मंत्रालय किसी न किसी कारण से उद्यमियों को असम में नई परियोजनायें आरम्भ करने में हतोत्साहित करता है। जब कोई उद्यमी मंत्रालय में जाता है तो उसका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। मंत्रालय का यह रवैया बदलना चाहिए।

[श्री संतोष मोहन देव]

कई वर्षों से असम कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा है किंतु वहां पर पैट्रोलियम पर आधारित उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। यह उद्योग गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विकसित हुए हैं। हमें बताया गया है कि बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ये सम्भव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि संचार तथा ऊर्जा आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है ? यह असम सरकार या केन्द्र सरकार अथवा परिवहन मंत्रालय में से किसकी जिम्मेदारी है ? यदि आपके विचार में असम में विभिन्न प्रकार का कच्चा माल उपलब्ध है तो में मानता हूं कि इस उद्योग को विकसित करने में विद्युत संचार तथा श्रम की आवश्यकता होती है। हमारे पास श्रम है प्रतिभा है किंतु संचार और विद्युत तथा अन्य संबंधित सुविधायें प्रदान करना केन्द्र सरकार का काम है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और देखें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेषकर असम में कुछ पेट्रो-केमिकल उद्योग लगाने पर बल दिया जाये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वराकबल्ली क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में तेल निकालने का काम करने वाले अधिकारी सदा ये कहते हैं कि यहां पर कच्चा तेल प्राप्त करने की बहुत संभावना है किंतु गैर सरकारी तौर पर वे ये कहते है कि यहां आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उनका कहना है कि यदि भारी मशनरी लानी हो तो गोवा के रास्ते से आना पड़ता है। मेघालय से एक सड़क है लेकिन शिलांग-सिल्वर रोड लेकिन ये सड़क पुलों तथा कठिन मोड़ों से भरी हुई है। इसलिए इस सड़क पर भारी मशीनरी आसानी से नही लाई जा सकती। देश के किसी भाग से यहां तक मशीनरी लाने में महीनों लग जाते हैं। महोदय इसलिए यहां के पुलों को मजबूत करना आवश्यक है। मैं अनुरोध करता हूं कि पैट्रोलियम मंत्रालय इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये मामला अपने साथी मंत्रालयों के साथ उठाये।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी हमारे क्षेत्र का विशेष मुद्दा है विशेषकर बारागवल्ली तथा असम के अन्य क्षेत्रों में। मैंने पहले ही कछार क्षेत्र का उदाहरण दिया है जहां पर लड़के प्रशिक्षक के रूप में पहले ही काम कर रहे हैं और 12 माह तक काम करने के बाद भी उन्हे वे पद नही दिये जाते। इन प्रत्याशियों को देश अथवा असम के अन्य भागों में लाया जाता है। यदि आप स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों के होते हुए भी बाहर से लोग बुलायें तो यह बाछनीय नहीं है। यदि यहां पर प्रतिभावान लोग नहीं होते तो आप चाहे बाहर से लोगों को बुलाते मुझे महसूस न होता। मैं प्रातीयतावाद में विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं कहता कि स्थानीय लोगों को अवश्य ही लिया जाना चाहिए। किन्तु यदि स्थानीय लोग प्रतिभावान हों तो बाहर से दूसरों को क्यों बुलाया जाये ? इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिषय पर ध्यान दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक तथा पैट्रोलियम मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यबाद करता हूं।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदया, मैं पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पिछले

कुछ वर्षों में तेल निकालने तथा प्राकृतिक गैस उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । मैंने अभी-अभी ही पेट्रोलियम मंत्रालय का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा है। एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया है छठी पंचवर्षीय योजना में इसने 400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई है और सांतवीं पंचवर्षीय योजना में 650 करोड़ रुपए की। हालांकि मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय मानता हूं और हालांकि इसने पेट्रोलियम के विकास में अच्छी प्रगति की है किन्तु मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सरकार ने पेट्रोलियम का सरकारी मूल्य क्यों बढ़ा दिया है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे से पहले बोलने वाले सत्तारूढ़ दल के दो सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने से भारत के लोगों पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। यह बात समझ में नहीं आती और विशेषकर बजट से पहले ऐसा करना । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है यह संसद का अपमान करना है। विशेषकर उस समय ऐसा करना जब कि कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी हो रही है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करना न्यायोचित नहीं है। मैं भी सत्तारूढ़ दल के अभी अभी बोलने वाले सदस्यों के साथ हूं, जिन्होंने मांग की है कि सरकार कीमतें कम करने पर पुनः विचार करे।

2.00 म. प.

इससे आम आदमी पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मिट्टी के तेल का प्रयोग देश के गरीब लोगों द्वारा किया जाता है। एल० पी० जी० सिलेंडरों का प्रयोग प्रत्येक गृहणी द्वारा किया जाता है। विशेषकर शहरों में। कीमतों में वृद्धि के कारण निम्न वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के परिवार प्रभावित हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अब तक मन्त्री महोदय ने इनकी कठिनाइयों को समझ लिया होगा बजट पर चर्चा के दोरान भी सदन में सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के बहुत से सदस्यों ने यह मांग की है कि तेल की कीमतें कम की जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय प्रधान मंत्री से विचार विमर्श करने के पश्चात कीमतों में कमी की घोषणा करेंगे—बहुत कम कमी नहीं जैसा कि पहले किया गया है—लेकिन मुझे आशा है कि वे इसे काफी कम करेंगे।

महोदया मैं आज इस मंत्रालय द्वारा भी कर्नाटक राज्य के साथ किए जाने वाले अन्याय के कारण बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें मालूम है कि पिछले वार बजट पर चर्चा के दौरान भी कर्नाटक के लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि मंगलौर तेल शोधन शाला शीघ्र ही स्थापित की जाएगी। मंत्रालय के प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि भारत सरकार दो तेल शोधनशालायें स्थापित करने की संभावनाओं पर सक्रियता से विचार कर रही है एक करनाल में और दूसरी मंगलौर में। अगले ही पृष्ठ पर मैंने देखा कि सरकार ने करनाल में 1359 करोड़ रुपये की लागत पर संयुक्त क्षेत्र में 60 लाख टन क्षमता वाली नई शोधनशाला के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं मंत्रीजी से पूछता हूं कि मंत्रालय के बजट प्रस्तावों में मंगलौर तेल शोधन शाला का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। पिछले वर्ष इसके लिये आश्वासन दिया गया था। किन्तु मंत्रालय के बजट प्रस्तावों अथवा अनुदान मांगो में इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। इस प्रकार कर्नाटक राज्य के साथ भेद-भाव बरता जा रहा है । महोदय आपको मालूम ही है कि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विजय नगर में इस पात्र संयत्र का क्या हुआ।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

हमें हर वर्ष धोखा दिया जा रहा है। यहां तक कि रेलवे के लिए भी कर्नाटक को सबसे कम धन मिला है। हमने सोचा कि शायद पेट्रोलियम मंत्रालय कुछ न्याय करे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पहले ही यह घोषणा की जा चुकी है कि तेल शोधनशाला संयुक्त क्षेत्र में लगाई जाएगी। मंत्रालय को भली प्रकार मालूम है कि कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए सभी बुनियादी सुविधायें मौजूद हैं। पंडित नेहरू ने वहां पर उपलब्ध सुविधाओं को देखा तो वहां एच० एम० टी०, आई० टी० आई०, बी० ई० एल० और बी० ई० एम० एल० स्थापित करने के आदेश दे दिए। सभी सरकारी क्षेत्र में हैं। कर्नाटक में श्रमिक (चाहे वे कांग्रेस के हों, जनता पार्टी के या किसी अन्य दल के कार्य के प्रति समर्पित हैं। आपको ऐसे लोग देश में और कहीं नहीं मिलेंगे। इसी कारण से कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र के उद्योग भली प्रकार चल रहे हैं और सभी को लाभ हो रहा है। इसीलिए मैं मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि वे अपना उत्तर देते समय इन बातों के पक्ष में वक्तव्य दें।

मुझे दो या तीन बातें और कहनी हैं।

कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से येलहंका में 120 मेगावाट की गैस टरबाइन/डीजल सैट स्थापित करने के लिए डीजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था। कल ही मेरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। मैं पढ़ता हूं। इसमें कहा गया है :

"(क) तथा (ख) : कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड ने येलहंका में 120 मेगावाट की गैस टरबाइन/डीजल सैट स्थापित करने को स्थगित कर दिया है। इस परियोजना के लिए आवश्यक पेट्रोलियम ईंधन निम्न प्रकार बताया गया है :

आई०एस०एच०एस०/एफ०क्यू० — 103,240 टन/वर्ष

एच० एस० डी० — 6664 टन/वर्ष

(ग) कर्नाटक सरकार को हाल ही में सूचना दी गई है कि इन उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी सप्लाई के लिए दिए गए वचन को पूरा नहीं किया जा सकता"

क्यों नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप नहीं चाहते कि कर्नाटक सरकार वहां पर ये संयंत्र न लगाये। यदि आप डीजल नहीं देंगे तो विद्युत संयंत्र कैसे लगेगा? सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि कर्नाटक में बिजली की अत्यन्त कमी है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कर्नाटक राज्य को 120 मेगावाट की विद्युत परियोजना लगाने के लिए गैस टरबाईन के लिए आवश्यक डीजल सप्लाई किया जाये। आप यदि वचन नहीं दे सकते तो ये संयंत्र कैसे लगेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इस पर स्वीकृति दे, ऐसा करके आप इस राज्य को गैस टर्बाइन संयंत्र लगाने के लिए सहायता देगें।

अब मैं एक या दो ऐसी बातों पर आता हूं जिनके बारे में अनेक माननीय सदस्या पहले ही कह चुके हैं। वो पेट्रोल में मिलावट के बारे में हैं। मेरे विचार में अब तक माननीय मंत्री जी

को ये जानकारी अवश्य होगी लगभग सभी शहरों में जहां पर पेट्रोल होता है, ये मिलावट होती है। विशेषकर मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर में भी पेट्रोल में डीजल अथवा मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए। मिलावट खोरों को जेल भेजने सहित कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस मिलावट का परिणाम क्या होता है ? किसी कार या स्कूटर वाले की गाड़ी का इंजन इस मिलावट से खराब हो जाएगा। इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें।

महोदया, प्रत्येक सदस्य ये मांग करता रहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को अधिक एल० पी०जी० कनैक्शन दिए जायें। मैं जानता हूं कि एल०पी०जी० गैस उपभोक्ताओं की संख्या 1 करोड़ से ऊपर हो गई है। इससे एल०पी०जी० की लोकप्रियता का पता चलता है। मिट्टी का तेल प्रयोग करने में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने की संभावनाओं का पता लगायें। प्रतिक्षा सूची में 1 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक गैस का अधिक से अधिक उत्पादन और सप्लाई हो, न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कनैक्शन दिए जाने चाहिए।

एक और बात जो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वो यह है कि हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं कि गैस सिलैंडर फट जाते हैं। आपको लोगों को, विशेषकर गृहणियों को गैस प्रयोग करने के संबंध में जानकारी देनी चाहिए। हाल ही में दिल्ली में गैस सिलेंडर फटने के कारण एक बिल्डिंग गिर गई। अतः आपको चाहिए कि आप लोगों को गैस सिलेंडर प्रयोग करने के बारे में उचित शिक्षा दें।

(व्यवधान)

मिट्टी के तेल के संबंध में मेरा विचार है कि इसकी सप्लाई एक समान नहीं है और विभिन्न राज्यों में मिट्टी का तेल आबंटित करने के लिए कोई तर्किकता नहीं है। हाल ही में बंगलौर के लोगों को मिट्टी के तेल के जबरदस्त अभाव का सामना करना पड़ा। लोग एक बोतल मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिए लम्बी-लम्बी लाइनों में खड़े होते थे। मैं जानता हूं कि इस मामले की जांच करने लिए माथुर समिति नियुक्त की गई है। किंतु मै मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो देखें कि सभी राज्यों को पर्याप्त कोटा दिया जाये, विशेषकर अकाल अथवा सूखे से प्रभावित राज्यों को। ऐसे राज्यों को अधिक कोटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां लोग केवल मिट्टी के तेल पर ही निर्भर करते हैं।

2.09 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईंधन नहीं मिलता और शहरी क्षेत्रों में यह इतना मंहगा है कि लगभग सोने के समान है। अतः मिट्टी का तेल, गरीब आदमी के लिए अकेला ईंधन है।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

इसलिए मैं मांग करता हूं कि सभी राज्यों, विशेषकर सूखे से प्रभावित राज्यों को अधिक कोटा दिया जाये।

श्री सेठी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

महोदया, मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय न्याय करेंगे। कर्नाटक के बारे में मैंने दो ही बाते कहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय गैस टर्बाइन संयंत्र तथा मंगलौर शोधनशाला स्थापित करने में सहायता का वचन दिया था जिसे करनाल शोधनशाला के साथ स्थापित होना चाहिए। एक परियोजना को मंजूरी दिये जाने के बाद दूसरी को भी दी जानी चाहिए थी। मंत्री महोदय ने बताया कि यह संयुक्त क्षेत्र में है। फिर भी कोई बात नहीं है। कृपया आप ध्यान दें कि परियोजना शीघ्र शुरू की जाये।

सभापति महोदय यह विश्वास करते हुए कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे, मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री आर० जीव रत्नम (आरकोनम) : सभापति महोदय, पैट्रोलियम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव मंत्री महोदय के विचारार्थ देना चाहता हूं।

महोदय, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस मंत्रालय के क्रियाकलापों का देश के औद्योगिक विकास तथा अर्थ-व्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है। हमारे समाज के मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण लोगों को ईंधन की पूर्ति करती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण लोगों द्वारा वनों तथा वृक्षों का ईंधन के रूप में नाश न किया जाये, मिट्टी का तेल पूरे वर्ष उपलब्ध किया जाता है। देश के लोग इस मंत्रालय के कार्य को भली प्रकार जानते हैं। विदेशी मुद्रा पर बहुत बड़ा भाग कच्चे तेल के आयात पर व्यय हो जाता है। जब देश में पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाये गये तब देश के सभी भागों से असंतोष प्रकट किया गया। वित्तमंत्री की पत्नी ने भी दूरदर्शन साक्षात्कार में भी गैस के मूल्य बढ़ने पर उनकी आलोचना की। सरकार ने सही लोकतंत्री रूप दर्शाते हुए पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में कुछ कमी की।

महोदय खाना बनाने की गैस एक उप-उत्पादन है। तेल कम्पनियां उसके लिए 500 रुपया जमा राशि लेती हैं। दो करोड़ उपभोक्ताओं का 1000 करोड़ रुपया इन कम्पनियों में जमा है इस पर प्राप्त ब्याज उपभोक्ताओं को नही दिया जाता इसका लाभ कम्पनियां ही उठाती हैं। ऐसी हालत में बार बार मूल्य वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं है। इससे जनता में असंतोष फैलता है। इससे बचना चाहिए। कल प्रश्नकाल के दौरान पैट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार किया कि खाना पकाने की गैस के वितरण में चोर बाजारी विद्यमान है।

गैस विक्रेता आग्रह करते हैं कि जब तक उनसे होट प्लेट न खरीदी जाये गैस कनैक्शन नहीं मिलेगा। वे लोग हाट प्लेटों से अनुचित लाभ कमाना चाहते हैं। मेरी मांग है कि ऐसे विक्रेताओं को कठोर दण्ड दिया जाये। मैं एक और मामले का उल्लेख करना चाहता हूं।

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तेल कम्पनियों का एल. जी. पी. की एजेंसी स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके बच्चों को दी जानी चाहिए। मेरी मांग है कि कम से कम 20% एजेंसियां स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनके बच्चों के लिए आरक्षित करने चाहिए। मैं भी अपने वर्तमान उपराष्ट्रपति के साथ दो वर्ष जेल गया हूं। मैंने मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री को लिखा है तथा उनसे अपील करता हूं कि वे स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए गैस विक्रेता की 20% एजेंसियां आरक्षित रखने का आदेश दें।

महोदय, मैं मिट्टी के तेल की मूल्य वृद्धि को स्वीकार नहीं कर सकता। यह आम आदमी का ईंधन है। आम लोगों की विवशतः वनों तथा वृक्षों को ईंधन के लिए नाश करना पड़ेगा। हम अपने को जनता की सरकार कहते हैं किसी भी हालत में मिट्टी के तेल का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। तेल के मूल्य में वर्तमान वृद्धि को भी कम किया जाना चाहिए।

महोदय, भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री श्री नवल किशोर शर्मा ने घोषणा की थी कि तमिलनाडु थनजेवर जिले में नारीमानम में तेल का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होने लगेगा। इसके अलावा रूसी तेल विशेषज्ञों ने कावेरी बेसिन तेल की भारी विद्यमानता की पुष्टि की है। वहां पर इस कार्य का विस्तार किया जाना चाहिए। मद्रास में तेल शोधन शाला है। मेरी मांग है। उसके साथ पैट्रो रसायन उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य 15 डालर प्रति बैरल मूल्य कम हो गया है। अपनी निक्रिदागत वाध्यताओं के कारण पुरानी दरों पर आयात करना पड़ता है। मंत्री महोदय कच्चे तेल की तदर्थ खरीद के विरुद्ध तर्क दे सकते हैं। तदर्थ बिक्री प्रथा को अपना कर इस कच्चे तेल के आयात पर कम से कम 40% विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। इसे देश के तेल, विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं। पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।

अपनी बढ़ती हुई मांग को कच्चे तेल के क्रय द्वारा पूरा करने के अलावा मैं एक और बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। महोदय तेल की खोज के लिए रिगें हम किराये पर लेते हैं। उनके किराये बहुत ऊँचे हैं। मुझे पता चला है कि 3600 प्रति दिन किराया देना पड़ता है इस पर लगने वाली विदेशी मुद्रा की आय कल्पना कर सकते हैं। दो दिन पूर्व डाक समाचार पढ़ा था कि ब्रिटिश कम्पनी से हेलीकाप्टर खरीदने का करार भारतीय हेलीकाप्टर कार्पोरेशन द्वारा किया गया। यदि हैलीकाप्टरों को खरीद के स्नान पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तेल रिगे खरीदे तो सैकड़ों करोड़ रुपया की विदेशी मुद्रा बच सकती है। आप स्वीकार करेंगे कि इसे अग्रता दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय इस सुझाव पर ध्यान दें।

समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि पम्प सेटों के स्वामी किसानों तथा छोटी विद्युत चालित नौकाओं के स्वामियों पर डीजल के मूल्य वृद्धि का बुरा प्रभाव पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि पम्प सैटों वाले किसानों तथा छोटी विद्युत चालित नौकाओं के स्वामी मच्छुओं को डीजल सस्ते दाम पर दिया जाये।

यदि सरकार वास्तव में तेल की खपत को कम करना चाहती है तो मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का पैट्रोल का कोटा निर्धारित किया जाये। इस

[श्री आर० जीव रत्नम]

बारे में उदाहरण पैट्रोलियम मंत्रालय पेश कर सकता है, यदि पैट्रोल के उत्पादन को काफी करना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बी० के० गठवी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, हम ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत पर चर्चा कर रहें हैं। इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय आने वाले वर्षों में ऊर्जा के महत्व पर न केवल आगामी वर्ष अपितु मानवीय तथा राष्ट्रीय विकास में भी ऊर्जा का अपना महत्व है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है दो दशकों के बीच अश्मीभूत तेल विश्व में उपलब्ध नहीं होगा तथा पूरा विश्व ऊर्जा के नये स्रोतों की खोज में है गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों का अपना महत्व है। हमारा देश सौभाग्यशाली है कि विशेषत: असम के बाद अंकलेश्वर, काम्बे, बम्बई हाई में काफी तेल मिला है। खनिज तेल की और खोज की जा रही है। तब भी मैं मानता हूं। परन्तु अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता हैं क्योंकि ऐसे भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनका अभी सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया। देश के बहुत से क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है। मेरा नम्र निवेदन है सर्वेक्षण सही तरह से नहीं हुआ, जैसा कि होना चाहिए था। अ ततः पैट्रोलियम है क्या ? यह करोड़ों वर्ष से धरती के नीचे दबे पड़े जीवाश्म से उत्पन्न होता है। हम जानते हैं। हम जानते हैं कि कभी कभी किसी स्थान पर समुद्र होता है। विशेषत: मैं कच्छ के रण का उल्लेख करता हूं। मैं समझता हूं कच्छ के रण में तथा मेरे जिले, बासे कन्या में कई वर्ष पहले कुछ कुंए खोदे गये थे जिससे पता चला कि बहुत वर्ष पहले वहां समुद्र था। यदि उचित सर्वेक्षण किया जाये तो मुझे विश्वास है कि इसके उपयोगी परिणाम होगें।

जहां तक बंबई हाई के अण्वेषण का प्रश्न है हम जानते हैं कि यह कार्य वैज्ञानिक आधार पर कर रहा है साथ ही हम सभी कुओं से तेल नहीं निकाल सकते। फिर भी बंबई हाई के वर्तमान स्थान से दक्षिण की ओर अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। विपक्ष द्वारा इस बात की आलोचना की गई है कि जब शेष विश्व में तेल के मूल्य कम हो रहे हैं हमने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाये हैं इसके दो वैध कारण हो सकते हैं।

हमारी पेट्रोलियम के लिए खोज दोतरफा है। एक है अधिक उत्पादन तथा दूसरा है खपत। दोनों मोर्चों पर हम लड़ रहे हैं। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है उत्पादों को उस प्रकार निर्मित किया जाना आवश्यक है कि उनमें मिलावट न हो सके मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब हम विकसित शिल्पविधि की बात करते हैं। हम रंगीन मिट्टी का तेल नहीं पैदा कर सकते, कहा गया है कि इससे गरीब आदमी को हानि होती है। इसके साथ ही मिट्टी के तेल की भारी मात्रा में मिलावट होती है। जब मिट्टी के तेल में मूल्य वृद्धि होती है। तब कहा जाता है कि इसका गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ता है मिट्टी के तेल का मिलावट के लिए भी काफी उपयोग होता है। और इसका परिणाम क्या होता है। इसका मोटरों पर उनकी क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। उस हालत में यदि हम इस पहलु पर राष्ट्रीय क्षति की दृष्टि से ध्यान दें, तब इस मिलावट का बहुत बुरा असर पड़ता है। अत: समय आ गया है कि ऐसा प्रयास किया जाये ताकि मिलावट न हो।

मुझे हैरानी है कि गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोत को खोजने के प्रयास बहुत कम हैं। गैस को ही लें। प्रैट्रोल के अलावा वह भी ऊर्जा है। यह प्रश्न मैं इसलिए रख रहा हूं क्यों कि पैट्रोलियम मंत्रालय में एक आर० एण्ड डी० स्कन्ध है जो कि केवल पैट्रोलियम अपितु अन्य उत्पादों जिनका पैट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल के स्थान पर उपयोग लाया जा सकता है।

हम तटीय तथा तटइर तेल की खोज के लिए प्रौद्योगिकी का सदा आयात करने का प्रयत्न करते हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि हम स्वयं अपनी तकनीक विकसित कर रहे हैं परन्तु हम अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को स्वीकार करते हैं। हम कहते हैं कि हम किसी तेल कूप से 100 प्रतिशत तेल नहीं निकाल सकते। विश्व आंकड़ों से ज्ञात होता है कि यह 60 प्रतिशत तक प्राप्त किया जा सकता है। कभी वे कहते हैं कि पानी अंतःक्षेपण पद्धति से, फ्रेंच पद्धति से और बहुत सी अन्य पद्धतियों से यह 40% तक प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र में भी हमारा अपना स्वतन्त्र शोध तंत्र होना चाहिए क्योंकि हम बाम्बे हाई को देख चुके हैं, जहां महा समुद्र पर रह रहे लोगों द्वारा, अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर अपने परिवारों से दूर रहकर जबरदस्त प्रयत्न किए जा रहे हैं, और वे लोग हमारी बधाई के पात्र हैं चाहे वे छोटे हैं या बड़े हैं, उन्होने काफी हद तक इस देश को संकट से मुक्ति दिलाई है। इस समय वे लोग जो काम कर रहे हैं चाहे वे बड़े हैं या छोटे, चाहे वे रक्षा सेनायें हैं पैट्रोलियम उत्पादन में उनका योगदान उदाहरणीय है। भारत इतना बड़ा देश होते हुए और उसके पास महान क्षमताएं होते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय में और अधिक प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि पैट्रोलियम अन्वेषण का इतिहास बहुत अनोंखा है। एक समय की बात है कि अमेरिका निवासियों ने भारतीय समुद्र तटों का, तटवर्ती और तट से दूर समुद्र का सर्वेक्षण किया था और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि यहां पैट्रोल नहीं है। तत्पश्चात रूसी लोग आये और उन्होने कहा कि वहां पैट्रोल है हमने प्रयत्न शुरू किए और पाया कि पैट्रोल था। आप इतिहास को देख सकते हैं आपने विगत में पश्चिमी देशों के लोगों को ठेके दिये हैं। उन्होने बीच में ही ठेकों को अधूरा छोड़ दिया है और अरबों डालर लगा कर चले गये हैं। अब उन्हीं क्षेत्रों से हम पैट्रोल भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा अपना शोध कार्य और विकास करना बहुत आवश्यक है क्योंकि विविध स्वार्थों ने भी पैट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति और क्षमताओं के बारे में विविध रिपोर्ट दी हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य इस पहलू की जांच पड़ताल करना है। भविष्य में हमें स्वयं निर्णय लेने चाहिये जो इन पहलुओं को बहुत प्रभावित करेंगे।

परन्तु इस अन्वेषण कार्य के अतिरिक्त मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम पेट्रोल के उप-उत्पादों की वांछित मात्रा प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं ? अभी भी बहुत कुछ करना आवश्यक है क्योंकि पैट्रोल के उप-उत्पाद भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और केवल लघु उद्योगों और अन्य उद्योगों के विकास की दृष्टि से ही नहीं अपितु रोजगार उत्पन्न करने के मार्ग को प्रशस्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। हम जितने अधिक उप-उत्पादों का उत्पादन करते हैं यह बहुत अच्छा है। परन्तु हमारे देश में कितने नैफ्था भंजक हैं ? हमारे यहां स्थलावतरण भी होता है जहां से हमें गैस मिलती है और उर्वरक उद्योग की सहायता के लिए बहुत सी दूसरी वस्तुयें मिलती हैं। परन्तु हमारी गैस की स्थिति क्या है ? क्या हम देश में उत्पादित समस्त गैस का उपयोग करने की

[श्री बी० के० गठवी]

स्थिति में हैं जो कुओं और अन्य श्रोतों से प्राप्त होती है ? यदि नहीं तो क्या हम राष्ट्रीय सम्पत्ति का यूं नष्ट होते जाना बर्दाश्त कर सकते हैं ? कितनी अधिक मात्रा में गैस का प्रज्वलन हो रहा है क्यों कि हम इसे काम में लाने की स्थिति में नहीं हैं। प्रतिदिन सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि एल० पी० जी० गैस की मांग बढ़ रही है, हम ग्रामीण लोगों को एल० पी० जी० सिलैंडर प्रदान नहीं करते हैं। वे अभी तक पारम्परिक ईंधन गोबर, लकड़ी एवं ज्वलनशील लट्ठों का प्रयोग करते हैं। जंगलों के विनाश को रोकने की दृष्टि से एवं गांवों में इस कीमती जैविक खाद को बचाने की दृष्टि से उनको वैकल्पिक ईंधन सुलभ कराना होगा। परन्तु हम उनको गैस सिलैंडर देने की स्थिति में भी नहीं हैं। दूसरी ओर, इस विषय पर हमारी नीति क्या है ? हम लाइसैंस देते हैं, आशय पत्र देते हैं। पहले यह महसूस किया गया कि हम मानक स्तर पर गैस सिलैंडर बनाने की स्थिति में नहीं है। तब हम विभिन्न व्यक्तियों और ठेकेदारों को गैस सिलैंडर बनाने के लिए आशय पत्र देते हैं परन्तु अब तक भी सिलैंडर हम विदेशों से आयात करते हैं और उन कारखानों को आदेश नहीं दिये गये हैं। इसकी जांच-पड़ताल करवानी चाहिए। लघु स्तर पर काम करने वाले गरीब लोगों ने लाखों रुपये निवेशित कर दिये हैं, उन्होंने बैंकों से पैसा उधार लिया है; उनके कारखाने बन्द हो रहे हैं क्योंकि उनके लिए कोई मण्डी नहीं है। गैस सिलैंडरों के लिए क्या मण्डी हो सकती है ? केवल तेल निगम ही मण्डी है और यह श्रोत उनके लिए बंद हो गया है। इसका विस्तार नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसकी जांच पड़ताल करेंगे क्योंकि हमें उन लोगों को भी प्रोत्साहित करना है। आखिरकार इसमें हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। वे इसे नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई भी कारण हो, कारण मैं जानता हूं, परन्तु मैं उन्हें कहना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री से इस पहलू की जांच करने के लिए अनुरोध करूंगा।

दूसरा पहलू यह है। मैंने बोम्बे हाई में काम करने वाले लोगों के हालात देखे हैं। मैंने तटवर्ती और तट परवर्ती कुओं की खुदाई कार्य करने वाले लोगों के हालात देखे हैं। यह बहुत कठिन कार्य है जो वे कर रहे हैं। अभी काडी तेल क्षेत्र में आग लग गयी थी। शायद मुझे नहीं मालूम स्वाभाविक रूप से अचानक आग बुझ गई। यह रिपोर्ट थी कि शायद यह अधिक समय तक चलेगी परन्तु सौभाग्यवश यह नहीं हुआ। जैसा कि मैं कह रहा था वहां जो लोग कार्यरत हैं वे कठिन कार्य कर रहे हैं। और उन्हें कितनी राशि का बीमा सुरक्षा कवच दिया गया है। वायुयान चालकों को बहुत अधिक राशि का बीमा सुरक्षा कवच दिया जाता है यही बात केविन कार्मिक दल के साथ है। परन्तु इन लोगों के लिए जो तेल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आप बीमे की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? क्या आप समझते हैं कि वह काफी है ? मैं सुझाव दूंगा कि उनके परिवार के लिए इस सामाजिक सुरक्षा को साधन, बीमे की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो आपको उनका प्रीमियम भी स्वयं देना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जो मैं रखना चाहता हूं वह मेरे राज्य से सम्बन्धित है। जहां तक ओ. एन. जी. सी. और दूसरे महकमों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति का सवाल है, स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या माननीय मन्त्री जी मुझे ये आंकड़े देंगे कि कितने स्थानीय लोगों को इन महकमों में नियुक्त किया गया है ? यह आपका अपना ही

निर्देश है कि स्थानीय लोगों को तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। परन्तु स्वयं आपके विभाग द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस बारे में लोगों में बहुत रोष है कि तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी स्थानीय लोग नियुक्त नहीं किये जा रहे हैं और बाहर से लोगों को लिया जा रहा है। यह असंतोष और दूसरी कई अन्य प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है।

जहां तक राजशुल्क का प्रश्न है गुजरात और असम भी राजशुल्क की मांग कर रहे हैं। गुजरात काफी पहले से इसकी मांग कर रहा है। आप तेल कुओं के स्तर पर मूल्य वृद्धि कर रहे हैं। क्या कारण है कि गुजरात का यह राजशुल्क इतनी लम्बी अवधि से नहीं चुकाया गया है? विकास के लिए उसमें हमारा हिस्सा है और यह हमें मिलना चाहिए। प्रत्येक दिन हमें बताया जाता है कि यह चुकाया जाने वाला है, चुकाया जा रहा है, लगभग चुकाया जा चुका है और इत्यादि। परन्तु कुछ नहीं हो पाया है। मैं इसलिए आग्रह करूंगा कि जहां तक गुजरात को राजशुल्क देने का प्रश्न है इसमें आड़े आ रही समस्यायें सुलझाई जानी चाहिए; मैं मांग करूंगा कि राजशुल्क कम से कम 20 प्रतिशत होना चाहिए। जो राजशुल्क वे दे रहे हैं वह इतनी नकली कीमतों पर आधारित है कि वे यह ध्यान नहीं देते हैं कि उन्हें तेल के लिए क्या असल कीमत प्राप्त हो रही है। मैं कहूंगा कि यह कीमत कम से कम बाजार भाव के या इसके विक्रय मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए।

मैं निवेदन करूंगा कि देश के विशेषत: पश्चिमी भागों राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान से लगने वाले इलाकों में हमारे पास भी उसी प्रकार थोड़े से निक्षेप हैं जैसे सूई के मैदान और अन्य क्षेत्रों में हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के नजदीक हम कुछ और कार्य कर सकते हैं। क्योंकि वे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं वहां सुख सुविधायें कम है सहूलियत कम है। वहां कभी पीने के पानी की भी समस्यायें आती हैं। अत: आपके सर्वेक्षण और खोज के दल वहां अधिक समय तक रहना पसन्द नहीं करते हैं जिससे परिणाम प्राप्त हो सकें।

अत: मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में खोज की जानी चाहिए और उत्तरी गुजरात के उन क्षेत्रों जहां आपको महसाना और कलोल में रमणीय तेल क्षेत्र मिले। मैं भी पदार्थ खोज की जानी चाहिए वे परिरक्षित तेल क्षेत्र हैं। उत्तरी गुजरात के पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों वेव, थराद और संचूर और अन्य ताल्लुक और तहसीलों में भी थोड़ा और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए।

आपको राज्य सरकार से बात करनी चाहिए। यदा कदा हम तेल के कुऐं भी खोदते हैं। खोदने के उपरान्त कभी हमें तेल नहीं मिलता है। कई बार इन कुओं से केवल पानी की ही प्राप्ति हो सकती है। जब कभी इस प्रकार के कुओं से तेल नहीं मिलता है तो आप उनमें डाले गये पाइप बाहर नहीं निकालते हैं। ये पाइप हमेशा वहीं पड़े रहते हैं, वे फिर बाहर नहीं खींचे जाते हैं। इस प्रकार के कुएं पीने के पानी इस्तेमाल के लिए दे दिये जाने चाहिऐं। इस प्रकार इनका और अच्छा उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य सरकार से मशविरा कर रहे मंत्रालय को इस मुद्दे की जांच करनी चाहिए, और यदि सम्भव हो तो उन्हें कोई हल निकालना चाहिए, ताकि जितनी भी पूंजी

[श्री बी० के० गठवी]

आपने लगाई, जो भी खर्च आपने वहन किया, उसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा सके, भले ही जिस कारण से कुऐं खोदे गये थे उसकी पूर्ति न हो पाये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं असम से जो एक तेल क्षेत्र है, आया हूं जो कि 21 मिलियन टन के कुल कच्चा तेल उत्पादन में से लगभग 5 मिलियन टन का उत्पादन करता है जो कि बम्बई के पास गहरे-समुद्र से होने वाले उत्पादन के बाद दूसरे स्थान पर है,

हमारे पास एक पहले ऐसे तेल शोधक कारखाने होने की ख्याति है जिस पर चर्चा में दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने भी भाग लिया । असम ने 1984-85 में 4.893 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया इसकी तुलना में गुजरात ने 3.9 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया, और असम ने 2.050 बिलियन स्टैण्डर्ड घन मीटर गैस का उत्पादन किया जबकि इसकी तुलना में गुजरात ने 0.775 बिलियन स्टैण्डर्ड घन मीटर गैस का उत्पादन किया ।

जब हम यह तुलना करते हैं तो मुझे तो यह कहते हुए बड़ा खेद होता है कि जहां तक इन दो राज्यों में विकास और संसाधनों के उपयोग का सम्बन्ध है, हालातों में बड़ी भिन्नता है ।

मैं शिवसागर से आया हूं जहां कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय है, पेट्रोलियम मंत्रालय की इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को बड़े आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कई अच्छे पहलु हैं—इसमें कोई संदेह नहीं—क्योंकि केवल 0.03 मिलियन टन से प्रारम्भ कर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अब 2.5 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा है और 7 वीं योजना के अन्त में लक्ष्य लगभग 4 मिलियन टन का होगा । अब, इस कुल तेल उत्पादन में से, असम के हिस्से में संख्या में तो तीन तेल शोधक कारखाने आयेंगे लेकिन उसे केवल 2.12 मिलियन टन परिशोधन करने की अनुमति दी गई है । इसका अर्थ यह है कि हमारे यहां जितने तेल का उत्पादन होता है उसका अधिकांश, इस राज्य से बाहर स्थित तेल-शोधक कारखानों द्वारा परिशोधन किया जाता है । सात तेल शोधक कारखाने ऐसे हैं जो असम के सारे तेल शोधक कारखानों को जितना परिशोधन करने की अनुमति है, उससे अधिक उत्पादन तथा परिशोधन करते हैं । कोयाली तेल शोधक कारखाना जिसकी क्षमता 7.5 मिलियन टन है । मथुरा तेल शोधक कारखाना है जिसकी क्षमता 6 मिलियन टन है । असम से बाहर 5 या 6 तेल शोधक कारखाने हैं जो कि असम के अन्दर के सारे तेल शोधक कारखानों की कुल क्षमता से अधिक उत्पादन करते हैं । यह एक क्रूरतापूर्ण बात है । असम को छोड़कर और कहीं ऐसा नहीं हो सकता था । मंत्रालय की रिपोर्ट में दिग्बोई तेल-शोधक कारखाने के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की कोई योजना हम नहीं देखते और दिग्बोई भारत का प्रथम तेल-शोधक कारखाना है, गौहाटी को 8.7 करोड़ रुपया लगाकर आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है । हम मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देते हैं लेकिन दिग्बोई तेल-शोधक कारखाने ने क्या गलती की है जोकि इसके विस्तार तथा आधुनिकी-

करण के लिये कोई भी योजना नहीं बनायी गयी है। क्या देश के हित में, तेल शोधक, विपणन तथा अन्य सहायक उद्योगों के सम्बन्ध में 85 वर्षों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की हमें आवश्यकता नहीं है ? इण्डियन आयल कारपोरेशन के अन्तर्गत असम आयल डिविजन में जो कुछ भी बचा है उसमें भी कटौती करने की बात भीतर ही भीतर चल रही है, हम इस प्रस्ताव पर अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं जिसके द्वारा असम आयल कम्पनी डिविजन को पूर्णतया बड़ी इण्डियन आयल कम्पनी में विलीन कर दिया जायेगा, हमारी सभी योजनाओं में सामाजिक-आर्थिक पहलू को ध्यान में रखा जाना है। अत: हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं करेगा जिससेकि दिग्बोई स्थित असम आयल कम्पनी की पहचान, परम्परा तथा विशेषज्ञता को खतरा उत्पन्न हो जाय।

महोदय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा तेल उत्पादों पर अनुसंधान के लिये सारे देश में लगभग 8-10 अनुसंधान केन्द्र हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में, जोकि पेट्रोलियम उत्पादों की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करता है, एक भी अनुसंधान केन्द्र — यहाँ तक कि उप अनुसंधान केन्द्र--भी नहीं रहा है। मैं महसूस करता हूं कि मंत्रालय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहीं पर, और विशेषकर असम में एक पेट्रोलियम तथा गैस अनुसंधान संस्थान खोलने के लिये कुछ करना चाहिये,

अब, भर्ती के विषय में दो शब्द कहूंगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्वी क्षेत्र में गतिविधियों की सूची में यह दिखाया गया कि 80 प्रतिशत स्थान कर्मचारियों को भर्ती करके इसने क्षेत्रीय विकास में योगदान दिया है। निःसंदेह यह पढ़ने ने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं जो कि स्वयं ही बोलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या 1843 है जिसमें से केवल 227 ही स्थानीय है। द्वितीय श्रेणी में यह संख्या 805 है। जिसमें स्थानीय निवासी 597 है। यह एक बुरा अनुपात नहीं है। तृतीय श्रेणी में यह आंकड़ा 6536 है जिसमें से 5503 स्थानीय निवासियों के रूप के दिखाये गये हैं। द्वितीय श्रेणी में कुल संख्या है 2206 और उसमें से 2031 स्थानीय लोग हैं।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूगा कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि दूसरे स्थानों से सम्बन्ध रखते हैं, ऐसे स्थानों से जो कि राज्य से बाहर हैं, लेकिन वे किसी तरह स्थानीय रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज करवा लेने में सफल हो जाते हैं, उन्हें भी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य करने वाले स्थानीय लोगों के रूप में समझा जाता और उसी रूप में दिखाया जाता है।

फिर एक और मनोरंजक पहलू है। प्रथम श्रेणी सम्वर्ग में पूर्वी जोन के लिए स्वीकृत पद 1281 थी और इस संख्या के विपरीति 1893 अधिकारी काम कर रहे थे जिसका अर्थ है 612 अतिरिक्त थे। क्यों ? द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सम्बन्ध में भी यही बात है। हांलाकि कुछ स्वीकृत पद 625 थी, इस समय 757 द्वितीय श्रेणी अधिकारी हैं; अर्थात 132 अतिरिक्त हैं। ऐसा क्यों हैं ? तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सम्बन्ध में, स्थिति उलटी है। द्वितीय श्रेणी में कुल स्वीकृत पद हैं 6689 जबकि 6522 लोग कार्य कर रहे हैं, अर्थात 167 लोगों की कमी, चतुर्थ

[श्री पराग चालिहा]

श्रेणी के सम्बन्ध में भी यही बात है, जबकि कुल स्वीकृत पद है 2536, काम करने वाले लोगों की संख्या है 2218 अर्थात 318 की कमी। क्यों ?

मैं यहां पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ खड़ा हूं और मैं यह भी कहता हूं कि मेरे क्षेत्र ओ० एन०जी०सी० शिवसागर में ड्राइवर तथा अर्दली तक राज्य के बाहर से लिये गये हैं ? यह भेद-भाव क्यों ?

जैसा कि हमें बताया गया है उससे आशय यह निकलता है कि स्थानीय एजेन्सियों के माध्यम से तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती स्थानीय आयोग द्वारा 1985 के माध्यम से रोक दी गई है। लेकिन, कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि स्थानीय एजन्सियों के माध्यम से भर्ती को रोका नहीं गया है। मैंने माननीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा है कि इस विषय की जाँच करें तथा यह सुनिश्चित करें कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा हमारे साथ ऐसा व्यवहार न हो। इससे बड़ी अप्रसन्नता फैल गयी है तथा यह मुझे विश्वास है कि पेट्रोलियम मंत्री जी कृपापूर्वक इसकी जाँच करेंगे तथा अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा करेंगे।

हमारी मांग है कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की, क्षेत्रीय चयन बोर्ड तथा स्थानीय रूप से साक्षात्कार लेकर भर्ती किया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऐसे पदों के लिये विज्ञापन राज्य या क्षेत्र के स्थानीय अखबारों में दिए जाने चाहिए। हमारी यह भी माँग है कि तकनीकी तथा विशेषज्ञ पदों को छोड़कर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सेवाओं में उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए कम से कम 40% तक आरक्षण किया जाना चाहिए।

रायल्टी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस 41/- रुपये प्रति मीट्रिक टन की रायल्टी को बढ़ाकर 61/- रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया जब कि कच्चे तेल की कीमत केवल रु० 305=40 प्रति मीट्रिक टन थी। 1984 में एक संशोधन किया जाना था। अब कच्चे तेल की कीमत रु० 305/- से बढ़ कर रु० 1382/- हो गई है जो कि 400 प्रतिशत की वृद्धि है, लेकिन रायल्टी अभी भी वही है, असम और गुजरात क्षेत्रों के लिए रु० 61/- प्रति मीट्रिक टन है। इन दोनों राज्यों को आय के एक बहुत वैध, निर्दोष तथा उचित स्रोत से क्यों वंचित किया जा रहा है ? पेट्रोलियम मंत्री कृपया इसकी जांच करें और हमारी सहायता करें।

अब, गैस के बारे में। पिछले दो दसक से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग संयुक्त गैस का उत्पादन करते आ रहे हैं। वास्तव में, आयल इण्डिया लगभग 30 प्रतिशत गैस को जला देता है। जबकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में 80 प्रतिशत से भी अधिक गैस जलकर बेकार हो जाती है किन्तु ऑयल इण्डिया में इस प्रकार 30 प्रतिशत गैस ही बेकार होती है। ऐसा क्यों होता है? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इण्डिया, दोनों में प्रतिवर्ष 80 करोड़ स्टैंडर्ड घन मीटर गैस जलकर बेकार होती है जोकि गुजरात में गैस के कुल उत्पादन से भी अधिक है, जो 75.50 करोड़ स्टैंडर्ड घन मीटर है। इसका मतलब यह कि हम असम के तेल वाले क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंडर्ड घन

मीटर गैस प्रतिदिन जलाकर बेकार करते हैं और 40 लाख रुपये प्रतिदिन, 12 करोड़ रुपये प्रति माह और 144 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष नुकसान करते हैं। इतना पैसा फूंक दिया जाता है।

वर्ष 1982 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छः बड़ी उर्वरक फैक्ट्रियों में गैस प्रदान करने के लिए 1750 करोड़ रुपए की लागत पर 1700 किमी० गैस पाइप लाइन बिछाने के एक गैस-कार्य-बल को गठित किया था। हम इसका स्वागत करते हैं और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ये बड़ी परियोजना शुरु कर दी गई है। किन्तु असम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इस गैस को प्रयोग करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि असम में जलकर नष्ट हो रही गैस के उपयोग के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण कोई योजना बनाए क्योंकि जैसा पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रतिवेदन से स्पष्ट है पूर्वी क्षेत्र में एक समेकित गैस परियोजना चलाने का मामला विचाराधीन है।

हमें यह भी बताया गया है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की फरक्का में गैस पर आधारित उद्योग लगाने की योजना है। हमें हैरानी है, असम के लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। असम में बड़ी मात्रा में गैस जलकर नष्ट हो जाती है और शेष में से एक भाग असम से बाहर ले जाया जा रहा है, परिणामस्वरूप असम में जलकर नष्ट होने वाली गैस के उपयोग के लिए परियोजना चलाने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए हम मांग करते हैं कि असम में जलकर नष्ट हो रही गैस के उपयोग के लिए शीघ्र ही कोई योजना बनाई जानी चाहिए।

मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय ने हमें बताया कि नामरूप में भारतीय उर्वरक निगम ए० एस० बी० तथा कुछ अन्य चाय बागानों में केवल 10000 घन मीटर गैस ही दी जानी है। वास्तव में यह हास्यास्पद है। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कालोनी शिवसागर जहां लगभग 5000 लोग रहते हैं, में गैस लाइन नहीं है, हांलांकि वहां पर छः या सात वर्ष पहले यह परियोजना लगाने का प्रस्ताव था। शिवसागर में गैस लाइन नहीं है यद्यपि डिगबोई एवं दुलियाज के लोगों को कुछ सुविधायें हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शिवसागर, डिब्रूगढ़, जोरहाट तथा तेल वाले अन्य क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए गैस लाइन लगाने का कार्य शीघ्र शुरु किया जाना चाहिए।

गुजरात में एक पेट्रो-केमिकल्स कॉम्पलैस पहले ही शुरु किया जा चुका है। किंतु असम में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा ? हमारी मांग है कि असम में पेट्रो-केमिकल काम्पलैक्स शुरु करने के लिए भी कुछ किया जाये।

(व्यवधान)

वर्ष 1984-85 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 1627.41 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ था। इसमें से 325 करोड़ रुपये सरकार को लाभांश के रूप में दिए गए। किंतु असम में तेल वाले क्षेत्रों, विशेषकर शिवसागर के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया क्षेत्रीय विकास के नाम पर शिवसागर टैंक के पास सरकारी आवासीय क्षेत्रों में कुछ लाइटें लगा दी गई हैं। हमारी यह तीव्र भावना है कि शिवसागर के तेल वाले इलाकों तथा अन्य शहरों के विकास के लिए वास्तव में कुछ

[श्री पराग चालिहा]

किया जाना चाहिए। भूतपूर्व मंत्री तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कद्रदान श्री के० डी० मालवीय ने 1956 में ही कहा था कि शिवसागर को बदल दिया जाएगा और यह तेल वाला इलाका बन जाएगा। लगभग 21 वर्ष बीत गये हैं किंतु शिवसागर को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया।

महोदय, हम जानते हैं कि वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री को बिहार जैसे पिछड़े राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में तथा अन्य प्रकार से भी काफी अनुभव प्राप्त है। और हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री असम की स्थिति पर ध्यान देगें, जहां पर क्षमता बहुत कुछ करने की है परन्तु लोग गरीब हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी को शिवसागर आने का आमन्त्रण देते हैं क्योंकि एक दौरा पहले ही रद्द किया जा चुका है, जिसका कारण हमें मालूम नहीं। इसलिए उन्हें स्वयं वहां जाकर वस्तुस्थिति को देखना चाहिए कि वहां कितना पिछड़ापन है। असम के तेल वाले इलाके अभी तक लाभ से कितने वंचित हैं।

सभापति महोदय : निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव जिनकी सूचना सर्वश्री के० रामचन्द्र रेड्डी तथा पराग चालिहा द्वारा दी गई है, प्रस्तुत माने जायें :

प्रस्ताव करने वाले सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव संख्या
सर्वश्री	
के० रामचन्द्र रेड्डी	1 से 18
पराग चालिहा	25 से 36

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिंदूपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्यालय को मद्रास की बजाय आध्र प्रदेश में स्थापित करने की आवश्यकता। (1)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

वर्ष 1985-86 के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आबंटित राशि का पूरी तरह उपयोग करने मेंअस फलता। (2)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूंजी अर्जन कार्यक्रम की उपलब्धि में कमी। (3)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

1985-86 में कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 301.4 लाख टन से घटाकर 299.4 लाख टन करना। (4)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।'

बजट में बी०एस० तथा आई०ई०बी०आर० शोधित तेल के लक्ष्य को 2996.68 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3216 करोड़ रुपये कर देने के बावजूद वर्ष 1986-87 में कच्चे तेल के बारे में 302.1 लाख टन का कम लक्ष्य रखना। (5)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

हजारिया-बीजापुर-जगदीशपुर (एच०बी०जे०) गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण करने में विलम्ब न करने की आवश्यकता। (6)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

कच्चे तेल के आयात तथा आयात पर लागत को कम करने की आवश्यकता। (7)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

पेट्रोलियम उत्पादों तथा कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है। (8)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

आन्ध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों की खोज तथा उनको प्राप्त करने में तेजी लाने आवश्यकता। (9)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए एल०पी०जी० सिलेंडरों में मूल्य वृद्धि रोकने की आवश्यकता। (10)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।'

बम्बई तथा अन्य स्थानों में अन्वेषणात्मक तेल कूपों में गैसों तथा तेल में आग भड़कने पर नियंत्रण करने की आवश्यकता। (11)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

गैस तथा तेल की चोरी रोकने की आवश्यकता। (12)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

उन किसानों जिनकी भूमि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिग्रहण करली गई है, के परिवार के सदस्यों को नौकरियां देने की आवश्यकता। (13)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रु० कम किये जायें।"

उन किसानों को जिनकी भूमि को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता। (14)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

देश में तेल शोधन कारखाने बन्द न होने देने के लिए पग उठाने की आवश्यकता। (15)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा अर्जित भारी लाभों का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता। (16)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।'

गोदावरी तट पर तेल के भंडारों की खोज तथा उसे प्राप्त करने में तेजी लाने की आवश्यकता। (17)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

आन्ध्र प्रदेश में तट दूर छिद्रण के लिए गोदावरी में या उसके आसपास तेलशोधक कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता। (18)

श्री पराग चालिहा : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें ।"

अपर असम के तेल उत्पादन क्षेत्रों के निकट एक शोधनशाला स्थापित करने की आवश्यकता । (25)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

डिगबोयी में देश की प्रथम शोधनशाला (ए०ओ०सी०) का विस्तार तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता । (26)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

भूतपूर्व ए०ओ०सी० जो अब भारतीय तेल निगम का एक प्रभाग है, को अलग बनाये रखने की आवश्यकता जैसाकि असम आयल की तुलना में भारतीय तेल निगम प्रशासन में प्रायोजित पुनर्गठन की परिकल्पना की गयी है । (27)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।'

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में भारी लाभों का उपयोग असम शिव सागर तेल क्षेत्रों में भौतिक तथा पर्यावरण सबंधी बिकास में करने की आवश्यकता । (28)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

अपर असम के तेल क्षेत्रों में पेट्रो-रसायन समूह स्थापित करने की आवश्यकता । (29)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा अब तक जला कर नष्ट किये जाने वालीं प्राकृतिक गैस का पूरी तरह उपयोग करने की आवश्यकता । (30)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं ।"

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन लगभग 20 लाख मानक घन मीटर प्राकृतिक गैस का उपयोग करने में असफलता । (31)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

असम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के आवासीय क्षेत्रों तथा शिवसागर, डिबरूगढ़ और जोरहाट जिलों के तेल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों के लिए एल०पी०जी० कनैक्शनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (32)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

अपर असम के तेल उत्पादक क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त स्थानीय लोगों को उपयुक्त नौकरी देने की आवश्यकता। (33)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कच्चे तेल पर स्वामित्व को बढ़ाकर 336 रुपये प्रति टन कर देने की आवश्यकता, जैसाकि असम राज्य सरकार द्वारा मांग की गई है। (34)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

असम में एक अनुसंधान तथा विकास संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता। (35)

"कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

उन कृषकों, को जिनकी, भूमि को तेलशोधक कारखाने के भारी बहिस्राव के कारण निरन्तर क्षति हुई है पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता। (36)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, बोलने का जल्दी अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बजट अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

जहां तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का सम्बन्ध है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने राहत की सांस ली होगी क्योंकि बहुत दिनों से वह कीमत वृद्धि के सम्बन्ध में किए जा रहे राष्ट्रीय आन्दोलन के केन्द्र बने हुए हैं। शायद शाहबानों और अब शोभराज उनके बचाव के लिए आ गए हैं और देश का ध्यान कीमत वृद्धि की समस्या से हट गया है। हम सभी महसूस करते हैं कि कीमतों में वृद्धि करना उन कारणों से जरूरी हो गया है जिनके बारे में समाचार और मंत्रीजी बेहतर जानते होंगे। लेकिन जहां तक कीमत वृद्धि के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का सम्बन्ध है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे विश्वास

है कि जिन कठिनाईयों का सामना लोग कर रहे हैं और जिनका सामना मंत्रीजी को करना पड़ेगा, वे निकट भविष्य में हल हो जाएगीं।

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध, ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण निश्चित तौर पर निराशा उत्पन्न हुई है । मैं एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। गांवों में मिट्टी का तेल ही मूल्यतः उर्जा का साधन है। मंत्रालय के दृष्टि कोण से मिट्टी के तेल में थोड़ी सी वृद्धि की गई होगी पर इससे गरीबों के बजट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जहां तक डीजल की कीमतों में वृद्धि का सम्बन्ध है, इससे किसानों के लिए वास्तव में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है माननीय मंत्री इस सदन में विद्वान और अनुभवी मंत्रियों में से हैं। वह जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हम पूर्णत यांत्रिक करने की ओर बढ़ रहे हैं । इसीलिए डीजल कृषि में सुधार के लिए वास्तव में जीवनाधार है ।

डीजल की कीमतों में वृद्धि से कीमतों पर और अब कृषि पर प्रभाव पड़ा है । सभापति महोदय, हाल ही में हमने सूखे की स्थिति, कृषि उत्पादों, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उनकी मात्रा या गुणवत्ता पर असर, की चर्चा की थी और कहा था कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता या संरक्षण मूल्य से हितों की उस सीमा तक सुरक्षा नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि निवेशों जसे डीजल की कीमतों में वृद्धि करने से कृषकों को मशीनों से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने पर निश्चय ही बल्कि विपरीत प्रभाव पडेगा जबकि मशीनों द्वारा खेती आवश्यक और समय की मांग है। शहरी बसों तथा स्थानीय रेल गाड़ियों में यात्रा करने वाले भी डीजल की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हुए हैं क्योंकि इससे दिल्ली नगर निगम की बसों और अन्य बसों के किराए भी बढ़े हैं ।

3.00 म.प.

यहां तक की हवाई यात्रा के किराए में भी बढ़ोतरी हुई है। इन बढ़ती कीमतों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि लोग चिंतित हो गए हैं। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पर दोबारा विचार किया जाए या यूं कहिए कि तीसरी बार विचार किया जाए क्योंकि कीमतों में वृद्धि करने के पांच दिन बाद दूसरी बार विचार किया गया था और राहत दी गई थी। मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के लिए तीसरी बार विचार करने की तत्काल जरूरत है।

पेट्रोल का अधिकतम उपयोग सरकारी निगमों या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के वाहनों द्वारा किया जाता है। कीमतों में वृद्धि करके आप एक मंत्रालय की अधिक धनराशि को पेट्रोलियम मंत्रालय को स्थानांतरित मात्र कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भारत भर में जिला मुख्यालयों में कार्यकारी घंटों और गैर कार्यकारी घंटों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में से अधिकतर वाहन सरकारी वाहन होते हैं। मुझे विश्वास है कि इन्हें चलाना बंद कर दिए जाने पर पेट्रोल, तेल तथा स्नेहकों पर सरकारी व्यय में काफी कमी होगी और मितव्यता की जा सकेगी जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।

एक दूसरी समस्या जिससे हर कोई प्रभावित है वह है मिलावटी पेट्रोल और ऐसे कानूनों

[श्री अजय मुशरान]

का अभाव जिसके अन्तर्गत कड़ी सजा दी जा सके। यही स्थिति उस समय भी हमारे सामने थी जब हम नशीले द्रव्यों के सेवन की चर्चा कर रहे थे। मुझे खुशी है कि इस सदन में एक विधेयक लाया गया है और अब नशीले द्रव्यों की लत तथा उसके अवैध व्यापार में कमी आ रही है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पर इसी तरह विचार किया जाए और अलग से एक विधेयक बनाया जाए जिसके अन्तर्गत मिलावट करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके। ऐजेंसी या परमिट को रद्द करने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि यह काम किसी और व्यक्ति के नाम से भी किया जा सकता है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस पहलू विशेष की ओर ध्यान दिया जाये।

जहां तक खाना पकाने की गैस का सम्बन्ध है, कीमत में वृद्धि के अलावा हर घर और हर गृहणी को इस मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है कि गैस के सिलेंडर या तो आधे भरे होते हैं या उनका इस्तेमाल किया जा चुका होता है। कीमत में ही आपने वृद्धि नहीं की बल्कि आधे भरे सिलेन्डरों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो दो समस्याएं हो गई हैं। अगर आपने कीमतों में वृद्धि की है तो आप गैस एजेंसियों के माध्यम से यह तो कर सकते हैं कि सिलेंडरों को पूरी तरह भरा जाए तथा उनकी चोर बाजारी न हो। ऐसे बहुत से मामले में हैं जिनमें जहां ईमानदार गैस एजेंटों को परेशान किया गया है।

मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इण्डियन आयल निगम के अधिकारियों की सांठ-गांठ से उनके एजेंट तथा सिलेंडर लाने ले जाने वाले कर्मचारियों का एक दल खाना पकाने की गैस की चोर बाजारी कर रहा है। इसका भंडाभोड़ किया जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, जिसके पास खाना पकाने की गैस की एजेंसी है—उनके कहे अनुसार नहीं चलती तो उसकी एजेंसी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में एक मामला हुआ था जिसमें खाना पकाने का गैस की एजेंसी चलाने वाले एक भूतपूर्व सैनिक को परेशान किया गया था। उसकी एजेंसी को निलम्बित कर दिया गया। उसे कहा गया कि गैस सिलेंडरों का उसका कोटा बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने कुछ और सिलेंडर खरीद लिए। कोटा तो बढ़ा नहीं पर उसकी एजेंसी को रद्द कर दिया गया क्योंकि उसने काला बाजार करने के धंधे में लगे इंडियन आयल कार्पोरेशन के अधिकारियों और वाहकों का अनुसरण नहीं किया। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस समस्या पर विचार करेंगे।

एक और समस्या युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों को खाना पकाने की एजेंसी भूतपूर्व सैनिको तथा भूतपूर्व सैनिक सहकारी समितियों तथा पेट्रोल की डीलरशिप देने के बारे में है। विभिन्न व्यक्तियों को दी जाने वाली इन एजेंसियों, पेट्रोल डीलरशिप या पेट्रोल पम्पों के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि इस मन्त्रालय के माध्यम से जब हम युद्ध में वीरगति प्राप्त, युद्ध में निशक्त हुए और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में हमें एक ऐसे व्यक्ति को सहारा देना है जिसके पास उतनी जमानत देने के लिए उतने साधन नहीं हैं जितनी एक आम

व्यक्ति दे सकता है। उस व्यक्ति या महिला में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रक्रिया संबंधी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नीचे से ऊपर तक के अधिकारी तथा इस कार्यालय से उस कार्यालय तक दौड़ धूप कर सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि मंत्रालय में एक समिति का गठन किया जाए जिसमें रक्षा पुनर्वास निदेशालय के कुछ व्यक्तियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाये और ये लोग निगरानी रखें कि कितने लोगों को ये एजेंसियां दी जा रही हैं। इन दोनों श्रेणियों के लिए कुछ कोटा निर्धारित है पर वह कभी पूरा नहीं होता क्योंकि प्रक्रिया संबंधी रुकावटें हैं और इन दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत वाले लोग अर्थात भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियां इन एजेंसियों के लिए अनुरोध करने के दौरान बीच में ही निरूत्साहित हो जाते हैं। अत: माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। अगर आप उन्हें वास्तव में कल्याण संबंधी लाभ उपलब्ध कराना चाहते हैं तो व्यावहारिक तौर पर ऐसा करिये। केवल कागज पर लाभ देना काफी नहीं। उन्हें इन विभिन्न प्रक्रियात्मक रुकावटों से बचाया जाना चाहिए।

मैं मंत्रालयों में विभिन्न अफसरों और एजेंसियों को लिखता रहता हूं। मुझे उत्तर मिलता है "कृपया आवेदक से कहिए कि वह अखबारों में विज्ञापनों को देखते रहें और तदनुसार आवेदन भेजें। किसी भूतपूर्व सैनिक विशेष के कल्याण के लिए कुछ करने या कहने का यह कोई तरीका नहीं है।

मुझे बहुत खुशी है कि तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री जी०एस० मिश्रा ने मेरे जिले जबलपुर में खाना पकाने की गैस भरने का कारखाना शुरू करवाया था। उक्त कारखाने का निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा है। हम आशा कर रहे हैं कि यह पूरा हो जाए क्योंकि इससे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का ओद्योगिकीकरण करने में सहायता मिलेगी। मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का निवेदन करता हूं कि इसे शीघ्र पूरा किया जाए और जो भी सहायक उद्यमी बनना है उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाये। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सम्बन्धी रिपोर्ट में और सातवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य तथा उद्देश्यों में तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी यह बताया गया है कि सहायक उद्यमों के विकसित करने का उददेश्य ही क्षेत्रीय असमानता को दूर करता है। औद्योगिक दृष्टि से यह स्थिति आज देश में विद्यमान है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो भी एल०पी०जी० से सम्बन्धित सहायक उद्यम जबलपुर जिले में विकसित हो रहे हैं वे स्थानीय उद्यमियों को दिये जाने चाहिए और मूल उद्योग को उन्हें संरक्षण तथा मार्गदर्शन अवश्य देना चाहिए। किसी भी कर्मिक 3, 4, 2 अथवा 1 वर्ग के हों उन्हे स्थानीय लोगों में से ही लेना चाहिए। स्थानीय लोगों को न लेने का यह कारण दिया जाता है कि स्थानीय लोगों में आवश्यक अहर्ता नहीं। कोई न कोई अहर्ता प्रत्येक व्यक्ति में मिल सकती है। यदि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते तब तक पद को उस समय तक के लिए रिक्त रखा जाता है जबतक कि अहर्ता प्राप्त स्थानीय व्यक्ति नहीं मिल जाता इस प्रकार किसी क्षेत्र का न केवल औद्योगिक विषमता दूर होगी बल्कि बिहार तथा मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्रों का जहां पर कि मंत्री जी मुख्य मंत्री रह चुके हैं विकास भी संभव हो सकेगा इसके लिए आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को कुछ छूटें दी जाये तथा हर बार बाहर के व्यक्ति न लिए जायें।

अन्त में मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि तेलों तथा प्राकृतिक गैस की खोज बड़े

[श्री अजय मुशरान]

दृढ़ आधार पर चल रही है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में अपनी गैस तथा अपना पेट्रोल का उत्पादन हो रहा है। परन्तु जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है प्रशासित मूल्यों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए तथा मूल्य घटाकर मंत्री महोदय किसानों तथा अन्य ग्रामीण लोगों की मदद कर सकते हैं धन्यवाद।

*श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : सभापति महोदय, मैं पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं। मांगो का स्वागत करते हुए मैं उन पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूं।

पैट्रोलियम उत्पाद देश को सर्वनोमुखी विकास तथा प्रगति की ओर ले जाते हैं परन्तु पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में हाल में की गई वृद्धि का देश के कई क्षेत्रों के क्रियाकलाप पर कुप्रभाव पड़ा है। डीजल, मिट्टी के तेल और उर्वरकों के मूल्यों में की गई वृद्धिका किसानों पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है किसान कृषि के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं। उनमें से कुछ ट्रेक्टरों का उपयोग करते हैं जिसके लिए डीजल का मिलना अपेक्षित है। उर्वरकों के मूल्य में हुई वृद्धि ने पूरे देश में किसानों के समक्ष समस्याएं पैदा कर दी हैं। दुष्प्रभाव मिट्टी के तेल का सभी गरीब लोग उपयोग करते हैं। मिट्टी के तेल की मूल्य वृद्धि का गरीब जनता पर दुष्प्रभाव पड़ा है। देश में बिजली की कमी है अत: बहुत से लोगों ने अपने उद्योगों के लिए अपने जेनरेटर लगाये हैं। निजी बिजली उत्पादन लोकप्रिय होता जा रहा है। इन सभी उद्देश्यों के लिये डीजल का होना अनिवार्य है। अत: में मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि किसानों के लिये डीजल का कोटा निर्धारित करें और उसे रियायती दर पर उपलब्ध करें।

माननीय श्री कृष्ण आय्यर मंगलौर तेल शोधक कारखाने का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री ने मंगलौर तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में इस सभा में कहा था। वर्तमान मंत्री ने कहा है कि संयुक्त क्षेत्र में यह तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये बहुत से प्रस्ताव आ रहे हैं। मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि गैर निवासी भारतीयों की पूंजी भी इस उद्देश्य के लिये लगाई जायेगी तथा यह तेल शोधक कारखाने के निर्माण का प्रथम चरण कुछ ही वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। परन्तु खेद है कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया कोई धन आवंटन नहीं हुआ। अत: मैं उम्मीद करती हूं कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस कारखाने की वास्तविक स्थिति बतायेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तेल शोधक कारखाने के बारे में वह कर्नाटक के साथ सौतेली मां जैसा रवैया नहीं अपनायेंगे।

मेरे राज्य में बिजली की कमी के कारण बहुत से उद्योग बद होने को हैं राजधानी बंगलौर की स्थिति खराब है। अत: राज्य सरकार 120 मैगावाट का गैस टर्बाइन लगाना चाहती है तथा राज्य सरकार ने पर्याप्त डीजल देने के लिये केन्द्र को लिखा है। अत: मेरा मन्त्री महोदय से नम्र निवेदन है कि वह कर्नाटक के लिये आवश्यक डीजल के लिए किसानों की भारी मांग है तथा दूसरी

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ओर परिवहन व्यवस्था मुख्यतः डीजल पर निर्भर करती है । सरकार को डीजल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये ।

देश में मिलावट की गम्भीर समस्या पूरे देश में फैली है । पहले ही कुछ सदस्य उस पर बोल चुके हैं । पैट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल में मिलावट होती है । कई बार देखा गया है यदि हम टैंक से डीजल लेने के लेते हैं तथा उसे बैरल में जमा करते हैं तो तेल में दो फुट तक पानी रहता है । मिलावटी पैट्रोलें तथा डीजल से मशीनरी तथा पम्पसेट खराब हो जाते हैं । पैट्रोल की बिक्री में भारी चोर बाजारी है । कुछ विक्रेता खुले रूप में कहते हैं कि यदि वे पैट्रोल तथा डीजल में मिलावट न करें तो उन्हें कुछ लाभ नहीं होता । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि वह मिलावट रोकने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें लाइसेन्स रद्द करके इस बुराई को रोका नहीं जा सकता बल्कि मिलावट का धंधा करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिये ।

गैस के कनैक्शन दिये जाने में कुछ प्रतिबन्ध हैं । सरकार को इस बारे में उदारता बरतनी चाहिये । और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक गैस कनैक्शन ईंधन के लिये उपलब्ध कराने चाहिये । अन्यथा यदि ग्रामीण लकड़ी का प्रयोग करते रहे तो यदि हमारे देश में वन सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी । यदि हमें अपनी वन सम्पत्ति की रक्षा करनी है तो हमें प्रत्येक गांव में गैस देनी चाहिये । कई बार सिलेंडर पूरे भरे होते हैं पर कई बार कम भरे होते हैं । एक ओर तो गैस के दाम बढ़ गए है और दूसरी ओर सिलेंडर में कम गैस भरी होती है । इस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है । सरकार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाकर उन्हें दण्ड देना चाहिये ।

कई बार राष्ट्रीय राजपथों पर स्थित डीजल तथ पैट्रोल विक्रेता कहते हैं कि पैट्रोल बैंक में दोनों वस्तुएं ही उपलब्ध नहीं हैं । कई बार ग्राहकों को पैट्रोल के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है । कई विक्रेता पैट्रोल तथा डीजल की जमाखोरी करते हैं । जब इन वस्तुओं की कमी होती है तब वे उन्हें चोर बाजार में बेचते हैं । ऐसे विक्रेताओं के विरुद्ध सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । देश में पैट्रोल की चोर बाजारी की बहुत सी शिकायतें हैं ।

एक बार फिर मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि मंगलोर तेल शोधक कारखाने की शीघ्र स्थापना की जाये सरकार को संयुक्त क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन देना चाहिए । उसी प्रकार बंगलौर में गैस टर्बाइन संयंत्र तुरन्त स्थापित होना चाहिए । किसानों को रियायती दर पर डीजल दिया जाना चाहिये । तथा उसका पृथक कोटा तय होना चाहिये । तभी हरित क्रान्ति सफल होगी तथा हमारा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए भाषण समाप्त करती हूं ।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं वर्ष 1986-87 की पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । ... **(व्यवधान)** .....हम तो समर्थन करेंगे ही और आप का काम है बगैर सोचे-समझे विरोध करने को आप ऐसा करिये क्योंकि न कोई आप को रोक सकता है और न कोई हम को रोक सकता है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपने सीधा रवैया अपना लिया है । आप उनका समर्थन क्यों करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : धन्यवाद, आप ने कम से कम थोड़ा सोचा तो । हमारे सामने जो बैठे हुए लोग हैं, उन की बात में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता । में राजनीति में कोई बहुत लम्बे समय से नहीं हूं लेकिन जितने दिनों से मैं राजनीति में हूं , उतने दिनों से में देख रहा हूं कि कोई भी बात हो, चाहे अच्छी ही बात हो, उसका विरोध करना इन का धर्म है और इन को करना भी चाहिये वरना जनता इन को पूछेगी नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह सब छोड़ कर आप डाइनीमिक लीडरशिप के बारे में बोलिये ।

श्री रामेश्वर नीखरा : वह तो बोलेंगे ही । उसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा और लोक सभा को छोड़ कर बाहर आप स्वीकार भी करते हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनके निदेशों पर मत चलों अपने ढंग से चलें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : आदरणीय चटर्जी, इस बात को स्वीकार करें या न करें पर यह बात अक्षरत: सत्य है कि आज से कुछ वर्ष पहले इस देश में सारे पेट्रोल पदार्थों को विदेशों से मंगाना पड़ता था । माननीय मंत्री जी और उनके साथ में उनके विभाग में कार्य करने वाले सभी बड़े अधिकारी से ले कर छोटे कर्मचारी तक, सारे के सारे, बधाई के पात्र हैं कि आज 75 प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ वे इस देश में पैदा कर रहे हैं और देश की एक बहुत बड़ी राशि विदेशों में जाने से रोक रहे हैं । वह इसके लिए बधाई के पात्र हैं ।

मैंने बोम्बे हाई में जा कर देखा है कि हमारे कर्मचारीगण कितनी कठिन परिस्थितियों में और कितनी तेजी के साथ हमारे देश के पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ाने में लगे हुए हैं । उसकी कल्पना यहां बैठ कर नहीं की जा सकती है । आज हिन्दुस्तान के अन्दर एक करोड़ से ज्यादा एल०पी०जी० गैस कनेक्शन्स हैं । एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में फैला हुआ है । फिर भी देश में गैस की कमी महसूस की जा रही है इसका कारण यह है कि हमारी जो नेचुरल गैस है वह तेजी के साथ बेकार जा रही है । उसका हम उपयोग करें जिससे कि इस देश के अन्दर गैस की जो कमी है वह दूर हो सके । (व्यवधान)

निश्चित रूप से आपको और हम सबको भी जो तेल डिपार्टमेंट है उसको बधाई देनी चाहिए कि पहले दस मिलियन टन पर ईयर क्रूड आयल का उत्पादन होता था वह अब तीस मिलियन टन हो गया है ।

इसी प्रकार से देश में जितना क्रूड आयल निकल रहा है वह सारा का सारा रिफाईन हो रहा है। इसके लिए भी हमारे चटर्जी साहब सहमत होंगे कि इसके लिए हमारे वर्कर्स से लेकर प्रधान मंत्री तक बधाई के पात्र हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी। मन्त्री महोदय की अकुशलता के बावजूद भी प्रौद्योगिक विदों के कारण उसमें वृद्धि हो रही है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि बोम्बे हाई में जो पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं वे काफी महंगे पड़ते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी वह स्थान सुरक्षित नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सतपुड़ा बेसिन में बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड आयल और नेचुरल गैस होने की संभावना है। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र के अन्दर एक अनहोनी स्थान है वहां सर्वेक्षण हुआ है। वहां पर भी गैस होने की संभावना है। उस स्थान पर तीन किलोमीटर्स से लेकर छः किलोमीटर्स के सेडीमेंट्स बहुत से बहुत गर्म पानी के झरने हैं। जिनमें कि आयल और नेचुरल गैस के मिलने की पूरी संभावना है। अगर वहां हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो निश्चित ही इस क्षेत्र से इन चीजों में बहुत बड़ी कमी हमारे देश की पूरी हो सकती है।

अभी जो बोम्बे हाई से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जा रहे हैं, उनको लाने में इतना अधिक खर्चा पड़ता है कि महंगे हो जाते हैं क्योंकि बोम्बे हाई की दूरी इतनी अधिक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सतपुडा बेसिन का इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक उपयोग करें। (व्यवधान)

सभापति जी, अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने पेट्रोल, एल०पी०जी० गैस की मंहगाई के सम्बंध में कहा। निश्चित रूप से इन सबकी मंहगाई बढ़ी है और उससे उपभोक्ताओं को तकलीफ हुई है। मैं भी इस बात को समझते हुए मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इन चीजों की जो मंहगाई हुई हैं उसमें कमी लाएं। आपने पहले 40 परसेंट की कमी की है लेकिन इसमें और भी कमी करने की जरूरत है। इससे डीजल का उपयोग करने वाले किसान भाइयों को बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ केरोसीन आयल का इस्तेमाल करने वाले गरीब भाइयों को भी राहत मिलेगी। आप इसके लिए बधाई के पात्र है कि केरोसीन आयल पर 71 पैसे लीटर सब्सीडी दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय सभा में उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : कोई अन्य मंत्री उपस्थित है और वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : आज भी सरकार द्वारा 13 रुपए की सबसिडी गैस सिलेंडर पर दी जा रही है। इतनी अधिक सबसिडी होने की वजह से 600 करोड़ रुपया सरकार को सबसिडी के रूप में देना पड़ रहा है, इसीलिए सरकार के ऊपर बहुत बड़ा वजन पड़ रहा है और शायद इसी वजह से सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों को मंहगा किया है।

मुझे इस बात की जानकारी है कि जो हरिजन-आदिवासियों और दूसरे बेरोजगार नौजवानों को गैस की एजेंसी और पेट्रोल आउटलेट दिए जाते हैं, उसके लिए बहुत से लोग बेनामी रूप से उसका अलाटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि उसमें इस तरह के नियम हैं कि कुछ डिपाजिट करने की बात की जाती है, गोदाम बनाने के लिये जगह है या नहीं, आउटलेट बनाने के लिए जगह है या नहीं शोरूम बनाने के लिए जगह है या नहीं, इन सारी बातों को गरीब हरिजन आदिवासी पूरा नहीं कर पाते और इसको उपलब्ध करने के लिए उनको किसी न किसी बड़े आदमी का सहारा लेना पड़ता है और इस तरह से नाम गरीब हरिजन आदिवासी या बेरोजगार नौजवान का चलता है और उस एजेंसी को चलाता कोई बड़ा आदमी है। इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे बेरोजगार, गरीब हरिजन आदिवासी को आउटलेट या गैस की एजेंसी लेने के लिए राशि प्राप्त हो सके, उसको लोन दिया जा सके और वह उसको ले सके और जो बेनामी रूप से काम चला रखा है, वह सब अपने आप समाप्त हो सके।

एक बात की तरफ और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों जब मैं बोम्बे हाई देखने गया था तो वहां पर जो हैलीकाप्टर की फ्लीट है वह पूरी की पूरी बाहर से किराये पर ली हुई है। उसका एक साल में जितना किराया देना पड़ता है, उतने दो-तीन साल के किराये से अपनी फ्लीट बनाई जा सकती है। इसलिए क्यों न हम अपनी फ्लीट बनाएं। इसके साथ ही जो आइल रिग्स हैं वे मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा ली गई हैं। अगर आइल रिग्ग अपनी हों तो एक तो सुरक्षा अधिक होगी और तेल भी अधिक निकाला जा सकेगा, क्योंकि अभी जो आइल रिग्स काम कर रही हैं वे मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं और जहां पर जितना आइल निकल सकता है, वहां से पूरा आइल वे नहीं निकाल रही हैं और पैसा भी बहुत अधिक ले रही हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में पुनः इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : माननीय सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए, मैं कड़ा विरोध करना चाहता हूं.....

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : डीजल की सप्लाई कराने के लिए ? (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : महोदय, वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों ? (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवलिया : हम इस बारे में गंभीर हैं। महोदय, मैं विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि कई बार मैंने यह मामला उठाया है कि संगरूर में डीजल की सप्लाई नहीं की जा रही है । विशेष रूप से रबी की कटाई और बुबाई के समय और इसी तरह खरीफ की फसल के ऐसे समय पर वहां डीजल की सप्लाई नहीं की जाती अथवा बन्द कर दी जाती है जिसके परिणाम-स्वरूप कठिन परिश्रम करने वाले किसानों को खेतों में काम करने की बजाय पेट्रोल-स्टेशनों पर लंबी कतारों में खड़े होने के लिए बाध्य होना पड़ता है; परिणामत: श्रम घंटों की भारी हानि होती है । महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय के आने पर आप उनसे अनुरोध कीजिए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : श्री अंसारी यहां उपस्थिति है । महोदय पिछली बार भी मैंने यह मामला उठाया था और मंत्री महोदय से अनुरोध किया था । लेकिन मंत्री महोदय ने उस दिन मेरी बात नही सुनी । मैंने पुन: प्रश्न किया, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी । मेरी समस्या केवल उस राज्य की नहीं है । पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों कृषि क्षेत्रों में डीजल की सप्लाई की एक राष्ट्रीय समस्या है । अत: मुझे आशा है कि पंजाब तथा हरियाणा के कृषकों को डीजल की नियमित सप्लाई की जाएगी । पूरे पंजाब में कृषि में मशीनी उपकरणों के प्रयोग से डीजल की खपत बढ़ गई है । जब भी कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण हुआ है, उर्वरकों तथा डीजल के उपभोग की मात्रा बढ़ गई है । मूल्यों में वृद्धि होने से, कृषकों की यह आशा समाप्त हो गई है कि उन्हें लाभकारी मिलेंगे । वे निरुत्साहित हो गए हैं और उनके इस हतोत्साह के कारण उनमें कटुता और निराशा की भावना पैदा हो सकती है । सरकार को कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थों में राज सहायता देने पर विचार करना चाहिए ।

एक और महत्वपूर्ण कारण है । पंजाब में मुझे यह अनुभव हुआ । मंत्री महोदय को मेरे इस विचार पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए । एक गांव में 40-50 ट्रैक्टर है । पंजाब में अनेक गांवों ऐसे हैं जहां प्रत्येक गांव में 80 से 100 तक ट्रैक्टर हैं । लेकिन अभी ट्रैक्टरों में डीजल भराने के लिए उन्हें सुबह शहर ले जाना पड़ता है । वे सुबह 50 किलोमीटर की दूरी पर शहर जाते हैं और वापिसी पर भी 50 कि०मीटर दूरी तय करते हैं इस तरह उनका समय बरबाद होने के साथ-साथ इस दूरी को तय करने में पेट्रोल अथवा ईंधन भी नष्ट होता है । अत: मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह पंजाब हरियाणा और अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में कम से कम एक डीजल केन्द्र खोलें । मेरा मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध है कि वे सभी राज्यों में जो प्रमुखत: कृषि प्रधान राज्य हैं, डीजल तथा अन्य ईंधन सामग्री की अतिरिक्त भण्डारण की व्यवस्था करें ।

जहां तक खाना पकाने की गैस और कुकिंग गैस एजेन्सी का संबंध है, सभा के प्रत्येक सदस्य ने, चाहे वह सत्तारूढ़ दल का हो या विपक्ष का, डीलरों या गैस एजेंसियों के व्यवहार के बारे में शिकायत की है । मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र संगरूर में भी ऐसा ही अनुभव है । यद्यपि यह

[श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया]

एक बड़ा नगर है, वहां केवल दो गैस एजेंसियां हैं। एक एजेंसी का जिसका नाम भारत गैस एजेंसी है, प्रत्येक ग्राहक के साथ बड़ा रूखेपन का व्यवहार है और उस नगर में सिलेंडर में गैस कम होने की शिकायत आम हैं। वर्तमान ढांचे से इसे रोका नहीं जा सकता। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को कुछ ऐसे अधिकार दें कि वह ऐसे व्यक्तियों को दण्ड दे सकें।

चण्डीगढ़, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। कहां क्या कमी है, भगवान ही जानता है, हर छः महीने के बाद, खाना पकाने की गैस की सप्लाई में गड़बड़ होती है। मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिए कि चण्डीगढ़ और पंजाब में खाना पकाने की गैस की नियमित सप्लाई की जाएगी। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि संगरूर में नया तेल भण्डारण केन्द्र खोला जाए। मिलावट से कृषकों की आर्थिक दशा पर खराब असर पड़ रहा है। मैं स्वयं कृषि परिवार से हूं। मिलावट का खतरा इतना बढ़ गया है कि यदि किसान आज नया डीजल पम्प खरीदता है तो डीजल में मिलावट होने के कारण उसके चालू होने के पांच घंटे के बाद ही 8000, रुपये की लागत से खरीदा गया वह नया डीजल इन्जन खराब हो जाता है, उसके पिस्टन और प्लंजर्स खराब हो जाते हैं और किसान को 3000 रुपये खर्च कर उसी इन्जन की मरम्मत करानी पड़ती है। इस मिलावट के कारण ट्रैक्टरों, नलकूपों के इन्जनों और पानी खींचने के काम आने वाले डीजल पम्पों के इन्जन खराब हो जाते हैं। डीजल की सप्लाई और पेट्रोलियम पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कड़ी सजा देने के बारे में प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

उर्वरकों के मूल्यों के कारण किसानों में और निराशा छा गई है।

इन शब्दों के साथ, कि पंजाब में डीजल की नियमित सप्लाई की जाए। कृषकों को साज-सामग्री के उपयोग के लिए अधिक राज-सहायता दी जाए, तेल-पम्पों और खाना की गैस-एजेंसियों के कार्य-कलापों पर नियन्त्रण रखने के लिए राज्यों को कुछ अधिकार दिए जाए ताकि लोग उसका सही उपयोग कर सके, चण्डीगढ़ और पंजाब में खाना पकाने की गैस की नियमित रूप से सप्लाई की जाए, संगरूर में तेल-पम्प लगाया जाये, मैं अपना तथा अपने माननीय सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय मैं सिर्फ दो-तीन महत्वपूर्ण बातों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैं देहरादून गया था और वहां मैंने यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि जब तेल की खोज कई जगह होती है तो फिर तेल मिलता क्यों नहीं है। मैंने इस विषय पर वहां कई अधिकारियों से बात की और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। उन्होंने कहा कि जब हमें यह पता लगता है कि किसी जगह तेल हैं और वहां पर खुदाई आरम्भ की जाती है तो उसके बीच में तीन-चार साल का समय निकल जाता है। हमारे यहां तेल का भूमि में लेवल ऐसा है जो ट्रेवल करता रहता है, किसी एक स्थान पर टिका नहीं रहता। यदि आज हमें यह पता लगे कि एक स्थान पर तेल है और

आप उस पर विचार करते रहे कि यहां एक्सप्लोरेशन होना चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुचने में तीन-चार साल का समय निकल जाए तो इस दौरान तेल उस स्थान से निकलकर दूसरी जगह चला जाता है। इसलिए बहुत ही चिन्ता का विषय है, जिस पर हमें गहराई से ध्यान देकर सोचना चाहिए।

चम्पारन में जिस समय तेल की खुदाई का काम हुआ बड़ी कोशिश की गई और बिहार के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वहां पर तेल पाया जायगा परन्तु तेल नहीं मिला। उससे सभी में बहुत निराशा हुई। फिर एक दूसरी जगह मधुबनी में तेल एक्सप्लोरेशन का कार्य हो रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि मधुबनी में तेल एक्सप्लोरेशन के कार्य को उतनी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जितना सीरियसली उसे लेना चाहिए। मुझे पता है कि उसमें कई बाधाएं हैं और कई लोग अपनी जमीनें नहीं देना चाहते, जिस पर एक्सप्लोरेशन कार्य किया जाना है एक्सपेरीमेंट होने हैं। इसके अलावा कई लोकल प्रोब्लम्स भी हैं। मंत्री जी हाल ही में वहां गये थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तेल क एक्सप्लोरेशन के सम्बन्ध में जितनी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए उतनी गम्भीरता से इसको लिया नहीं जा रहा है। इससे हर साल हमारा करोड़ों रुपया बर्बाद होता है। दूसरे जब खुदाई के बाद हमें तेल नहीं मिलता है गैस नहीं मिलती है तो सभी को भारी निराशा होती। इन सारी समस्याओं को बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारा एक वैल्फेयर स्टेट है ठीक है आप एल.पी.जी. सिलेंडर में सबसड़ी देते हैं मैं तो कहूंगा कि आप रेलवे में भी सबसिड़ी देतें हैं दूसरी चीजों में सबसिड़ी देते हैं लेकिन जिस तरह से एल.पी.जी गैस के दाम बढ गए जिससे आम जनता तबाह हो गई क्योंकि इस देश की मिडिल क्लास और अर्बन लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा कुकिंग मीडियम नहीं है। इस देश में कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि जब चीजें बहुतायत में मिलने लगी हैं तो हम लोगों ने उन चीजों के दाम कम किए हैं। मैं कहूंगा कि जितनी मंहगाई आ गई है उसमें बहुत बड़ा योगदान डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्टस और पेट्रोल के दाम बढ़ने का है - में आपकी लाचारी को समझता हूं, लेकिन मेरा निवेदन यही होगा कि हम फोरन-एक्सचेज किसी और तरीके से भी कमाने की कोशिश की और पेट्रोलियम प्रोडक्टस का दाम इतना बढ़ा दें जिसका स्पाइरल इफैक्ट हो और दूसरी चीजों के दाम और बढ़ जायें।

आज बाजार में जाइये लोग बेहिचक कहते हैं कि दाम बढ़ गये है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्टस के दाम कम करने के बारे में आप गंभीरता से सोचे और इसके बदले आप अमीर लोगों पर और टैक्स लगावें। आपके फारेन-एक्सचेज के लूपहोल के तरीके हैं, उनको प्लग करें लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्टस के दाम इतने ज्यादा न बढ़ायें मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी में गया था, वहां पर डीजल और किरासिन आयल को लेकर लोगों में बड़ा हाहाकर मचा हुआ है। लोग हमारी ओर बड़ी आशा भरी नजर से देखते है और हम उनके दुःख को अगर कम नही कर सकेंगे तो कौन करेगा? इसलिये इस बात पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि यह गरीबों को छूता है।

कई बरसों से कहा जाता है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी में पेट्रो केमिकल काम्प्लेक्स बैठेगा। जितने भी मंत्री आते हैं बार-बार आश्वासन देते हैं और इन आश्वासनों के बावजूद भी

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

बिहार में वह पेट्रो कैमिकल काम्पलैक्स आज तक नही बैठा है। मैं यही निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करें और बिहार में पेट्रो कैमिकल इंडस्ट्री बिठाने का प्रयास करना चाहिए।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि कहीं भी देहात में आप चले जाइये, दूर-दूर तक कोई डीजल या पेट्रोल पम्प नहीं मिलता है। सभी सदस्यों को यह अनुभव होता होगा लोग अपनी कांस्टीटुएन्सी में आते हैं रास्ते में ही रुक जाते हैं क्योकि पेट्रोल या डीजल पम्प नहीं मिलता है। फ्रीडम फाइटर वार-विडो अन एम्पलायड तथा शिडयूल्ड कास्ट और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर जिनको एजेन्सी मिलती है वह थोथी होती है उसके पीछे कोई और रहता है। इस लिए में कहना चाहता हूं कि जो सही आदमी है उसको एजेन्सी मिले नजदीक-नजदीक स्थानों पर एजेंसी दी जाये जिससे लोगों को तकलीफ न हो।

शायद आपको अनुभव हो आपने डीजल में किरासन तेल मिलते हुए सुना होगा लेकिन मैंने अनुभव किया है कि लोग डीजल में पानी मिलाते हैं और उसके बाद भी उनकी एजेन्सी चालू रहती है।

मैंने खुद देखा है कि लोग पानी मिला देते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि यह समस्या बड़ी गंभीर है; इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये।

गैस निकालने में जितना ज्यादा खर्चा होती है क्या आपने सोचना है कि खर्चे में कटोती की जा सकती है मैं देहरादून में गया मुझे वहां पर कहा गया कि अगर हमारे पास सुपर-कम्प्यूटर आ जाये तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं तेल और गैस की समस्या कहां-कहां मिल सकते है। अमेरिका से क्या बात हुई मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा निवेदन हे कि अगर सुपर-कम्पयूटर के कारण हमारा काम रुकता है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सुपर-कम्प्यूटर जल्द आ जाये।

तेल और गैस की समस्या बड़ी गंभीर है और इसने हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था को झकझोर दिया है। समय आ गया है कि बहुत ठंडे दिमाग से बात पर सोचें और ज्यादा से ज्यादा तेल और गैस की खोज करें। यदि तेल और गैस मिले तो उसके मूल्यों में कमी कर देनी चाहिये क्योंकि वह हमारी इकनामी को रिफ्लेक्ट करेगा और गरीबों को भी राहत मिलेगी। धन्यवाद।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : सभापति महोदय, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की मांगों का मैं समर्थन करता हूं। ओ.एन.जी.सी. का जो काम है उसकी तो खुले दिल से तारीफ़ करनी चाहिए। परन्तु जिस तेजी से इस में काम होना चाहिए उसमें कुछ रुकावट आई है। 1974 से हमने इसके काम को देखा है। ओ.एन.जी.सी की गलती नहीं है। गलती है हमारे यहां प्लानिग की। प्रापर प्लानिंग की शुरू से ही कमी रही है और मुझे एसा लगता है कि आज भी इस मंत्रालय में प्लानिंग की कमी है क्योंकि हमारे यहां गैस निकल जाती है लेकिन गैस को

लेजाने के लिए हमें पाइप-लाइन की जरूरत होगी यह हम पहले से नही सोचते । गैस निकल जाने के बाद हम उस पर विचार करते हैं । उसके लिए मार्केट टेंडर के लिए जाते है । उसमें वर्षों लग जाते है और करोड़ों रुपये की गैस को जलाना पड़ता है । यह हमारा राष्ट्रीय नुकसान है । आज भी हम को बहुत ज्यादा जरूरत है गैस और तेल की परन्तु आज भी जितनी तेजी से ओ.एन.जी.सी काम करना चाहती है उतनी तेजी से वह काम नहीं कर पा रही है । वह इसलिए कि उन्हे डर है कि हमारी जो गैस निकलेगी उस गेंस के लिए पाइप लाईन हमारे पास तैयार नहीं है । इसलिए इसकी तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है । इसके लिए एडवांस्ड प्लानिंग होनी चाहिए । जिसके उपर हमारे देश की एकोनामी निर्भर करती है उसको इग्नोर करने से कैसे काम चलेगा तो सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी यह मेरा निवेदन है ।

दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि मान लीजिए जिसके खेत में कुआ खोदा जाय उसको कहा जाय कि आपको इसका पानी नहीं पीने दिया जायगा तो उसको कैसा लगेगा । आज महाराष्ट्र के बाम्बे हाई से इतना तेल निकल रहा है, इतनी गैस निकल रही है और महाराष्ट्र को ही जो उसका पिछड़ा हुआ इलाका है विदर्भ का वहां पर एक फर्टिलाजर पेट्रोकाम्पलेक्स नहीं देना उचित नहीं होगा । इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । ओ.एन.जी.सी. के अधिकारियों से मेंने बातचीत की थी ।

3.53 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने मुझसे यह कहा था कि हमें कोई नाराजी नहीं है । आज भी हम क्या कर रहे हैं पूरे देश का नक्शा लेकर हम बैठते हैं और स्केल पेंसिल लेकर बैठते है । जहां से भी पौलिटिकल प्रैशर हमारे पास जिस तरह से आता है उसके अनुसार हम रबर से पुरानी लकीर को मिटाकर दूसरी लकीर खींच देते है । ऐसा तो नहीं होना चाहिए । जहां की जायज मांग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए । मैं यह कहता हूं कि विदर्भ में यदि एक फर्टिलाइजर यूनिट लगाते हैं जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो उससे छत्तीसगढ महाकौशल और विदर्भ के पूरे किसानों का और महाकौशल के किसानों का भला होगा । इस पर मंत्री महोदय को खास तौर से ध्यान देना चाहिए ।

गैस की तो बहुत ही कमी है । नागपुर जैसे शहर का ही मैं उदाहरण देता हूं । नागपुर के अन्दर करीब एक लाख कनैक्शन दिए गये हैं परन्तु आज भी 40 हजार लोग लाइन लगाए हुए खड़े हैं । उनको गैस कनैक्शन नहीं मिला है और वे सारे साधारण मध्यम वर्गीय परिवार हैं । तो गैस किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए । मैंने मंत्री जी से प्रश्न किया तो हमें उत्तर यह मिला कि हमारे यहां बाटलिंग प्लान्ट की कमी है । तो आप क्यों नहीं वार फुटिंग पर वाटलिंग प्लांट की व्यवस्था करते ? आपके पास गैस है जो गैस आपको जलानी पड़ती है । वह गैस लोगों तक नहीं पहुँच सकती । यह एक डिफैक्टिव प्लानिंग की वजह से ऐसा हो रहा है । आपको वार फुटिंग पर वाटलिंग प्लांट ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए और वह बनाकर जन-साधारण की तथा मध्यम वर्ग की जो ईधन की कमी है उसे दूर करना चाहिए ।

[श्री बनवारीलाल पुरोहित]

अभी पूर्व वक्ताओं ने केरोसिन के बारे में कहा। डीजल और केरोसिन के मिलावट की बीमारी को तो आपको अवश्य ही दूर करना होगा। सरकार एकदम निरीह होकर देख नहीं सकती। आप देखते हैं कि आसाम में टैंकों के टैंक केरोसिन के आकर डीजल में मिलाए जाते हैं। उससे ईंधन खराब होता है। सरकार के पास शिकायतें आती हैं और सरकार कुछ नही करती है। इस पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। चाहे आप रंग मिलाएं या कोई भी टैक्नोलोजी हासिल करें या भावों में ऐसा तालमेल मिलाए जिससे डीजल में केरोसिन न मिलाया जा सके। गांवों की क्या हालत है कि वहां केरोसिन मिलता नहीं है। इतना केरोसिन आपके यहां से जाता है; सरकारी पब्लिक डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम होने के बावजूद भी झगड़े होते हैं। ब्लैक में मिलता है बाद में हाकर पकड़ा जाता है तो दूसरे दिन बेचना बन्द कर देता है। गरीब को केरोसिन सही भाव पर पूरे देश में नहीं मिलता है। यह मेरा दावा हैं इसलिए इस बारे में आप को कदम उठाना होगा।

ओ.एन.जी.सी, में काफी प्रगति हुई है। पहले 30-35 रिग्स चलती थी अब 60 रिग्स चलती हैं और 1990 के अन्दर हमारा देश सैल्फ सफिशियेन्ट हो जायगा। ऐसा हम मानकर चलते हैं परन्तु इसमें आपको दक्षता के साथ काम करना होगा। जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके लिए जरूरी हैं वह आपको तैयार कर देना चाहिए जिससे आगे के काम में रुकावट न आए। आपकी योजना है कि 1990 तक दो सौ रिग्स बम्बई-हाई में चलेगे। इसके लिए जितनी भी रिसोर्सेज है उनको टेप करना चाहिए। बे-आफ-बंगाल में यदि आप देखें तो वहां भी काफी तेल की उपलब्धता है। जिस प्रकार आपको बम्बई-हाई में तेल मिला है, उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में भी आपको तेल मिलेगा। इसका भी आपको ख्याल करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि जहां पर गरम पानी के झरने हैं जैसा कि हमारा अनुभव है वहां पर तेल जरूर मिलता है विदर्भ में विकलदारा रेलवे स्टेशन है वहां पर गरम पानी के झरने हैं इसी प्रकार अकोला में भी है यदि आप यहां मालूम करेंगे तो आपको ज्यादा तेल मिल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर आप विशेष ध्यान देंगे। इतना कहकर में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि लोकसभा के पिछले सत्र में सरकार ने नई आर्थिक नीति का एलान किया था जिसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि आम जनता पर जो टैक्सों का बोझ है उसको घटाने का प्रयास किया जायेगा। लेकिन चन्द महीने भी नहीं गुजरे सरकार ने तेल और तेल से उत्पादित वस्तुओं के दाम बढ़ा कर उन्होंने जिस नीति की घोषणा की थी उसका खुद ही उल्लघन किया। इसके पहले जब तेल या डीजल का दाम बढ़ता था तो सरकार कहती थी कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ रही है और अपनी कीमत बढ़ाऐ और औचित्य पर प्रकाश डालते थे। कहते थे कि हमारे लिए मजबूरी है लेकिन अभी तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन चीजों के दामों में कमी आ रही है।

3.50 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तेल डीजल केरोसिन तेल और गैस इन चीजों के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने दामों की बढ़ती पर विरोध जाहिर किया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि विरोधी पार्टी के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे। में आपको बताना चाहता हूं कि विरोधी पार्टियों ने भारत बन्द का नारा दिया था लेकिन अबकी बार का भारत बन्द अपने आप में एक ऐतिहासिक बन्द था। यह ठीक है कि विरोधी पार्टियों को श्रेय मिला लेकिन विरोधी पार्टियों ने जो नारा दिया उसमें जितनी मेहनत पहले विरोधी पार्टियों को करनी पड़ती थी, उतनी मेहनत अबकी बार नहीं करनी पड़ी स्वयं ही आम जनता व्यापक रूप में सरकार की इस नीति के खिलाफ बाजार में खड़ी हो गई और मैदान में चली आई। यह इस बात को बताता है कि सरकार से जो चीजों के दाम खास तौर पर वे चीजें जो आम जनता से सरोकार रखती हैं चाहे किसान हों चाहे खेत मजदूर हों बढ़ाए हैं इसका काफी गहरा असर हिन्दुस्तान की जनता पर पड़ा है लोगों ने सरकार के इस कदम का तीव्र विरोध किया है और सरकार के इस एक्शन के खिलाफ उठ खड़ी हुई है।

4.00 म. प.

मैं इसको एक चेतावनी के रूप में लेता हूं और सरकार को भी इसको इस रूप में लेना चाहिए और अगर सरकार ने इसकी इस रूप में नहीं लिया तो निश्चय ही आगे आने वाले दिनों में जनता और भी ज्यादा तीव्र विरोध में उठ खड़ी होगी और जनता दुःख और तकलीफ में रहेगी तो हम जनता का समर्थन करेंगे ही।

[हिन्दी]

आपका भाषण समाप्त होगा या नहीं ?

श्री विजय कुमार यादव : घंटी बज गई इस लिए मैं बैठ गया। अभी तो मैंने इन्ट्रोडक्शन ही दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको अभी लगातार बोलना है ?

———

4.01 म.प.

नियम 193 के अधीन चर्चा

16 मार्च 1986 को तिहाड़ जेल से कैदियों को निकल भागने के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा लेगें । प्रो० मधुदंडवते चर्चा आरम्भ करेगें ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज सहित छः कैदियों के भाग जाने के प्रश्न पर मैंने 17 मार्च को एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आपसे अनुमति मांगी थी । स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किया गया यह प्रयास सारहीन नहीं था । अपितु मैंने यह महसूस किया है कि तिहाड़ जेल में पूरी सुरक्षा व्यवस्था तथा पूरा जेल प्रशासन एका एक ढह गया था और यह सरकार की एक भारी असफलता है ।

महोदय, मैंने आपको यह भी बताया था कि मेरे सम्मानित साथी स्वर्गीय बैरिस्टर नाथ पैहने, जो संयोगवश इसी निर्वाचन–क्षेत्र से चुने गए थे जिसका में प्रतिनिधित्व करता हूं । 19 नवम्बर 1963 को मशहूर तस्कर डेनियल वालकोट के निकल भागने को रोकने में सरकार की असफलता पर स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष से अनुमति मांगी थी । स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई थी उस स्थगन प्रस्ताव की विशेषता यह थी कि स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति दिये जाने पर सत्तारूढ़ दल के किसी सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं की । व्यवधान परिणामस्वरूप स्थगन प्रस्ताव पर विस्तार चर्चा हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, अब मैं उससे अधिक विस्तार से चर्चा कराने जा रहा हूं । क्योंकि आपके पास बहुत अधिक तथ्य होंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपनी बात पर आ ही रहा हूं । महोदय, यह पूरा सदन इस बात पर आपका आभारी है कि हांलाकि आपने स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना ठीक नहीं समझा परन्तु आपने मंत्री जी को दो बजे इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए कहा है । जब मैंने उस पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था तो आपने तुरन्त अगले दिन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था परन्तु पटना क्रांति कार्य के कारण कल में उपस्थित नहीं हुआ था । मुझे वहां जाना हीं था । (**व्यवधान**) जब मैं क्रांति का नाम लेता हूं तो इससे अधिक भयभीत मत होइए । यदि आप क्रांति के नाम से ही इतना अधिक घबराते हैं तो क्रांति हो गयी तो फिर क्या होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बेलपुर) : वे वहां नहीं रहेंगे ।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खुशी है कि आपने नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा के लिए इसे

तुरन्त स्वीकृति किया, क्योंकि आप भी यह समझ गये थे कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है और इसलिए इस पर नियम 193 के अन्तर्गत तुरन्त चर्चा होनी चाहिए।

गृह राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। नया कार्य भार ग्रहण करने के बाद उनकी जिम्मेदार कैदियों के भागने के बारे में बात करनी थी। एक बहुत ही संक्षिप्त बक्तव्य में–हमारे गृह राज्य मंत्री अपनी संक्षिप्तता के लिए प्रसिद्ध हैं–उन्होंने एक तथ्यात्मक विवरण दिया है कि उस दिन 2.50 बजे जेल अधीक्षक को सूचित किया गया था कि इस तरह घटना हो गई थी। इतने लोग भाग गये थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि इतने अधिक लोगों को मादक द्रव्य खिला दिया गया था उसके परिणामस्वरूप वे अर्धचेतन अवस्था में थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जेल अधिकारियों को निलबित कर दिया गया है। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर दिया है, और हमेशा की तरह जैसा कि कोई नौकरशाह करता है। मंत्री जी ने कार्य किया है। उन्होंने बताया है कि उपराज्यपाल मामले की जांच के लिए प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी को आदेश दे चुके हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि बातें किस तरह से मेल खाती हैं मुझे बताया गया है कि, हांलाकि यह गलत भी हो सकता है, इन कैदियों के भागने के केवल दो दिन पहले ही श्री अरुण नेहरू और दिल्ली के उप राज्यपाल ने इस जेल का दौरा किया था (व्यवधान)

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं माननीय मंत्री का खण्डन नहीं करना चाहता हूं, परन्तु मैं वहां एक महीने पहले गया था। मैं आशा करता हूं कि मुझे माननीय सदस्य की बात फिर सही करने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रो० मधु दंडवते : श्री अरुण नेहरू पूरी तरह से सज्जन पुरुष हैं। वह जब जेल जाते हैं तो वह न तो सत्याग्रही के रूप में जाते हैं और नहीं भागने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए जाते हैं। वह वहाँ अपने आम दिन-प्रतिदिन के कार्य के सम्बन्ध में गये होंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वहां कैदियों के भागने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसको और सरल बनाने के लिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय इसके बाद, हमें पता चलता है कि उनका एक साथी आत्म-समर्पण कर चुका है।

अध्यक्ष महोदय : दो।

प्रो० मधु दंडवते : उसके बाद, एक और ने किया मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या हम आत्मसमर्पण के परिणामस्वरूप जेल में बनाये गये पूरे षडयंत्र के बारे में कोई विशेष सुराग उन्हें मिल सका है।

महोदय, सबसे पहले मैं इस विशेष मामले की पृष्ठभूमि और इस अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी शोभराज की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वह अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी है जिसकी तलाश इन्टरपोल को है। वह भारतीय पुलिस में ही विख्यात नहीं है बल्कि चरित्र में भी वह

[प्रो० मधु दंडवते]

अन्तर्राष्ट्रीय है। इसका अपराध इस किस्म का है। इंटरपोल के उसकी जरूरत है। सबसे अधिक दिलचस्प बात यह है कि थाइलैंड में पहले से ही शोभराज को मृत्यु दण्ड का सामना करना है और चूंकि वह भारत में था इसलिए इसके प्रत्यापर्ण के आदेश मुख्य मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रैट, दिल्ली द्वारा जारी किए जा चुके हैं और उच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि कर दी है। अतः आयात और निर्यात की तूती के इन दिनों में वस्तुतः रूप से उसे बाहर भेज दिया जाना चाहिए परन्तु दुर्भाग्यवंश 21 वीं सदी की ओर बढ़ने की हमारी उत्सुकता के कारण हम निर्यात की अपेक्षा आयात पर अधिक जोर दे रहे हैं। मुझे पता चला है कि इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार में किसी नौकरशाह ने—इस फाइल को एक वर्ष तक रखे रखा जिसके परिणामस्वरूप यह व्यक्ति कभी भी थाइलैंड नहीं भेजा गया, अन्यथा आप तिहाड़ जेल में कई मुसीबतों से बच सकते थे और संभवत। ये अधिकारी निलंबित नहीं हुए होते।

मैं यह जानना चाहता हूं जब मुख्य मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट, दिल्ली ने उसके प्रत्यार्पण के आदेश जारी कर दिए थे और उनकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने कर दी थी तो इसका क्या कारण था कि पूरे एक वर्ष तक इस आदेश को बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया। यह बहुत गम्भीर चूक है। और वास्तव में उच्च न्यायालय ने यह महसूस किया होगा कि सरकार ने उच्च न्यायालय का अपमान किया है। महोदय, मैं नहीं जानता कि इस विशेष आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।

मैं सदन के सामने एक और दिलचस्प सूचना पेश करना चाहता हूं। इस व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध है और जेल से भागने के लिए उसके पास कई कारण हैं। यह वही अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी शोभराज है जिसे वस्तुतः 1972 में एक अस्पताल में रखा गया था और वह अस्पताल से भाग गया था। उस समय वह नेपाल के रास्ते से यूरोप जा सका था। यह शोभराज की पिछली पृष्ठभूमि है। मैं माननीय मंत्री से एक और बात की जानकारी चाहता हूं पिछले दिनों मैं दो महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के नोटिस दे चुका हूं परन्तु कभी तो क्योंकि आपके पास इस तरह के मामलों को लेकर आते हैं···मैं आपको दोष नहीं देता हूं क्योंकि अविलम्बीय लोक महत्व के सरकार की असफलताओं के अनेक मामले होते हैं और कठिनाई यह होती है कि आप किसका चुनाव करें। इसलिए जब मैंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के नोटिस दिए थे तो उसमें से एक उसी शोभराज से संबंधित था। उसने जेल के अधिकारियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने उसे जेल में पर्याप्त छूट नहीं दी और उसकी आजादी पर प्रतिबंधन लगाया तथा उसकी सुविधाओं पर नियंत्रण किया तो वह जेल में उनके भ्रष्टाचार या भंडाफोड़ करने में नही हिचकिचाएगा। मैं समझता हूं कि सभी साधनों में सबसे अधिक ताकतवार ब्लैकमेलिंग का साधन है और इसने इतनी चालाकी के साथ उपयोग किया तथा जेल के अधिकारियों को धमकी दी। यह खुला राज है। जेल में प्रत्येक को मालूम है और उन लोगों को भी मालूम हैं जो राजनीति गतिविधियों के परिणामस्वरूप जेल के भीतर जाते हैं कि जहां तक शोभराज का संबंध है वह उस विशेष जेल में इस तरह से रहता था जैसे कि पांच तारा होटल में हों। सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। जो भोजन हमें नहीं मिल पाता है, वह सभी प्रकार का भोजन उसे मिल जाता है। केवल उन्हीं अवसरों पर हमें पांच सितारों होटल का भोजन प्राप्त हो पाता है; जब आप सम्मानीय व्यक्तियों को भोज के लिये आमन्त्रित करते हैं; अन्यथा हमें वैसा भोजन

नहीं मिल पाता है, किन्तु उसी विशेष नगर के कुछ आलीशान होटलों और जलपान गृहों से आने वाले पाँच-सितारों होटलों के भोजन पर उसका एकाधिकार है। उसने सभी प्रकार के आरामदायक वस्तुओं और विलासितापूर्ण जीवन जीने का प्रबंध कर लिया है क्यों कि वह जेल के अधिकारियों को ब्लेक मेल करता है तथा उनसे कहता है कि यदि वे लोग वे सब सुविधायें प्रदान नहीं करेंगे; तो वह उनका भांडा फोड़ देगा। इसीलिये तो रक्षा विभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में केवल चरित्रवान व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते है किन्तु उनके चरित्र में कोई कमी होगी तो वे भ्रष्टाचार करेंगे और कोई विदेशी जासूस भी उन्हें ब्लेक मेल कर सकता है और उनसे कह सकता है – "यदि आज हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भ्रष्टाचार की पोल खोल देंगे" मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय के कार्मिकों का चयन करते समय हमारे रक्षा मंत्री बड़ी सावधानी बरतते हैं। रक्षा विभाग इस बात का ध्यान रखता है चरित्र में कमी वाले व्यक्ति संवेदनशील पदों पर नियुक्त न किये जायें क्योंकि ऐसे व्यक्ति जासूसी के कार्यों के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश, तिहाड़ जेल ब्लेकमेल का शिकार होता रहा है।

मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इंडियन एक्सप्रेस में जो कुछ आय प्रकाशित हुआ उसे या तो स्वीकार करें अथवा इनकार करें। इंडियन एक्सप्रेस में आज मुख्य पृष्ठ पर "शोभ हैड ए मीटिंग विद जेल टाप ब्रास" शीर्षक के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुआ है। समाचार पत्र में यह समाचार विस्तार पूर्वक छपा है। यह एक काल्पनिक उड़ान भी हो सकती है। किसी राजनीतिज्ञ के लिये यह कहना बहुत ही सरल होता है कि समाचार पत्र तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, और मामला समाप्त हो जाता है। किन्तु वे माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि समाचारपत्र में जो मोटी-मोटी खबरों में छपा है, उसके आधार पर क्या यह सच है कि भागने से पहले शोभराज की तिहाड़ जेल के वरिष्ठ अधिकारियों से दो घंटे तक बैठक हुई थी। क्या यह सच है कि वह बैठक जेल के खण्ड संख्या एक में हुई थी और शोभराज को जेल के खण्ड 3 से 11.00 बजे प्रातः बुलाया गया था। क्या यह भी सच है कि जेल के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ यह बैठक 11.00 बजे म. पू. से 12.00 बजे दोपहर तक एक घंटे तक चली थी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस मूल्य सन एक घंटे के दौरान, जब शोभराज जेल के शीर्षस्थ प्राधिकारियों के साथ बात-चीत और सलाह-मशवरा कर रहा था, तब उसने कई बार उस खण्ड के टेलीफोन से बात की थी। एक वही खण्ड ऐसा है, जहाँ टेलीफोन लगा हुआ है। थोड़े थोड़े समय के बाद वह टेलीफोन कर रहा था और कुछ संदेश दे रहा था। क्या यह सच है, अथवा नहीं ? क्या यह सच नहीं है कि जेल के शीर्षस्थ अधिकारियों के साथ एक घंटे तक समझौता या बात-चीत करके जब वह लौटा, तब फलों और मिठाइयों का पार्सल आया था और उसे उनमें बाँटना शुरू कर दिया था ? दुर्भाग्यवश, उसका पहला शिकार एक कम्पाउन्डर हुआ। कम्पाउन्डर से आशा की जाती है वह दूसरों को दवाइयां दे और उनको स्वास्थ्य अच्छा रखे। वह बदले की भावना वाला कम्पाउंडर था।

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वरना यह चीज नहीं होती पर कभी कभी उल्टी गंगा बहती है।

प्रो० मधु दंडवते : हमारी यही शिकायत है कि इस देश में गंगा उल्टी बहने लगी है।

[अनुवाद]

उस कम्पाउंडर का नाम क्रांती था ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप नाम तो जरूर चेंज करा दो ।

[अनुवाद]

मधु दण्डवते : यदि कोई किसी व्यक्ति का नाम क्रांती सुनता है तो वह परेशानी का अनुभव करता है । वह कम्पाउडर पहला शिकार हुआ और वह बेहोश हो गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस के प्रमुख कालम में ये सब जो तथ्य प्रकाशित किये गये हैं, वे सही हैं अथवा नहीं । मैं कार्य प्रणाली के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा और यह भी अत्यधिक महत्व-पूर्ण है । जब हम इसकी बात करते हैं; तो शोभराज तथा उसके साथियों ने जो कार्य प्रणाली अपनायी थी, वह बहुत महत्वपूर्ण है । जिस दिन यह अपराध किया गया था, उस दिन रविवार था शोभराज और उसके साथियों के भागने की पूरी कहानी पढ़कर मुझे फिल्म की कई कहानियां याद आ गईं । उनकें एक है दी ग्रेट इस्केप" जिसमें युद्ध बंदी बच निकलते हैं । किन्तु वे हजारों की संख्या में थे और संभवत: एक अहाते से निकल भागना उनके लिए आसान न था । ऐसी अनेक फिल्में तथा रोमांचित करने वाली घटनायें हैं जिसमें हत्यायें होती है और लोग भाग जाते हैं आदि आदि । जब हम ऐसी फिल्म देखते है तो हम कहते है, कैसा डायरेक्टर है । उसमें वास्तविकता की समझ ही नही है । क्या आपने वास्तव में ऐसी घटना कभी देखी है ? यह तो केवल एक कलात्मक कल्पना है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यहां है ।

प्रो० मधु दंडवते : किन्तु मुझ जैसे लोग ऐसी फिल्म देखते है; उन्हें जो मनगढन्त कहानी लगती है किन्तु जब वे आज की वास्तविकता देखते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उस काल्पनिक कहानी में इससे अधिक सत्यता है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप एक फिल्म बना सकते हैं ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उस फिल्म का निदेशन गृह मंत्री को करना होगा ।

पुन: इस घटना पर ध्यान दीजिए । उस दिन रविवार था जब श्री राबर्ट ये फल और औषधियां एक कार में लेकर जेल के अन्दर आये थे । उसने 3 नम्बर गेट पर कार रोकी किन्तु उससे किसी ने यह नहीं पूछा कि आप कार क्यों लाये हैं । उनसे किसी ने यह नहीं कहा कि आज रविवार है और आज किसी को अनुमति नहीं मिलेगी । महोदय, रविवार संभवत: अपराध स्वीकारोक्ति का दिन होता है किन्तु इस व्यक्ति ने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की । उसने केवल

इतना किया कि उसने कार रोकी और उसमें से फल और औषधियां उतारीं। उसने कहा कि ये सब बांटने के लिए है; और मानों वह आदेश जेल मुख्यालय का हो उसे जेलरों ने भली भांति कार्यान्वित किया।

जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है; श्री रॉबर्ट को इसलिए नही रोका गया था कि पहली बार ही तो जेल पर नहीं आया था। यह कहा गया है कि वह अक्सर जेल आया करता था। गहरा सम्बन्ध होने पर कभी कभी घृणा पैदा होती है। किन्तु इस मामले में संबंध बढ़ने के साथ प्रेम भी बढ़ता गया। इसलिए उसे उन सभी पैकेटों को कार से उतारने की अनुमति दे दी गई थी और वे पैकेट सुपर्द कर दिये गये तथा बाँट दिये गये। चूंकि उनके बारे में यह अनुमान है कि उनमें कुछ नशीली औषधियां होगी; अत: भोजन के साथ जिन्होंने उनका सेवन किया वे सब अर्ध-मूर्च्छित हो गये।

हममें से अनेक सदस्य, अपराधी के रूप में नहीं, अपितु राजनैतिक कैदी के रूप में जेल में रह चुके हैं। एक राजनैतिक कैदी होने के बावजूद हमारे दर्शकों और रिश्तेदारों को रविवार को हमसे मिलने की अनुमति नहीं थी। किसी के लिए कोई छूट नहीं थी। मंत्री महोदय, क्या यह सच नहीं; कि किसी भी जेल में रविवार को किसी भी बाहरी व्यक्ति को मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है ? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ आपात स्थिति के दौरान हुआ था। किन्तु हमेशा ऐसा होता रहा है। हमने अंग्रेजों के जेल, भारती जेल और पुर्तगालियों के जेल देखें है। हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि रविवार के दिन दर्शकों और रिश्तेदारों को जेल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : आप ठीक कहते हैं। महोदय आपके अनुभव को इस सभा में एक के रूप में लिखा जाना चाहिये। इसलिए, जहां तक इस पहलू का संबंध है; वास्तविकता यह है जैसा कि आपका अनुभव है कि जिस प्रकार रविवार को आपके रिश्तेदारों को जेल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती उसी प्रकार आप वे आनन्द भी नहीं ले सकें होंगे; जो शोभराज ले सका था; अत: इस पक्ष में भी प्रशासन असफल रहा है।

मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह संभव नहीं है कि इस समूची घटना में जेल प्राधिकारी भी षडयंत्र में सम्मिलित थे। दो प्रकार की संभावनायें है। एक संभावना तो यह है कि वास्तव में, जेल के इन कर्मचारियों, वार्डरों, अधीक्षकों आदि ने नशीली औषधि का सेवन करा दिया गया हो और वे बेहोश हो गये हों दूसरी संभावना यह है कि वे सोन बेहोश होने का बहाना कर रहे हों तो किन्तु उन्हें इस बात का अधिक ज्ञान हो कि वे क्या कर रहे हैं और हो सकता है कि यह बात को छिपाने का एक बहाना हो। यह मेरे मस्तिक में उपजी शंका नहीं है। इसका श्रेय में सरकार के गुप्तचर विभाग को देता हूं जिसने स्वयं भी यह आशंका व्यक्त की है कि इस प्रकार की अर्द्ध चेतना एक दिखाना मात्र हो सकती है और इसलिए उन्होंने कुछ अधिकारियों पर इन कैदियों

[श्री मधु दंडवते]

के साथ षडयन्त्र में शामिल होने का आरोप लगाया है जिससे कि वे बचकर भाग सके इसी से मुझे यह आशंका होती है कि यह सम्भवतः एक छल हो। मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्ट वक्तव्य दें कि वास्तविकता क्या है।

क्या आधी सफेद ऐम्बेसेडर कार, जिसमें शोभराज भी था, दिल्ली के रिंग रोड़ पर दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी ? वह दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी। वह दुर्घटना भी लगभग 11.15 पर हुई थी। सही समय बताने के लिए मैं वहां उपस्थित नहीं था। मैं जो कुछ कह रहा है, वह समाचार पत्र के आधार पर है, जो मैंने पढ़ा था इसके अलावा, वे मुझे फंसा सकते हैं कि मैं इन सब का ब्यौरा कैसे दे सका हूं इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था के बाद भी महोदय ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे लिए एक मात्र यही सांत्वना और सुरक्षा है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्हें फसांया नहीं जायेगा। आरोप पत्र में केवल उनके नाम का उल्लेख किया जायेगा ?

श्री अरुण नेहरू : किसी भी सूचना का स्वागत किया जायेगा। इससे हमें छान-बीन करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप उसका उपयोग कर सकते हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मध्याह्न पूर्व या मध्याह्न पश्चात।

प्रो० मधु दंडवते : वह दुर्घटना रिंग रोड पर हुई थी और अनेक व्यक्तियों को यह संदेश था कि यह वही कार थी जिससे वे लोग तिहाड़ जेल से भागे थे किन्तु जिस समय तक पुलिस उस घटना स्थल पर पहुँची,-तब तक वह कार वहाँ से जा चुकी थी मैं यह जानना चाहता हूं क्या वास्तविक कठिनाई के कारण पुलिस वहां देर से पहुँची थी अथवा षडयन्त्र में शामिल होने के कारण पुलिस उस स्थल पर देर से पहुँची थी। मैं यह नहीं कह रहा कि यह मेरी पक्की राय है। में केवल यह शंका व्यक्त कर रहा हूं और एक माननीय सदस्य की शंका निवारण माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया ही जाना चाहिये।

मैं एक और तथ्य के बारे में बता देना चाहता हूं कि शोभराज की कहानी की पूरी पृष्ठ-भूमि जान लेने के बाद भी वह अपने धन के बल पर किस प्रकार लोगों पर रौब गालिब करता था। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री शोभराज जेल प्राधिकारियों पर बहुत सारा धन पहले ही व्यय कर चुका था, उसने अपने धन के बल पर उन्हें लुभा लिया था और उनसे यह कहा था ठीक है, मुझसे जी चाहे एक लाख, अथवा दो लाख अथवा तीन लाख रुपया ले लो और मुझे मुक्त कर दो। यदि तुम्हें सजा भी हुई, तो थोड़े से महीनों के लिए होगी। यदि तुम्हें सरकारी सेना से बर्खास्त भी कर दिया गया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस

सरकार की सेवा करने का कोई लाभ नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने यह विचार बना लिया होगा, "कोई बात नहीं हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। हमें छः महीने की सजा हो सकती है। किन्तु अन्ततोगत्वा यदि हमें एक या दो लाख रुपये मिल गये तो सम्भवतः हमारा भविष्य सुरक्षित हो जायगा।

एक नाटक के दृश्य के समान यह सब घटनायें घटी। हमारा दूरदर्शन जो हमें अनेक मनोरंजक फिल्में दिखाता है यदि इस कार्यप्रणाली से सम्बन्धित इस कहानी का कोई भी भाग प्रदर्शित करता तो उसका बहुत ही बड़ा रोमांचकारी दृश्य होता किन्तु उस रोमांचकारी दृश्य को दिखाने के बजाये, इससे संबंधित समाचार तक दूरदर्शन से समय से प्रसारित नहीं किया गया। दूरदर्शन की यह कोई साधारण चूक नहीं है। (व्यवधान) यदि दूरदर्शन के माध्यम से उनका चेहरा समय पर प्रदर्शित कर दिया जाता और समय पर पूरा ब्यौरा दे दिया जाता तो हो सकता था कि अनेक जिम्मेवार नागरिक सरकारी तन्त्र की सहायता करते और वे उन्हें पकड़ने में सफल हो जाते।

दिल्ली शहर में गीता और संजय की हत्या हुई थी उससे संबंधित मामले को मत भूलिये। उसका ब्यौरा पुलिस दल ने प्रकट कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों ने ऐसा रंगा और बिल्ला को रेलगाड़ी में पकड़ लिया था और जिससे पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें फांसी दी जा चुकी है। उनकी आत्मा को शांति मिले। किन्तु ऐसी घटना घटी थी।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें नहीं मिलनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने 'आत्मा' के बारे कहा था। मैं उनका बिरोधी हूं। किंतु आत्मा तो सार्वभौमिक वस्तु है।

इसलिये, जहां तक इसका संबंध है, यह समय की भूल है अर्थात समय पर दूरदर्शन पर इस समाचार को न प्रसारित करना, अधिक भारी भूल है।

अब मैं तिहाड़ जेल में घट रही घटनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख करूंगा। मेरा श्री एच. एम. पटेल से विचार विमर्श हुआ था। श्री पटेल को सरकारी प्रशासन में विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव रहा है। उन्होंने मुझे यह बताने की चेष्टा की कि बहुत पुराने समय में भी जब जब वह जेलों का दौरा किया करते थे, तब क्या क्या सावधानियां बरती जाती थी; और जब कभी प्रशासन दोषी पाया जाता था तब किस प्रकार की कठोर सजायें दी जाती थीं और अब किस प्रकार पूरा ढर्रा ही बदल गया है।

उस संदर्भ में मैं अब आपके समक्ष कुछ ऐसा चित्रण प्रस्तुत करूंगा जो भयानक होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय उसका एक अंश आपके सामने है। यदि आपकी आंखों के आंसू अभी नहीं सूखे हैं, तो जब मैं तिहाड़ जेल में होने वाली घटनाओं का जिक्र करूंगा तो उन पर आपके आंसू अदृश्य बह निकलेंगे। जहां तक तिहाड़ जेल का संबंध है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शोभराज द्वारा भयभीत करने वाले तरीके अपनाने और ऐसी गतिविधियां करने के अलावा, कोई समय ऐसा भी था जब जेल के भीतर, जेल से भागने के लिए सुरंगे खोदी गई थी। सुरंगे खोदी गई। युद्धकाल के दौरान सभी क्रांतिकारी, देशभक्त सनिक और सभी स्वतंत्रता

[प्रो० मधु दंडवते]

सेनानी ऐसा करते थे अर्थात शत्रुओं के कैम्प में बंदी होने पर हमें यह अधिकार होता है कि हम सुरंगे खोदकर बच निकलें क्योंकि हमें दासता से मुक्त होना है। लेकिन यहां कठोर सजा प्राप्त अपराधियों ने तिहाड़ जेल के अन्दर सुरंगे खोदी और इस तरह की छोटी जेल में, यदि सुरंगें खोदी जाती हैं, और कुछ लोग बच निकलते हैं मैं नहीं समझता कि अधिकारियों की साठ गांठ के बिना ऐसा कुछ किया जा सकता है। मैं यह सब इसलिए कहरहा हूं क्योंकि समस्या को व्यापक रूप से देखने के लिए यह संगत बात है।

मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग ऐसी सुरंगे खोदने के लिए दोषी पाए गए उनके बिरुद्ध क्या कार्यवाही की गई क्योंकि उन्होंने जेल के भीतर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था और शोभराज जैसे आदमी के लिए अधिकारियों को घूस देना संभव हो गया था क्योंकि पहले भी घूसखोरी की ऐसी घटनाएं इस हद तक होती रहीं हैं कि वहां सुरंगे खोदी जा सकीं और कैदी बाहर भाग सके।

अब मैं तिहाड़ जेल की समूची घटना के सर्वाधिक कारुणिक अंश पर आता हूं वहां जो बाल-कैदी रखे जाते हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार किया जाता है। उनकी कहानी बड़ी दुःखद है उनकी कहानी अत्याचार की कहानी है।

न्यायाधीश श्री भगवती ने किसी एक मामले की सुनवाई के समय यह आदेश दिया था कि वह जानना चाहते हैं कि तिहाड़ जेल के भीतर क्या हो रहा है और उन्होंने इसके लिए श्री एम. के. चावला की नियुक्ति की और उन्हें कहा कि वह पुलिस और जेल अधिकारियों के बिना जेल जाएं और बाल-कैदियों और अभियुक्तों से मिलें तथा पता लगाएं कि जेल की जो कहानी उन्हें पता चली है क्या वह सच है। एक रिपोर्ट तैयार हुई। 19 अक्तूबर, 1983 को सैशन जज, श्री एम० के० चावला ने यह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में पेश की। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? मैं इस बारे में विस्तार में जाना नहीं चाहता। इसमें बाल कैदियों, अभियुक्तों, जो वर्षों से वहां कैद है, के साथ किए जा रहे यौन अत्याचार, काम करने के लिए बाध्य किए जाने और बाल-कैदियों में यौन-रोगों के संबंध में जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। वहां किस तरह के अभियुक्त हैं? वे कुछ अपराधों के लिए दोषी पाए गए। यदि उन्हें न्यायालय लाया गया और उन्हें सजा दी गई और उन्हें 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने की सजा दी गई किंतु वे वर्षों से वहां कैद है, और उन्हें अभियुक्त माना जाता है, उन्हें जो दंड दिया गया वे उसे भुगत चुके हैं। संभवतः उन्होंने अल्पबुद्धि होने की बजह से अपराध किए थे और उन्हें उसकी कड़ी सजा मिली। वहां ये सब हो रहा है। श्री चावला कई बैरकों में घूमें, एक कोठरी से दूसरी कोठरी में गए, वह कैदियों के पास गए, अभियुक्तों के पास गए और उन्हें बताया कि उनके साथ यौन अत्याचार किया जाता है और उन्हें किस तरह बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। उस पूरी कहानी को रिपोर्ट के रूप में तैयार किया गया। यह वास्तव में 20 पृष्ठ की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में 19 अक्टूबर, 1983 को पेश की गई। इस विशेष घटना से एक सूत्र लेकर आपने 19 अक्टूबर, 1983 को सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए क्या किया? क्या यह नीति इसी तरह चलती रहेगी और फूलों को खिलने

से पहले ही नष्ट कष्ट कर दिया जायगा ? उन्होंने कुछ अपराध किये होंगे लेकिन वे भी इन्सान है, वे बाल कैदी युवा लड़के हैं, जिन्हें गुमराह किया गया है, उनमें से कुछ बच्चे अनाथ है, कुछ अवैध संतानें। लेकिन उन्हें अवैध कहना अनुचित है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था मां और पिता के बीच संबंध अवैध हो सकते हैं लेकिन कोई बच्चा अवैध नहीं होता, बच्चा फूल के समान है। ऐसे फूलों को खिलने से पहले ही जेल कोठरियों में नष्ट कर दिया जाता है। आपने इन खिलते फूलों के रक्षा के लिए क्या किया है ताकि वे खिल सकें और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

10 वर्षों से अधिक समय से विचारणाधीन कैदी वहां हैं। भागलपुर और अन्य जेलों में जो कुछ हो रहा है मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता। उस सबको भूल जाइए। जेलों में यह सब हो रहा है।

गृह मन्त्रालय की मांगों के अवसर पर वह हमें बतायेंगे कि तिहाड़ जेल में जो कुछ हो रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में विभिन्न कमेंटियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है। जेल सुधारों के लिए, जेल प्रशासन सुधार के लिए अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक अनेक समितियाँ बनाई जा चुकी हैं और अनेक ठोस सुझाव दिये गये हैं। इस अवसर पर हमें क्रमशः बताईये कि वे कौन से जेल सुधार हैं जो लागू किये जा चुके हैं ? सरकार अनेक जेल सुधार लागू नहीं कर सकी हैं। यह सच है कि तिहाड़ जेल अपराधियों की शरणगाह बन गई है, भ्रष्ट अधिकारियों की शरणगाह बन गई है और इस देश में प्रचलित सभी बुराईयों का अड्डा बन गई है। यदि तिहाड़ जेल में यह सब हो रहा है तो क्या कारण है कि विभिन्न विधान मण्डलों द्वारा राज्य स्तर एवं केन्द्र स्तर पर स्थापित की गई विभिन्न समितियों ने जो विभिन्न जेल सुधारों के सुझाव दिये उन्हें सरकार क्यों नहीं लागू कर सकी है। जानना चाहूंगा कि उसके बारे में क्या किया गया है। केवल एक मिनट और, मैं समाप्त कर रहा हूं।

और महोदय, यह बात स्पष्ट कर देने पर जिस पर सभा सहमत होगी—एक तरह से यह अच्छा ही है कि स्थगन प्रस्ताव की अपेक्षा बहस नियम 193 के अन्तर्गत हो रही है, क्योंकि जब में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता तो उसका सत्तारूढ़ सहमत पक्ष के सदस्यों द्वारा अपने मन में पूर्ण समर्थन करते हुए भी वह इसलिए अस्वीकृत हो जाता क्योंकि मधुदंडवते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव है। परन्तु जब बहस नियम 193 के अर्न्तगत होती है, हम शारीरिक रूपसे अलग हो सकते हैं किन्तु मानसिक रूप से एक मत होंगे। इसलिए, मुझे विश्वास है कि जिन दुःखद हानि है का जिक्र मैंने यहां किया है उनके देखते हुए मुझे विश्वास है कि यह सभा दलगत आधार पर विभाजित नहीं होगी और दलगत भावना से ऊपर उठ कर कुछ ऐसी कार्य बिधि और सुधार पेश करेंगे जिनसे भविष्य में ऐसे अपराधों को न होने दिया जाये।

और इसलिए मंत्री महोदय, रचनात्मक भाग पर आते हुये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह कुछ मांगों को स्वीकार करें क्योंकि ये सभी मांगे मानवतावादी हैं, वे ये न तो विपक्षी दलों की मांगें हैं और न ही सत्ता पक्ष की ये उन सब की मांगें है जो मानव प्रतिष्ठान के समर्थक हैं और जो इस देश से अपराध को खत्म करना चाहते हैं, यह मांग यहां उपस्थित सब लोगों की होगी। ये मांगें हैं (एक) हमें बताईये कि प्रशासन में जेल प्रशासन में कौन कौन से सुधार कमेंटियों द्वारा सुझाये गये और उनके विषय में क्या कार्यवाही की गई है।

[प्रो० मधु दंडवते]

(दो) निवारक कदम के रूप में क्या आप समस्त तिहाड़ जेल के वर्तमान जेल ढ़ाँचे एव् तन्त्र को समग्र रूप से बदल देंगे ? कुछ व्यक्ति निर्दोष हो सकते हैं परन्तु निवारक उपाय के रूप में आपको समस्त ढ़ाँचा बदल देना चाहिए । प्रशासन में और लोगों में आत्म विश्वास जगाने के लिए क्या आप इस समस्त ढ़ाँचे को तुरन्त बदल देंगे, लेकिन उनको यह बताते हुये कि कुछ निर्दोष व्यक्ति हो सकते हैं । 5 कानून शब्दों में पूर्ण सावधानी के साथ समस्त प्रशासनिक ढ़ाँचे को बदल दीजिए और इसकी जगह दूसरा ढ़ाँचा तैयार कीजिये ।

(तीन) महोदय यह एक रचनात्मक सुझाव है कि पिछले कई सालों से विभिन्न सामाजिक संस्थायें जेलों में होने वाले अपराधों और विशेष तौर तिहाड़ जेल में होने वाले अपराधों के बारे में लिख रही हैं । विभिन्न खोजी पत्रकारों ने तथ्यों को उजागर किया है । बहुत से शोध छात्रों ने तथ्यों को प्रकाशित किया है । सिद्धान्तों के लिए कार्यरत छात्रों ने विषय को प्रकाशित किया है । और श्रीमती शीला भारसे जैसे व्यक्तियों ने अभी विभिन्न जेलों में किशोरों पर किये जा रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में शोध प्रबन्ध पेश किया है और जिसके लिए उन्हें पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज का पुरुस्कार दिया गया है । पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, इसका निरीक्षण कीजिए और कृपा करके अपने तन्त्र द्वारा ही हमें जानकारी दीजिए कि आप तिहाड़ जेल में पिछले दस वर्षों से हो रही घटनाओं पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने के लिए तैयार होंगे या नहीं । हम इस प्रकार का एक श्वेत पत्र चाहते हैं । हमें हर प्रकार के श्वेत पत्र दिये गये हैं । उनमें एक और जोड़ दीजिये । परन्तु वह एक विशेष श्वेत पत्र होना चाहिए । यह श्वेत पत्र श्वेत आवरण व अन्धकार पूर्ण पृष्ठभूमि से आच्छादित नहीं होना चाहिए । मुझे आशा है कि यह श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा ।

हम प्रशासन द्वारा इस मामले की छानबीन के लिए एक दफ्तरशाह को लगायें जाने से सन्तुष्ट नहीं हैं । चूंकि सभा इस बात पर ध्यान दिये बिल कि होने वाली इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है, इन घटनाओं पर पूर्ण सहमत है, मैं चाहता हूं और मांग करता हूं कि सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभा की एक कमेटी स्थापित करें और सभा की यह कमेटी इन घटनाओं की छानबीन करें जो तिहाड़ जेल में पिछले कई वर्षों में घट रही हैं ।

और अन्त में जहां तक इस घटना विशेष का सम्बन्ध है, के उसकी छानबीन के लिए जो दफ्तरशाह नियुक्त किया है, उसकी रिपोर्ट से कोई भी सन्तुष्ट नहीं होगा । व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में उनके खिलाफ कुछ नहीं है । वास्तव में, मैं उन लोगों में से हूं जो गांधी जी के इस कथन पर विश्वास करते हैं । कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि 'क' ने क्या किया और 'ख' ने क्या किया । मैं तो उस पाप के बारे में दुखी हूं जो किया गया है ।

अतः मैं आपको सुझाव दूंगा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये प्रशासक द्वारा जांच न करायी जाये और मैं यह भी सुझाव दूंगा कि इस पूरे कांड की न्यायिक जांच की जानी चाहिये और यदि जांच होती हैं तो इसका सवाल नहीं है कि सत्ताधारी दल जीतता है या विपक्ष विजयी होता है, परन्तु यह मानव की प्रतिष्ठा की विजयी होगी और यह मानव की मर्यादा और देश की जागरुकता का सूचक होगा ।

मैं मन्त्री जी से और सरकार से और सरकार की अन्तश्चेतना से अनुरोध करता हूं यदि यह अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं हुई है तो कृपया सदन की सर्वसम्मत मांग पर ध्यान देने की कोशिश करें और देखें कि तिहाड़ जेल और अन्य जगहों की व्यवस्था को ठीक किया जाये ताकि देश की सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रहें।

श्री सत्येन्द्र नरायण सिंह (औरंगाबाद) : प्रो० दंडवते ने अपने भाषण में तिहाड़ जेल में प्रशासनिक अनियमितताओं के बारे में कहा है। इस बात से सभी सहमत हैं कि यह अत्यन्त गम्भीर मसला है। चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात व्यक्ति को, जिसे जेल को तोड़ने की विशेषज्ञता हासिल है, स्वतन्त्र रूप से घूमने दिया गया और फिर वह जेल से भागने में सफल हुआ। प्रो० दंडवते ने सदन को बताया कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, किस प्रकार से अधिकारीगण उसके साथ वहाँ चर्चा किया करते थे और किस प्रकार वह बाह्य संसार से सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुआ। समाचार पत्रों में यह भी कहा गया है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय नशीले पदार्थों के (नारकोटिक) तस्कर श्री रोनाल्ड हाल जिन्हें तिहाड़ जेल में दो माह के लिए बन्द किया गया था, की चार्ल्स शोभराज के साथ बहुत मित्रता हो गई थी। उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। समाचार पत्रों में छपे लेख से मैं जान पाया हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करों का दल जो दिल्ली आया था और आनन्द निकेतन के एक आधुनिक अतिथि ग्रह में ठहरा था, चार्ल्स शोभराज से सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुआ। और यह सम्भव है कि उनकी चार्ल्स शोभराज के साथ मिली भगत थी और उसके साथ उन्होंने सारी योजना तैयार की।

यह एक अकेली घटना नहीं है, प्रो० दंडवते ने कुछ समय पहले कहा है कि कैदी एक सुरंग खोदने में सफल हुए और जेल से भाग पाये, जो नितांत गंभीर मामला है। में जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले को देखने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया है। यदि हाँ तो जाँच समिति के क्या निष्कर्ष थे ? क्या जाँच समिति ने कोई सुझाव दिये। यदि हाँ तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रो० दंडवते ने कई समितियों के बारे में भी कहा परन्तु मैं जानता हूं कि न्यायमूर्ति तेज नारायण मुल्लाह समिति ने 1983 में एक रिपोर्ट पेश की थी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर गौर किया है। यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उस पर कोई कार्यवाही की गई ? सदन को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

यह सुविदित है कि चार्ल्स शोभराज के बारे में लिखी गई दो पुस्तकें जिनमें जेल से भागने के लिए सिर्फ एक कार की आवश्यकता है। एक अन्य स्थान पर उसने कहा है कि वह जेल कर्मचारियों को नशीली दवा पिला देगा और जेल से फरार हो जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या जेल प्राधिकारियों या सरकार द्वारा चार्ल्स शोभराज के इन वक्तव्यों पर कोई ध्यान दिया गया था। यदि हाँ तो प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया थी और इस कैदी के लिए जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी है और कई देशों को उसकी तलाश है और जिस कैदी पर सर्वाधिक निगरानी रखी जानी थी, उस को जेल से न भागने देने हेत क्या कदम उठाये गये थे ? मैं समझता हूं कि प्राधिकारीगण इस प्रकार की सावधानी बरतने में एकदम असफल रहें हैं। परिणामस्वरूप यह शर्मनाक कांड हुआ।

[श्री सत्येन्द्र नरायणसिंह]

यह भी सूचित किया गया है कि शोभराज साप्ताहिक "सन" में लेख लिखता था और कारागार उप महानिरीक्षक श्री ए० बी० शुक्ल भी उस पत्रिका के लिए लेख लिखते थे। बहुधा, यह कहा गया है कि शोभराज ने उनके लिए लिखा। क्यों कर, इस प्रकार के सम्पर्क को कारगार उपमहानिरीक्षक और शोभराज जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी के मध्य सम्पर्क पनपने दिया गया ? क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया था ? यदि ऐसा किया गया था तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ? सारा कांड स्पष्ट करता है कि जेल अधिकारियों और इस अपराधी के मध्य पूर्ण आत्मीयता थी और इसके पारिणामस्वरूप इस अपराधी के लिए कोई सावधानी नहीं बरती गयी। शोभराज ने जो कुछ किया, उसे उस प्रकार करने की अनुसति जेल में मिली हुई थी। प्रो० दंडवते ने कहा है कि जेल की लम्बी अवधि के दौरान वह जेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों की सहायता से अपने बाहरी मित्रों से सम्पर्क स्थापित कर सकता था और सारी योजना बना सकता था जिसमें उसने अपने भागने की योजना तथा भागने का समय भी निर्धारित किया था। कुछ पत्रकार उस से साक्षात्कार करते थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन पत्रकारों से कभी कोई पूछताछ की अथवा क्या सरकार ने इन पत्रकारों से कभी पूछने का इरादा भी किया है। तिहाड़ जेल में चल रहे कुकृत्यों के बारे में हम समाचार पत्रों मे पढ़ते रहे हैं। मैं उन बातों को तथा अन्य बातो को उद्धृत नहीं करना चाहता जो श्री एम० के० चावला ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कही थी। तिहाड़ जेल में हो रहे अनेक कुकृत्यों के बारे में हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं। सुरक्षा प्रबंध में ढील रही है। जेल अधिकारियों ने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। हमें बताया गया है कि कोई लड़की उसकी मित्र थी जो प्राय: उससे जेल में मिलती रहती थी और अनेक बार उसके पास जेल में ही रुक जाती थी। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? किसी जेल प्राधिकारी ने इसके संबंध में कभी कोई कार्यवाही करने की कोई बात क्यों नहीं सोची ? क्या यह कोई बहुत ही गंभीर बात नहीं थी ? महोदय, इन सभी बातों से सरकार को बहुत गम्भीरता पूर्वक लेना चाहिये और इसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं प्रो० दंडवते द्वारा दिये गये इन सुझावों को दोहराता हूं कि इस पूरे मामले के संबंध में एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाये। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित की जानी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल ने जाँच कराने के आदेश दिये हैं। उन्होंने जो अविलम्ब कार्यवाही की है; उसके लिये हम उसकी प्रशंसा करते हैं। किन्तु उस जांच अधिकारी की जांच से हमें संतोष नहीं होगा। एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिये। इसकी जांच पूरी होने की भी समय सीमा निर्धारिब की जानी चाहिये। सम्पूर्ण जेल प्रशासन से पूछ ताछ की जानी चाहिए। तिहाड़ जेल देश का सबसे बड़ा जेल है और जेल प्रशासन को यहां अपना आदर्श स्थापित करना चाहिये। यदि सुरक्षा प्रबंध में कोई कमी है; तो यह हम सभी के लिये चिंता का विषय है कि मैं कह चुका हूं निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत ही न्यायायिक जांच आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिये। उन सिफारिशों पर तत्काल उस सभा में विचार–विमर्श किया जाये तथा सरकार उन सिफारिशों पर कार्यवाही करे। महोदय, अब तक अनेक आयोग नियुक्त किये जा चुके हैं तथा उन्होंने अपनी सिफारिशें भी दे दी हैं; किन्तु हमें नहीं पता चल सका कि इन सिफारिशों पर उन्होंने कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं। भागने के लिए सुरंग कैसें खोदी गई; यदि यह जानने के लिए कोई समिति नियुक्य की गयी थी तो मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या उस समिति ने उसके बारे में कोई सिफारिश की है और यदि हाँ; तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की। यदि पहले की गई सिफारिशों के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाती; तो यह शर्मनाक घटना न घटती। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि उसकी मित्र वह लड़की उससे मिलने के लिये अक्सर जेल में आया करती थी; तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है। जेल में लम्बे समय से नशीली दवाओं का व्यापार चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब बातों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे। महोदय, हमें पता हैं कि तिहाड़ जेल में ये सब बुराइयां व्याप्त है। किशोर अपराधियों के साथ क्या क्या दुराचार किये जाते हैं; उसके बारे में प्रो० मधुदंडवते बता चुके हैं। इस लिये इन सभी बातों की जांच पड़ताल होनी चाहिये तथा सारे मामलों को छान–बीन करने के लिये एक उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिये। सरकार को इन सभी घटनाओं को बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय समझकर एक उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच करानी चाहिये जो निर्धारित समय में अपना प्रतिबेदन प्रस्तुत करें तथा उसके प्रतिवेदन की सभा पटल पर रखा जाये तथा इस सभा में उस पर बिचार–विमर्श किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग जिस वक्तव्य पर चर्चा कर रहे है; वह आकार-प्रकार में संक्षिप्त है। मेरे विचार से गृह मंत्री के समान वह लम्बा चौड़ा होना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : चौड़ाई में और लम्बाई में भी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और आन्तरिक सुरक्षा के लिये मंत्री महोदय की चौड़ाई के समान अथवा मेरे समान।

एक माननीय सदस्य : आपके समान।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा था कि, मैंने स्वयं को शामिल कर लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लम्बा और छोटा दोनों ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : लम्बा और चौड़ा, महोदय।

महोदय, हमें तो इस बात की चिंता है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य सभा में दिया है; उसमें स्थिति की गंभीरता का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा दुर्भाग्य से समाचार-पत्रों के आधार पर जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं; उसे वक्तव्य में प्रकट करने के बजाये छिपाया गया है।

महोदय, हर व्यक्ति यह सोचता था कि सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेगी और इसे एक मामूली प्रशासकि भूल समझने का प्रयास नहीं करेगी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि प्रशासन ने नितांत अक्षमता और सर्वथा आपराधिक उपेक्षा का रवैया अपनाया है; जिससे प्रशासन की अयोग्यता के अलावा कुछ भी परिलक्षित नहीं होता है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

महोदय, गृह मंत्रालय, जो इस कार्य के लिये प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है; वह केवल कुछ षड़यन्त्रकारियों को गिरफ्तार करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। सही जाँच-पड़ताल से ही इसका पता चल सकता है। किन्तु गम्भीर बात तो तो यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश सभी प्रकार की राष्ट्रविरोधी जासूसी गतिविधियों, नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों, तस्करों, और अन्य कुकर्मों का अड्डा बन गया है। इन बातों के समाचार रोज ही मिलते रहते हैं कि विदेशी एजेन्सियाँ भी इस देश में, यहां तक कि राजधानी में भी छाई हुई है। जेल तो आरामगाह बन गये है और विशेषकर तिहाड़ जेल तो अपराधियों का शरण-स्थल तथा कुछ मिष्ठान के बल पर भाग निकलने का सुगम स्थान बन गया है। यह स्थिति हास्यास्पद है। मालूम पड़ता है कि प्रो० मधु दण्डवते हिन्दी फिल्मों के बहुत शोकीन हैं किन्तु महोदय, मैंने जैम्स बांड की भी एक दो फिल्में देखी हैं। इसके बावजूद.....

अध्यक्ष महोदय : उनमें विविध कार्यक्रम होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किन्तु महोदय इसमें जैम्स बाण्ड तक कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि स्वयं को मुक्त करने के लिये उसे भी कुछ शक्ति प्रयोग में लानी पड़ती होगी, किन्तु इस मामले में तो शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया गया। कुछ मिष्ठान तथा अंगूरों के सहारे तिहाड़ जेल से सुगमता से तिहाड़ टहलते हुए बाहर निकला जा सकता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने संस्कृत का श्लोक नहीं सुना—

"बुद्धि यस्य बलं तस्य।"

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित जेल कि घातक अपराधियों के लिये बहुत ही सुरक्षित है। वे जब चाहे इससे बाहर जा सकते हैं, और जब चाहे, उसमें वापस अन्दर जा सकते हैं। एक और भी रुचिकर बात है;—मुझे नंबर दो व्यक्ति के बारे में पता नहीं है, जो कल गिरफ्तार किया गया है—उसे गिरफ्तार किया गया था अथवा उसने आत्मसमर्पण किया था, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। पहला व्यक्ति; नम्बर एक दिनेश था या कोई और व्यक्ति; वह तिहाड़ जेल के फाटक पर स्वयं उपस्थित हो गया, वह दिल्ली में अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर भ्रमण कर रहा था, किन्तु सरकारी पुलिस कई घंटों तक उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। "आदमी की तलाश' किस प्रकार की जाती है, हमें पता नहीं है। और यह व्यक्ति दिनेश यह कहते हुए कि मुझे गिरफ्तार कर लो' वहां स्वयं उपस्थित हो गया। यहाँ दो मंत्री बैठे हुए हैं; मुझे नहीं पता कि उनकी भूमिका क्या है; क्या उनकी भूमिका सम्पूरक के रूप में है अथवा सामना करने वाले के रूप में।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इतनी बढ़िया जगह छोड़कर जाने से तो दुःख होगा।

[अनुवाद]

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरु) : मैं इस बात को स्पष्ट करदूं कि दूसरा व्यक्ति मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस दिल्ली की पुलिस से अधिक अच्छी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, 'दिनेश' शब्द को स्पष्ट किया जाय। अन्यथा माननीय सदस्य को गलत फहमी रहेगी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जबसे श्री अजय मुशरान मध्य प्रदेश छोड़कर यहां आ गये हैं; तबसे अब स्थिति बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको स्पष्ट करना होगा कि कौन सा "दिनेश" है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मध्य प्रदेश में पूर्ण कालिक गृह मंत्री हैं जबकि हमारे यहां केवल प्रभारी गृह मंत्री।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कल के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में ही उस शहर की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक गम्भीर समाचार प्रकाशित हुआ है। मुझे विश्वास है; कि चर्चा के भय से वह इसके महत्व को कम करके दिखाने की चेष्टा नहीं करेंगे। 1985 में राजधानी में हर 18 घंटे में एक हत्या की घटना घटी है और उस वर्ष में 3121 हत्यायें हुई थी। 80 घटनायें बलात्कार की हुई थी और उनमें से कुछ का अन्त हत्या के साथ हुआ। इससे यहां के पुलिस प्रशासन की स्थिति का पता चलता है। दस बैंक डकैतियां पड़ीं। (व्यवधान)इससे पता चलता है कि दिल्ली प्रशासन पूर्णतः निकम्मा है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : इससे तिहाड़ जेल का क्या ताल्लुक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप जेल की बात कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक तिहाड़ जेल का सम्बन्ध है; आप जेल के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं; महोदय।

कु० ममता बनर्जी (जादवपुर) : यदि वह दिल्ली प्रशासन का मामला उठायेंगे, तो मैं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बारे में कहूंगी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं बड़ी उत्सुकता के साथ इसका इन्तजार कर रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ तिहाड़ पर ही बोलिये ।

प्रो० मधु दंडवते : एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था है ।

श्री अरुण नेहरु : पुलिस पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि पुलिस का जेल प्रशासन से कोई संबंध नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार गत तीन वर्षों में ही उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल से आधा दर्जन से भी अधिक जेल तोड़ने के मामले समाचार पत्रों में छप चुके हैं । मुझे नहीं मालूम कि यह सही है या गलत! प्रो० दंडवते ने सुरंग खोदने का उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा शायद आप कहने वाले थे कि वह बेहतर जानते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब, महोदय जुलाई 1985 में हंसराज जिसे बलात्कार तथा अपराधिक हिंसक गतिविधियों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था जेल परिसर के निर्माण-कार्य स्थल से एक ट्रक में बैठकर भाग गया है । तीन माह पूर्व, सूरज प्रकाश जेल के एक फार्म से भाग गया । इससे एक माह पूर्व, लक्ष्मी नारायण, शोभराज के साथ भागने में सफल हो गये, उसने अपने विरुद्ध जारी 51 वारंटों पत्रों को फाड़कर बचकर भागने का प्रयत्न किया ।

महोदय, ये ब्यौरों दिये गये हैं । दिसम्बर 1984 में 9 लोगों ने भागने की कोशिश की और उनमें से एक व्यक्ति घायल हो गया था । अक्टूबर 1984 तथा मई, 1984 की घटनाओं का जिक्र किया गया है । चूंकि मेरा समय सीमित है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता । यह 17 मार्च, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में है । यह मेरा समाचार पत्र नहीं है । अगर उन्हें टाइम्स आफ इंडिया पसन्द नहीं है तो 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को ले लें ।

अध्यक्ष महोदय : "टाइम्स" से समय की याद आती है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : तिहाड़ जेल के सुरक्षा व्यवस्था की कमियों की तरफ बहुत ही विस्तार तथा संगत रूप से उल्लेख किया गया है ।

पहली कमी—प्रो० दंडवते ने बतायी है । रविवार के दिन जेल परिसर में किसी भी जाती वाले को अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जाती है । तो ये व्यक्ति किस प्रकार से आ सकते हैं ?

दूसरी कमी—ऐसा लगता है कि जेल में कारों की संख्या तथा उनको पंजीकरण संख्या के बारे में जो जेल परिसर में आती जाती हैं, कोई रजिस्टर नहीं है । न हीं रविवार को बाहर कार रोकने वाला कोई होता है । वे रविवार को कारों को बाहर जाने की अनुमति कैसे दे देते हैं ?

तीसरी—मीनार टावर पर तैनात व्यक्ति के बारे में है। हालांकि उपराज्यपाल ने उसे बिल्कुल निर्दोष बताया है। टावर पर तैनात व्यक्ति के पास कोई दुरबीन नहीं होती और वह मात्र यह निगरानी करता है कि दीवार पर चढ़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति दीवार पर चढ़कर भागने का प्रयत्न करता है तो टावर पर तैनात व्यक्ति कूद पड़ेगा। यह एक बहुत ही अद्भुत प्रबन्ध है।

चौथी—जेल के सहायक अधीक्षक और चार्ल्स शोभराज जोकि अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कुख्यात अपराधी हैं और जेल तोड़कर भागने के लिए प्रसिद्ध है, को भागने से एक मिनट पूर्व एक साथ एक कमरे में देखा गया था जो द्वार संख्या 3 के मुख्य द्वार के साथ है।

क्या चार्ल्स को एक सैल में नहीं होना चाहिए था ? उपराज्यपाल ने उत्तर दिया "ठीक, वह विचारणाधीन था.... ..." परन्तु विचारणाधीन अभियुक्त का निश्चित ही जेल के सहायक अधीक्षक के साथ "मेल जोल" नहीं होना चाहिए।

पांचवी—द्वार संख्या 3 सदैव बन्द रहता है और किसी को अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उसकी पहचान मात्र एक व्यक्ति "डियोढ़ी मुन्शी" द्वारा नहीं कर ली जाती, श्री कपूर ने बताया। क्या जेल में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों से अनुमति लेना अथवा कागजात दिखाना आवश्यक नहीं है ? आम तौर पर जेल अधीक्षक लिखित अनुमति देता है।

छटी—अगर कोई यह मान ले कि शोभराज जेल के सहायक अधीक्षक के साथ कुछ औपचारिक बात कर रहा था क्या कोई नियम नहीं है कि वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य कनिष्ठ कर्मचारी कोई चीज खाने से अपने को बचाये........" माना जाता है कि नकदी तथा उपहार दोनों का व्यापार वहां चल रहा है।

सातवीं—एक बार व्यक्ति के प्रवेश करने के बाद क्या जेल के दरवाजों को बन्द नहीं कर देना चाहिये.........." इन कमियों की तरफ इशारा किया गया है। क्या यह पता लगाने के लिए कि ये कमियां हैं अथवा नहीं जांच करने की आवश्यकता है ? ये कमियां हमेशा से रही हैं एक व्यक्ति जो पक्का अपराधी है, जिसकी बहुत से देशों की तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को तलाश है, जो उसकी वापसी पर उसे मृत्यु दंड देने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वह तिहाड़ जेल में बेरोकटोक घूम रहा था और सभी बड़े अधिकारी उसके इशारों पर नाच रहे थे और उसे खुश करने में लगे हुए थे ऐसा प्रतीत होता है।

एक बात का डंडवते जी ने उल्लेख नहीं किया परन्तु मुझे नहीं पता कि यह संगत है अथवा नहीं परन्तु मुझे लगता है जब इन जेल अधिकारियों की पेड़ों, अंगूरों तथा कास्टेंडा तथा सभी चीजों के साथ आवभगत की गयी, वे आधे बेहोश अथवा बेहोश या तीन-चौथाई होश में थे, अथवा मुझे नहीं पता परन्तु चिपकाने वाला टेपों के साथ उनके मुह बंद कर दिये गये थे.........

अध्यक्ष महोदय : इससे एक प्रश्न पैदा होता है। वे ऐसा कैसे कर सके, सभी को एक साथ बेहोश ?

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें कंप्यूटरों द्वार खिलाया गया था, मैं कह सकता हूं।

श्री सोम नाथ चटर्जी : शायद, सरकार की तरह, दवायें भी तेजी से कार्य करती हैं। क्या उनके पास चिपकाने वाले टेप तैयार थे ? चिपकाने वाली टेपों से उनके मुहँ बंद कर दिये गये थे और उन्हें रस्सी से बांध दिया गया था, तिहाड़ में भागने की व्यवस्था करने के लिए हर चीज उपलब्ध है खाना खया गया। परन्तु.....

अध्यक्ष महोदय : यह सिर्फ एक भेंट थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वहां एक जन्म दिन मनाया था। किसका जन्म दिन अब, कोई व्यक्ति आकर कहे कि किसी का जन्म दिन मनाने के लिए मैं कुछ खाना, पेड़े और मिठाई तथा सब कुछ लाया हूं और लो तथा पकड़ो, दरवाजे खोल दिये गये, वे एक जुलूस में आयें चीजें बाँटी, उप-अधीक्षक से लेकर संतरी तक सभी जेल के अन्दर पार्टी में सम्मिलित थे, पार्टी के पूरा होने से पहले ही वे सो गये और बाहर चले गये और यह शक्तिशाली सरकार उनकी तलाश में फिर रही है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, यह भूल का प्रश्न नहीं है। यह एक अपराधपूर्ण लापरवाही है, जानबूझकर.....

अध्यक्ष महोदय : कम से कम अब हमें होशियार रहना चाहिए कि इस प्रकार से कोई मिठाई न खाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नहीं खानी चाहिये थी। कम से कम यह जेल के अन्दर नहीं बाहर खायी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ एक घंटा और बाकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो व्यक्ति आया था—या तो वह रोबर्ट है अथवा डेविड-उनके नाम रोजनामचे की किताब में बिल्कुल नहीं हैं। उनके नाम को कहीं पर भी दर्ज नहीं किया गया था। वे आये होंगे। उनके साथ न केवल गृह सदस्य बल्कि भेंट करने वाले व्यक्ति भी थे। उन्हें वहाँ घूमने की खुली छूट है।

5.00 म० प०

मैं दंडवते जी की शिकायत से सहमत हूं कि इसका जल्दी से जल्दी दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारण करना चाहिए था। क्या मैं अपना महत्वपूर्ण सुझाव रख सकता हूं, महोदय ? मैं समझता हूं कि अब तक मैंने केवल संगत बातें कहीं हैं। .....

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास कुछ और है तो आप कह सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समान मुद्दों को छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं।.....

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : ये सब बातें समाचार पत्रों में छप चुकी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर समाचार पत्रों में कोई बात आ जाये तो क्या हमें सभा में

उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। क्या यह सरकार का दृष्टिकोण है ? ये सब बातें एक युवा और सक्रिय मंत्री क्यों कहता है ?

मैं समर्थन करता हूं - क्योंकि आप जल्दी में हैं, और हम जल्दी में हैं लगता ऐसा ही है—न्यायिक जांच की तथा कठोर सजा की मांग उप-अधीक्षक स्तर तक ही न रह जाये बल्कि मंत्रालय स्तर तक पहुंचे, अगर आवश्यक हो।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष जी, मेरी प्रार्थना है कि यदि यह बहस आज 6.00 बजे तक खत्म हो जाए तो ठीक है, अन्यथा मेरा हाफ-एन-आवर डिस्कशन कल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : यह छः बजे देखा जायेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो कल कर लेंगे, मियां, बीबी राजी तो फिर कोई झगड़ा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) : इस खास घटना ने तथा तिहाड़ जेल से इस भागने ने सारे देश को हिलाकर रख दिया हैं क्योंकि ऐसी बात देश की राजधानी में घटित हुई है और जेल प्रशासन तथा अन्य लोगों की त्रुटियां की भी संचार माध्यम द्वारा सही तस्वीर प्रस्तुत की गयी है।

मैं विस्तार ने नहीं जान चाहता। मैं बहुत ही विशिष्ट तथा व्यावहारिक सुझाव दूंगा आजकल हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए जो कि दुर्भाग्य से काफी लोग नहीं समझते हैं कि जेल अधिकारी कैसे कार्य करता है और पुलिस अधिकारी कैसे कार्य करते हैं। जेल अधिकारियों का कार्य है उच्च न्यायालयों तथा निचली न्यायालयों के आदेशों का पालन करना है और पूछताछ के लिए रखे गये कैदियों के बारे में रिमांड आदेश का पालन करना तथा अपराधियों पर नजर रखना है।। जैसे ही वे जेल से बाहर आते हैं तो कानून व्यवस्था को कायम रखने वाले अधिकारियों तथा पुलिस की मुसीबत आ जाती है। जबतक वे जेल के अन्दर हैं तो जिम्मेदारी जेल अधिकारियों की है। जैसे ही वे जेल के बाहर आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की हो जाती है। दुर्भाग्य से जेल व्यवस्था ऐसी प्रतीत होती है जिसका संचालन देश में सभी जगह राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है सिवाय संघ शासित राज्य में और यहां पर भी मेरे विचार से तिहाड़ जेल पंजाब मैनुअल का अनुसरण करता है।

जब तक कि पुलिस चाहे वह अच्छी है या बुरी यह एक बिल्कुल ही अलग मामला है तथा खुफिया विभाग को दखल देने का तथा नियमित रूप से जेल में जाकर जांच करने का

[श्री प्रियरंजन दास मुंशी]

अधिकार नहीं होगा मुझे शक है कि भविष्य में कुछ सुधार हो सकेगा चाहे आप जो भी सुधार कर लें – क्योंकि जेल के अन्दर कैदियों के सहयोगियों का शासन चलता है और जेलर तथा जेल अधीक्षक मात्र मुझे कहना चाहिए उनके औजार हैं और इससे अधिक कुछ नहीं क्योंकि जेल के अन्दर का गेंग वार्डन तथा अन्य संघ यूनियन सोसाइटियां तथा एसोसियेशन बना लेते हैं और वे अपनी मर्जी चलाते हैं न कि जेलर अथवा जेल अधीक्षक का हुक्म चलता है। ये लोग हैं जो अभियुक्तों के बीच कार्य बांटने का कार्य करते हैं। यह मैंने अपने अलीपुर जेल के अनुभव के दौरान देखा है—जिन कैदियों पर मुकदमे चल रहे हैं उनमें कार्य वितरण, किसे रसोई का कार्य करना है, किसे जमादार का कार्य करना है, इत्यादि यह कार्य ग्रुपों, एसोसियेशनों और यूनियनों तथा स्वार्थी हित के लोगों द्वारा फैसला होता है कि कौन क्या करेगा। यह जेल के अन्दर की कहानी है। तो पुलिस बाहर से क्या कर सकती है मुझे नहीं पता। जिन कैदियों पर मुकदमे चल रहे हैं और विशेषकर उन अपराधियों पर जिन्हें न्यायालयों द्वारा साक्षात्कार तथा अन्य कार्यवाही पूरा होने के बाद अपराधी घोषित किये जाने की उम्मीद है, नजर रखने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए जिसे जेल आसूचना सेवा कहा जा सकता है जो बाहर रहकर नियमित रूप से जेल के अंदर की स्थिति और विचारणाधीन कैदियों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। जब तक आप इसे नहीं बनाएगे यह बिल्कुल असम्भव है। आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते आप चाहे जो भी सुधार करें। मैं कुछ बातों का उल्लेख करता हूं। 11 जून 1980 को स्वर्गीय श्री ज्योर्तिमय बासु, विरोधी दल के सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था अतारांकित प्रश्न संख्या 422 तिहाड़ जेल में व्याप्त कुरीतियों के बारे में। उस समय सरकार का उत्तर बहुत ही निरपेक्ष था कि जेलों में भीड़ को समाप्त करने के लिए दिल्ली में कुछ और जेलें बनानी होंगी और मेरे ख्याल से सिर्फ एक जेल पूरी बनी है मुझे नही मालूम दूसरी पूरी हुई है। 1979 में, दुर्भाग्य से यह जनता का शासन था मैं अभाग्यशाली नही कहना चाहता और अगर हम आज तिहाड़ जेल में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं तो इसी प्रकार से दूसरी पाटीं को भी जो 1979 में हुआ था उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। उस समय 72 अभियुक्त कैदी और दो जेल अधिकारी मामले में शामिल थे मैं कर्मचारियों को भी जेल के अन्दर चल रही कुरीतियों तथा गिरोहों के संचालन के लिए दोषी ठहराता हूं। यह जवाब मंत्री ने श्री ज्योतिर्मय बासु के प्रश्न के उत्तर में दिया था। 1979 में फिर इससे भी बड़ी बातें घटित हुई थी जिनके बारे में मेरे ख्याल से मधुजी को पता है। सभा में 16 दिसम्बर 1981 को श्री मकवाना ने श्री मनोरंजन भक्त के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जाली अदालती दस्तावेजों के आधार पर 8 व्यक्ति तिहाड़ जेल से रिहा हो जाने थे। इस मामले में 5 व्यक्ति सफल नही हो सके और 2 सफल हो गये थे और बाद में एक पकड़ा गया था। मुझे यह जानकर आश्चर्य है कि ऐसा किसी प्रकार से होता है। ऐसा 1679 में हुआ था। भागने में लगे हुए पेशेवर लोगों द्वारा तिहाड़ जेल में यह घटना वह आज की बात नहीं है यह एक संगठित षड़यन्त्र है। मेरे विचार से उन्हें अपना बुनियादी ढांचा मजबूत बनाना चाहिए और इसे करने के लिए वे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ले सकते हैं। मुझे इस पर गहरी चिंता है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं और आज मैं मधु जी के साथ पूर्णतया एक वाक्य में सहमत हूं "बाद में जांच करने का कोई सवाल नही" हम महसूस करते हैं कि तिहाड़ की घटना बहुत गंभीर बात है। संपूर्ण प्रशासन को जेल अधीक्षक से

वार्डन के निचले स्तर तक सभी को हटा देना चाहिए। इसके अलावा में सुझाव दूंगा कि यह पता लगाया जाये अगर आपका रवैन्यू इटेलिजेंस सिस्टम राज्य सरकारों के हाथ में है तो आप स्वयं अपने रवेन्यू इटेलिजेंस बनाये। आप पहले वाले जेल अधीक्षक से जो तिहाड़ जेल अधीक्षक से सेवा निवृत हो चुका है, उससे आंकड़े लेकर उन लोगों से मालूम करें वार्डनों, हवलदार आदियों का जो सभी दिल्ली में धन एकत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सीमित वेतन में डिफेंस कालोनी में मकान बना लिये हैं। यह एक संगठित गिरोह है। अन्यथा शोभराज भाग नहीं सकता था और यह सारी बात न हुई होती। आप यह भी कह सकते हैं कि आप सदन की एक समिति को विस्तार से जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेंगे में नहीं जानता हूं। न्यायाधीश एम० सी० छागला द्वारा की गई जांच से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है जहां उन्होंने किशोर और अन्य अपराधियों के बारे में विस्तार से जांच की थी। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है क्योंकि इससे कई लोग प्रभावित होंगे। हम दिल्ली को हांग-कांग या बैंगकाक बनाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते हम इसे बेघर बनने पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। केवल पिछले वर्ष उग्रवादियों ने विस्फोटक वस्तु रखी थी। श्री ललित माकन मारे गए थे और आज तक आप इसे प्रमाणित करने के लिए आगे भी नहीं आ सके और कोई भी नहीं बता सकता कि यह किस प्रकार हुआ। चार्ल्स शोभराज उस एक घंटे के बाद गया जब आगुन्तक को उसको देखने के लिए अनुमति मिली थी। दूसरा व्यक्ति जिसने कल आत्म समर्पण किया वह उन व्यक्तियों में से था जो रविवार को भागे थे। वह चांदनीचौक में घूम रहा था। मैं बहुत महसूस करता हूं कि यह जेल अधिकारियों को दोष लगाने और अपशब्द कहने का साधारण प्रश्न नहीं है जेल के भीतर कुछ बहुत गलत कार्य हो रहा है और हमें वास्तविक स्थिति का पता लगाना होगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन ने भी चूक की है और सरकार को बदनाम किया है जो बाहर है और षड़यंत्र में लगे हुए हैं उन्होंने प्रत्येक मामले में सरकार की स्थिति खराब की है हमें इसका सख्ती से पता लगाना चाहिए। यदि आप इसे करने में असफल होते हैं तो मुझे कहते हुए दुःख होता है कि इस सदन द्वारा हमारी अंतरात्मा को माफ नहीं किया जाएगा। इतिहास बताता है कि दिल्ली प्रशासन और जेल अधिकारियों से चार्ल्स शोभराज को किसी से भी मिलने की अनुमति किस प्रकार से दी। वह कौन है? क्या उसने भारत के संविधानिक को बनाया है वह कौन है? वह प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा और कहानियां बताता है-जो व्यक्ति ग्रीस से भागा था जिस व्यक्ति को फांसी पर लगाया जाना था। आपने उसे जेल-1 से जेल-3 में स्थानान्तरित क्यों किया? इस कार्यवाही में शीघ्रता क्या थी? इन मामलों को विस्तृत में स्पष्ट करना होगा।

मुझे खुशी है कि भारत में ऐसा पहली बार किया गया है जबकि जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया हो। मैं सरकार को उसके लिये धन्यवाद देता हूं। सरकार ने इसमें साहस दिखाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राज्य सरकार इसका अनुसरण करें। मैं इसमें राजनीति नहीं ला रहा हूं। अधिकतर राज्यों में इस प्रकार की बातें जेल में हो रही हैं परन्तु क्योंकि वे दिल्ली में स्थित नहीं हैं इसलिए उन पर चर्चा नहीं की जाती है। यह अधिकतर प्रत्येक जेल में हो रहा है। ये अपराधी तस्कर ये सभी लोग गेंग बनाते हैं और जेल के भीतर आप कुछ नहीं कर सकते। बेचारे जेलर और अधीक्षक या तो लूट के माल का हिस्सा लेते हैं या चुप रहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जेल कर्मचारियों के बीच एक संगठित माफिया गुट काम कर रहा है। यह हो रहा है।

मैं तीन सुझाव दूंगा। पहला सुझाव तिहाड़ जेल के बारे में है। अन्यों के लिये मैं अभी

[श्री प्रिय रंजनदास मुंशी]

कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं। राज्य सरकारों को परामर्श करना चाहिए कि वे किन समस्याओं का सामना करते हैं यदि तिहाड़ में आप एक सप्ताह के भीतर पूरी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि आप जेल आसूचना सेवा प्रणाली को शुरू करें। आप दिल्ली पुलिस के आयुक्त को दोष देते हो जब एक कैदी भाग जाता है। लेकिन क्या आपने पुलिस आयुक्त को सप्ताह में एक बार जेल का दौरा और यह देखने के लिए कोई प्राधिकार दिया है क्या जेल में जहां अपराधी रहते हैं वहां प्रबन्ध सुरक्षा सही और उचित है ताकि वे भाग न सकें ? आपने उसे यह प्राधिकार नहीं दिया है। परन्तु जब एक अपराधी भाग जाता है तो आप पुलिस को दोष देते हैं। जब अपराधि जेल में होता है तो यह देखने के लिए कि क्या इन्तजाम सुरक्षित है या नहीं, उस समय आप पुलिस को जेल का दौरा करने की अनुमति नहीं देते हो। इसके बाद मैं अब जेल द्वार ड्यूटी प्राधिकारियों पर आता हूं। जो व्यक्ति अन्दर जाने की अनुमति देता है अर्थात जेल द्वार ड्यूटी अधिकारी वहों से मुख्य भ्रष्टाचार शुरू होता है। मैं माननीय मंत्री से शुरू से लॉग बुक को जांच करने का अनुरोध करता हूं। देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो भारो रिश्वत के साथ चैक पोस्ट ड्यूटी लेना चाहते हैं। कुछ लोग भारी रिश्वत के साथ विशिष्ट पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी लेना चाहते हैं। जेलों में विशेषरूप से तिहाड़ में यह मामला है। मैं इसे प्रमाण के साथ कहता हूं। उन्हें लॉग बुक की जांच करने दो। कुछ ऐसे लोग चार या पांच हैं जो विशेष घन्टों में विशेष दिन हमेशा ड्यूटी लेना चाहते हैं और वे और वे किसी अन्य व्यक्ति को उस समय ड्यूटी की अनुमति नहीं देते हैं ऐसा क्यों है ? यह सारा संगठित है और यह बातें होती है। कोई भी गहराई में नहीं जाता है कि क्या हो रहा है।

मेरा तीसरा सुझाव प्रशिक्षण के बारे में है। संसद में आपने संसद के नये सदस्यों के लिये पूर्वाभिमुखीकरण पाठ्यक्रम या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की प्रणाली शुरू की है। नई स्थितियों से निपटने के लिये प्रत्येक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। परन्तु वे लोग जो जेल का प्रबन्ध करते हैं उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। वे नवीनतम साधन, नवीनतम उपाय, विभिन्न प्रकार के उपायों को नहीं जानते हैं जिन्हें भागने के लिए उपयोग किया जाता है। वे केवल इतना जानते हैं। "मुझे मीनार पर खड़ा होना है और यदि मैं किसी को दीवार पर चढ़ते हुए पाता हूं तो मुझे घण्टी बजानी होगी बस यही" कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें फिल्में नहीं दिखाई जाती हैं। मैं नहीं समझता कि जेल के प्राधिकारी फिल्मों को देखने की परवाह करते हैं कि वहां कौन सी फिल्म है; आधुनिक विश्व में किन उपायों का उपयोग किया जाता है। उनको केवल यही लगाव होता है कि क्या लूट का माला मिलेगा या नहीं।

अब मैं मिठाईयों और अन्य चीजों पर आता हूं। जेल प्राधिकारियों के विरुद्ध यह मेरा आरोप है। कृपया पूछताछ कीजिये। जहां तक मुझे पता है, जेल नियम पुस्तिका स्पष्ट बतलाती है बाहर से कोई भी खाना या कोई उपहार, कपड़े का एक टुकड़ा भी तब तक कैदी या अपराधी को नहीं दिया जा सकता जब तक कि विशेषरूप से यह प्रमाणित और जेल प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित हो। मैं जानना चाहता हूं कि जिस दिन मिठाईयां और फल बांटे गये थे उस दिन जेल का ड्यूटी प्रभारी अधिकारी कौन था और क्या उसने अनुमति दी थी या नहीं। कृपया इस बात की भी जांच

की जाये कि पिछले समय में इस प्रकार की बातें कितने अवसरों पर हुई। इन सभी बातों का पता लगाना चाहिए।

मैंने उल्लेख किया है कि 1979 में क्या हुआ था। मैंने उल्लेख किया कि 1975 में क्या हुआ था। मैंने सुरंगों को खोदने का उल्लेख किया था। हर समय मामला उठाया जाता है परन्तु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं होती। कम से कम आज से कम से कम दिल्ली में आपको लोगों के मन में विश्वास पैदा करने की कोशिश करें कि न केवल सरकार ने निश्चय किया है बल्कि सरकार कुछ प्रस्तावों के साथ आगे आ रही है जो हमारी सहायता करेगी।

महोदय अन्त में एक शब्द, श्री मधु दण्डवते अपने सामान्य व्यंग रचना की भावना और स्वभाव से कहने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों में, 21वीं सदी के नाम में, हम आयातित वस्तु पर अधिक विश्वास कर रहे हैं और चार्ल्स शोभराज अन्य आयात है। आज से इसे शुरू नहीं करना है। ठीक गोलाधारी से यह शुरू किया गया। मुझे केवल खेद है, हम इसमें से प्राप्त नहीं कर सके हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोवियेट्टिपालयम) : आज शोभराज तथा सात अन्य कैदियों के भागने के बारे में चर्चा है। वास्तव में यह नाटकीय करार है तथा 20वीं सदी की सबसे रोमांचक घटना है। मैं यहां तक कहूंगा कि 007 फिल्मों या "ग्रेट एस्केप" में हमने शोभराज जैसी इस प्रकार की सनसनीखेज रचना नहीं देखी है जैसा कि तिहाड़ जेल में हुआ।

हम जानते हैं कि चोरों, बदमाशों और हत्यारों को अच्छे लोग बनाने के लिये जेल केवल प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देने के उद्देश्य के लिये है। परन्तु अब जेलें भगोड़ों के लिये प्रशिक्षण स्थल बनती जा रही है। इस तरह की चीजों को हमेंशा के लिये रोकना होगा।

हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शोभराज अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी है और उसका चरित्र संदिग्ध प्रकृति का है। उसका नाटकीय ढंग से भागना केवल अधिकारियों की साठगांठ से ही संभव है। यह पहले से तैयार की गई योजना भी है। मैं इस बारे में एक या दो बातें कहना चाहता हूं। बिना साठगांठ और पहले तैयार की गई योजना के बिना यह दिन के प्रकाश में नहीं हो सकता है।

वास्तविक रूप से मुझे सदन के सामने यह कहते हुये शर्म आती है कि दिन के प्रकाश में राजनीति के नेताओं को भी गोली से मारा जा रहा है। यह कल या आज से नहीं हो रहा है। यह पिछले दो वर्षों से हो रहा है। इन्दिरा जी को उनके अपने सुरक्षागार्ड ने दिन में गोली मारी थी। उसके बाद हमने ललित माकन जो हमारे सदस्यों में से एक थे उन्हें दिन में गोली से मारा गया था और इसके बाद श्री लोगोंवाल को दिन में गोली मारी गई थी। इस प्रकार का अपराध है।

शोभराज जो अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी है, वह तिहाड़ जेल से अधिकारियों की शिकजें से भागा है। यह वास्तविक रूप से जेल नियमों को लागू करने में असफलता हैं। यदि जेलों के नियमों को कठोरता से लागू किया जाता तो ऐसा नहीं होता। जेल नियमों को लागू करने की असफलता के कारण शोभराज भागा है।

[श्री पी० कुलन्दई वेलू]

माननीय मंत्री जी एक विवरण देने के लिए आगे आये हैं जिसमें वह कहते हैं कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के एक अधिकारी के माध्यम से जांच आदेश दिये गये हैं। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाता हूं कि यदि एक अधिकारी के माध्यम से जांच आदेश किया जाता है तो निश्चित रूप से पूरी सच्चाई सामने नहीं आयेगी। न्यायिक जांच के आदेश तुरंत दिये जाने चाहिये। यह मेरा अनुरोध है।

मैं नहीं जानता हूं कि दूरदर्शन और रेडियो में इस समाचार के बारे में मुख्य विषय क्यों नहीं दिया गया। हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने क्यों बिलम्ब किया। मंत्री जी और सत्ता दल के सदस्य इस कारण को अच्छी तरह से जानते होंगे।

यह स्पष्ट है कि कैदियों और सहवासी पर भी शोभराज का प्रभाव बहुत अधिक था। यह अपने आप बताता है कि किस प्रकार से शोभराज तिहाड़ जेल से भागा था। पुलिस स्रोत भी कहती है कि उन कैदियों से जिनसे प्रश्न किये गये थे वह उसे चार्ल्स साहब कहते थे। इसका क्या मतलब है? वह तिहाड़ जेल में राजा की तरह था। यह आधार बताते हैं कि पार्टियों को मनाने के लिए कैदियों के मित्र भी जेल में आते थे। हमें तिहाड़ जेल को पांच तारा होटल के रूप में करना होगा। यही सब कुछ हम कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को उच्चतम न्यायालय के न्यायाशीश से जांच करायें ताकि सच्चाई सामने आ सकें।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, मूलतः तीन कारणों से कैदी भागते हैं। पहला कारण इमारतों का स्वरुप तथा बनावट है। दूसरा वहां व्याप्त भारी भ्रष्टाचार जिसके कारण उन्हें भागने में सहायता मिलती है। तीसरा कारण संभवत यह है कि हम जेल को रहने के लिये एक सुन्दर स्थान नहीं बना सके है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास न्यायमूर्ति आनन्द नारायण मुल्ला द्वारा 1980-83 में दी गई रिपोर्ट है। उसमें अपनी आरम्भिक टिप्पणी में उन्होंने कहा था :

[हिन्दी]

"ऊँची दीवारों के पीछे लोहे की सलाखों के अन्दर रहते हैं मुकाफल कुछ इन्सान-इन्सान जो नहीं एक गिनती है वह दिन आखिर कब आयेगा जब बदलेगा यह मौसम याम कुछ बेकस उन्हें आस लगायें उम्र की घड़ियां गिनती हैं।"

[अनुवाद]

शायद यह शोभराज पर लागू नहीं होता। वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। वह अपनी आत्मा का खुद मालिक था और वह अपने तरीके से भागने में सफल हो गया। अब हमें भविष्य के बारे में कुछ सोचना है। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि मुझे हैरानी है कि दूरदर्शन

ने इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की। अगर वे तत्काल फोटो दिखा देते तो संभवत कुछ स्थानों पर कुछ लोगों को पकड़ा जा सकता था। पहले भागने वाले दिनेश कुमार ने जब आत्म समर्पण किया तो भी इस समाचार को चौथा या पांचवा स्थान दिया गया। यहां तक कि वुल्गारिया के संबंध में एक छुटपुट समाचार को इससे अधिक प्राथमिकता दी गई। सारे देश के लोग जब यह जानने को उत्सुक थे कि क्या किसी को पकड़ा गया था किसी ने आत्म समर्पण किया तो लोगों को तत्काल इसकी सूचना दी जाती थी। तो प्रेस माध्यमों की तो यह प्रतिक्रिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

महोदय, कहा गया है कि एक समिति का गठन किया जाए। समिति का गठन कर भी लिया गया तो भी यह सुरक्षा के सीमित पहलुओं के साथ मामले पर विचार करेगी क्योंकि न्याय-मूर्ति मुल्ला की रिपोर्ट में जेल-सुधार संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया गया है।

अन्य पहलू जिस पर बिचार किया जाना चाहिए वह है बिधान संबंधी पहलू। वैसे भी जेलों का स्वरूप महत्व रखता है। इस समय जेलें, जेल अधिनियम, 1894 जेल अधिनियम 1900, कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 तथा सिविल जेल अधिनियम 1874 जैसे पुराने कानूनों द्वारा विनियमित होती हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत हम अपनी जेलों का संचालन करते हैं। हम जेल नियम पुस्तिका की बात करते हैं। मालूम नहीं इन पुस्तिकाओं को कितने अधिकार प्राप्त हैं। अगर कल हम अधिकारियों पर यह आरोप लगाना चाहें कि भगाने के लिए वे उत्तरदायी है तो संभवत वे दावा करेंगे कि कुछ मार्गनिर्देश ऐसे हैं जिन्हें कानून लागू नहीं कर सकता। इसलिए जेलों के संबंध में देश के लिए एक ऐसा समेकित कानून होना चाहिए जो महज सिफारिशी न हो जिसे लागू भी किया जा सके।

अब मैं चन्द शब्द जेल की इमारतें। उनकी अर्थात बनावट के बारे में कहूंगा। इस समिति ने टिप्पणी की है कि उसके द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 23 जेल इमारतें 125 साल से भी अधिक पुरानी तथा 183 इमारतें लगभग 100 साल पुरानी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण मौजूदा जेलों की मरम्मत तथा नई इमारतें बनाने का काम नहीं हो सका। इस कारण ज्यादातर हर राज्य में जेलों में समय समय पर तथा कोई विशेष अवसर आ जाने के कारण निर्धारित संख्या से अधिक कैदी रहते हैं। इमारतों के बारे में यह टिप्पणियां की गई हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। हो सकता है और कारण भी हों। मैं एक अन्य पहलू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। समिति ने इस बारे में भी सिफारिश की है कि देश में किस तरह की जेलें होनी चाहिए। उन्होंने चार तरह की जेलों के बारे में बताया है अर्थात् विशेष सुरक्षा जेलें, अधिकतम सुरक्षा जेलें, मध्यम स्तरीय सुरक्षा जेलें। तथा न्यूनतम सुरक्षा जेलें। सारी व्यवस्था में सुधार के लिए जब जेलों का निर्माण किया जाए तो इन बातों पर जरूर बिचार किया जाए ताकि सुधार योग्य कैदियों को न सुधरने वाले कैदियों से अलग रखा जाए ताकि उनके साथ भिन्न व्यबहार किया जा सके।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय शोभराज के फरार होने तथा इसके कारण देश को लगे आघात के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है।

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया]

आरम्भ में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जेल सुधारों का काम बहुत समय से बकाया है। तिहाड़ और अन्य जेलों में सामान्य कैदियों या विचाराधीन कैदियों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं है लेकिन शातिर अपराधियों को हर सुविधा और रियायत मिलती है और वे उसका उपभोग करते हैं।

शोभराज द्वारा जेल के कर्मचारियों को बेहोश या अर्ध बेहोश करने से कम से कम देश इतना चैतन्य और जागरूक हो सका है वह इस बात पर बिचार करें कि तिहाड़ तथा देश की अन्य जेलों में आए दिन क्या हुआ करता है। शातिर और कुख्यात अपराधियों के साथ जेल अधिकारियों की साठगांठ ने आन्तरिक सुरक्षा मंत्री जी अवसर दिया है कि वह जेल के ढांचे में सुधार करने के लिए कारगर उपाय करें।

इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि शोभराज किस तरह जेल में मजे किया करता था, उसके सैल में उसकी महिला मित्र आया करती थीं, उसे खाने की और अन्य अन्य सुविधायें उपलब्ध थीं, जेल में उसके मित्रों रिश्तेदारों और उसके दल के लोगों के आने जाने और मिलने पर कोई रोक नहीं थी। बस्तुतः इससे हमें देश की गुप्तचर ऐजेंसियों के कामों पर संदेह करने का मौका मिलता है। उस समय गुप्त ऐजेंसियों के लोग क्या कर रहे थे जब जेल में यह सब हो रहा था? क्या वे इस मामले की रिपोर्ट आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री को नहीं दे सकते थे जो यह दावा कर सकते हैं—मैं उनकी सराहना करता हूं—कि वह देश में यहां तक की पंजाब में घटने वाली हर घटना, दुर्घटना का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं.....(व्यवधान)। यह सही है कि वह हमारी पंजाब समस्या में हमारी सहायता कर रहे हैं वह पंजाब समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझते हैं, उन्हें पंजाब से सहानुभूति है और इस समय पंजाब को सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है और यह सब वह दे रहे हैं।

यह घटना नार्थ ब्लाक से केवल 4 मीटर के लगभग की दूरी पर घटी है। इससे एक यह धक्का और लगता है कि अगर राजधानी में ऐसा हो सकता है तो राजधानी के बाहर तो और बड़ी घटनाएं घट सकती हैं।

चार पांच बातों पर माननीय मन्त्री को बिचार करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, आप आजादी की लड़ाई या किसी मोर्चे या आन्दोलन के दौरान कभी जेल में रह चुके हैं। मैं खुद भी 1971 में इस जेल में डेढ़ महीने रह चुके हैं। मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है।

आन्तरिक सुरक्षा बिभाग में राज्य मन्त्री श्री अरुण नेहरू उनके द्वारा दी हर सूचना का स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय जी हां उनकी अपनी जानकारी के माध्यम से दी जाने वाली सूचना का।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया: मैं यह सूचना अपने व्यक्तिगत अनुभव और उसी समय किए गए अध्ययन के आधार पर दे रहा हूं।

एक फैक्ट्री जेल में कुछ वस्तुएं बनाती है। जेल अधिकारी उन वस्तुओं को अपने पसंदीदा लोगों को बेचते हैं। फार्म में उगने वाले खाद्यान्न को भी सस्ती कीमतों पर बेचा जाता है और पैसे से अनुचित लाभ उठाया जाता है।

महोदय, जेल में कैदियों या विचाराधीन कैदियों से मिलने आने वाले उनके संबंधियों या मित्रों को मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है। उन दिनों डिप्टी सुपरिंटेंडेंट इन्चार्ज कैदियों से मिलने आने वालों से हर रोज कम से कम 500 रु० वसूल किया करता था।

चौथी बात यह कि अनाज, लकड़ी, सरसों के तेल, चना, सब्जी आदि का एक बाजार है। तिहाड़ जेल में अभियुक्तों को यह सभी वस्तुएं निर्धारित कीमतों पर सप्लाई की जाती हैं। लेकिन किसी भी अभियुक्त या कैदी को निर्धारित मात्रा में सामान सप्लाई नहीं किया जाता। अधिकतर अनाज, लकड़ी आदि बाहर बेच दी जाती है।

पांचवे, तिहाड़ जेल में खासकर 17-18 साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में, अपराध को और बढ़ावा मिल रहा है। जेल अधिकारियों ने वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मौजूदा परिस्थिति में और सुधार करने पर विचार करें और जेल में रहने वालों की समस्याओं का भी अध्ययन करें। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। मेरा सुझाव है कि जेल के समस्त क्रिया-कलापों के अध्ययन के लिए इस सदन की एक समिति भेजी जानी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु उन्हें बाहर जाने दिया जाये !

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनमें से कुछ को वहां पर भी रखा जा सकता है !

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और प्रदेश सरकारों में भी जेल विभाग सबसे अधिक नजरअंदाज किया हुआ विभाग है। जहां पुलिस विभाग में या दूसरे विभागों में नए वैज्ञानिक तरीके स्थापित किए गए हैं क्राइम को खोजने के लिए, क्रिमनल्स को पकड़ने के लिए जहां नए-नए वैज्ञानिक तरीकों को लगाया गया है, वहीं अभी तक जेलों में वैज्ञानिक तरीके नही अपनाए गए हैं। अभी भी हमारे यहां की जेलें पुराने ढर्रे पर चल रही हैं और उनके रख-रखाव के लिए, सभी जगहों की, जेल के सभी भागों की एक जगह जानकारी हासिल करने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नही अपनाया गया है। जैसे टी० वी० चैनल्स अगर जेलों में लगा दिए जाएं, जिसमें जेल के हर भाग की रिपोर्ट, हर भाग की तस्वीर बारी-बारी से एक जगह इकट्ठी होती रहे तो इससे जेल के रख-रखाव में और जेल के मेंटीनेंस में बड़ी सहायता मिल सकती है।

[श्री जैनुल बशर]

अध्यक्ष महोदय, बाहर हमारे समाज में गरीब और अमीर रहते हैं, लेकिन जेलों में जहां कि बराबरी की आशा की जाती है कि जेल में जो भी अपराधी होंगे, चाहे वे अमीर हों चाहे गरीब हों उनके साथ बराबर का बरताव किया जाएगा, कानून के मुताबिक।

आज यह चीज जेलों में नहीं है। जेल में भी अमीर और गरीब अपराधी अलग-अलग तरीके से रहते हैं। एक तरफ तो एक बड़ी लम्बी फौज गरीब अपराधियों की है जो बहुत खराब हालात में वहां रहती है और एक तरफ चार्ल्स शोभराज जैसे बंदी हैं, स्मगलर्स हैं, गिरोहबंद हैं, डकैत हैं, उनके लिए जैसा कि दण्डवते जी ने कहा कि फाइव स्टार होटल की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे वहां एंजाय कर रहे हैं, उसका आनन्द ले रहे हैं। और अगर बहुत से ऐसे कैदी जेल से भागना नहीं चाहते हैं तो केवल इसलिए कि उनको भागने की इच्छा नही है। अगर उनमें से अधिकतर भागना चाहें तो किसी भी समय जेल से भाग सकते हैं वे अगर निकलना नहीं चाहते हैं तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जेल से भागना भारत में कोई नयी बात नहीं है। दुनियां के बड़े-बड़े देशों में जहां बहुत वैज्ञानिक तरीके से जेल का रख-रखाव हुआ है, वहां भी कैदी भागते हैं। कैदी भी बहुत एडवान्स होते हैं। उनकी प्लानिंग और तरीके भी उसी प्रकार के होते हैं। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन आदि जगहों में भी कैदी भाग जाते हैं। हमारे यहां बहुत पुराने तरीके से कैदी रखे जाते हैं, वहां कैदियों का भागना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर नहीं भागते हैं तो ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : और आसान बना दें·····

(व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : जिस तरीके से उनका रख-रखाव है और किस तरह से वे अधिकारियों से मिले रहते हैं, यह तो आपको मालूम है। माननीय मंत्री जी श्री अरुण नेहरू, बहुत एफीशियेंट हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप तिहाड़ जेल छोड़ दीजिए, किसी भी जेल में चले जाइए और देख लीजिए कि हार्डन्ड क्रिमीनल कहां रहते हैं। आपको मालूम हो जायेगा कि किस तरह से रहते हैं, उनको क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से हर प्रकार का एनजायमेंट उनको मिलता है। कहीं से कोई रुकावट उनको नहीं है। वे अगर भागना चाहें तो भाग सकते हैं, नहीं भाग रहे हैं तो खुद नहीं भाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जेलों में अधिक सुधार की आवश्यकता है। जेल के सुधार में वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं। जेल में टी० वी० सर्किट लगाया जाए जिससे एक जगह बैठकर देख सकें कि वहां पर क्या हो रहा है क्योंकि एयरपोर्ट और अन्य स्थानों पर इस तरह के सर्किट लगे रहते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जेल का प्रशासन भूतपूर्व सैनिकों के जिम्मे किया जाना चाहिए। जेल के प्रशासन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वह पुराने तरीके से घिसा-पिटा ही चला आ रहा है। जेल के प्रशासन में भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व अधिकारियों को लगाया जाए तो इससे अच्छे तरीके से जेल के प्रशासन में मदद मिल सकती है क्योंकि वे लोग आजमाए हुए हैं, उनकी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता आजमाई हुई है इह तरह भूतपूर्व सैनिकों को एम्पलायमेंट भी मिल जायेगा और इस प्रकार की बात नहीं हो पायेगी। इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, तिहाड़ जेल पर जो चर्चा चल रही है यह ऐसी चर्चा नहीं है जिसको यह कहा जा रहा है कि बहुत भयंकर घटना घटी है। मैं इसको नहीं मानता। कुछ दिन पहले समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा, यह बात छपी थी कि यह आदमी जो भागने वाला है, वह भागने का प्रयास कर रहा है और वह बीमारी का बहाना बनाकर भागेगा। जब यह बात अखबार में आ गई और सरकार के बहुत से यंत्र हैं जो एकदम बैठे रह गए हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे सकी है और यह घटना घट गई है। अभी यह कहा गया कि वैज्ञानिक ढंग अपनाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग की बात नहीं है। जेल के कर्मचारी को आप क्या तन्ख्वाह देते हैं। अगर कैदी उसको चौगुनी तन्ख्वाह देता हो तो वह किसका हुक्म पहले मानेगा। मुझे भी दस-बारह बार बिहार सरकार ने जेल में भेजा है। वहां मैंने देखा है कि पैसे वाले कुकर्म, हत्या बलात्कार करके आते हों तो उनको काफी सुविधाएं दी जाती हैं। इससे ऐसा लगता है कि जेलों में पैसों के जरिए खूब भ्रष्टाचार होता है और जिसको पैसा मिलता है, वह उसके लिए सुविधायें उपलब्ध करवा देता है। अगर उसके बारे में अखबारों में आता है तो चाहे हमारी केन्द्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार हो, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जेल ऐसा विभाग है, जहां लोग समझते हैं कि उसमें कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो जानवरों से भी बदतर जिन्दगी बिताते हैं और मैं यह बात ईमानदारी के साथ कहता हूं और कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम कुख्यात अपराध करते हैं लेकिन जेलों में आनन्द से जीवन व्यतीत करते हैं। आनन्द का मतलब आप समझ सकते हैं कि उन्हें हर तरह की सुख-सुविधा मिलती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां उनकी बीवी तक आकर मिलती है और एकान्त में चार-चार घण्टे तक रहती है। यह सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि वह अभी तक इन जेलों की स्थिति में सुधार नहीं कर पाई।

जहां तक चार्ल्स शोभराज के भागने की बात है, वह तो जेल में पैसा देता था और इस तरह अपने नौकरों से काम लेता था। जेल के लोगों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी को निभाया। आज के अखबारों में हमें यह भी पढ़ने को मिला कि जिस जगह पर वह रहता था, वहां से हटाकर उसको दूसरी जगह ले जाया गया। इसलिए सारी चीजें बिल्कुल सही और दुरूस्त ढंग से, प्लानिंग करके हुई हैं और जेल के अधिकारियों को निश्चित रूप से काफी पैसा मिला है। मैंने जेल के अधिकारियों को देखा है, जब वे जेल में जाते हैं तो दो साल में 5 लाख रुपये की बिल्डिंग गया में हमारे यहां बना ली गई। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना पैसा उनके पास कहां से आया। आप ही बताइये जब उनको इतना पैसा मिलता है तो वे आपका हुक्म क्यों मानने लगे। इसलिए सवाल यह है कि स्मगलर्स और बड़े-बड़े डकैत लोगों को कौन बचाता है, ये अधिकारी ही बचाते हैं। जितने भी राजनीति करने वाले हैं, सब की उनके साथ सांठ-गांठ है। यहां से उन दुष्कर्मियों को अच्छी तरह से रखने के लिए फोन जाता है कि फलां आदमी को ठीक ढंग से रखा जाए क्योंकि उससे हम बाहर निकलने पर काम लेते हैं। इसलिए सारी चीजों को आपको देखना होगा। अगर आप कोई न्यायिक जांच करवायेंगे तभी आपको इसकी असलियत पता चलेगी कि इसमें कौन कौन इन्वाल्व है, मंत्री मण्डल से लेकर कौन लोग इसमें शामिल हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से पिछले दिनों तिहाड़ जेल में घटनाक्रम चला और चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से अपने कुछ साथियों के साथ भाग गए, उस पर

[श्री हरीश रावत]

इस सदन में प्रो० मधु दंडवते तथा हमारे कुछ दूसरे सम्मानित सदस्यों ने बहुत अच्छी प्रकार से प्रकाश डाला है। वास्तव में तिहाड़ जेल पिछले कुछ समय से गम्भीर घटनाओं और अनियमितताओं का एक प्रकार से अड्डा बन गया है तथा जिस प्रकार से गैर-मानवीय कृत्य और अशोभनीय कृत्य वहां होते रहते हैं, उन सब पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। जब दिल्ली जैसे शहर में इस प्रकार की घटनाएं घटती हों तो दूसरे राज्यों के विषय में आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि वहां कैसी स्थिति होगी।

पिछले दिनों अखबारों में एक समाचार पढ़ने को मिला कि पंजाब के गुरदासपुर में कुछ उग्रवादी जेल से निकल भागे। वे ऐसे उग्रवादी थे जिनके ऊपर अहिंसा फैलाने के गम्भीर आरोप थे। पंजाब के बारे में ही, एक दूसरा समाचार यह पढ़ने में आया कि वहां कुछ उग्रवादियों ने एक आर्मरी को ही लूट लिया। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें हम अलग-अलग रख कर नहीं देख सकते, बल्कि हमें इनको एक-दूसरे से जोड़ कर देखना होगा।

यहां पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं और आन्तरिक सुरक्षा राज्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि चार्ल्स शोभराज एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से सम्बन्धित था, उसने कई अन्य देशों में भी भयानक अपराध किए हैं, हो सकता है कि हमारे देश में कुछ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह, संगठन भी सक्रिय हों क्योंकि जिस तरह से इस देश में नशीली दवाइयां तस्करी के माध्यम से लाई जा रही हैं, हथियार लाये जा रहे हैं और उनको उग्रवादियों को सप्लाई किया जा रहा है, वहां इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यहां कुछ और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह भी सक्रिय हों। वे भारत में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं और उन्होंने ही मिलकर चार्ल्स शोभराज को जेल से निकलवाने में मदद पहुंचाई हो। हमें इस लाइन पर भी सोचना चाहिए और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति इस समय है, हमें इस घटना को केवल एक घटना के रूप में न लेकर, दूसरी घटनाओं से जोड़कर, सारे मामले की गम्भीरता से जांच करनी चाहिए।

आपने जो तिहाड़-जेल का सुपरिण्टेण्डेण्ट था, जिसके ऊपर यह शक था कि यह उनसे मिला हुआ है, उसको ससपेण्ड किया। इससे हमें उम्मीद है कि आप उससे पूछ-ताछ करके कुछ बातें निश्चितरूप से जानेंगे।

दिल्ली पुलिस के लिए मेरे दिल में कभी भी आदर का भाव नहीं रहा है, किन्तु इस काण्ड के होने के बाद और इन लोगों के जेल से भागने के उपरान्त दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से सूचनाएं भेजीं चारों ओर अपना जाल फैलाया और जिस तत्परता से कार्यवाही की है एवं जिस प्रकार से नाकेबंदी की है, उससे मेरे दिल में दिल्ली पुलिस के प्रति आदर का भाव जगा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चार्ल्स शोभराज भी अब इस देश से भागने नहीं पाएगा और उसको पकड़ कर जरूर दण्ड दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को ऐसी जेलों में जहां अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी रखे जाते

हैं महीने या दो महीने में, जांच करने का मौका मिलना चाहिए। जेलों में जहां इतने बड़े-बड़े अपराधी रहते हों वहां इस बात की पूरी सम्भावना है कि वे जेल में और अपराधियों से मिलकर कोई षड़यंत्र कर सकते हैं, दूसरे अपराधियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुलिस मैन्युअल में जांच करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि सारे देश में एक जैसा, यूनिफार्म जेल मैनुअल हो, जिसके अन्तर्गत पुलिस और इंटेलिजेंस ऐजेंसियां समय-समय पर जेलों के कार्यों की जांच करती रहें। मेरा तीसरा सुझाव यह है कि जेल के अन्दर जो स्टाफ हो, वह एक जेल में लम्बे समय तक न रहे। क्योंकि देखने में आता है कि जिस जेल में अपराधी लम्बे समय तक रहते हैं, उस जेल के स्टाफ के सम्बन्ध उन अपराधियों से प्रेम और भाईचारे के हो जाते हैं। यह बात हम उत्तर प्रदेश की जेलों में देखते हैं। अहां पर लम्बे समय तक अपराधी रहते हैं वहां पर जेल स्टाफ के साथ उनके प्रेम और भाईचारे के सम्बन्ध डिवेलप हो जाते हैं और उसके कारण जेल स्टाफ के गांव के लोग मात्र इसलिए भी डरते हैं कि उसकी जेल में बड़े-बड़े हत्यारे और अपराधी बन्द हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि स्टाफ को लम्बे समय तक एक ही जेल में नहीं रहने देना चाहिए। पुलिस और जेल के स्टाफ में आपस में अदला-बदला होती रहनी चाहिए। कभी जेल के स्टाफ के व्यक्ति पुलिस में आएं और कभी पुलिस के स्टाफ के व्यक्ति जेल के स्टाफ में जाएं जिससे जेल के स्टाफ का जेल के अपराधियों से कोई सामंजस्य नहीं रह पाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में जिस तरह से दूसरे माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी अपने को उस चिन्ता में शामिल करते हुए, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय को अपनी चिन्ता से अवगत कराते हुए यह उम्मीद करता हूं कि जो भी अपराधी भागें हैं, वे जल्दी से पकड़े जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चार्ल्स शोभराज तथा उसके साथी अपराधियों द्वारा तिहाड़ जेल से भाग निकलने की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक अत्यन्त लज्जाजनक घटना है जिसकी बदनामी सारे देश में फैल गयी है।

दो वर्ष पूर्व जब पुलिस के उप–अधीक्षक श्री तुली ने उन्हें दिल्ली के विक्रम होटल में गिरफ्तार किया तब इस बात को अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस में बड़े बड़े शीर्षकों में छापा गया और पूरे विश्व ने चैन की सांस ली थी तथा इन्टरपोल, विश्व भर की और जांच करने वाली संस्थाओं सभी ने दिल्ली पुलिस की प्रेस ने प्रशंसा की थी।

महोदय, सर्वोपरि यह है कि इससे कुछ बात प्रकट होती है। वह श्रीमती इन्दिरा गांधी के सर्वोच्च प्रताप का काल था जब हमारा स्थिर शासन था। परन्तु अब वह अविस्मरणीय असफलता को काल में बदल गया है श्रीमान वस्तुतः हम 1975 से काफी आगे बढे हैं। उस समय "आंतरिक सुरक्षा" विभाग नामक हमारा कोई आडम्बर पूर्ण नाम वाला विभाग नही था। हमारे छोटे छोटे नाम हुए करते थे, जैसे गृह मंत्रालय आदि। परन्तु अब आपका आन्तरिक

[श्री के० पी० उन्नीकृष्णन]

सुरक्षा विभाग भी है परन्तु हमारी प्रणाली तथा जेल सुरक्षा आभिकरणों की कोई क्षमता में बड़ी तेजी से भारी गिरावट हुई है । यही कारण है कि एक अत्यन्त ही खतरनाक परन्तु तीव्र बुद्धि समय अपराधी ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के सहारे से सरकार की व्यवस्था को चूर-चूर कर दिया ।

महोदय, वह छः अन्य अपराधियों को भी साथ ले गया । यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वह सतवंत सिंह को वहां ही छोड़ गया । यदि जेल में मनाई गई इस जन्म दिवस पार्टी में भूतपूर्व प्रधान मंत्री का हत्यारा भी भाग गया होता तो क्या होता । क्या इसकी कल्पना की जा सकती है ।

चार्ल्स शोभराज कोई साधारण अपराधी नहीं था । यह सर्वविदित है कि थाईलैंड में कत्ल के मामले में उसकी तलाश थी नैपाल में मादक औषधियों के, तुर्की में कत्ल के यूनान, फ्रांस जर्मनी इत्यादि में उसके विरुद्ध बहुत से अपराधों के मामलों में उसकी तलाश थी । तिहाड़ के इस अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता थी । क्या इस अपराधी तथा उसके गिरोह को ध्यान में रखते हुए जितनी सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता थी उतनी की गई थी ? हमें अपने आपसे यह प्रश्न पूछना है ।

अन्य सदस्यों ने प्राथमिक जेल प्रशासन के बारे में बहुत से किस्से सुनाये हैं । परन्तु मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । उसके भारत में अनगिनत लोगों से सम्पर्क थे । उसने एक भवन निर्माता कम्पनी के चेयर मैन के बेटे के साथ मिलकर, जो कि कई मंत्रियों को मिले है, बम्बई में एक व्यवसाय खोला हुआ था मैं उनके इस समय नाम नहीं लेना चाहता । मैं जानना चाहता हूं कि उस व्यवसाय का क्या हुआ ? यह मैं जानना चाहता हूं । उसे न केवल अति विशष्ट कैदी माना जाता था, अपितु उसके बहुत से सम्पर्क सूत्र थे जो जासूसी के मामलों में अंतग्रस्त लोगों तक फैले थे । मैं एक मामले का विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं । एक स्वर्ण राठोर नामक महिलाने, जो कैप्टेन राठोर की पत्नी है, अपने एक इण्टरव्यू के दौरान बताया

"अब चार्ल्स शोभराज मेरी बेटी की शिक्षा की देखभाल कर रहा है । "

यह 1986 के गौरवमय वर्ष की बात है ।

"वह उसे 300 रुपये प्रति मास देता है । "

चार्ल्स ने इस उदारता के लिए एक ऐसे सेना अधिकारी की पुत्री को ही क्यों चुना जिसके विरुद्ध जासूसी का मामला है ? इस बात को स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है । मैं इस बात का विशेष रूप से उत्तर चाहता हूं । उसे धन कहां से प्राप्त होता है । वह पिछले 10 वर्ष से तिहाड़ जेल में विचाराधीन बन्दी है यह धन प्रति मास एक ऐसी महिला को कैसे भेजा जाता है जो खुले आम यह कहती है कि उसकी पुत्री को वह शिक्षा दे रहा है । उसके द्वारा दिल्ली की कितनी और लड़कियां शिक्षित की जा रही हैं ?

यह केवल चार्ल्स शोभराज की ही बात नहीं; अपितु देश में से उच्च अधिकारियों तथा ऊंचे सम्बन्धों वाले लोगों ने उस के साथ सम्पर्क बनाया हुआ है। हम इसे कुछ जेल अधिकारियों की ही विफलता मात्र न मानें जो कुछ मिठाइयों या थोड़े धन के लालच में फंस गये। यह तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पूर्णत: विफलता है। इसके लिए मैं श्री अरुण नेहरू तथा श्री मिर्धा अथवा किसी अन्य को दोष नहीं देता। यह तो पूरी प्रणाली, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता है। अभी कुछ समय पूर्व केरल में हुई घटना की ओर मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह भी सरकार की उसी तरह की गम्भीर बिफलता का मामला है।

छ: सप्ताह पहले एक विचित्र घटना घटी छ: सप्ताह पूर्व, 29 जनवरी 1986 को कुवैत और सऊदी अरब के दो प्रमुख व्यक्ति शेख-अल, सईद यूसुफ सैय्यद हाशिम अल रिफाल मुस्लिम माइनोरिटी ब्रदरहुड के चेयर मैन

प्रो० मधु दंडवते: मनुष्यों के नाम ?

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन: तथा अनवर याकूब रिफाल आबू ढाबी के एक विमान द्वारा त्रिवेन्द्रम में उतरे। इन लोगों के प्रवेश पर गृह मंत्रालय के दिनांक 12-7-1985 के परिपत्र संख्या 44185 तथा 45185 द्वारा रोक लगाई हुई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: कौन से मंत्रालय के ?

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन: गृह मंत्रालय के। आदेश में कहा गया था कि यदि उनके पास वैध दस्तावेज भी हों तो भी उन्हें रोक लिया जाये, उन्हें आगे न जाने दिया जाये। उनके मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय ने इन व्यक्तियों को इस रूप में पहचान लिया है कि ये उस दल के लोग हैं जो भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के, भारतीय राजनीतिज्ञों के विपक्षी पार्टियों आदि अभी के विरूद्ध कपटपूर्ण प्रयास करने में लगे हैं। उन्हें उस वर्ग में रखा गया था जिनसे सचेत रहने की आवश्यकता होती है जिनसे पहले पूछताछ करनी होती है।

जब ये दोनो रिफाल इधर उतरे तो उनके पास भारतीय वीसा नहीं था, परन्तु एक मंत्री के स्टाफ ने त्रिवेन्द्रम एयरपोर्ट के अप्रवासी अधिकारी से कहा उन दोनों को 48 घंटे का लैंडिंग परमिट जारी किया जाय। उनका शासक वर्ग के दो विधायकों; जो मुस्लिम लोग के थे, द्वारा फूल मालाओं अदि से स्वागत किया तथा उन्हें राज्य की कारें भी उपलब्ध कराई जिन पर राष्ट्रीय तिरंगा फहरा रहा था।

शासक फ्रन्ट के विधायकों को साथ लेकर केरल के मेजबानी में वे कोचीन, कालीकट तथा कन्नानोर में सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरे तथा अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां जारी रखीं। पहले मालापुरम के पुलिस अधीक्षक को उनके परमिट को बढ़ा कर उनके पासपोर्टों पर स्टाम्प लगाने के लिए कहा गया। इनमें से किसी भी स्थान पर उन्हें विदेशी पंजीयन अधिनियम के अधीन विदेशी के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। इसके बाद में मालापुरम जिले के तथा कालीकट जिले के कलेक्टरों पर दबाव डाला गया। इस प्रकार वे सरकारी गैस्ट हाउसों में कोचीन कालीकट तथा कन्नानोर में रहते रहे..... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय वे दिल्ली में हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अब वे वापस चले गये हैं। अदण्डित रहते हुए इन राष्ट्रविरोधी निन्दकों ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था का इस प्रकार उपहास किया। यदि लोग इस प्रकार हमारे देश में आ सकते हैं और इस प्रकार कहीं भी जा सकते हैं तथा इस प्रकार का सम्मानजनक व्यवहार पा सकते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि, चाहे वह चार्ल्स शोभराज का मामला हो जो जेल से बाहर भाग जाता है या ये रिफाल बन्धुओं का मामला हो जो इस प्रकार भारत में प्रवेश पा जाते हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे सुरक्षा अभिकरण क्या कर रहे ? जब वे भारत में थे तब ये लोग क्या कर रहे थे ? इसके प्रभारी कौन है ? जैसा कि मैंने बताया हमने एक नया नाम, एक आडम्बरपूर्ण नाम रख लिया है, आन्तरिक सुरक्षा, परन्तु हमारी हमारे यहां सुरक्षा व्यवस्था क्या है ? चाहे वह चार्ल्स हो अथवा रिफाल बन्धु हों अथवा अन्य कोई हो, जो कोई भी हो, जो कोई भी हमारी सीमाओं का अधिलंघन कर रहा है वह गम्भीर खतरा पैदा कर रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा किंतु तिहाड़ जेल में जो भी हुआ है वह खेद जनक है क्यों कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है । जो भी विभाग संबंधित है - मुझे तो मालूम नहीं लेकिन उन्नीकृष्णन जी ने एक प्रश्न उठाया है कि ये केन्द्रीय गृह मंत्रालय का मामला है या आन्तरिक सुरक्षा विभाग का - किंतु मैं आग्रह करता हूं कि उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जिसने देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है। विशेषकर तब जब देश में वातावरण सही नहीं है और लोगों में असुरक्षा की भावना है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने जेल अधिकारियों के विरुद्ध षडयन्त्र का मामला दर्ज किया है मेरे विचार से यह षडयन्त्र ही था क्योंकि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि अधिकारियों ने शराब पी रखी थी और वे बेहोश हो गये थे। वे जरूर बेहोश हो गये होंगे लेकिन उन्होंने इस षडयन्त्र में भी भाग लिया होगा.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : योजना के अनुसार।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : शोभराज ऐसा ही व्यक्ति हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि तिहाड़ जेल में प्राधिकारी अपने कार्य के प्रति इतने लापरवाह कैसे हैं। मैंने श्री मधु दन्डवते का भाषण सुना। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया है कि किस तरह तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने अपने काम के प्रति लापरवाही दर्शायी। और श्री उन्नीकृष्णन ने भी इस बारे में बताया है। अब सरकार यह कहती है कि हमें मालूम है कि ये षडयन्त्र है किंतु हम इसकी जांच किसी अधिकारी से करवायेंगे। इस बात में मैं मधु दंडवते जी से सहमत हूं कि इस मामले की ऊंचे पैमाने पर न्यायिक जांच होनी चाहिये। यहां मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से ऊंचे दर्जे की व्याख्या करते हुये बताता हूं कि इस मामले की जांच ऐसे न्यायधीश द्वारा की जानी चाहिये जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो। मैं न्यायाधीशों के पूरे वर्ग पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा।

6.00 म० प०

किंतु आप जब भी किसी ऐसे न्यायाधीश की नियुक्त करेंगी जिसके प्रति लोगों में विश्वास न हो, तो सवाल उठाये जाते हैं। कुछ ऐसे भी न्यायाधीश हैं जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्हें

वश में किया जा सकता है। इसलिए काम पर किसी ऐसे न्यायाधीश को लगाया जाना चाहिए जिसका देश में उसकी ईमानदारी के लिए आदर किया जाता हो और जिसको भारत किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अधिक प्रिय हो।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा। मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं संक्षेप में बताता हूं।

एक प्रश्न यह है :

ऐसा क्यों हुआ कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इस घटना का समाचार बड़ी देर से पहुंचा विशेषकर बम्बई हवाई अड्डे पर ? बम्बई में 8.30 बजे म० प० ये समाचार पहुंचा और वो भी सीधे सम्पर्क द्वारा नहीं जयपुर के माध्यम से। इसका क्या कारण है ? क्योंकि बम्बई भारत के सभी शहरों में महत्व पूर्ण है और 1971 तथा 1976 में शोभराज के यही होने का संदेह था।

दूसरा प्रश्न यह है कि ये घटना 2.30 बजे म० प० हुई। दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना 3.40 बजे दी गई। इसमें विलम्ब क्यों ?

तीसरी बात यह है कि शोभराज को छोटे-मोटे अपराध के जुर्म में पकड़ा गया था यद्यपि वो नशीली दवाओं के अतर्राष्ट्रीय गिरोह माफिया से संबंधित था और उसके लिए काम करता था। वो कोई साधारण अपराधी या छोटा मोटा तस्कर नहीं था।

महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं चौथे, शोभराज एक**

मुझे इस सम्माननीय सदन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था।

किंतु तिहाड़ जेल के अधिकारियों को ये बात मालूम थी। उसकी महिला मित्र उससे मिलने आती रहती थीं।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में दर्ज न किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या उसके बारे में कोई रिकार्ड है। पांचवे, एक परिवीक्षाधीन कैदी है अजय कुमार। वो भी शोभराज के साथ भाग गया हालांकि उसे सिर्फ दो या तीन माह ही और जेल में रहना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह क्यों भागा ? तत्कालीन सहायक कमिश्नर श्री यादव का कहना है कि जेल से वे 10.30 बजे भागे। मोहम्मद अतीक जिन्होंने कि जेल अधिकारियों का साथ दिया और भागने से इंकार कर दिया उनका, क्या कहना है ? सरकार द्वारा इस संबंध में

** अध्यक्ष पी० के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

वक्तव्य दिया जानना चाहिए था । जहां तक कि समय का प्रश्न है अब सहायक कमिश्नर साहब का कहना है कि यह घटना 10.30 बजे हुई जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 2.30 बजे का समय दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : और अब श्री मोहमद अतीक का क्या कहना है शोभराज को अपेक्षा कम कड़ी सुरक्षा वाले क्षेत्र में भेज दिया गया । इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें कही जा चुकी हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अंत में, श्री विनेश कुमार जेल अधिकारियों के सामने समर्पण कर देते हैं । मुझे लगता है कि ये षडयंत्र का ही हिस्सा है, हो सकता है कि शोभराज हमारा ध्यान अपने से हटाकर दिनेश कुमार की ओर लगाना चाहता है और ये षडयन्त्र का ही एक भाग हो ।

अत: महोदय, इन सब बातों का पता चल जाएगा । यदि सरकार एक दिन के अंदर अंदर न्यायिक जांच के आदेश दे दें जैसा कि मैंने पहले कहा है ।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मित्रों की बात सुनकर मैं एक ही बात सोच रहा था कि यदि कहीं शोभराज मिल जाता तो मैं कहता कि हमारे दोस्त तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं । इस तरह चोरों की तरह से भागना तुम्हें शोभा नहीं देता शोभराज ये दोस्त तुम्हारी शोभा यात्रा निकालते, दो दिन पहले ही तुम भाग आए, नहीं तो ये तुम्हें तिहार से बिहार ले ज ते और क्रान्ति मार्च का अगुवा बनाते...(व्यवधान)....

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत बुरी बात है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनका क्या मतलब है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं एक बात कहूंगा । आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है, जो अखबारों में हैं उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब शोभराज भाग गया । बहुत लोगों को पता था कि शोभराज बहुत लोगों को एन्टरटेन करता है और वह बहुत से लोगों का प्रति पालन करता है यह खुलेआम कहा जाता था कि शोभा के स्पाई-केस में जो पकड़े गये थे उनके घर का पूरा खर्चा वह दिया करता था ।

समय कम होने के कारण मैं केवल एक-दो बातें ही कहना चाहता हूं। रेजिडेंशियल एरिया में गैस्ट हाउसैस बनाए हुए हैं, इनको बन्द कर दीजिए। दिल्ली में ड्रग का बहुत बड़ा व्यापार होता है और सारे क्रिमिनलल्स ड्रग का व्यापार करने वाले इन्हीं गैस्ट हाउसैस में रहते हैं और सारा ओपरेशन वहीं से होता है।

मैंने कई जेलों को जाकर देखा है। जेल के निरीक्षक कहते हैं कि भाई मेरी क्या गारन्टी है, कैदी जेल से भाग जाएगा या उसे बेल हो जाएगी, तो मेरे परिवार को नष्ट कर देगा। मेरे परिवार की क्या गारन्टी है ? कुछ ऐसा इन्तजाम करना चाहिए, जैसा कि जेल निरीक्षक ने कहा है, उनके परिवार वालों को सुरक्षा मिले।

तीसरी बात जो कि बहुत सीरियस बात है। अभी आप ने कहा कि आल इंडिया रेडियो और टीवी की न्यूज रीडर पढ़ रहा था, बाहर का आदमी घुस आया। कल कोई आदमी आल इंडिया रेडियो और टीवी में घुस आए, उस आदमी को हटाकर खुद ब्रॉडकस्ट कर दे, तो इसका क्या होगा। मैं कहूंगा कि यह बहुत ही गम्भीर समस्या है और काफी गम्भीरता से इसको लेना चाहिए।

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निवास मिर्धा) : महोदय मैंने प्रो० मधु दंडवते तथा दिल्ली में जेल तोड़ने की अत्यन्त खेदजनक घटना के बारे में बोलने वाले अन्य माननीय सदस्यों की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता बिलकुल सही है और इसे में भी मानता हूं और मैं इस विषय में जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस घटना विशेष के बारे में तथा मोटे तौर पर सुरक्षा के बारे में अत्यन्त महत्व की है। माननीय सदस्यों की भावनाओं उनके विचारों तथा प्रतिक्रियाओं को समझ सकता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय कुख्यात व्यक्ति शोभराज के कारण ये मामला और भी गम्भीर है। ऐसी कोई भी घटना निःसन्देह महत्वपूर्ण होती चूंकि इस मामले में शोभराज जैसे व्यक्ति का हाथ है इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस घटना को साधारण घटना नहीं समझती है। इसके विपरीत हम इसे अत्यन्त गम्भीरता से ले रहे हैं आपको आश्वासन देते हैं कि हम इसके लिए पूरे प्रबन्ध करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो और हम इस घटना से सबक लें।

यह घटना 15 तारीख को हुई। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देदी गई थी, उन्होंने सभी राज्य सरकारों तथा हवाई अड्डों को सूचना दे दी। इंटरपोल तथा विदेशी सरकारों को भी सूचना दी गई और ये काम शीघ्रता से किया गया। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है दिनेश कुमार को 17 ता० को पकड़ लिया गया था और—

कुछ माननीय सदस्य : उसने आत्म समर्पण किया था।

श्री राम निवास मिर्धा : वह जेल आ गया।

एक माननीय सदस्य : और उसके बाद समर्पण कर दिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसे शर्म आ गई कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री राम निवास मिर्धा : उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वह आया और आपके गले लग गया।

श्री राम निवास मिर्धा : उसने महसूस किया होगा कि उससे गलती हो गई है और उसने अपने आपको गिरफ्तार करवा लिया (व्यवधान)

महोदय भोला राम के बारे में.....

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नाम का भोला था।

[अनुवाद]

श्री राम निवास मिर्धा : दिल्ली पुलिस ने उसका पीछा किया। उन्हें कुछ सूचना मिली थी कि वो दिल्ली में कहां पर हो सकता है और अन्त में वे ग्वालियर चले गये जहां आज तड़के उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

महोदय प्रो० मधु दण्डवते ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि शोभराज को प्रत्यार्पण की कार्यवाही पूरी होने के बाद भी देश से क्यों नहीं निकाला गया। यह सही है कि प्रत्यार्पण संबंधी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की एक विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में थी इस लिए हमने उसे नहीं निकाला।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या कोई स्थगन आदेश लिए गए थे।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय मेरे सामने प्रत्यार्पण अधिनियम रखा है जिसमें लिखा है कि ऐसी कोई भी कार्यवाही बाकी हो तो हम उसे नहीं निकाल सकते। ये कानूनी मसला है और हम उसे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा चलते बाहर नहीं निकाल सकते थे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक जानकारी चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया था और यह आग्रह किया था कि इसे क्रियान्वित न किया जाए।

श्री राम निवास मिर्धा : उसके विरुद्ध बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं। कुछ मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। वे नहीं चाहते कि उसे छोड़ दिया जाय।

प्रो० मधु दंडवते : उसे थाइलैंड भेजा जाना चाहिए। यदि वहां उसे मौत की सजा हो जाती है तो उत्तर प्रदेश में कोई और सजा देने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ कानूनी उपबंध हैं। क्योंकि उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा था इसलिए हम उसे थाइलैंड नहीं भेज सके। जब तक ये मामला चलेगा हम और कोई कदम नहीं उठा सकते।

अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने क्या कदम उठाया है। इस संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है ये सिर्फ भागने का सवाल नहीं है ये कोई बहुत बड़ा षड़यंत्र हो सकता है जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते है और जेल की भीतर और बाहर षड़यंत्रकारियों की संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें न केवल निलम्बित ही किया है बल्कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और 8 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है जो कि जहाँ तक मुझे याद है अभूतपूर्व है। माननीय सदस्य को इस संबंध में बेहतर जानकारी हो सकती है कि इस प्रकार के प्रशासनिक मामले में हमने उन्हें गिरफ्तार किया है और उन पर 4 अभियोग लगाये गए हैं। विभिन्न अपराधों में धारा 120 ख यह कह कर जोड़ी गयी है कि वे इस बड़े षड़यंत्र का एक अंग है और हम इस जांच को गम्भीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय सरकार इस विषय में अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक कार्य कर रही है। हम किसी बात को संयोग पर नहीं छोड़ रहे हैं। यह एक कारण है जिसकी वजह से हम कोई न्यायिक अथवा अन्य प्रकार की जांच नहीं करा पायेंगे क्योंकि आखिर उस जांच का क्या परिणाम निकलेगा। वे यही कहेंगे कि बहुत से लोगों को फंसाया गया है। हम स्वयं कहते है उन्हें फसाया गया है। हम केवल कहते ही नहीं हैं अपितु हमने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल चल रही है। गवाही ली जायेगी और जो भी व्यक्ति इसमें किसी भी तरह से अन्तर्ग्रस्त होगा उसे सजा दी जायेगी। हम यह आश्वासन सदन को दे सकते हैं। इस प्रकार हमने एक बहुत गम्भीर कदम उठाया है और सभी को इस बात पर आश्वस्त होना चाहिए कि सरकार ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि यह एक लीक पर चलने वाली प्रशासनिक जांच और यह उस प्रकार की बड़ी जांच का स्थान नहीं ले सकती जिसका सुझाव दिया गया है। यह एक प्रशासनिक जांच है जो अपने रास्ते चलेगी। किन्तु कार्यवाही की गम्भीरता की एक झलक इस बात से मिल जाती है कि हमने इन लोगों के विरुद्ध षड़यंत्र के मामले में केस दर्ज कर लिया है और इस दृष्टिकोण से हम इस पर कार्यवाही करेंगे। इसी दृष्टिकोण से बहुत से प्रश्न उठाये गये हैं, समाचार पत्रों में अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि मेरे पास ऐसे कुछ तथ्य है हैं जिनको में सदन के समक्ष रख सकता हूं, किन्तु मैं समझता हूं कि जो जांच चल रही है वह इससे पूर्वाग्रहयुक्त हो जायेगी। अतः मैं उन अनेक घटनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा जिनके बारे में माननीय सदस्यों ने जानना चाहा था।

जहां तक व्यापक मुद्दों का सम्बन्ध है कि उनके बारे में हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं, चावला आयोग के बारे में और किसी ने मुल्ला आयोग का भी नाम लिया था तो मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सर्व प्रथम हमारा यह विचार है कि हम तिहाड़ जेल के लिए पूर्णकालिक

[श्री रामनिवास मिर्धा]

पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) नियुक्त करेंगे। हमने आज ही भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है। अभी तक उपायुक्त ही पदेन पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) हुआ करता था। हम समझते है कि यह ठीक स्थिति नहीं है। एक पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी को इसका प्रभारी होना चाहिए और हमने उसे नियुक्त कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कारागार महानिरीक्षक उसके आधीन होगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : वह महानिरीक्षक (कारागार) इस समय उपायुक्त ही पदेन महानिरीक्षक (कारागार) होता है। अब वहां एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा। और अब वह भारतीय पुलिस सेवा का है और वह तिहाड़ जेल का प्रभारी पुलिस महा निरीक्षक होगा। हमने जेल प्रशासन को मजबूत करने का निश्चय किया है। हम इस सारे मामले के सुरक्षा पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने कर्मचारी वर्ग के लिए फोटो परिचयपत्र प्रणाली आरम्भ कर दी हैं। हम मिलने वालों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बना रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि रविवार को कोई मिलने वाले नहीं आने दिये जायें। खाना बाहर से लेने को रोकने वाले नियम भी बने हुए हैं। परन्तु इन सबका उल्लंघन किया गया है। अन्यथा ये सब बातें हुई ही नहीं होतीं। हम उन सभी त्रुटियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह से हमारे सामने आई हैं हम ग्रह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं।

तिहाड़ जेल में क्षमता से अधिक कैदी रहते हैं वहां कर्मचारियों की कमी है। हम स्थिति में सुधार करने का प्रयास करते रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा हैं हम एक नई जेल भी बनायेंगे हमने शाहदरा में 75 एकड़ से अधिक भूमि अर्जित कर ली है। नई जेल बनाने के लिए योजना में हमने 2.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं और हम यथासम्भव शीघ्र कुछ कैदियों को वहां स्थानान्तरित करने की कोशिश करेंगे।

जेल सुधार के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। वास्तव में इस प्रकार के बाद-विवाद के परिणाम स्वरूप हमें जेल सुधार के अधिक व्यापक पहलुओं का पता चला है जो स्वयं में बहुत जटिल हैं किन्तु साथ ही विचार के लिए महत्वपूर्ण पहलू हैं।

जेल प्रशासन में सुधार तथा नई जेल की नई इमारतों को बनाने के लिए आठवें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों के लिए 137 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। हमारा विचार है उन्होंने इस धन का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए कर लिया होगा जिनके लिए वह दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में भी गृह मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जोकि अगले चार वर्षों राज्य सरकारों को समानुपाती आधार पर देने के लिए हमें उपलब्ध होंगे ताकि वे अपने जेल प्रशासन में सुधार कर सकें जेलों की इमारतें बनवा सकें आदि।

जेल सुधारों के सम्बन्ध में चावला रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था। उसमें अनेक सिफारिशें की गई हैं। उनमें से कुछ पर कार्यवाही की जा रही है। किशोर अपराधियों को अलग

किया गया है महिला कैदियों को पहले ही अलग किया हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया था इन्हें कुछ काम न सिखाया जाये। हमने वह भी किया है। हमने कई छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है जिसका उन्होंने सुझाव दिया है।

मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं जो कुछ भी जानकारी, न केवल तिहाड़ जेल के बारे में बल्कि पूरे देश के समग्र जेल प्रशासन के बारे में, उपलब्ध है। उसको ध्यान में रखते हुए जेल सुधारों सम्बन्धी प्रश्न पर पूरे विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। हम वहां जायें और जेल आसूचना के बारे में, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में, नये लोगों की भर्ती के बारे में, भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के बारे में, जानकारी एकत्र करें और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विचार करें।

मैं एक बार फिर आपको तथा आपके माध्यम से समग्र सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और केवल तिहाड़ जेल में ही नहीं अपितु अन्य जेलों में भी स्थिति को सुधारने के लिए हम यथाशक्ति हर संभव प्रयास करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे चर्चा पूरी कर लेने तक क्या अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने जो प्रश्न उठाये थे उनका क्या रहा ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : केरल वाला।

अध्यक्ष महोदय : उनका भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री के० पी० कृष्णन : मैंने उन व्यक्तियों के बारे में भी पूछा था जो चार्ल्स शोभराज से मिलने जाते हैं और शोभराज उससे नियमित रूप से धन प्राप्त करते हैं।

श्री अरुण नेहरू : केरल वाले मामले के बारे में, अगर मुझे उत्तर देने की अनुमति हो तो, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने उन व्यक्तियों के भारत प्रवेश के सम्बन्ध में तथ्यों का ठीक उल्लेख किया किया है हमने आदेश भेजे थे। हम जांच पड़ताल कर रहे है। हम इस विषय को फिर देखेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : (बडागरा) : बहुत अच्छा।

श्री गुलामनबी आजाद : मुझे दो बातों के बारे में कहना है। पहली बात आधे घंटे की चर्चा के बारे में है जिसे इसके बाद आरम्भ किया जाना था। हम इसे कल करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हां, अगर सदन ऐसा चाहता है तो।

श्री गुलाम नबी आजाद : आतंकवादियों की गतिविधियों पर भी चर्चा होनी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : महाराष्ट्र के राज्यपाल सम्बन्धी मामले को कल ले लीजिए।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। और विपक्ष ने भी यह चाहा था कि इसे बाद में लिया जाये, अतः मैं समझता हूं हम इसे बाद में ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगर सदन ऐसा चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, हम इसे बाद में कभी लेंगे।

6.18 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 मार्च, 1983/29 फाल्गुन, 1907 (शक) के ग्यारह म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली-92